

From:

Bharat Prasad,
Under Secretary,
Department of Environment, Forest
& Climate Change, Government of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest &
Climate Change, Section-7

Lucknow : Dated: 28/11/2019

Sub.: Compliance report of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh in pursuant to the order dated 19-07-2019 in OA. No. 116/2014 with OA No. 437/2015 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08-06-2019 on the subject of control of pollution in river Gomti.


Sir,

In compliance of the order dated 19-07-2019 in OA. No. 116/2014 with OA No. 437/2015 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08-06-2019 on the subject of control of pollution in river Gomti, the compliance report of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh along with annexures is enclosed herewith.

It is requested to that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl. As above.

Yours Sincerely,



(Bharat Prasad)
Under Secretary

Compliance Report of the Order dated 19.07.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 with OA No. 437/2015 in the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08.06.2019 on the subject of pollution of River Gomti.

1. That Hon'ble Tribunal constituted the Monitoring Committee headed by Justice Devi Prasad Singh former Judge of Hon'ble High Court, Allahabad vide order dated 23.08.2018 passed in O.A. No. 116/2014 in the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation, Gorakhpur & Others with a mandate to monitor compliance of the direction of Hon'ble Tribunal regarding the contamination of water bodies and ground water, specifically Ramgarh Lake, Aami River, Rapti River and Rohini River in and around district Gorakhpur. That it is further submitted that the Monitoring Committee was made the Oversight Body for rejuvenation of River Gomti vide order of Hon'ble Tribunal dated 17.02.2019 passed in OA No. 24/2018 in the matter of Shailesh Singh Vs. State of UP & Others.
2. That it is submitted that an interim report dated 08.06.2019 with regard to pollution of river Gomti was submitted by the Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body to Hon'ble Tribunal. Hon'ble Tribunal after considering the report submitted by the Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body passed an order dated 19.07.2019. That the interim report has certain recommendations/ observations regarding functioning of UP Jal Nigam, Lucknow Municipal Corporation, 10 Municipalities of other districts in the catchment area of river Gomti as well as U.P. Pollution Control Board with regard to control of pollution in river Gomti. The observations/recommendations given by the Chairman of the Committee which are mentioned in the Hon'ble Tribunal order dated 19.07.2019. The relevant part of the said order dated 19.07.2019 are reproduced herein as under:



“.....1. Advisory be issued by District Magistrates of all 11 districts i.e. Pilibhit, Shahjahanpur, Lakhimpur Kheri, Hardoi, Sitapur, Lucknow, Barabanki, Faizabad, Sultanpur, Pratapgarh and Jaunpur and the State of UP for people of the State not to take bath in the river Gomti till it is made environment friendly and children be advised not to have morning walks at the banks of river Gomti apart from taking bath or swimming.

2. The District Magistrates of all 11 districts (supra) shall ensure to send a DPR through Jal Nigam or other agency to the Government of India under Namami Gange project, in case not already sent, to tap all sewer-lines/drains which are discharging untreated sewage into river Gomti within their respective districts in three months.

3. The Government of India may consider the DPRs of all 11 districts (supra) under the Namami Gange Fund within next three months and the work for construction of STP/ETP, CETP, as the case may be, must begin within a period of nine months.

4. A Committee of Secretary, Urban Development, Secretary, Environment and Secretary Irrigation be constituted to supervise the implementation of the orders issued by the Honorable NGT within specified time-frame (supra) under the supervision of Principal Secretary Urban Development.

5. (i) UPPCB has failed from its very inception to implement the statutory mandate to keep the Gomti clean as evident from the fact that the Nagar Nigams/ Nagar Palikas have neither been saddled with environmental compensation nor have they been prosecuted. This commission and omission makes them accountable and the officers are liable to be

prosecuted under the Indian Penal Code and Environment Protection Act 1986 (supra) and is saddled with environmental compensation of ₹ 6,84,75000 as assessed (supra) which may be used in appropriate manner for cleanliness and purity of water of River Gomti under the supervision of the Committee of Secretary Urban Development, Secretary Environment and Secretary Irrigation (supra).

(ii) It is evident from the evidence on record that UP Jal Nigam has not been running the SPS/STPs around the clock for transfer of sewage hence are liable to share the responsibility of the sin of polluting the river Gomti. Hence UP Jal Nigam may be saddled with environmental compensation of ₹ 3 crores which may be used in appropriate manner for cleanliness and purity of water of River Gomti under the supervision of Committee of Secretary Urban Development, Secretary Environment and Secretary Irrigation (supra).

(iii) Nagar Nigam Lucknow has already been proposed to be saddled with environmental compensation of ₹ 5 crores with regard to the report of municipal solid waste. Hence in the present case, to keep on polluting Gomti, the liability of Nagar Nigam Lucknow in committing the sin since of polluting the river Gomti for decades is assessed to ₹ 2 crores which may be used in appropriate manner for cleanliness and purity of water of River Gomti under the supervision of Committee of Secretary Urban Development, Secretary Environment and Secretary Irrigation (supra).

(iv) The municipalities of 10 districts (supra) may be saddled with environmental compensation of ₹ 1

crore each which shall be used to provide quality of life to the citizens of respective districts and ensure cleanliness of river Gomti under supervision of Committee of Secretary Urban Development, Secretary Environment and Secretary Irrigation (supra).

6. No plastic waste, biomedical waste or municipal solid waste shall be dumped or stored within 150 metres of river Gomti on both sides. Further, no construction may be permitted within 150 metres on both sides of river Gomti (within municipal limits of Lucknow).

7. Government of UP through Principal Secretary Finance may deposit a performance guarantee of ₹ 100 crores as decide by Honorable NGT to ensure that within two years, all drains discharging their effluents and sewage in Gomti shall be tapped, otherwise the amount under the performance guarantee be forfeited and used for upliftment of environmental standard of river Gomti.

8. Municipal Commissioner of Lucknow Nagar Nigam and the District Magistrates/EOs of 11 districts (supra) be instructed to ensure that no solid waste or bio-medical waste is discharged into drains and subsequently into river Gomti by use of plastic/steel/fiber nets at discharge points.

9. Owing to long gestation periods of installation of STPs/CETPs, UP Jal Nigam and District Magistrates of 11 districts (supra) may be directed to begin within 2 months, bioremediation projects of all the piled solid waste at the banks of river Gomti and its drains of all the 11 districts of UP (supra) by selecting the appropriate bioremediation technique and technologies such as Modular STP based on

Electrocoagulation, filtration, Eco-Bioblock, Phytoremediation, Geo-Tube, Phytoremediation etc. which will effectively reduce pollutant concentration to an innocuous state

10. Nagar Nigam, UP Jal Nigam be directed to complete

all formalities under law keeping in view the observation made by the CPCB and UPPCB in its report (supra) within a period of 3 months. Apart from the above instructions, recommendations made by scientists of CPCB and UPPCB are accepted which are as under:

"1. Nagar Nigam/UP Jal Nigam Lucknow may submit DPR for construction of sewage treatment plant (STP) and tapping of major drain discharging untreated sewage of city in River Gomti making it unfit for bathing and human uses.

2. To increase the sewage treating capacity, Jal Nigam/Nagar Nigam has prepared the project and has submitted to the Government for approval.

3. To provide additional water into the River and thus bring about improvement in the future drinking water situation and environment of Lucknow city through Mahdoiya and Ataria escape of the Sharda Canal System.

4. To develop the Riverfront by developing green belt on the banks of the River, under which facilities like cycle track, walking track, water sports facilities, water transport and tourism activities can be promoted.

5. To provide water for regeneration of the River by reviving lakes and ponds in Sitapur, Lakhimpur Kheri and Lucknow districts.



6. Nagar Nigam should immediately removed illegal dumping of solids on River Bank and in its catchment area.

7. River Gomti ghats may develop with green plantation and remove the silting and garbage dumped in River Stream for maintain natural flow of River.”

3. That it is further submitted that Hon'ble Tribunal after considering the report submitted by the Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body had passed order dated 19.07.2019. The relevant operative portion of order of Hon'ble Tribunal is reproduced below:-

“.....We direct that a copy of this report be forwarded to the Chief Secretary, Uttar Pradesh who may furnish action taken report in the matter within two months by email at judicial-ngt@gov.in. A copy of the said report may be placed by the registry in O.A.no. 673/2018 which is now to come up on 29.11.2019.O.A. No.24/2018 which is listed on 9.8.2019 may now be listed after 29.11.2019.....”

4. That it is submitted that in compliance to Hon'ble Tribunal order dated 19.07.2019, the undersigned reviewed the status of compliances related to various directions of Hon'ble Tribunal passed vide orders in the captioned matter on 18.09.2019. The responsible officers of the concerned departments were directed to put up updated compliance reports. The minutes of meeting dated 18.09.2019 are enclosed herewith and marked as **Annexure No.- 1**.

5. That the undersigned directed the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh to follow up the status of compliance of the directions of

Hon'ble Tribunal. The Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh reviewed the compliance on 18.11.2019 and directed that the consolidated action taken report of the UP Jal Nigam, Municipal Corporation, Lucknow, Lucknow Development Authority shall be filed in Hon'ble NGT with a copy to Department of Environment and Forest and Climate Change, UP. The minutes of meeting dated 18.11.2019 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-2.**

6. That UP Pollution Control Board has already submitted its action taken report in Hon'ble NGT on 30.09.2019. The copy of the Action Taken Report with Annexures is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-3.**
7. That it is further submitted that in compliance to the direction of the undersigned given in the review meeting dated 18.09.2019 Department of Urban Development, U.P. has already submitted its action taken report in Hon'ble NGT on 28.11.2019. The copy of the report is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-4.**
8. That the undersigned reviewed the compliance reports filed by U.P. Pollution Control Board and Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh and directed the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh vide letter dated 28.11.2019 to take following immediate actions-
 - a) Start bio-remediation of untapped drains falling into River Gomti and Ramgarh Tal Gorakhpur.
 - b) To put-up timeline for establishment of STPs in the untapped drains falling into River Gomti and Ramgarh Tal Gorakhpur so that it may be reviewed regularly for effective and timely control of pollution.
 - c) Disposal of the matters of permission for prosecution against responsible officers for pollution of river Gomti referred by Environment, Forest & Climate Change Department U.P. in accordance with law expeditiously.

That copy of the said letter dated 28.11.2019 is enclosed herewith and marked as Annexure No.-5.

9. That in O.A. No. 673 of 2018, the matter of News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB, this Hon'ble Tribunal, vide orders dated 20.09.2018, 19.12.2018 and 08.04.2019, has directed that Action Plans for Critically Polluted River Stretches in the State of Uttar Pradesh be prepared by River Rejuvenation Committee (RRC).
10. That the polluted river stretch of Gomti has been identified by CPCB from 'Sitapur to village Kaithi, district Ghazipur', the confluence point in river Ganga and has been kept in priority-III. The length of the polluted river stretch is 628 km.
11. That in compliance to the orders of Hon'ble Tribunal, UP Pollution Control Board has prepared a detailed action plan for restoration of the polluted river stretch of river Gomti which has been duly approved by River Rejuvenation Committee, UP on 01.07.2019 and uploaded on the Board's website.
12. That it is submitted that the action plan for control of pollution of river Gomti is under implementation and being periodically monitored by River Rejuvenation Committee, U.P. That Hon'ble Tribunal may appreciate the fact that in the State of Uttar Pradesh the River Rejuvenation Committee is regularly monitoring the implementation of action plan for critically polluted river stretches.
13. That the water quality of River Gomti is monitored regularly at 25 points from Pilibhit to Varanasi. In 19 points (02 points at Pilibhit, 01 point at Shahjahanpur, 05 points at Sitapur, 05 points at Lucknow, 02 points at Barabanki, 02 points at Sultanpur, 01 point at Jaunpur and 01 point at Varanasi) water quality monitoring is

done on monthly basis and at 06 points in Lucknow monitoring is done on daily basis.

14. That U.P. Pollution Control Board is issuing advisory regarding water quality of river Gomti at different points and the bulletin is uploaded on the website of the Board (<http://www.uppcb.com/Water-Quality-Advisory-of-River-Gomti.htm>) on monthly basis.
15. That it is submitted that the water quality of the River Gomti is showing an improving trend as a result of implementation of the Action Plan and various actions taken by the board against the pollution sources. During the months of April–June, 2019 out of 11 monitoring points of river Gomti at 07 monitoring points the pollution level has been showing downward trend as compared to the pollution level in the same period of the previous year 2018. The comparative data of water quality monitoring for the said period is enclosed and marked as **Annexure No.-6.**
16. That it is further submitted that Government of Uttar Pradesh is committed towards keeping River Gomti pollution free by ensuring compliance of action plan and orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED: 28/11/2019



(Rajendra Kumar Tiwari)

Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh

दिनांक... 30-9-19

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-116/2014 विद ओ0ए0 संख्या-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-116/2014 विद ओ0ए0 संख्या-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2019 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2- सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ओ0ए0 सं-116/2014 विद ओ0ए0 सं-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में मा0 एन.जी.टी. द्वारा गोमती नदी प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव एवं उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया।

गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में।

1. मा0 एन.जी.टी. द्वारा ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में दिनांक 23.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति गठित की गई। उक्त समिति गोरखपुर एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित रामगढ़ ताल, आमी नदी, राप्ती नदी, रोहनी नदी के संबंध में मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का अनुश्रवण किये जाने हेतु गठित की गयी थी। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त समिति को उक्त नदियों के प्रदूषण में कभी एवं फलो को बढ़ाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किए जाने का दायित्व भी दिया गया था। पुनः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त अनुश्रवण समिति को ओ0ए0 संख्या-24/2018 शैलेश सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2019 द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में ओवरसाईट बॉडी के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में दिनांक 08.06.2019 को मा0 एन.जी.टी. में दाखिल की गई अंतरिम रिपोर्ट पर मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 19.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट दो माह के अन्दर मा0 एन.जी.टी. में दाखिल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त वाद मा0 एन.जी.टी. में दिनांक 29.11.2019 को सुनवाई हेतु नियत है।

2. उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.06.2019 में यह संस्तुति की गई है कि गोमती नदी की गुणता व अन्य प्रदूषण के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन सामान्य हेतु एडवाईजरी जारी की जाये कि जनसामान्य गोमती नदी के जल का उपयोग पीने/नहाने में न करें तथा उसके प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन एवं दुर्गन्ध के दृष्टिगत

c-5/6

30-9-19

my E&A/200
5/9/19

तट पर भ्रमण न करें। इस संबंध में सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में गोमती नदी की जल गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके मासिक बुलेटिन में जल की गुणवत्ता के संबंध में तथा जल की उपयोगिता की जानकारी भी अंकित कराई जायेगी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त मासिक बुलेटिन बोर्ड की वेब साईट पर अपलोड किया जा रहा है। दुर्गन्ध के संबंध में कोई मानक निर्धारित न होने के कारण कोई कार्यवाही वांछित नहीं है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या मा० एन०जी०टी० में समय से दाखिल की जाये।

(कार्यवाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन/
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3. उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले सभी 11 जनपदों (पीलीभीत, शॉहजाहपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा जौनपुर) हेतु गोमती में मिलने वाले सभी ड्रेन्स जिनके द्वारा सीवेज का निस्तारण गोमती नदी में किया जाता है, के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. के स्थापनार्थ उ०प्र० जल निगम द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर 'नमामि गंगे प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सीतापुर एवं बाराबंकी हेतु डी.पी.आर. दो माह में तैयार हो जायेगी। जनपद-जौनपुर हेतु डी.पी.आर. तैयार है, जिसे स्वीकृति हेतु भेजा गया है। इस संबंध में विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग, गोमती नदी में मिलने वाले समस्त सीवेज नालों की टैपिंग कर इनके शुद्धिकरण हेतु डी.पी.आर. तैयार करें एवं उक्त परियोजना हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करायें। इसी प्रकार गोमती नदी के किनारे स्थित अन्य जनपदों हेतु भी डी.पी.आर. तत्काल तैयार कर नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित कराई जाये। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट मा० एन.जी.टी. में दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण विभाग को विलम्बतम दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग/उ०प्र० जल निगम)

4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा मा.एन.जी.टी. में प्रस्तुत की गई आख्या में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण करने के लिए दोषी नगर निगम, नगर पालिका एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण रू० 6,84,75,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की संस्तुति की गई है। इस संबंध में सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रयासों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रमुख रूप से उ०प्र० जल निगम के विरुद्ध अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन को भेजी गई संस्तुतियों का उल्लेख किया गया। इसी प्रकार जनपद लखनऊ के घैला घाट पर एकत्रित लगभग 7.5 लाख टन लीगेसी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण न होने के दृष्टिगत नगर

आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की गई है। इन प्रकरणों का परीक्षण कर इन पर शीघ्र नियमानुसार निर्णय लिया जाय। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित अनुपालन सूचना को उक्त अनुश्रवण समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में संज्ञान में नहीं लिया गया है, जबकि बोर्ड द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु समुचित कार्यवाही की गई है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट मा० एन.जी.टी. में दाखिल की जाये तथा उसकी प्रति पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यावाही: उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

5. बैठक में यह अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिंचाई विभाग एवं नगर निगम, लखनऊ को गोमती नदी में से जल कुम्भी एवं अन्य फ्लोटिंग मैटेरियल साफ कराये जाने हेतु अनेक बार नोटिस दिये गये हैं, किन्तु इनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में नगर निगम, लखनऊ/सिंचाई विभाग गोमती नदी का सर्वे कराकर जलकुम्भी व अन्य फ्लोटिंग वेस्ट को निकलवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराये। नगर निगम, लखनऊ एवं गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र से संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा बार-बार-मेश लगाकर ठोस अपशिष्ट को गोमती नदी में जाने से रोका जाये।

(कार्यावाही: सिंचाई विभाग/नगर निगम, लखनऊ/
नगर विकास विभाग)

6. यह भी अवगत कराया गया कि लखनऊ स्थित सभी रेलवे स्टेशनों एवं वर्क-शॉप से जनित सीवेज/उत्प्रवाह, सॉलिड वेस्ट एवं अन्य वेस्ट पदार्थों के समुचित शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु नोटिस प्रेषित किये गये हैं। इस संबंध में यह मत स्थिर हुआ कि रेलवे स्टेशनों/वर्क-शॉप से जनित सीवेज/उत्प्रवाह, सॉलिड वेस्ट एवं अन्य वेस्ट पदार्थों के समुचित शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु शासन स्तर से भी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का अनुरोध किया जाये।

(कार्यावाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि गोमती नदी के रिजुवनेशन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजुवनेशन समिति से अनुमोदित करा कर बोर्ड की वेब साईट पर अपलोड किया गया है। उक्त कार्ययोजना का क्रियान्वयन संबंधित विभागों से करा कर अनुश्रवण हेतु त्रि-स्तरीय अनुश्रवण प्रोटोकॉल विकसित किया गया है तथा कृत कार्यवाही की सूचना साझा करने के लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाईन मॉनीटरिंग पोर्टल भी विकसित किया गया है। गोमती की जलगुणता में कार्ययोजना के लागू होने के उपरान्त गत वर्ष की तुलना में सुधार परिलक्षित हुआ है।

8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 08.06.2019 को मा0 एन.जी.टी. में प्रस्तुत रिपोर्ट में उ0प्र0 जल निगम पर रूपये 3.00 करोड़, नगर निगम लखनऊ पर रूपये 2.00 करोड़ तथा अन्य 10 जनपदों की नगर पालिकाओं पर रू0 1.00 करोड़ (प्रत्येक), पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही गोमती में विभिन्न नालों की टैपिंग दो वर्ष में सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 को रू0 100.00 करोड़ की परफॉरमैन्स गारन्टी जमा किये जाने की संस्तुति की गई है।

विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही नगर विकास विभाग से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम नगर विकास विभाग प्रस्तावित कार्यवाही हेतु मत स्थिर करें। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग शीघ्र उचित निर्णय लेकर अवगत करायें।

- (कार्यावाही: नगर विकास विभाग/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन)
9. अनुश्रवण समिति द्वारा किसी भी प्रकार का प्लास्टिक वेस्ट, बायो-मेडिकल वेस्ट अथवा सॉलिड वेस्ट नदी तट के दोनों तरफ 150 मीटर क्षेत्र में एकत्रित/डम्प न करने की संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर निगम की सीमा में नदी तट के दोनों तरफ 150 मीटर क्षेत्र में कोई निर्माण न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती नदी के 150 मी0 दोनों ओर ठोस/प्लास्टिक/बायोमेडिकल अपशिष्ट की डम्पिंग को प्रतिबन्ध किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा तदनुसार मा0 एन0जी0टी0 में समयान्तर्गत अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे तथा दाखिल की गयी रिपोर्ट की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायें।

- (कार्यावाही: नगर विकास विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन)

10. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न नालों के माध्यम से गोमती में गिर रहे सॉलिड वेस्ट/बायो मेडिकल वेस्ट को रोकने के लिए प्लास्टिक/स्टील/फाइबर नेट लगाने, एस.टी.पी. स्थापित होने तक नालों का बायो-रेमिडियेशन करने, नदी में अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने, नदी किनारे वृक्षारोपण करने, आदि तथा संबंधी अन्य संस्तुतियों की गई है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागों यथा नगर विकास,

सिंचाई एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाये एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन सूचना समयान्तर्गत मा० एन.जी.टी. में दाखिल करें तथा दाखिल की गई रिपोर्ट की प्रति पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायें।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग/वन विभाग/सिंचाई विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन)

11. नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के प्रतिनिधि द्वारा नगर विकास से संबंधित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही के संबंध में वांछित सूचनाएँ प्रस्तुत नहीं की जा सकीं। इस पर मुख्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा यह निर्देश दिये गये कि भविष्य में मा० एन.जी.टी. से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकों में प्रकरण से भिन्न एवं सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही प्रतिभाग किया जाये।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन)

मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, रायबरेली के संबंध में।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 05.04.2019 को अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष के रायबरेली भ्रमण के समय मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, रायबरेली के निरीक्षण हेतु संबंधित उद्योग कर्मचारियों द्वारा फेंकट्री का गेट नहीं खोला गया। इस पर संबंधित थाना एवं सिटी मजिस्ट्रेट के आग्रह पर भी गेट नहीं खुलवाया जा सका। मा० एन.जी.टी. द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 06.08.2019 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग बंद पाया गया तथा बताया गया कि उद्योग 24.03.2017 से बन्द है। संयुक्त टीम द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31(ए) के अन्तर्गत निर्देश दिये गये हैं कि उद्योग का संचालन बोर्ड से नियमानुसार सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। इसके अतिरिक्त निरीक्षण दिनांक 05.04.2019 को निरीक्षण में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में उद्योग के संबंधित कार्मिक के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-38(बी) के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन दाखिल किया गया है। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में विगत पाँच वर्षों में उद्योग संचालित रहने की अवधि से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर परीक्षण किया जा रहा है तथा नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी।

इस संबंध में यह निर्णय किया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या मा० एन.जी.टी. में दाखिल करें।

(कार्यावाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

12. बैठक में विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि राजकीय विभागों/संस्थाओं के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने अथवा अभियोजनात्मक

कार्यवाही किये जाने के पूर्व नोटिस अवश्य दी जाये तथा वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर विचार-विमर्श कर इसका सम्यक् समाधान निकाला जाय।

(कार्यवाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन/
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)


अन्त में बैठक धन्यवाद के समाप्त हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-N.G.T.-477/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी०सी०
लखनऊ : दिनांक : 25-सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/
वित्त/जल शक्ति (सिंचाई)/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, लखनऊ।
6. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-116/2014 विद ओ0ए0 संख्या-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुपालन के संबंध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2019 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-116/14 विद ओ0ए0 संख्या-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में मा0 एन.जी.टी. द्वारा गोमती नदी में प्रदूषण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुपालन के संबंध में दिनांक 18.09.2019 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा आहूत बैठक में शासन के विभिन्न विभागों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुपालन आख्या मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के माध्यम से मा0 एन.जी.टी. में दाखिल की जानी है। अतः प्रमुख सचिव द्वारा अपेक्षा की गयी कि दिनांक 18.09.2019 में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों की विभागवार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये।

2. मुख्य अभियन्ता गंगा, उ0प्र0 जल निगम के पत्र दिनांक 16.11.2019 द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी, किन्तु उक्त आख्या में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है कि गोमती नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में आने वाले 11 जनपदों में से किन जनपदों में एस0टी0पी0 की आवश्यकता नहीं है। अतः यह निर्देश दिये गये कि इसका कारण स्पष्ट करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त जिन जनपदों हेतु एस0टी0पी0 निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है अथवा डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है, उसका समयबद्ध रूप से चार्ट सहित विवरण प्रस्तुत किया जाये। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाये कि उक्त कार्य किस एजेन्सी द्वारा वित्त पोषित किया जायेगा तथा कार्य कब तक पूर्ण होगा।

उ0प्र0 जल निगम द्वारा 459 नाले, जो गोमती नदी एवं विभिन्न सहायक नदियों में सीधे गिर रहे हैं, के 05 वर्षों तक बायो-रेमिडियेशन ट्रीटमेन्ट हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर, जिसकी लागत रूपये 1796.00 करोड़ है, एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली एवं शासन को दिनांक 01.10.2019 को प्रेषित की गयी है। इस संबंध में यह निर्देश दिये गये कि गोमती नदी के किनारे स्थित समस्त नगर निगम एवं नगर पालिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि गोमती में सॉलिड वेस्ट गिरने से रोकने हेतु बारमेश स्थापित किए जायें तथा गोमती नदी में मिलने वाले समस्त नालों को रोका जाय एवं सीवेज को एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाय तथा जिन नालों में एस0टी0पी0 प्रस्तावित न हो, उसमें बायो रेमिडियेशन की व्यवस्था की जाये।

3. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री डी0पी0 सिंह की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति की संस्तुति के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को रूपये 3.00 करोड़, नगर निगम, लखनऊ पर 02 करोड़ तथा अन्य 10 जनपदों के नगर निकाय पर 01 करोड़ प्रत्येक पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई थी। इसके साथ ही गोमती नदी में विभिन्न नालों की टैपिंग हेतु प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन को रूपये 100.00 करोड़ परफारमेन्स गारन्टी जमा किये जाने की संस्तुति की गयी थी। इस संबंध में मुख्य

Myantak
CEO (G-5)

22/11/19

26/11/19

09/12/19

सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नगर विकास, विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा उचित निर्णय लेते हुए मत स्थिर किया जाय।

4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती नदी में जल कुम्भी निकालने हेतु 02 स्किमर मशीने कय की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कुडियाघाट से गुलालाघाट तक सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अस्थाई बांध बनाया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जल का प्रवाह समुचित न होने के कारण जल कुम्भी उत्पन्न होती है। अतः उस बाँध को तत्काल हटवाये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे जलकुम्भी की समस्या का समाधान हो सकता है। गोमती नदी के 150 मी० क्षेत्र में कूड़ा आदि न फेंकने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा बोर्ड लगा दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी कार्यवाही की गयी है।

5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा गोमती नदी में मिलने वाले नालों में जाली लगा दी गयी है तथा नियमित रूप से कूड़ा निकाला जा रहा है। इस पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूर्ण विवरण आँकड़ों सहित दिनांक 20.11.2019 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जाय।

6. उपरोक्त दिये गये सभी निर्देशों के अनुपालन के संबंध में उ०प्र० जल निगम, नगर निगम, गोमती नदी के प्रवाह के जनपदों में स्थित नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त कर समेकित अनुपालन आख्या नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा माननीय एन०जी०टी० में प्रस्तुत की जाये तथा उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को दिनांक 20.11.2019 तक उपलब्ध करायी जाय, ताकि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा माननीय एन०जी०टी० में दाखिल की जाने वाली एक्शन टेकेन रिपोर्ट में उसे सम्मिलित किया जा सके।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन)

7. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि कुडियाघाट बाँध के कारण गोमती नदी में जल प्रवाह का अवरोध दूर किया जाये, ताकि जल कुम्भी की समस्या का निदान हो सके। गोमती नदी में लीन सीजन में जल का प्रवाह बनाये रखने हेतु विभिन्न एस्केप (Escapes) के माध्यम से सिंचाई के उपरांत सरप्लस जलापूर्ति की जाये। इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार कर उसके अनुसार कृत कार्यवाही की आख्या एवं कार्ययोजना दिनांक 20.11.2019 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही-सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन)

8. गोमती नदी के किनारे स्थित समस्त जनपदों में किये गये वृक्षारोपण की विस्तृत आख्या एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण सम्बन्धी योजना तथा इसके अतिरिक्त गोमती नदी के किनारे वेटलैण्ड विकसित किये जाने की कार्यवाही संबंधी अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दिनांक 20.11.2019 तक प्रस्तुत किया जाये।


(कार्यवाही-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ)

कल्पना अग्रस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-NGT-557(2)/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी0सी0
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/
सिंचाई/आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
- 2- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
- 7- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4/5, उ0प्र0 शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा. से.

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।



Annexure-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या-441975

/सी-5/ O. A. No. 24/10/19

दिनांक 29-9-2019

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.


Sub.: Compliance Report of UP Pollution Control Board in the order dated 19.7.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. on the subject of control of pollution in river Gomti.

Sir,

In compliance of the order passed by Hon'ble NGT on 19.7.2019 in OA No. 116/2014 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08.06.2019 on the subject of control of pollution in river Gomti, the action taken report of UPPCB is being enclosed herewith along with annexures for your kind perusal.

Encl.: As above.

Yours Sincerely


(Ashish Tiwari)
Member Secretary

Copy: Sri Pradeep Misra (Advocate), Board Council for information and necessary action please.

Member Secretary

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

-19-

Compliance Report of UP Pollution Control Board in the order dated 19.7.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 with OA No. 437/2015 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08.06.2019 on the subject of control of pollution in river Gomti.



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
TC-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,
LUCKNOW (UP)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT THE NEW
NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 116 OF 2014

IN THE MATTE OF:

Compliance Report of UP Pollution Control Board in the order dated 19.7.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. on the subject of control of pollution in river Gomti.

COMPILATION-I

LIST OF ANNEXURES

Annexure No.	Annexure Details	Page No.
1	Compliance report of UPPCB in the order dated 19.7.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 regarding pollution in river Gomti	1-21
2	Annexure No. 1	22-27
3	Annexure No. 2	28
4	Annexure No. 3	29
5	Annexure No. 4	30-41
6	Annexure No. 5	42
7	Annexure No. 6	43-44
8	Annexure No. 7	45-48
9	Annexure No. 8	49
10	Annexure No. 9	50-51
11	Annexure No. 10	52-53
12	Annexure No. 11	54-55
13	Annexure No. 12	56
14	Annexure No. 13	57-58
15	Annexure No. 14	59
16	Annexure No. 15	60-61
17	Annexure No. 16	62-63
18	Annexure No. 17	64
19	Annexure No. 18	65-69

20	Annexure No. 19	70-72
21	Annexure No. 20	73-74
22	Annexure No. 21	75-102
23	Annexure No. 22	103-104
24	Annexure No. 23	104-107
25	Annexure No. 24	108
26	Annexure No. 25	109
27	Annexure No. 26	110-111
28	Annexure No. 27	112-113
29	Annexure No. 28	114-115
30	Annexure No. 29	116
31	Annexure No. 30	117-118
32	Annexure No. 31	119
33	Annexure No. 32	120
34	Annexure No. 33	121
35	Annexure No. 34	122
36	Annexure No. 35	123
37	Annexure No. 36	124
38	Annexure No. 37	125
39	Annexure No. 38	126
40	Annexure No. 39	127-134
41	Annexure No. 40	135-143
42	Annexure No. 41	144-150
43	Annexure No. 42	151-153
44	Annexure No. 43	154-280
45	Annexure No. 44	281-285
46	Annexure No. 45	286
47	Annexure No. 46	287-298

Compliance Report of U.P. Pollution Control Board in the Order dated 19.07.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No. 116/2014 with OA No. 437/2015 in the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Ors. with respect to the report of Monitoring Committee dated 08.06.2019 on the subject of pollution of River Gomti.

1. That it is submitted that the Monitoring Committee was constituted by Hon'ble NGT headed by Justice Devi Prasad Singh former Judge of Allahabad High Court under the orders of Hon'ble NGT dated 23.08.2018 passed in OA No. 116/2014 in the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation, Gorakhpur & Others to monitor compliance of the direction of Hon'ble Tribunal regarding the contamination of water bodies and ground water, specifically Ramgarh Lake, Aami River, Rapti River and Rohini River in and around district Gorakhpur. That it is further submitted that the Monitoring Committee was made the Oversight Body for rejuvenation of River Gomti vide order of Hon'ble Tribunal dated 17.02.2019 passed in OA No. 24/2018 in the matter of Shailesh Singh Vs. State of UP & Others.
2. That it is submitted that an interim report dated 08.06.2019 with regard to pollution of river Gomti was submitted by the Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body to Hon'ble Tribunal. Hon'ble Tribunal after considering the report submitted by the Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body has passed order dated 19.07.2019. The interim report has certain recommendations/observations regarding functioning of U.P. Pollution Control Board with regard to control of pollution in river Gomti. The observations/recommendations given by the Chairman of the Committee which are mentioned in the order of Hon'ble Tribunal dated 19.07.2019 are reproduced below:

".....5. (i) UPPCB has failed from its very inception to implement the statutory mandate to keep the Gomti clean as evident from the fact that the Nagar Nigams/Nagar Palikas have neither been saddled with environmental compensation nor have they been prosecuted. This commission and omission makes them accountable and the officers are liable to be prosecuted under the Indian Penal Code and Environment Protection Act

Fellion


1986 (supra) and is saddled with environmental compensation of ₹ 6,84,75000 as assessed (supra) which may be used in appropriate manner for cleanliness and purity of water of River Gomti under the supervision of the Committee of Secretary Urban Development, Secretary Environment and Secretary Irrigation (supra)....."

3. Hon'ble Tribunal after considering the report submitted by the Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body has passed order dated 19.07.2019. The relevant operative portion of order of Hon'ble Tribunal is reproduced below:-

".....We direct that a copy of this report be forwarded to the Chief Secretary, Uttar Pradesh who may furnish action taken report in the matter within two months by email at judicial-ngt@gov.in. A copy of the said report may be placed by the registry in O.A.no. 673/2018 which is now to come up on 29.11.2019.O.A. No.24/2018 which is listed on 9.8.2019 may now be listed after 29.11.2019....."

4. That it is submitted that in compliance of Hon'ble NGT order, relevant portion of the order as quoted above, the Action Taken Report regarding the efforts of UP Pollution Control Board for control of pollution in river Gomti was presented before the Chief Secretary, UP in a meeting on 18.9.2019. The chief secretary was apprised of the said report and after due consideration it was directed by the chief secretary that the Action Taken Report be filed by Department of Environment, Forest & Climate Change, UP in Hon'ble Nation Green Tribunal. The minutes of the meeting dated 18.9.19 are attached herewith and marked as **Annexure no.-1**

5. That it is submitted that the report related to river Gomti dated 08.06.2019 was unilaterally prepared and submitted by Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body and has not been discussed in the meeting of the Committee with prior agenda owing to which the action taken by U.P. Pollution Control Board against the pollution of river Gomti could not find a place in the said report dated 08.06.2019. It is further submitted that the Member Secretary of U.P. Pollution Control Board has written to Chairman of the Monitoring Committee requesting him to make



available the copies of the reports with prior information/agenda so that the actions taken by the U.P. Pollution Control Board may be presented before him in the interest of justice, but the reports were made available through the website of the Monitoring Committee after being submitted to the Hon'ble NGT. Copies of letters of Member Secretary of U.P. Pollution Control Board dated 08.07.2019 and 11.07.2019 are attached herewith and marked as Annexure No.-2 & 3.


6. River Gomti originates from Madhotanda, Gomad Lake in district Pilibhit and passes through Shajahanpur, Lakhimpur Khiri, Hardoi, Lucknow, Barabanki, Sultanpur and Jaunpur districts and ultimately confluences with river Ganga in district Ghazipur. It traverses a distances of approximately 821 Kms.
7. It is submitted that U.P. Pollution Control Board has taken various steps for control of pollution in river Gomti including the legal actions. The sector-wise actions taken against the pollution of River Gomti are detailed below:-

A. Sewage treatment related actions:

Regular inspection and monitoring of STPs situated in Lucknow and Raebareli is being done by UPPCB. Whenever any default is found, legal action as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been taken against the responsible authorities and agencies as detailed below:

a) Regarding 345 MLD STP at Bharwara, Lucknow:

- i. It is submitted that Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow is the operating agency for this STP. Various notices have been sent to Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow from UPPCB regarding non-compliance and non-performance of the 345 MLD STP at Bharwara since 2014. Notices have been sent on 09.06.2014, 30.06.2014, 23.07.2014, 01.10.2014, 30.10.2014, 25.11.2014, 12.01.2015, 01.10.2015, 14.03.2016, 06.06.2016, 12.09.2016 and 27.11.2018. Copy of these notices are attached herewith and marked as Annexure No.-4.



ii. For non performance of the 345 MLD STP, Environmental Compensation of Rs. 6,12,500/- was imposed on Gomti Pollution Control Unit, Jal Nigam, Lucknow vide letters no. H 29881/C-5/Jal-248/18 dated 17.12.2018 and H 36174/C-5/Jal-248/19 dated 20.05.2019 in compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA no. 200/2014 in the matter of M.C. Mehta versus Union of India & Ors dated 13.07.2017. Copies of the above mentioned orders issued for imposition of Environment Compensation are attached herewith and marked as Annexure No.-5 & 6.

b) Regarding 56 MLD STP at Daulatganj:

- i. It is submitted that various notices have been sent to Gomti Pollution Control Unit, UP Jal Nigam, Lucknow from UPPCB regarding non-compliance and non-performance of the 56 MLD STP at Daulatganj. Notices have been issued on 09.06.2014, 28.06.2014, 01.10.2014 and 16.04.2018. Copy of all the above mentioned notices are attached herewith and marked as Annexure No.-7.
- ii. For non performance of the 56 MLD STP, Environmental Compensation of Rs. 6,12,500/- was imposed on Gomti Pollution Control Unit, Jal Nigam, Lucknow vide letters no. H 29882/C-5/ Samanya-11/18 dated 17.12.2018 and H 36173/C-5/ Samanya-11/19 dated 20.05.2019 in compliance of order dated 13.07.2017 passed by Hon'ble NGT in OA no. 200/2014 in the matter of M.C. Mehta versus Union of India & Ors. Copies of the orders issued for imposition of Environment Compensation are attached herewith and marked as Annexure No.-8 & 9.
- iii. Directions were issued to the GM, UP Jal Nigam, Gomti Pollution Control Unit, Lucknow under section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 vide letter no. H 20994/C-5/Samanya-11/18 dated 28.05.2018 that overflow from *Nagariya and Sarkata* drains should be stopped and the sewage flowing through the drains should be treated in the STP. Copy


For

of the direction dated 28.05.2018 is attached herewith and marked as **Annexure No.-10.**

iv. It is submitted that after issuing several notices and imposition of Environmental Compensation against the General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP Jal Nigam, Lucknow the situation did not improve. Even the Environmental Compensation was not deposited by the authorities concerned. Then U.P. Pollution Control Board decided to launch prosecution under Section-43 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against the General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP Jal Nigam, Lucknow and Project Manager, UP Jal Nigam who are responsible for operation and maintenance of Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow. As the responsible officers are public servants, the permission under Section 197 of Cr.P.C. from the Government is required as per Law. In continuation to this, a request letter dated 02.07.2019 has been sent to the Government of U.P. for seeking permission of the Government for prosecuting the responsible officers of U.P. Jal Nigam under the provisions of Section 197 of Cr. P. C. The permission of the Government of Uttar Pradesh is awaited. U.P. Pollution Control Board shall file the prosecution against the responsible officers of the U.P. Jal Nigam for violations of the relevant provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 after the permission of the Government is received. Copy of Letter of U.P. Pollution Control Board dated 02.07.2019 is attached herewith and marked as **Annexure No.-11.**

B. Action Taken under Sec. 17 read with Sec. 33 (A) and 49 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 regarding pollution in Gomti river.

a) It is submitted that notice has been issued to General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP Jal Nigam, Lucknow vide letter no. 4368/GF-35/15 dated



04.02.2015 regarding tapping of all the drains and stopping disposal of Sewage without treatment. Notice of U.P. Pollution Control Board dated 04.02.2015 is attached herewith and marked as Annexure No.-12.

- b) Direction has been issued to Nagar Aayukt, Nagar Nigam Lucknow Under Section-33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended vide letter no. F-77998/CL/235/STP/2014-16, dated 28.04.2016 regarding treatment of untreated sewage falling in river Gomti through different drains and installation of STPs of adequate size for treatment of sewage so that water quality of river Gomti may be maintained. Copy of direction of U.P. Pollution Control Board dated 28.04.2016 is attached herewith and marked as Annexure No.-13.
- c) Notice has been issued to Executive Engineer, UP Jal Nigam, Lucknow vide letter no. 2334/GF-35/16 dated 29.08.2016 regarding disposal of Sewage without treatment in river Gomti. Copy of the notice of U.P. Pollution Control Board dated 29.08.2016 is attached herewith and marked as Annexure No.-14.
- d) When there was no response from the authorities responsible for the treatment of Sewage falling in river Gomti without treatment, a Show Cause Notice was issued to Nagar Aayukt, Nagar Nigam, Lucknow Under Section-33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended vide letter no. G 30270/C-5/Sa.-46/19 dated 11.06.2019 for stoppage of untreated sewage falling in River Gomti through various drains as follows:
1. *“Why not the prosecution proceedings be initiated against Nagar Nigam, and its responsible officers under provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended.”*
 2. *“Why not Environmental Compensation be imposed against Nagar Nigam, Lucknow”.*

FTM

Copy of the Show Cause Notice of U.P. Pollution Control Board dated 11.06.2019 is attached herewith and marked as Annexure No -15.

- e) That it is submitted that when there was no response to the Show Cause Notice issued on 11-06-2019 to the Municipal Commissioner, Lucknow and several other notices issued earlier, the Board has decided to launch prosecution under Section-43 read with Sec.-47 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Chief Engineer, Nagar Nigam, Lucknow and Environmental Engineer, Nagar Nigam, Lucknow, who are responsible for ensuring treatment of sewage generated from the Lucknow City. As the responsible officers are public servants, the permission under Section 197 of Cr. P. C. from the Government is required as per Law. In continuation to this, a request letter dated 02.07.2019 has been sent to the Government of U.P. to seek permission of the Government for prosecuting the responsible officers of Municipal Corporation, Lucknow and U.P. Jal Nigam under the provisions of Section 197 of Cr. P. C. The permission of the Government of Uttar Pradesh is awaited. U.P. Pollution Control Board shall file the prosecution against the responsible officers of the Municipal Corporation, Lucknow and U.P. Jal Nigam for violations of the relevant provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 after the permission is granted by the Government. Copy of Letter of U.P. Pollution Control Board dated 02.07.2019 is attached herewith and marked as Annexure No.-16.

C. Regarding release of water in river Gomti:

It is submitted that notices were issued to Chief Engineer, Irrigation Department (Sharda Minor), Telibagh, Lucknow vide letter no. 433/GF-35/17 dated 28.04.2017 and 822/GF-35/19 dated 06.06.2019 to release water from Sharda canal in to River Gomti for dilution to improve the water quality and for increasing the flow. Copy of

Letter

the notices of U.P. Pollution Control Board are attached herewith and marked as Annexure No.-17.

D. Regarding removal of water hyacinth from the river Gomti:

- a) It is submitted that notices have been issued from time to time for the removal of water hyacinth and other floating waste material from river Gomti to the Irrigation Department, Govt. of UP on 31.05.2017, 25.04.2018, 26.05.2018, 14.05.2019 and 24.06.2019. Copies of the notices were also endorsed to Nagar Nigam, Lucknow. Copies of the above mentioned notices of U.P. Pollution Control Board are attached herewith and marked as Annexure No.-18.
- b) Notices were also issued to Nagar Nigam, Lucknow for removal of water hyacinth and other floating waste material from river Gomti on 18.04.2015, 23.01.2016 and 04.02.2016. Copies of the above mentioned notices of U.P. Pollution Control Board are attached herewith and marked as Annexure No.-19.
- c) The compliance report was not submitted by the Irrigation Department or Nagar Nigam, Lucknow. The U.P. Pollution Control Board itself has taken steps for removing water hyacinth from the River Gomti with CPCB and some NGOs on 30.05.2018 as move to create public awareness. Photographs are attached herewith and marked as Annexure No.-20.

E. Regarding proper Solid Waste treatment and disposal in accordance to the Environment (Protection) Act, 1986 read with Solid Waste Management Rules, 2016:

- a) It is submitted that U.P. Pollution Control Board has been conducting regular inspections to monitor the disposal of Municipal Solid Waste in Lucknow city. Notices have been issued by U.P. Pollution Control Board to Nagar Nigam, Lucknow after conducting inspections on 13.05.2016, 19.11.2018, 07.12.2018, 22.11.2018, 10.12.2018, 11.12.2018, 14.12.2018, 02.01.2019, 03.01.2019, 14.01.2019, 15.01.2019, 16.01.2019, 25.01.2019, 01.03.2019, 02.03.2019,

27.04.2019, 01.05.2019, 23.05.2019 and 02.03.2019. Copies of the above mentioned notices of U.P. Pollution Control Board are attached herewith and marked as **Annexure No.-21.**

- b) Notice has been sent to all Municipal Authorities/Local bodies vide letter no. 3750/GF-50/17 on 09.01.2017 regarding establishment of proper Solid waste disposal site. Copy of the notice of U.P. Pollution Control Board dated 09.01.2017 is attached herewith and marked as **Annexure No.-22.**
- c) Notices were issued to Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow on 02.03.2019 and 23.05.2019 for ensuring proper disposal of Municipal Solid waste. Copies of the above mentioned notices of U.P. Pollution Control Board are attached herewith and marked as **Annexure No.-23.**
- d) Notice has been given to Inspector General (Prisons), Jail Head Quarter, Lucknow vide letter no. 2261/GF-161/19 on 02.03.2019 regarding proper disposal of Solid waste. Copy of the notice of U.P. Pollution Control Board dated 02.03.2019 is attached herewith and marked as **Annexure No.-24.**
- e) Notice has been given to Chief Loco Manager, Loco Workshop, Charbagh, Lucknow vide letter no. 2280/GF-161/19 on 02.03.2019 regarding proper disposal of solid waste. Copy of the notice of U.P. Pollution Control Board dated 02.03.2019 is attached herewith and marked as **Annexure No.-25.**
- f) Direction has been issued to Nagar Aayukt, Nigam Nigam, Lucknow under Section-5 of Environment (Protection) Act, 1986 vide letter G 29167/C-5/Sa.-86/18 on 31.12.2018 regarding proper disposal of Solid waste, garbage, bio medical waste and plastic waste and to ensure not to dispose the waste along the roads. Copy of the direction of U.P. Pollution Control Board dated 31.12.2018 is attached herewith and marked as **Annexure No.-26.**
- g) Closure direction has been issued to Nagar Aayukt, Nigam Nigam, Lucknow under Section-5 of Environment (Protection) Act, 1986 vide letter H-25271/C-

5/38/WP No.9141/13/18 on 27.08.2018 for closing the dumping of solid waste at transfer station situated in Mallpur, Dubagga, Lucknow. Copy of the closure direction of U.P. Pollution Control Board dated 27.08.2018 is attached herewith and marked as Annexure No.-27.

In compliance of the above directions the Nagar Nigam, Lucknow stopped dumping of Solid Waste at Mallpur, Dubagga, Lucknow.


- h) Closure direction has been issued to Nagar Aayukt, Nigam Nigam, Lucknow under Section-5 of Environment (Protection) Act, 1986 vide letter H 23812/C-5/HCLKO-36/18 on 24.07.2018 for closing the dumping of solid waste at transfer station situated near Dayal Paradise Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow. Copy of the closure direction of U.P. Pollution Control Board dated 24.07.2018 is attached herewith and marked as Annexure No.-28.

In compliance of the above directions the Nagar Nigam, Lucknow stopped dumping of Solid Waste at transfer station situated near Dayal Paradise Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow.

F. Disposal of Legacy Waste at Ghaila ghat, near river Gomti. Lucknow:

- a) It is submitted that approximately 7.5 Lac ton of legacy waste is dumped at Ghaila Ghat, Lucknow within 100 mts from river Gomti. The Solid Waste and Leachate from this legacy dump are polluting the River Gomti and the ground water. Several notices were issued to Nagar Nigam, Lucknow for treatment and proper disposal of this legacy waste but there was no response from Nagar Nigam, Lucknow.
- b) Thereafter, the U.P. Pollution Control Board has issued direction to Nagar Aayukt, Nagar Nigam, Lucknow under Section-5 of Environment (Protection) Act, 1986 vide letter H 28773/C-5/Sa.-86/18 on 22.11.2018 that:

“Nagar Nigam should treat and dispose of municipal solid waste dumped at Ghaila ghat near the bank of Gomti Bandha within 15 days from the receipt



of this notice in accordance with SWM Rules, 2016 otherwise legal action shall be initiated against you and people who are responsible for treatment and disposal of the solid waste, under E(P) Act, 1986 read with Solid Waste Management Rules, 2016 for which the responsibility shall be borne by yourself".

Copy of the direction of U.P. Pollution Control Board dated 22.11.2018 is attached herewith and marked as Annexure No.-29.

- c) The Nagar Ayukta, Nagar Nigam, Lucknow informed to the U.P. Pollution Control Board vide letter D 119/camp/Na. Swasthya Adhikari dated 16.03.2019 that for treatment of the legacy waste through bio-mining, a plan worth Rs. 53.25 Cr. has been prepared. But there was no timeline given and no work for remediation of legacy waste has started, therefore the Board decided to prosecute the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Chief Engineer, Nagar Nigam, Lucknow and Environmental Engineer, Nagar Nigam, Lucknow under Section-15 of Environment (Protection) Act, 1986, who are responsible for ensuring treatment and proper disposal of municipal solid waste as well as the legacy waste dumped at the bank of river Gomti at Ghaila ghat, Lucknow. A letter no. G 30464/C-5/Sa.-86/19 dated 02.07.2019 has been sent to the Government of U.P. with request to give permission under Sec.-197 of Cr PC for filing prosecution against concerned officers. Copy of Letter of U.P. Pollution Control Board letter dated 02.07.2019 is attached herewith and marked as Annexure No.-30.

G. Action taken against industries:

- a) It is submitted that directions issued under section 33(A) of Water (Pollution Prevention and Control) Act, 1974 as amended to the following industries:
- i. M/s Haidergarh Chini Mills, Haidergarh, Barabanki vide letter H 30329/C-5/Sahmati-Jal-72/Lko/Sugar/18 on 27.12.2018 regarding proper storage and disposal of Molasses. Copy of the direction of U.P. Pollution Control Board

- dated 27.12.2018 is attached herewith and marked as **Annexure No.-31**. The industry complied with the directions.
- ii. M/s The Avadh Sugar Mills and Energy Ltd. (Sugar Unit), Hargaon, Sitapur, vide letter H-30318/C-5/Sahmati Jal/25/Lko/Sugar/18 on 27.12.2018 regarding proper storage and disposal of Molasses. Copy of the direction of U.P. Pollution Control Board dated 27.12.2018 is attached herewith and marked as **Annexure No.-32**. The industry complied with the directions.
- iii. M/s The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Mahmoodabad, Sitapur vide letter H 30319/C-5/Sahmati-Jal/11/Lko/Sugar/18 on 27.12.2018 regarding proper storage and disposal of Molasses. Copy of the direction of U.P. Pollution Control Board dated 27.12.2018 is attached herewith and marked as **Annexure No.-33**. The industry complied with the directions.
- iv. M/s Dalmia Chini Mills, (Sugar unit), Ramgarh, Sitapur vide letter H 30316/C-5/Sahmati-Jal/03/Lko/Sugar/18 on 27.12.2018 regarding proper disposal of Molasses. Copy of the direction of U.P. Pollution Control Board dated 27.12.2018 is attached herewith and marked as **Annexure No.-34**. The industry complied with the directions.
- v. M/s Avadh Sugar Mills and Energy Ltd., (Distillery unit), Hargaon, Sitapur, vide letter H 34290/C-5/Jal-179/19 on 02.04.2019 regarding proper management of Spent Wash and reducing the level in Lagoons to ensure Zero Liquid Discharge Copy of the Notice of U.P. Pollution Control Board dated 02.04.2019 is attached herewith and marked as **Annexure No.-35**.
- b) **Directions regarding Non-operation of Web Camera-**
- i. It is submitted that the U.P. Pollution Control Board is continuously monitoring the industries to check the pollution from them. A dedicated Control Room has been set up in U.P. Pollution Control Board Head Quarters at Lucknow which monitors the Online Continuous Effluent and Emission

Monitoring System Data and live feed of Web Camera installed in the industries.

- ii. M/s SAF Yeast Company Ltd., Sandila, Hardoi, vide letter no H 36312/C-5/Jal-14/19 on 23.05.2019. Copy of the direction of U.P. Pollution Control Board dated 23.05.2019 is attached herewith and marked as **Annexure No.-36**. In compliance to the directions, the Web camera started operating properly.
- iii. M/s Dalmia Chini Mills, (Distillery Unit) Jawaharpur-Ramkot, Sitapur vide letter H 38011/C-5/Jal-04/19 on 01.07.2019. Copy of the direction of U.P. Pollution Control Board dated 01.07.2019 is attached herewith and marked as **Annexure No.-37**. In compliance to the directions, the Web camera started operating properly.
- iv. M/s Eveready Industries India Pvt. Ltd., Aishbagh, Lucknow, vide letter H 37303/C-5/Jal-22/19 dated 14.06.2019. Copy of the direction of U.P. Pollution Control Board dated 14.06.2019 is attached herewith and marked as **Annexure No.-38**. In compliance to the directions, the Web camera started operating properly.

H. Environmental Compensation imposed by UPPCB in compliance of order dated 13.07.2017 passed by Hon'ble NGT in OA no. 200/2014 (M.C. Mehta versus Union of India & Ors.)

a) Environmental Compensation imposed by UPPCB on Industries.

Sl. No.	Name and Address of the Industry	Date of letter	Amount (Rs.)	Reason for imposing EC
1	M/s Amroon Foods Pvt. Ltd., Kursi Road, Barabanki	21.01.2019	12,50,000	Non compliance of Effluent norms
2	M/s Haidergarh Chini Mills, Haidergarh, Barabanki	20.05.2019	90,000	Exceedance found at the Outlet of ETP through OCEMS
3	M/s The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Sultanpur.	11.06.2019	1,50,000	Exceedance found at the Outlet of ETP through OCEMS
4	M/s CP Milk Foods Pvt Ltd., Kursi Road, Gudamba, Lucknow	08.04.2019	50,000	Exceedance found at the Outlet of ETP through OCEMS

5	M/s Amroon Foods Pvt. Ltd., Kursi Road, Barabanki	14.01.2019	1,00,000	Exceedance found at the Outlet of ETP through OCEMS
Total			16,40,000	

Copies of the letters mentioned in above table are attached herewith and marked as **Annexure No.-39.**

b) Environmental Compensation imposed by UPPCB on Hotels:

Sl. No.	Name and Address of the Industry	Date of letter	Amount (Rs.)	Reason for imposing EC
1	M/s Hotel India Avadh, Sapru marg, Hazaraganj, Lucknow	28.06.2019	1,70,62,500	Non Operational STP and operating without Consent
2	M/s Hotel Golden Tulip, 6,9 station road, Lucknow	28.06.2019	84,68,750	Non Operational STP and operating without Consent
3	M/s Hotel Sheltor, Kanpur road, Charbagh, Lucknow	28.06.2019	27,65,625	Not having STP and Operating without Consent
4	M/s DD Hotel Pvt. Ltd., 196, GB Marg, Lucknow	28.06.2019	66,40,625	Not having STP and Operating without Consent
5	M/s DD Hotel Pvt. Ltd., Alambagh, Lucknow	28.06.2019	66,40,625	Not having STP and Operating without Consent
6	M/s Hotel Silevet, Rana Pratap Marg, Lucknow	28.06.2019	27,65,625	Non Operational STP and operating without Consent
7	M/s Snicka Hotel, Vibhuti khand, Gomti nagar, Lucknow	28.06.2019	8,59,375	Not having STP and Operating without Consent
8	M/s Gemini Continental Pvt. Ltd, Hazratganj, Lucknow	23.04.2019	10,31,250	Not compliance of Directions issued u/s 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 dated 30.11.2018.
Total			4,62,34,375	

Copies of the letters mentioned in above table are attached herewith and marked as **Annexure No.-40.**

- I. Notices sent to different Railway Stations in Lucknow for installation of STPs, compliance of SWM Rules, 2016; HWM Rules, 2016 and Construction & Demolition Waste Management Rules, 2016.

FT

It is submitted that all the Railway Stations in Lucknow were inspected by the Officers of U.P. Pollution Control Board for monitoring the compliance of SWM Rules, 2016; HWM Rules, 2016 and Construction & Demolition Waste Management Rules, 2016 and installation of STPs.

- i) Divisional Railway Manager, Alam nagar, Railway Station, Lucknow vide letter 698/GF-174/19 dated 23.05.2019.
- ii) Divisional Railway Manager, Aishbagh Railway Station, Lucknow vide letter 697/GF-174/19 dated 23.05.2019.
- iii) Divisional Railway Manager, NER, Railway Station, Lucknow vide letter 696/GF-174/19 dated 23.05.2019.
- iv) Divisional Railway Manager, Daliganj Junction, Railway Station, Lucknow vide letter 695/GF-174/19 dated 23.05.2019.
- v) Divisional Railway Manager, NR Railway Charbagh, Railway Station, Lucknow vide letter 694/GF-174/19 dated 23.05.2019
- vi) Station Superintendent, NER-Badshahnagar, Lucknow vide letter 693/GF-174/19 dated 23.05.2019
- vii) Station Superintendent, Gomti Nagar, Railway Station, Lucknow vide letter 692/GF-174/19 dated 23.05.2019.

Copies of the abovementioned Notices are attached herewith and marked as **Annexure No.-41.**

J. ACTION PLAN PREPARED FOR REJUVENTATION OF RIVER GOMTI.


- a) It is submitted that in OA no. 673 of 2018, the matter of News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB, this Hon'ble Tribunal, vide orders dated 20.09.2018, 19.12.2018 and 08.04.2019, has directed that Action Plans for Critically Polluted River Stretches in the State of Uttar Pradesh be prepared by River Rejuvenation Committee (RRC).

- b) The polluted river stretch of Gomti has been identified by CPCB from 'Sitapur to village Kaithi, district Ghazipur', the confluence point in river Ganga and has been kept in priority-III. The length of the polluted river stretch is 628 km.
- c) That in compliance to the orders of Hon'ble Tribunal, UP Pollution Control Board has prepared a detailed action plan for restoration of the polluted river stretch of river Gomti which has been duly approved by River Rejuvenation Committee, UP on 01.07.2019 and uploaded on the Board's website. The minutes of the meeting of River Rejuvenation Committee, UP is attached herewith and marked as Annexure No-42. Copy of Action Plan is attached herewith and marked as Annexure No.-43.
- d) That it is submitted that the action plan for control of pollution of river Gomti is under implementation and being periodically monitored by River Rejuvenation Committee, U.P. That Hon'ble Tribunal may appreciate the fact that in the State of Uttar Pradesh the River Rejuvenation Committee is regularly monitoring the implementation of action plan for critically polluted river stretches. The details of meetings of RRC and the issues discussed is shown in the table below:-

Date of Meeting	Issues Discussed	Remark
13.05.2019	Issue related with the rejuvenation of the polluted stretch of River Hindon, Varuna, Kali (East) & Yamuna	1. For the rejuvenation of all the mentioned 04 rivers. Issues of Solid Waste Management, Water Consumption, Effluent Generation, Gap Analysis, Water Quality etc. were discussed and incorporated in the Action Plan and it was decided that amended Action Plan is to be sent for the approval of CPCB. 2. The prepared Action Plan for rejuvenation is to be sent to the Hon'ble committee constituted in the compliance of order

for

Date of Meeting	Issues Discussed	Remark
		<p>passed by Hon'ble NGT in OA No- 673/2018 and the copy of the same is to be presented on the next meeting for preview.</p> <p>3. The Action Plan prepared was presented on 31-05-2019 to CPCB and same was approved with certain conditions. The River Action Plans duly approved by CPCB have been uploaded on the UPPCB Portal.</p>
01.07.2019	Presentation of Action Plan of polluted 08 river stretches of priority III, IV & V.	<p>1. Eight polluted stretches of River Gomti, Ganga, Ramganga, Betwa, Ghaghara, Rapti, Sai & Saryu in which different issues which were left, got incorporated and short term & long term Action Plan was presented. After discussion the River Action Plans were approved by RRC with suggestions. The suggested points have been included in the revised Action Plan and same has been uploaded on the UPPCB portal.</p>
17.07.2019	Issues on the compliance of previous meeting and the pollution of River Aami & Tamsa	<p>1. Revised Action of 12 River have been uploaded on the portal of UPPCB.</p> <p>2. The different sources of water pollution in River Tamsa & Aami were discussed and different proposal were finalized to be implemented by concerned Department in given timeline for abatement of water pollution and accordingly Action Plan has been prepared. Action Plan of</p>



Date of Meeting	Issues Discussed	Remark
		River Rapti including the pollution sources of Rohin River with its control has been uploaded on the website of UPPCB and the Action Plan of Aami & Tamsa River have also been uploaded on the UPPCB Portal.


K. Miscellaneous Actions Initiated by the U.P. Pollution Control Board:

- a) That it is submitted that the U.P. Pollution Control Board has written to the Government regarding pollution of river Gomti and requested to convene a meeting under the Chairmanship of Chief Secretary, U.P. in order to monitor the action taken by concerned departments/agencies for control of pollution of river Gomti. In continuation to this, a meeting was held under the Chairmanship of Chief Secretary, U.P. on 29.06.2019. After the detailed discussion in the meeting, the Chief Secretary passed following directions for timely compliance to the Municipal Commissioner, Lucknow Nagar Nigam:-
- i. To ensure prohibition of solid waste dumping upto 200 meter both side of river Gomti and hoardings/ display boards be installed for public awareness .
 - ii. To install bar meshes in the drains falling in river Gomti to prevent the dumping of floating/ solid material in river Gomti.
 - iii. The solid waste dumped at different places in catchment of the river Gomti be removed immediately and to ensure that further dumping of garbage near the banks of river Gomti be stopped.
 - iv. To have cleanliness of different Ghats of river Gomti regularly.
 - v. Water hyacinth and floating material from the river Gomti be removed by using skimmer.

for

- b) In compliance of the directions given by the Chief Secretary, U.P., the Municipal Commissioner, Lucknow has informed the steps taken as follows:-
- i. Solid waste is continuously being lifted from both the banks of river Gomti and Zonal Officer 1, 2, 3, and 6 are monitoring the same.
 - ii. Display boards have been installed regarding the prohibitions of dumping of garbage, open defecation and operation of dairies at the banks of the river Gomti.
 - iii. Additional Safai Karamcharees have been deputed for cleanliness of Gomti river banks in two shifts.
 - iv. Work for installation of bar meshes in the drains falling in river Gomti, is under progress.
 - v. One Sewage Treatment Plant of 120 MLD capacity at GH Canal Lucknow is under construction and 39 MLD STP has been approved for expansion of 56 MLD STP at Daulatganj Lucknow.
 - vi. Ganga Pollution Control unit U.P. Jal Nigam has informed through Nagar Nigam Lucknow letter dated 29-7-2019 that project for treatment of sewage in Lucknow have been sent to NMCG under Namami Gange, which are under consideration. Copy of the letter dated 29.7.2019 received from Nagar Nigam, Lucknow is attached herewith and marked as **Annexure No.-44**.

8. It is submitted that water quality of River Gomti is monitored regularly at 25 points from Pilibhit to Varanasi. In 19 points (02 points at Pilibhit, 01 point at Shahjahanpur, 05 points at Sitapur, 05 points at Lucknow, 02 points at Barabanki, 02 points at Sultanpur, 01 point at Jaunpur and 01 point at Varanasi) water quality monitoring is done on monthly basis and at 06 points in Lucknow monitoring is done on daily basis. The water quality monitoring data is uploaded regularly on the website of U.P. Pollution Control Board.




9. That it is submitted that the water quality of the River Gomti is showing an improving trend as a result of implementation of the Action Plan and various actions taken by the board against the pollution sources. During the months of April – June, 2019 out of 11 monitoring points of river Gomti at 07 monitoring points the pollution level has been showing downward trend as compared to the pollution level in the same period of the previous year 2018. The comparative data of water quality monitoring for the said period is attached and marked as Annexure No.-45.

10. That it is submitted that U.P. Pollution Control Board is committed towards the control of pollution and is taking appropriate actions against the pollution sources and concerned departments/agencies which are entrusted with control of pollution. It is worthwhile to mention here that the U.P. Pollution Control Board has shortage of manpower and resources. To overcome this, the U.P. Pollution Control Board has conceptualized and proposed a three tier Environmental Compliance Monitoring System to the Government of U.P. in which a very effective District Environment Committee under the Chairmanship of District Magistrate was proposed to be constituted along with reconstitution of River Rejuvenation Committee at State Level under the Chairmanship of Agriculture Production Commissioner, U.P. The Government of U.P. has issued a detailed Government Order regarding the three tier Monitoring Mechanism in the State on 14.06.2019. U.P. Pollution Control Board has also developed a Web Portal www.upecp.in for online sharing of information related to compliance of environmental laws with the concerned Officers and Authorities. The copy of the Government Order dated 14.06.2019 are attached herewith and marked as Annexure No.-46.

It is evident from the above that U.P. Pollution Control Board has fully complied with its duties in accordance with orders/directions passed by Hon'ble NGT in different cases as well as UPPCB has also performed to the best of its abilities and its limited resources to ensure the compliance of the Environmental Laws in the State. The Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body had submitted a unilateral report regarding

pollution of River Gomti to the Hon'ble Tribunal without incorporating the efforts and actions taken up by U.P. Pollution Control Board. The report under question was not even discussed in the meeting of the Committee with a prior agenda. The recommendation of Hon'ble Chairman of the Monitoring Committee/Oversight Body to impose the Environment Compensation of Rs. 6,84,75,000/- (Rs. Six Crore eighty four lacs seventy five thousand only) and to prosecute the Officers of U.P. Pollution Control Board is not justified in the light of series of above mentioned actions taken by the U.P. Pollution Control Board. The Chairman of Monitoring Committee/Oversight Body has not recommended prosecution against the responsible Officers of the departments/agencies who are actually responsible for control of pollution of River Gomti. Recommending prosecution against U.P. Pollution Control Board, which is an enforcement agency, without incorporating the details of action taken by it, is highly demoralizing unjustified and is against the Principle of Natural Justice. It is humbly requested that recommendations regarding imposition of Environment Compensation and prosecution against U.P. Pollution Control Board may not be accepted in the interest of justice.



(Ashish Tiwari)
Member Secretary
U.P. Pollution Control Board

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-116/2014 विद ओ०ए० संख्या-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-116/2014 विद ओ०ए० संख्या-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2019 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2- सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 विद ओ०ए० सं०-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में मा० एन.जी.टी. द्वारा गोमती नदी प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव एवं उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया।

गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में।

1. मा० एन.जी.टी. द्वारा ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में दिनांक 23.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति गठित की गई। उक्त समिति गोरखपुर एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित रामगढ़ ताल, आभी नदी, राप्ती नदी, रोहनी नदी के संबंध में मा० एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का अनुश्रवण किये जाने हेतु गठित की गयी थी। मा० एन०जी०टी० द्वारा उक्त समिति को उक्त नदियों के प्रदूषण में कमी एवं प्लो को बढ़ाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किए जाने का दायित्व भी दिया गया था। पुनः मा० एन०जी०टी० द्वारा उक्त अनुश्रवण समिति को ओ०ए० संख्या-24/2018 शैलेश सिंह बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2019 द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में ओवरसाईट बॉडी के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में दिनांक 08.06.2019 को मा० एन.जी.टी. में दाखिल की गई अंतरिम रिपोर्ट पर मा० एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 19.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट दो माह के अन्दर मा० एन.जी.टी. में दाखिल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त वाद मा० एन.जी.टी. में दिनांक 29.11.2019 को सुनवाई हेतु नियत है।
2. उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.06.2019 में यह संस्तुति की गई है कि गोमती नदी की गुणता व अन्य प्रदूषण के सम्बन्ध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन सामान्य हेतु एडवाइजरी जारी की जाये कि जनसामान्य गोमती नदी के जल का उपयोग पीने/नहाने में न करें तथा उसके प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन एवं दुर्गन्ध के दृष्टिगत

MP.
MOM

CEOCC-5

FTI
25/9/19

27/9/19

MD/EE(11)

तट पर भ्रमण न करें। इस संबंध में सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में गोमती नदी की जल गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके मासिक बुलेटिन में जल की गुणवत्ता के संबंध में तथा जल की उपयोगिता की जानकारी भी अंकित कराई जायेगी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त मासिक बुलेटिन बोर्ड की वेब साइट पर अपलोड किया जा रहा है। दुर्गन्ध के संबंध में कोई मानक निर्धारित न होने के कारण कोई कार्यवाही वांछित नहीं है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या मा० एन०जी०टी० में समय से दाखिल की जाये।

(कार्यावाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन/
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3. उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले सभी 11 जनपदों (पीलीभीत, शॉहजाहपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा जौनपुर) हेतु गोमती में मिलने वाले सभी ड्रेन्स जिनके द्वारा सीवेज का निस्तारण गोमती नदी में किया जाता है, के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. के स्थापनार्थ उ०प्र० जल निगम द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर 'नमामि गंगे प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सीतापुर एवं बाराबंकी हेतु डी.पी.आर. दो माह में तैयार हो जायेगी। जनपद-जौनपुर हेतु डी.पी.आर. तैयार है, जिसे स्वीकृति हेतु भेजा गया है। इस संबंध में विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग, गोमती नदी में मिलने वाले समस्त सीवेज नालों की टैपिंग कर इनके शुद्धिकरण हेतु डी.पी.आर. तैयार करें एवं उक्त परियोजना हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करायें। इसी प्रकार गोमती नदी के किनारे स्थित अन्य जनपदों हेतु भी डी.पी.आर. तत्काल तैयार कर नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित कराई जाये। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट मा० एन.जी.टी. में दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण विभाग को विलम्बतम दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग/उ०प्र० जल निगम)

4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा मा.एन.जी.टी. में प्रस्तुत की गई आख्या में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण करने के लिए दोषी नगर निगम, नगर पालिका एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण रू० 6,84,75,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की संस्तुति की गई है। इस संबंध में सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रयासों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रमुख रूप से उ०प्र० जल निगम के विरुद्ध अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन को भेजी गई संस्तुतियों का उल्लेख किया गया। इसी प्रकार जनपद लखनऊ के घैला घाट पर एकत्रित लगभग 7.5 लाख टन लीगेसी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण न होने के दृष्टिगत नगर

आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की गई है। इन प्रकरणों का परीक्षण कर इन पर शीघ्र नियमानुसार निर्णय लिया जाय। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित अनुपालन सूचना को उक्त अनुश्रवण समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में संज्ञान में नहीं लिया गया है, जबकि बोर्ड द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु समुचित कार्यवाही की गई है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट मा० एन.जी.टी. में दाखिल की जाये तथा उसकी प्रति पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यावाही: उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

5. बैठक में यह अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिंचाई विभाग एवं नगर निगम, लखनऊ को गोमती नदी में से जल कुम्भी एवं अन्य फ्लोटिंग मैटेरियल साफ कराये जाने हेतु अनेक बार नोटिस दिये गये हैं, किन्तु इनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में नगर निगम, लखनऊ/सिंचाई विभाग गोमती नदी का सर्वे कराकर जलकुम्भी व अन्य फ्लोटिंग वेस्ट को निकलवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायें। नगर निगम, लखनऊ एवं गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र से संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा बार-बार-मेश लगवाकर ठोस अपशिष्ट को गोमती नदी में जाने से रोका जाये।

(कार्यावाही: सिंचाई विभाग/नगर निगम, लखनऊ/
नगर विकास विभाग)

6. यह भी अवगत कराया गया कि लखनऊ स्थित सभी रेलवे स्टेशनों एवं वर्क-शॉप से जनित सीवेज/उत्प्रवाह, सॉलिड वेस्ट एवं अन्य वेस्ट पदार्थों के समुचित शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु नोटिस प्रेषित किये गये हैं। इस संबंध में यह मत स्थिर हुआ कि रेलवे स्टेशनों/वर्क-शॉप से जनित सीवेज/उत्प्रवाह, सॉलिड वेस्ट एवं अन्य वेस्ट पदार्थों के समुचित शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु शासन स्तर से भी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का अनुरोध किया जाये।

(कार्यावाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि गोमती नदी के रिजुवनेशन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजुवनेशन समिति से अनुमोदित करा कर बोर्ड की वेब साईट पर अपलोड किया गया है। उक्त कार्ययोजना का क्रियान्वयन संबंधित विभागों से करा कर अनुश्रवण हेतु त्रि-स्तरीय अनुश्रवण प्रोटोकॉल विकसित किया गया है तथा कृत कार्यवाही की सूचना साझा करने के लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाईन मॉनीटरिंग पोर्टल भी विकसित किया गया है। गोमती की जलगुणता में कार्ययोजना के लागू होने के उपरान्त गत वर्ष की तुलना में सुधार परिलक्षित हुआ है।

8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 08.06.2019 को मा0 एन.जी.टी. में प्रस्तुत रिपोर्ट में उ0प्र0 जल निगम पर रूपये 3.00 करोड़, नगर निगम लखनऊ पर रूपये 2.00 करोड़ तथा अन्य 10 जनपदों की नगर पालिकाओं पर रू0 1.00 करोड़ (प्रत्येक), पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही गोमती में विभिन्न नालों की टैपिंग दो वर्ष में सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 को रू0 100.00 करोड़ की परफॉरमेन्स गारन्टी जमा किये जाने की संस्तुति की गई है।

विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही नगर विकास विभाग से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम नगर विकास विभाग प्रस्तावित कार्यवाही हेतु मत स्थिर करें। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग शीघ्र उचित निर्णय लेकर अवगत करायें।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन)

9. अनुश्रवण समिति द्वारा किसी भी प्रकार का प्लास्टिक वेस्ट, बायो-मेडिकल वेस्ट अथवा सॉलिड वेस्ट नदी तट के दोनों तरफ 150 मीटर क्षेत्र में एकत्रित/डम्प न करने की संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर निगम की सीमा में नदी तट के दोनों तरफ 150 मीटर क्षेत्र में कोई निर्माण न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती नदी के 150 मी0 दोनों ओर ठोस/प्लास्टिक/बायोमेडिकल अपशिष्ट की डम्पिंग को प्रतिबन्ध किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा तदनुसार मा0 एन0जी0टी0 में समयान्तर्गत अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें तथा दाखिल की गयी रिपोर्ट की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायें।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन)

10. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न नालों के माध्यम से गोमती में गिर रहे सॉलिड वेस्ट/बायो मेडिकल वेस्ट को रोकने के लिए प्लास्टिक/स्टील/फाइबर नेट लगाने, एस.टी.पी. स्थापित होने तक नालों का बायो-रेमिडियेशन करने, नदी में अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने, नदी किनारे वृक्षारोपण करने, आदि तथा संबंधी अन्य संस्तुतियों की गई है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागों यथा नगर विकास,

सिंचाई एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाये एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन सूचना समयान्तर्गत मा० एन.जी.टी. में दाखिल करें तथा दाखिल की गई रिपोर्ट की प्रति पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायें।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग/वन विभाग/सिंचाई विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन)

11. नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के प्रतिनिधि द्वारा नगर विकास से संबंधित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही के संबंध में वांछित सूचनाएँ प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस पर मुख्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा यह निर्देश दिये गये कि भविष्य में मा० एन.जी.टी. से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकों में प्रकरण से भिन्न एवं सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही प्रतिभाग किया जाये।

(कार्यावाही: नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन)

मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, रायबरेली के संबंध में।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 05.04.2019 को अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष के रायबरेली भ्रमण के समय मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा० लि०, रायबरेली के निरीक्षण हेतु संबंधित उद्योग कर्मचारियों द्वारा फैंक्ट्री का गेट नहीं खोला गया। इस पर संबंधित थाना एवं सिटी मजिस्ट्रेट के आग्रह पर भी गेट नहीं खुलवाया जा सका। मा० एन.जी.टी. द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 06.08.2019 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग बंद पाया गया तथा बताया गया कि उद्योग 24.03.2017 से बन्द है। संयुक्त टीम द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31(ए) के अन्तर्गत निर्देश दिये गये हैं कि उद्योग का संचालन बोर्ड से नियमानुसार सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। इसके अतिरिक्त निरीक्षण दिनांक 05.04.2019 को निरीक्षण में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में उद्योग के संबंधित कार्मिक के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-38(बी) के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन दाखिल किया गया है। उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में विगत पाँच वर्षों में उद्योग संचालित रहने की अवधि से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर परीक्षण किया जा रहा है तथा नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी।

इस संबंध में यह निर्णय किया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या मा० एन.जी.टी. में दाखिल करें।

(कार्यावाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

12. बैठक में विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि राजकीय विभागों/संस्थाओं के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने अथवा अभियोजनात्मक

कार्यवाही किये जाने के पूर्व नोटिस अवश्य दी जाये तथा वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर विचार-विमर्श कर इसका सम्यक् समाधान निकाला जाय।

(कार्यवाही: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन/
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)


अन्त में बैठक धन्यवाद के समाप्त हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-N.G.T.-477/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी०सी०
लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/
वित्त/जल शक्ति (सिंचाई)/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, लखनऊ।
6. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No. 45/MS Camp/2019

दिनांक
Dated 08/07/19

To,
Sri Rajendra Singh,
Secretary,
UP Solid Waste Management Monitoring Committee,
Environment Directorate, UP
Vineet Khand-1, Gomti Nagar
Lucknow.

Subject: Non Availability of Reports to the Members of the Committee proposed in the Agenda for the meeting dated 08-07-2019 for confirmation.


Sir,

Kindly refer to the agenda of UP Solid Waste Management Monitoring Committee meeting dated 08-07-19 to be held at Environment Directorate, UP, Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow. In the item No. 1 (b) of the agenda 03 reports dated 08-07-19 are proposed for confirmation.

It is to inform that the said reports have not been made available in advance to the undersigned who is member of the Monitoring Committee. In the absence of the copy of these reports it will not be possible to give any comment or consent on the contents of the report. Earlier also, reports of Monitoring Committee were placed in the meeting without any prior information to the undersigned who is a member of the committee.

You are humbly requested to take the above into consideration and give a copy of the 03 reports proposed to be confirmed in the meeting of UP Solid Waste Management Monitoring Committee to be held on 08.07.2019, if confirmation by Committee is sought.

Yours sincerely,


(Ashish Tiwari)
Member Secretary

टी०सी० - 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226010
दूरभाष: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

F:\2019\U.O.doc

TC - 12 V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone : 720831, 720828, 720691, 720681
Fax : 0522 - 720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Annexure No.-3

पत्रांक: 49 / रमो ३३३० / २०१९

दिनांक: 11.07.2019

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सिंह,
सचिव,
उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी,
पर्यावरण निर्देशालय, विनीत खण्ड-1, गौमतीनगर,
लखनऊ।

विषय:-दिनांक 12.07.2019 को आयुक्त बैठक के संबंध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक 11.07.2019 को प्रेषित ई-मेल का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ई-मेल के माध्यम से दिनांक 12.07.19 को उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी, को बैठक आयोजित किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को एक अति आवश्यक न्यायिक कार्य के सम्बन्ध में दिल्ली जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुये हैं जिसके दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी दिल्ली प्रस्थान कर रहा है तथा कल दिनांक 12.07.19 की बैठक में उपस्थित नहीं हो पायेगा। कृपया उल्लिखित परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। अधोहस्ताक्षरी की ओर से बैठक में बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

यह भी अनुरोध है कि बैठक के एजेण्डा में दिनांक 12.07.2019 की रिपोर्ट की पुष्टि किये जाने का बिन्दु भी सम्मिलित है। उक्त रिपोर्ट की प्रति अधोहस्ताक्षरी जो कि उक्त समिति का सदस्य है, को बैठक के पूर्व प्रेषित नहीं की गई है जिसके दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी/अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि द्वारा उक्त रिपोर्ट पर अपना मतव्य प्रकट नहीं कर पायेगा। कृपया रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी) 11-07-19
सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

- 29 -

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

- 52 -



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

Annexure No. - 4

पिकप भवन, ब्लाक-बी, चतुर्थ तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक संख्या-
सेवा में,

711/एएचडी-1582/14

दिनांक 9.6.14

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-1),
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय: 345 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट भरवारा, मल्हौर लखनऊ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 3/06/14 को किया गया। एस०टी०पी० पर उत्प्रवाह मापन यंत्र संचालित नहीं था, जिससे वास्तविक फ्लो का आंलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। एनारोबिक रियेक्टर से मिथेन गैस का उत्पादन नहीं हो रहा था। क्लोरीन डोजिंग का कार्य होते नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित स्लज ड्राइंग बेड्स में पेड़-पौधे, झाड़ियां उगी पायीं गयीं तथा एस०टी०पी० पर हाउसकीपिंग उचित प्रतीत नहीं हुई। रियेक्टर से सीवेज-ओवर फ्लो होकर फर्श पर गिरा पाया गया। रियेक्टर का संचालन उचित ढंग से होता हुआ नहीं पाया गया।

अग्रेतर सूचित करना है कि एस०टी०पी० का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० का सुचारु रूप से संचालन एवं रख-रखाव करना सुनिश्चित करें, जिससे गोमती प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

भवदीय,

(ए०के० तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, रीवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

6.7.14

7.6.14

Jas

-30-

-53-



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पिकप भवन, ब्लॉक-बी, चतुर्थ तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक संख्या- 939/ए०एल०डी०-150-114

दिनांक 30-6-14

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-1),
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय: 345 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट भरवारा, मल्हौर लखनऊ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30/06/14 को किया गया। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० की तीनों स्ट्रीम में सीवेज प्राप्त हो रहा था परन्तु विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण एस०टी०पी० की समस्त इकाईयां बन्द पायी गयी। पावर बैकअप हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थापित डी०जी० सेट संचालित नहीं थे। एस०टी०पी० पर उत्प्रवाह मापन यंत्र संचालित नहीं था, जिससे वास्तविक फलो का आंलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। एनारोबिक रियेक्टर से मिथेन गैस का उत्पादन नहीं हो रहा था। क्लोरीन डोजिंग का कार्य होते नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित स्लज ड्राइंग बेड्स का रख-रखाव उचित नहीं पाया गया। बेड्स में पेड़-पौधे, झाड़ियां उगी पायी गयी। रियेक्टर से सीवेज-ओवर फलो होकर फर्श पर गिरा पाया गया।

अग्रतर सूचित करना है कि एस०टी०पी० का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० का सुचारु रूप से नियमित/प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव करना सुनिश्चित करें, एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु स्थापित डी०जी० सेट का संचालन करें, जिससे गोमती प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करने सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

भवदीय,

(ए०के० तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को निरीक्षण आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, रीवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 31 -

- 54 -

क्षेत्रीय अधिकारी
30/6/14

By hand

क्षेत्रीय कार्यालय,

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पिकप भवन, ब्लाक-बी, चतुर्थ तल, विष्णुति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक संख्या-

1145/एए-1502/14

दिनांक 23.7.14

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-1),
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय: 345 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट भरवारा, मल्हौर लखनऊ की निरीक्षण आख्या के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22/07/14 को किया गया। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० की तीनों स्ट्रीम में सीवेज प्राप्त हो रहा था परन्तु एस०टी०पी० के ए.बी एवं सी स्ट्रीम के सभी फिक्स एरियेटर्स व फ्लोटिंग एरियेटर्स बन्द पाये गये। ए स्ट्रीम के सभी क्लेरीफायर तथा सी स्ट्रीम के सभी मैकेनिकल स्क्रीन व क्लेरीफायर बन्द पाये गये। एस०टी०पी० पर उत्प्रवाह मापन यंत्र संचालित नहीं था, जिससे वास्तविक फ्लो का आकलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। एनारोबिक रियेक्टर से मिथेन गैस का उत्पादन नहीं हो रहा था। क्लोरीन डोजिंग का कार्य होते नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित स्लज ड्राइंग बेड्स का रख-रखाव उचित नहीं पाया गया। बेड्स में पेड़-पौधे, झाड़ियां उगी पायी गयी। रियेक्टर से सीवेज-ओवर फ्लो होकर फर्श पर गिरता हुआ पाया गया।

अग्रतर सूचित करना है कि एस०टी०पी० का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० की समस्त इकाइयों का सुचारु रूप से नियमित/प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव करना सुनिश्चित करें, एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु स्थापित डी०जी० सेट का संचालन करें, जिससे गोमती प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

भवदीय,

23/7/14
(ए०के० तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को निरीक्षण आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, रीवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/7/14
क्षेत्रीय अधिकारी

23/7/14
क्षेत्रीय अधिकारी

2411 / एडमिनि - 1502114

1-10-14

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक, (यूनिट-1)
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रिवर बैंक कालोनी रोड,
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय:- 345 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट भरवारा, मल्हौर, लखनऊ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 24-09-14 को किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार एस०टी०पी० की दो आंतरिक यूनिट बी० व सी० का संचालन बंद तथा आंतरिक यूनिट -ए० में स्थापित केवल एयिरेशन टैंक, इकाई में दो नग फिक्स एयिरेटर संचालित पाये गये तथा रियेक्टर से मीथेन गैस का उत्पादन बंद व स्लज ड्राइंग वेड्स के तीनों स्ट्रीम के कुल 106 नग की हाउस कीपिंग संतोषजनक नहीं पायी गयी, साथ ही सभी रियेक्टर्स के फीड इनलेट बाक्स के डाउन पाइप चौक होने से ओवर फ्लो करते हुए व सभी रियेक्टर्स के स्लज चैम्बर बाटर लागिंग के कारण डूबे हुए पाये गये। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से आर०सी०सी० के कॉलम व दीवार सीवेज से डूबी रहने के कारण सरियों में जंग लगी हुई मिली।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० की समस्त इकाईयों का सुचारु रूप से नियमित/प्रभावी संचालन करना सुनिश्चित करे, जिससे गोमती प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करे अन्यथा नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित का होगा।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र०, जल निगम, रिवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र संख्या..... 7 सी 3 281 / 14

दिनांक 30/10/14

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ० प्र०, जल निगम,
लखनऊ।

विषय—भरवारा एवं दौलतगंज लखनऊ स्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के सुचारु रूप से संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भरवारा मल्हौर स्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निरीक्षण दिनांक 24.09.14 को एवं दौलतगंज स्थित एस.टी.पी. का निरीक्षण दिनांक 01.10.14 को क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय भरवारा स्थित एस.टी.पी. की 02 यूनिट बी एवं सी का संचालन बन्द पाया गया तथा यूनिट ए में स्थापित केवल एक एरियेटर ही संचालित पाया गया, इकाई में स्थापित यू.ए.एस.बी. रियेक्टर का भी संचालन संतोषजनक नहीं पाया गया, यू.ए.एस.बी. रियेक्टर के पाइप चोक होने के कारण ओवर फ्लो होते हुए पाये गये एवं रियेक्टर से मीथेन गैस का उत्पादन होता हुआ नहीं पाया। इसी अनुक्रम में दौलतगंज स्थित एस.टी.पी. के निरीक्षण में पाया गया कि पाटा, सरकटा, गऊघाट एवं नगरीय नाले के सीवेज शुद्धीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है परन्तु एस.टी.पी. में सरकटा नाले का लगभग 80 प्रतिशत भाग एवं नगरीय नाले का लगभग 50 प्रतिशत भाग ही एस.टी.पी. में शुद्धीकृत किया जा रहा था, शेष भाग बाई पास होकर सीधे गोमती नदी में निस्तारित होता पाया गया। जैसा कि आप अवगत हैं कि गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है परन्तु पिछले कई महीनों से निरीक्षण के समय एस.टी.पी. का संचालन सुचारु रूप से होता हुआ नहीं पाया गया जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए एस.टी.पी. का संचालन सुचारु रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें तथा समस्त सीवेज को बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर ही उत्प्रवाह को निस्तारित किया जाये, जिससे गोमती नदी की जल गुणता प्रभावित न होने पाये।

भवदीय,

(जे० एस० यादव)
सदस्य सचिव,

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, पर्यावरण अनुभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- ✓ 3 क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

सदस्य सचिव,

टी.सी. - 12, वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522-2720764
ई-मेल- info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

-34-

-57-

By hand

3138/ एम.डी-1502/14

25-11-14

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-1),
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय: 345 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भरवारा, मल्हौर लखनऊ की निरीक्षण आख्या के संबंध में

महोदय,


उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 20/11/14 को किया गया। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० की दो आंतरिक यूनिट बी व सी का संचालन बन्द था तब आंतरिक यूनिट ए में स्थापित केवल ऐरियेशन टैंक, दो नग फिक्स ऐरियेटर संचालित पाये गये। रियेक्टर से मीथेन गैस व उत्पादन होता नहीं पाया गया तथा काफी दिनों से सफाई न होने के कारण स्लज ड्राइंग बेड्स के तीनों स्टीम के कुल 10 नग बेड में बड़ी बड़ी झाड़िया, पेड़ पौधे उगे पाये गये तथा क्लोरियेशन हाउस बन्द पाया गया। सभी रियेक्टर के फी इनलेट के बाक्स के डाउन पाइप चोक होने के कारण ओवरफ्लो कर रहे थे, तथा स्ट्रीम के अधिकांश रियेक्टर्स में पालीथी एकत्रित पायी गयी तथा सभी रियेक्टर्स के स्लज चैम्बर वाटर लागिंग के कारण डूबे पाये गये।

जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से आर०सी०सी० के कालम व दीवार सीवेज से डूबी रहने के कारण सरियों में जंग लगी हुयी पायी गयी। रियेक्टर्स के एफ०आर०पी० गटर वी नाच के लेवल व एलाइमेंट उचित न होने रियेक्टर से शोधित सीवेज नाच के माध्यम से एफ०आर०पी० गटर में न जाकर अन्य स्थानों से जाता हुआ पाया गया तब स्लज पम्प हाउस से स्लज ड्राइंग बेड तक स्लज पहुँचाने के लिये डाले गये पाइप कई जगह से टूटे हुये पाये गये डिस्पोजल के लिये पाइप में वाल्व भी स्थापित नहीं पाये गये। तीनों स्लज पम्पो में पानी भरा हुआ था जिससे कई जगह कई लगी हुयी पायी गयी।

अग्रतर सूचित करना है कि एस०टी०पी० का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही कि जा रहा है।


उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० की समस्त इकाइयों का सुचारु रूप नियमित/प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव करना सुनिश्चित करें, जिससे गोमती प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूष निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा!

भवदीय,


(कुलदीप मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को निरीक्षण आख्या की प्रति सति सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, रीवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ को सूचन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

o/c
25/11/14



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र संख्या...../सी-5/सामान्य-281/14

दिनांक 12-1-15

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ० प्र०, जल निगम,
लखनऊ।

विषय-भरवारा, मल्हौर लखनऊ स्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सुचारु रूप से संचालन के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एफ 50545/सी-5/सा०-281/14 दिनांक 30.10.14 का सन्दर्भ लें। भरवारा मल्हौर स्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का पुनः निरीक्षण दिनांक 20.11.14 को क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय भरवारा स्थित एस.टी.पी. की 02 यूनिट बी एवं सी का संचालन बन्द पाया गया तथा यूनिट ए में स्थापित केवल एरियेटर ही संचालित पाया गया, इकाई में स्थापित यू.ए.एस.बी. रियेक्टर से मीथेन गैस का उत्पादन होता हुआ नहीं पाया गया, यू.ए.एस.बी. रियेक्टर के पाइप चोक होने के कारण ओवर फ्लो होते हुए पाये गये, स्ट्रीम के अधिकांश रियेक्टर्स में पालीथीन, एकत्रित पाई गई। स्लज ड्राइंग बेड्स के तीनों स्ट्रीम कुल 106 नग में बड़ी-बड़ी झाड़िया एवं पौधे उगे पाये गये। जिससे यह परिलक्षित हो रहा है कि स्लज ड्राइंग बेड्स का प्रयोग दीर्घ अवधि से नहीं किया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है एवं गोमती नदी अन्तिम रूप से गंगा नदी में मिलती है, परन्तु पिछले कई महीनों से निरीक्षण के समय एस.टी.पी. का संचालन सुचारु रूप से होता हुआ नहीं पाया गया जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए एस.टी.पी. का संचालन सुचारु रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें तथा समस्त सीवेज को बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर ही उत्प्रावह को निस्तारित किया जाये, जिससे गोमती नदी की जल गुणता प्रभावित न होने पाये।

भवदीय,

(जे० एस० यादव)
सदस्य सचिव,

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, नगर विकास अनुभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, पर्यावरण अनुभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

सदस्य सचिव,

टी.सी. - 12, वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522-2720764
ई-मेल- info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Amir (AEG)
Kader inspection
Report at
13/1/2015
14.1.15

- 36 - 59 -

1680/सि.ए.नं. 1582/15

A-10

01/10/15

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-1),
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय: 345 एम०एल०पी० के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट भरवारा, मल्लौर लखनऊ की निरीक्षण आख्या के संबंध में


महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23/09/15 को किया गया। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० की दो आंतरिक यूनिट बी व सी का संचालन बन्द था तथा आंतरिक यूनिट ए में स्थापित केवल ऐरियेशन टैंक, दो नग फिक्स एरियेटर संचालित पाये गये। रियेक्टर से मीथेन गैस का उत्पादन होता नहीं पाया गया तथा क्लोरियेशन हाउस बन्द पाया गया। सभी रियेक्टर के फीड इनलेट के बाक्स के डायन पाइप चोक होने के कारण ओवरफ्लो कर रहे थे तथा अधिकांश मात्रा में शुद्धिकृत उत्पन्न बाईपास हो कर निस्तारित होता हुआ पाया गया।

अग्रतर सूचित करना है कि एस०टी०पी० का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० की सनस्त इकाइयों का सुचारु रूप से नियमित/प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव करना सुनिश्चित करें, जिससे गोमती प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूषण-निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।


भवदीय,


(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को निरीक्षण आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, रीवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 37 -


क्षेत्रीय अधिकारी

21/09/15
A-10

- 60 -

3730/एच-1582/16

14/3/16

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-1),
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय: 345 एस०टी०पी० के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मरवारा, गलहौर लखनऊ की निरीक्षण आख्या के संबंध में


महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 19/02/16 को किया गया। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० की दो आंतरिक यूनिट बी व सी का संचालन बन्द था तथा मात्र आंतरिक यूनिट ए संचालित पायी गयी। रियेक्टर से मीथेन गैस का उत्पादन होता नहीं पाया गया तथा क्लोरियेशन हाउस बन्द पाया गया। अधिकांश मात्रा में शुद्धिकृत उत्प्रावह बाईपास हो कर निस्तारित होता हुआ पाया गया।

अग्रोतर सूचित करना है कि एस०टी०पी० का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० की समस्त इकाइयों का सुचारु रूप से नियमित/प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव करना सुनिश्चित करें, जिससे गोमती प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।


भवदीय,



(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को निरीक्षण आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, रीवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी

14.3.16
36

1165 (G.F-172/116

A-12

6/6/16

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ ।


विषय: केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 के अंतर्गत लखनऊ नगर निगम को निर्गत निर्देश के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न निर्देश पत्रांक- एफ 77998/सी.एल./235/एस.टी.पी./2014-16 दिनांक- 28.04.16 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करना चाहे । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में वर्तमान में स्थापित नगरीय उत्प्रेषण शुद्धीकरण संयंत्र की गुणवत्ता के नियमित अनुश्रवण हेतु ऑन लाईन अनुश्रवण उपकरण का लगाया जाना नितान्त आवश्यक है । इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना है कि नगर से जनित होने वाले सम्पूर्ण उत्प्रेषण की नवीनतम आकलन के अनुरूप शुद्धीकरण व्यवस्था की स्थापना के साथ संचालन भी किया जाये ।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न निर्देशों के अनुरूप यथा शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित हो सके ।

भवदीय



(कुलदीप मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: 1- जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृ०-5) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।



क्षेत्रीय अधिकारी

2/04
6/6/16
30 28/6/16

-62-57-

2537/HE-1502/16

A-13

12/9/16

सेवा में,


महाप्रबन्धक,
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ ।

विषय: लखनऊ स्थित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट भरवारा एवं दौलतगंज में आन लाइन एफ्लुयेन्ट मानिटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि लखनऊ स्थित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट भरवारा एवं सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट दौलतगंज से जनित होने वाले शोधित उत्प्रवाह के अनुश्रवण हेतु आन लाइन मीटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना वांछित है।


अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से अनन्तिम रूप से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह बिन्दु पर आन लाइन मानिटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने की कार्यवाही के साथ विभिन्न पम्पिंग स्टेशन पर मानिटरिंग की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।


क्षेत्रीय अधिकारी



40-63-5

1732/AE-1582A/18

A-14
27/11/18

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-1),
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ

विषय:- 345 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भरवारा, मल्हौर लखनऊ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 19/11/18 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय एस०टी०पी० की तीनों स्ट्रीम में सीवेज प्राप्त हो रहा था, एस०टी०पी० की यूनिट-बी इकाई पूर्णतया बन्द पायी गयी तथा मेन्टीनेन्स का कार्य चलता पाया गया, अन्य समस्त इकाईयां संचालित पायी गयी। एस०टी०पी० पर अनुमानतः लगभग 300 एम०एल०डी० उत्प्रवाह शोधन हेतु पहुंच रहा था। निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित स्लज ड्राइंग बेड्स में ड्राई स्लज पाया गया। एस०टी०पी० के ए.बी एवं सी० स्ट्रीम में फिक्स एयरेटर्स एवं फ्लोटिंग एरेयटर्स संचालित पाये गये अपितु रियेक्शन टैंक में एम०एल०एस०एस० की मात्रा संतोषजनक नहीं पायी गयी। एस०टी०पी० के आउटलेट पर शोधित उत्प्रवाह के निस्तारण के मापन हेतु व्यवस्था नहीं की गयी है। एस०टी०पी० का पूर्व में निरीक्षण दिनांक 05/11/2018 के समय लिये गये एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह नमूने में बी०ओ०डी०-48 मिग्रा०/ली०, सी०ओ०डी०-284 मिग्रा०/ली० पायी गयी, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपको निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. इकाई द्वारा एस०टी०पी० की यूनिट बी का यथाशीघ्र संचालन कर तीन दिनों के अन्दर फोटोग्राफ सहित अनुपालन आख्या प्रेषित की जाये।
2. राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि आप द्वारा एस०टी०पी० का संचालन संतोषजनक नहीं किया जा रहा है। आपको निर्देश दिये जाने है कि एस०टी०पी० का संचालन इस प्रकार से करे कि शुद्धीकृत उत्प्रवाह में प्रदूषणकारी प्रचालको की मात्रा सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
3. एस०टी०पी० के आउटलेट पर शोधित उत्प्रवाह के निस्तारण के मापन हेतु मापन संयंत्र स्थापित किया जाये।
4. बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों की अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालन आख्या प्रेषित की जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि शुद्धीकृत उत्प्रवाह में प्रदूषणकारी प्रचालको की मात्रा सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे। अन्यथा उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में आपके इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान का स्वयं का होगा।

भवदीय,

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 41 -

- 84 - 51 -



पत्रांक संख्या / सी-5/अन-248/18

दिनांक 17/12/18

पंजीकृत

Annexure No. 5

सेवा में,

महाप्रबन्धक

गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,

रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

Diary No. 34

File No.

File

AEE(C)

22/12/18

विषय: 345 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भरवारा, मल्लौर, लखनऊ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.11.2018 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय एस.टी.पी. की तीनों स्ट्रीम में सीवेज प्राप्त हो रहा था, एस.टी.पी. की यूनिट-बी इकाई पूर्णतया बन्द पाई गई तथा मेन्टीनेन्स का कार्य चलता पाया गया, अन्य समस्त इकाईयां संचालित पाई गयीं। एस.टी.पी. पर अनुमानतः लगभग-300 एम.एल.डी. उत्प्रवाह शोधन हेतु पहुंच रहा था। निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित स्लज ड्राइंग बेड्स में ड्राई स्लज पाया गया। एस.टी.पी. के ए, बी एवं सी स्ट्रीम में फिक्स एयरेटर्स एवं फ्लोटिंग एयरेटर्स संचालित पाये गए। अपितु रियेक्शन टैंक में एम.एल.एस.एस. की मात्रा संतोषजनक नहीं पाई गयी। एस.टी.पी. के आउटलेट पर शोधित उत्प्रवाह के निस्तारण के मापन हेतु व्यवस्था नहीं की गयी है। एस.टी.पी. का पूर्व में निरीक्षण दिनांक 05.11.2018 के समय लिए गये एस.टी.पी. के शुद्धिकृत उत्प्रवाह नमूने में बी.ओ.डी.-48.0 मिग्रा०/ली० एवं सो.डी.एम. 284 मिग्रा०/ली० पाई गयी, जो निर्धारित मानको के से अधिक है। उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक-1732/सह-1582 ए/18 दिनांक 27.11.2018 द्वारा आपको एस.टी.पी. के उचित संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गये हैं। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-1806/सह०-1582/18 दिनांक 14.12.2018 द्वारा मा० एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त विसंगतियों के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनिशन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को जारी आदेश के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनानुसार महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ पर रू० 50,000/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनिशन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को वांछित अनुपालन कराये जाने हेतु।
5. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

टी.सी.-12 की, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल- info@uppch.com
वेब साइट- www.uppch.comTC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppch.com
Web site www.uppch.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD.

13/07/19

पत्रांक संख्या- 436174 / सी-5/जल-248119

दिनांक- 25/5/19
पंजीकृत

सेवा में,

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

Annexure No.-5

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित 345 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, भरवारा, मल्हौर, लखनऊ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.04.2019 एवं दिनांक 29.04.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार दिनांक 15.04.2019 को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतिम निस्तारण बिन्दु का उत्प्रवाह नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया, विश्लेषण आख्यानानुसार बी.ओ.डी.-36 मिग्रा०/ली० एवं सी.ओ.डी.-280 मिग्रा०/ली० पाया गया, जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। पुनः दिनांक 29.04.2019 को इकाई का निरीक्षण किया गया, एवं एस.टी.पी. के आउटलेट का उत्प्रवाह नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया, विश्लेषण आख्यानानुसार बी.ओ.डी.-46 मिग्रा०/ली० पाया गया, जो कि निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है।

उक्त के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक- B-31011/BMW/2019/WMD-I/1614 दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में कार्यप्रणाली (Methodology) विकसित किया गया है। उक्त के अनुसार इकाई के विरुद्ध प्रतिदिन रुपये 37,500/- की दर से (दिनांक 15.04.2019 से दिनांक 29.04.2019 तक की अवधि हेतु) कुल रुपये 5,62,500/- (रुपये पाँच लाख, बासठ हजार, पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय है।

अतः उपरोक्त विसंगतियों के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को जारी आदेश के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनानुसार महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ पर रुपये 5,62,500/- (रुपये पाँच लाख, बासठ हजार, पाँच सौ मात्र) का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

...2

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

-43-

-66-



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पिकप भवन, ब्लाक-बी, चतुर्थ तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक संख्या- 712/G F-132/14

दिनांक 9.6.14

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-2),
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय: 56 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दौलतगंज, लखनऊ की निरीक्षण आख्या के संबन्ध में

महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 3/06/14 को किया गया। निरीक्षण के समय नगरिया नाले के सीवेज का लगभग-45 प्रतिशत भाग तथा सरकटा नाले का लगभग-10 प्रतिशत भाग एस०टी०पी० पर नहीं पहुंच रहा था तथा प्रदूषित सीवेज सीधे गोमती नदी में निस्तारित हो रहा था।

अग्रतर सूचित करना है कि एस०टी०पी० का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० का सुचारु रूप से संचालन एवं रख-रखाव करना सुनिश्चित करें, जिससे गोमती प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

भवदीय,

(ए०के० तिवारी)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, रीवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7.6.14
जे

7-6-14
AET



क्षेत्रीय कार्यालय,

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पिकप भवन, ब्लाक-बी, चतुर्थ तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक संख्या-

921/GF/132/14

दिनांक 20-6-14

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-2),
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय: 56 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दौलतगंज, लखनऊ की निरीक्षण आख्या के संबन्ध में महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 27/06/14 को किया गया। निरीक्षण के समय नगरिया नाले के सीवेज का लगभग-30 प्रतिशत भाग तथा सरकटा नाले का सम्पूर्ण भाग एस०टी०पी० पर नहीं पहुंच रहा था तथा प्रदूषित सीवेज सीधे गोमती नदी में निस्तारित हो रहा था। निरीक्षण आख्यानुसार सरकटा नाले की सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है।

अग्रेतर सूचित करना है कि एस०टी०पी० का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ही किया जा रहा है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० का सुचारु रूप से संचालन एवं रख-रखाव एवं एस०टी०पी० से सम्बद्ध सभी नाले पूर्णता टैप हो कर शोधन हेतु एस०टी०पी० पर पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें जिससे गोमती प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

भवदीय,

(ए०के० तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि सरकटा नाले की सफाई शीघ्र सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें, ताकि नाले को टैप कर सीवेज शोधन हेतु एस०टी०पी० पर भेजा जा सके।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को निरीक्षण आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, रीवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

20.6.14

2410/CF-132/14

1.10.14

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।


विषय: दौलतगंज, लखनऊ स्थित 56 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संबन्ध में
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। तत्कम में अवगत कराना है कि दौलतगंज, लखनऊ स्थित 56 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों से दिनांक 01/10/14 को कराया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निम्नलिखित बिन्दु सुस्पष्ट होते हैं:-

1. स्थापित 56 एम०एल०डी० के एस०टी०पी० में पाटा, सरकटा, गरुघाट एवं नगरिया नाले के सीवेज को टेप कर शुद्धीकृत किये जाने का प्राक्ख्यान है। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० पर सरकटा नाले का लगभग 80 प्रतिशत सीवेज एवं नगरिया नाले का लगभग 50 प्रतिशत उत्प्रवाह ही शोधन हेतु आ रहा था।
2. 56 एम०एल०डी० के एस०टी०पी० में सीवेज ट्रीटमेंट हेतु बार स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर के चैनल, डिस्टीब्यूशन चैनल, फैंब रियेक्टर 1, फैंब रियेक्टर 2, क्लेरीसैटलर, क्लोरीन डोजिंग एवं स्लज थिकनर/स्लज डिबार्टरिंग व्यवस्था की चार लाइनें हैं, जिसमें 14 एमएलडी का नया एस०टी०पी० भी सम्मिलित है। एस०टी०पी० से जनित स्लज के हथालन हेतु स्लज थिकनर एवं स्लज डिबार्टरिंग मशीन/स्लज डाइंग बेडस स्थापित हैं।
3. निरीक्षण के समय नगरिया नाले का लगभग 50 प्रतिशत उत्प्रवाह बाईपास लाइन होकर गोमती नदी के गरुघाट पम्पिंग स्टेशन के अपस्ट्रीम पर मिल रहा है। पिछले कई महीनों से समस्त जनित सीवेज को एस०टी०पी० पर नहीं लिया जा रहा है तथा अपेक्षित सुधार अभी नहीं किया गया है।


उपरोक्त परिपेक्ष्य में गरुघाट पम्पिंग स्टेशन को सुचारू रूप से चलाने तथा समस्त प्रदूषित सीवेज को शोधन हेतु एस०टी०पी० में भेजना सुनिश्चित करे एवं अग्रेतर उपरोक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि दौलतगंज स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन इस प्रकार करना सुनिश्चित करें कि गोमती नदी की जलगुणता प्रभावित न होने पाये।

भवदीय,


(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रशासन) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को निरीक्षण आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

-47-

-69-57-

2011 G.F-132/18

16/4/18

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (यूनिट-2)
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ ।

विषय: 58 एम०एल०डी० के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दौलतगंज, लखनऊ के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त वर्णित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक- 11.04.2018 को किया गया । निरीक्षण के समय नगरिया नाले के सीवेज का लगभग-50 प्रतिशत भाग तथा सरकटा नाले का सीवेज लगभग 40 प्रतिशत भाग एस०टी०पी० पर नहीं पहुंच रहा था तथा प्रदूषित सीवेज सीधे गोमती नदी में निस्तारित हो रहा था । अग्रेतर सूचित करना है कि एस०टी०पी० का संचालन राज्य बोर्ड के बिना सहमति के किया जा रहा है ।

उक्त आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस०टी०पी० का सुचारु रूप से संचालन एवं रख-रखाव एवं एस०टी०पी० से सम्बद्ध सभी नाले पूर्णतया टेप होकर शोधन हेतु एस०टी०पी० पर पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे गोमती नदी प्रदूषित न हो सके, साथ ही जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा ।

भवदीय
(डा० राम चक्रन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
- 2- महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, रीवर बैंक कालोनी रोड, लखनऊ ।
- 3- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, यू०-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

क्षेत्रीय अधिकारी
11/04/18

- 48 -

-70-23-



पत्रांक संख्या 10999 सी-5/सा-11/18

दिनांक 17/11/18
पंजीकृत

सेवा में,
महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

Alk
90-10-10 AEE (RKT)
AEC

विषय: दौलतगंज लखनऊ स्थित 56 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लखनऊ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.11.2018 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार दौलतगंज, लखनऊ में स्थापित 56 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. में पाटा, सरकटा, गरुघाट एवं नगरिया नाले के सीवेज को टेप कर शुद्धिकृत किये जाने का प्राविधान है, परन्तु निरीक्षण के समय पाटा नाला एवं गरुघाट नाले का सीवेज टेप होकर एस.टी.पी. पर पहुँच रहा था, किन्तु नगरिया नाले के सीवेज का लगभग-50 प्रतिशत भाग तथा सरकटा नाले का लगभग-20 प्रतिशत भाग एस.टी.पी. पर नहीं पहुँच रहा था तथा प्रदूषित सीवेज सीधे गोमती नदी में निस्तारित होता पाया गया। पूर्व में निरीक्षण दिनांक 05.11.2018 के समय लिए गये एस.टी.पी. के शुद्धिकृत उत्प्रावह नमूने में बी.ओ.डी.-38.0 मिग्रा०/ली० एवं सी.ओ.डी.-272 मिग्रा०/ली० पाई गयी, जो निर्धारित मानकों से अधिक है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप द्वारा एस.टी.पी. का संचालन संतोषजनक नहीं किया जा रहा है। उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक-1735/जी.एफ.-132/18 दिनांक 29.11.2018 द्वारा आपको एस.टी.पी. के उचित संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गये थे। पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 20994/सी-5/सामान्य-11/18 दिनांक 28.05.2018 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 'ए' के अन्तर्गत भी निर्देश जारी किए गये थे, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों के अनुपालन के संबंध में कोई आख्या/सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-1805/जी.एफ.-132/18 दिनांक 14.12.2018 द्वारा मा० एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त विसंगतियों के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 ए०ए००० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को जारी आदेश के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनानुसार महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ पर रू० 50,000/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को वांछित अनुपालन कराये जाने हेतु।
5. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

49

71



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

13/07/19

पत्रांक संख्या- 13473 / सी-5 / सां-11/19

दिनांक 20/5/19
पंजीकृत

सेवा में,

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

Annexure No - 9

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित 56 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट, दौलतगंज, लखनऊ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.04.2019 एवं दिनांक 29.04.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार दिनांक 15.04.2019 को सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के अंतिम निस्तारण बिन्दु का उत्पवाह नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया, विश्लेषण आख्यानानुसार बी.ओ.डी.-40 मिग्रा०/ली० एवं सी.ओ.डी.-298 मिग्रा०/ली० पाया गया, जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। पुनः दिनांक 29.04.2019 को इकाई का निरीक्षण किया गया, एवं एस.टी.पी. के आउटलेट का उत्पवाह नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया, विश्लेषण आख्यानानुसार बी.ओ.डी.-40 मिग्रा०/ली० पाया गया, जो कि निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है।

उक्त के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक- B-31011/BMW/2019/WMD-I/1614 दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कार्यप्रणाली (Methodology) विकसित किया गया है। उक्त के अनुसार इकाई के विरुद्ध प्रतिदिन रूपये 37,500/- की दर से (दिनांक 15.04.2019 से दिनांक 29.04.2019 तक की अवधि हेतु) कुल रूपये 5,62,500/- (रूपये पाँच लाख, बासठ हजार, पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय है।

अतः उपरोक्त विसंगतियों के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को जारी आदेश के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनानुसार महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ पर रूपये 5,62,500/- (रूपये पाँच लाख, बासठ हजार, पाँच सौ मात्र) का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्यक्त हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

...2

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

- 50 -

72-10

2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उद्योग महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, रीवर बैंक कालोनी रोड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. कन्ट्रोल रूम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या 12099/सी-5/सिवा-11/10

दिनांक 28/5/18
पंजीकृत

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
उ० प्र० जल-निगम,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, रिवर बैंक कालोनी रोड,
लखनऊ।

Annexure No. 10

यह कि नगरिया नाला व सरकटानाला के माध्यम से घरेलू मल-जल का निस्तारण गोमती नदी में किया जाता है तथा उक्त नालों के माध्यम से सीवेज के शोधन हेतु एस.टी.पी. (क्षमता 56 एम.एल.डी.) दौलतगंज पर उत्प्रवाह भेजने की व्यवस्था की गयी है। एस.टी.पी. दौलतगंज का रखरखाव एवं संचालन उ० प्र० जल निगम द्वारा किया जाता है।

यह कि एस.टी.पी. दौलतगंज का निरीक्षण दिनांक 07.05.2018 व 08.05.2018 बोर्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय एस.टी.पी. का संचालन किया जा रहा था, किन्तु सरकटानाला व नगरिया नाला का उत्प्रवाह आंशिक रूप से शोधन हेतु एस.टी.पी. में जा रहा था, शेष उत्प्रवाह ओवरफ्लो होने के कारण बिना शोधन के ही गोमती नदी में निस्तारित किया जा रहा था।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, किन्तु उक्त एस.टी.पी. का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही किया जा रहा है।

यह कि दिनांक 04.05.2018 को गऊघाट व कुड़िया घाट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित किया गया एवं विश्लेषण आख्या के अनुसार घुलित ऑक्सीजन की मात्रा गऊघाट अपस्ट्रीम पर 0.8 मिग्रा/ली०, गऊघाट डाउनस्ट्रीम पर 0.6 मिग्रा/ली० तथा कुड़ियाघाट अपस्ट्रीम पर 0.2 मिग्रा/ली०, कुड़ियाघाट डाउन स्ट्रीम पर 0.1 मिग्रा/ली० पाई गयी जो निर्धारित न्यूनतम मानक 4.0 मिग्रा/ली० से अत्यन्त कम है एवं जलीय जीव प्रजातों हेतु अत्यन्त घातक है। यह कि दौलतगंज एस.टी.पी. क्षमता 56 एम.एल.डी. के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि दौलतगंज एस.टी.पी. क्षमता 56 एम.एल.डी. के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से नियमानुसार सहमति प्राप्त की जाये।
2. यह कि गोमती नदी में आंशिक रूप से मिलने वाले नगरिया व सरकटा नाले के पूर्ण उत्प्रवाह को एस.टी.पी. दौलतगंज के माध्यम से शुद्धिकृत कर ही नदी में निस्तारित किया जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि ओवरफ्लो की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. यह कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दौलतगंज एस.टी.पी. क्षमता 56 एम.एल.डी. का रखरखाव व संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाये कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह के प्रचालक सदैव मानकों के अनुरूप रहें तथा गोमती नदी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

उक्त निर्देशो का अनुपालन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत आपसे विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबंधक जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त निर्देशों के अनुपालन कराये जाने हेतु सतत अनुश्रवण रखें एवं सुस्पष्ट अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure No. 11

पत्रांक संख्या- 430476 / सी-5/सा0-11/19

दिनांक 02-1-19
पंजीकृत

सेवा में,

अनु सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-6
उ0प्र0 शासन।

विषय: गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, रीवर बैंक, कालोनी रोड, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के उत्तरदायी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अन्तर्गत 'अभियोजन स्वीकृति' के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हो कि गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ एक निगमित निकाय है एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। दौलतगंज, लखनऊ में स्थापित 56 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. का समुचित संचालन कर सीवेज शोधन के लिए उत्तरदायी है। राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच 20994/सी-5/सा0-11/18 दिनांक 28.05.2018 द्वारा इकाई को सहमति प्राप्त करने, गोमती नदी में मिलने वाले नगरिया व सरकटा नालें का ओवर फ्लो रोककर एस.टी.पी. के माध्यम से शुद्धिकृत कर निस्तारित किये जाने तथा एस.टी.पी. का उत्प्रवाह सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप निस्तारित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33'ए' के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे। जिसके संबंध में इकाई द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है।

दौलतगंज, लखनऊ स्थित 56 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन के विसंगतियों के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या- 200/2014 एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को जारी आदेश के अनुक्रम में इकाई को राज्य बोर्ड के पत्रांक- एच. 29882/सी-5/सा0-11/18 दिनांक 17.12.2018 द्वारा एस.टी.पी. का राज्य बोर्ड के मानकों के अनुरूप संचालन न किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 50,000/- अधिरोपित किया गया है। पुनः राज्य बोर्ड के पत्रांक- एच 36173/सी-5/सा0-11/19 दिनांक 20.05.2019 के माध्यम से महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ पर रू0 5,62,500/- (पाँच लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) का पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया गया है।

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.06.2019 को इकाई प्रतिनिधि श्री गोपाल श्रीवास्तव की उपस्थिति में दौलतगंज, लखनऊ में स्थापित एस.टी.पी. का निरीक्षण किया गया (छायाप्रति संलग्न), जिसमें पाया गया कि दौलतगंज, लखनऊ में स्थापित 56 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. में पाटा, सरकटा, गरुघाट एवं नगरिया नाले के सीवेज को टैप कर शुद्धिकृत किये जाने का प्राविधान है। निरीक्षण के समय पाटा नाला एवं गरुघाट नाले का सीवेज टैप हो कर एस.टी.पी. पर पहुँच रहा था, किन्तु नगरिया नाले के सीवेज का लगभग-40 प्रतिशत भाग तथा सरकटा नाले का 50 प्रतिशत भाग एस.टी.पी. पर नहीं पहुँच रहा था तथा प्रदूषित सीवेज सीधे गोमती नदी में निस्तारित हो रहा था। गरुघाट इन्टेक चैनल से पानी लेकर जल संस्थान द्वारा लखनऊ शहर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। नगरिया नाले का सीवेज सीधे गोमती नदी में मिलने से गरुघाट इन्टेक चैनल की जलगुणता पर कुप्रभाव पड़ सकता है।

.....2/-

टी.सी.-12 बी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

54

-76-

दौलतगंज एस.टी.पी. से निस्तारित शुद्धिकृत सीवेज को सरकटा नाले के टैपिंग प्वाइण्ट के डाउनस्ट्रीम में निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः गोमती नदी में मिलता है। एस.टी.पी. के आउटलेट पर उत्प्रवाह के मापन हेतु मापन यंत्र स्थापित नहीं है। दिनांक 15.06.2019 को निरीक्षण के समय इकाई के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के शोधित उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्रण किया गया। जिसे केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ की प्रयोगशाला में जमा किया था। विश्लेषण आख्या के अनुसार बी.ओ.डी. की मात्रा-36.3 मिग्रा०/ली० पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है।


इस प्रकार गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा बोर्ड के उपरोक्त निर्देश दिनांक 28.05.2018 का उल्लंघन करते हुए राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त एस.टी.पी. का संचालन किया जा रहा है तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-24 का उल्लंघन है एवं उपरोक्त अधिनियम की धारा-43 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त के संबंध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम स्तर से अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के उत्तरदायी व्यक्ति श्री एस.के. गुप्ता, महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ एवं श्री सौरभ श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, दौलतगंज, लखनऊ लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, जिनके विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अन्तर्गत 'अभियोजन स्वीकृति' अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के श्री एस.के. गुप्ता, महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ एवं श्री सौरभ श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, दौलतगंज, लखनऊ जो पदेन उत्तरदायी व्यक्ति हैं, के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से 'अभियोजन स्वीकृति' प्रदान कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

By hand

Annexure No. 12

4360/ 4A-35/18

4.2.15

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
रिवर बैंक कोलोनी, रोड
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ


विषय:- जनपद-लखनऊ के ट्रान्स/सिस गोमती में 26 सीवेज बहित नालों की टैपिंग व्यवस्था की यथास्थिति जानने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-2412/जीएफ-35 दिनांक 01/10/14 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से 26 नालों में से 11 आंशिक टैप नाले के ओवरफ्लो होने के कारण शहरी सीवेज सीधे गोमती नदी में निस्तारित सम्बन्धी समस्या के बारे में आपको सूचित किया गया था। उक्त के तत्कम में आपके पत्र संख्या 71/कार्य-9/03 दिनांक 14/01/2015 द्वारा नगरिया नाला का डिस्चार्ज ओवरफ्लो होकर गोमती नदी में प्रवाहित होने की स्थिति स्पष्ट की गयी है, किन्तु 10 आंशिक टैप नालो के प्रकरण में वांछित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है।


अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त शेष नालो के टैपिंग व्यवस्था की यथा स्थिति से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे, जिससे गोमती नदी की जलगुणता पर कोई प्रभाव न पड़े।

भवदीय,


(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

03/02/2015

280

- 56 -

- 78 -



Registered
Annexure NO.-13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref. No.

77778

CU/235/STP/2014-16

दिनांक
Date

28/4/16

To,

Nagar Aayukt,
Lucknow Nagar Nigam
Lalbagh Lucknow,
Uttar Pradesh-226001.

Sub-Direction under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended regarding Treatment and Utilization of Sewage For restoration of water quality of River.

WHEREAS, sewage is a major cause for poor water quality and adversely impacts human health and aquatic life. The discharge of untreated partially treated and treated sewage not meeting standards in further adding to the problem of water pollution and very sizeable gap exist in generation and treatment of sewage.

WHEREAS, Central Pollution Control Board has requested the Municipal Corporation to build capacity for treatment, utilization of sewage and restoration of water quality of recipient systems and for identification of drains in the city and the place of disposal of the effluents and action proposed to treat sewage vide letter dated 09.10.2015.

WHEREAS, Sewage generated from Lucknow Nagar Nigam in Uttar Pradesh is responsible for deterioration of the water quality of river Gomti.

WHEREAS, the Central Government has notified the general discharge standards of environmental pollutants from various sources including municipal waste water under the Environment (Protection) Act, 1986 and rules framed there under; and

WHEREAS, Central Pollution Control Board has also given directions under section 5 of EP Act, 1986 regarding Treatment and Utilization of Sewage for restoration of water quality of river vide letter no. A-14011/1/2015-MON dated 09-10-2015 and to submit a time bound action plan. You are directed to submit the action taken report/copy of action plan to the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

AND NOW, THEREFORE, in view of the above stated facts and realizing that rivers and water bodies are getting polluted and to prevent further deterioration of surface and sub-surface waters, it is essential to issue following directions under section 33A of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended to the Municipal Authority of Lucknow.

- 1) Untreated sewage shall not be disposed into the river or at any other recipient system.
- 2) Local/urban body to set up STPs of adequate capacity and provide sewerage system to cover the entire local/urban areas and to ensure complete treatment of sewage generated.
- 3) In case of disposal of effluents on land or river or any water body including or a drain, the treated effluents shall meet the standards given in Annexure-1
- 4) Existing sewage treatment plants, if any, as applicable shall be properly maintained to comply with the standards given in Annexure-I. At the inlet and outlet of the sewage treatment plant, online monitoring devices should be installed to monitor the consented parameters.

FOR OFFICE

-79-

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर.

- 57 -

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

- 5) The local bodies shall seek consent under water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended from the UPPCB.
- 6) The Municipal Authority shall properly manage the waste water flowing in drains and take required actions to ensure that such wastewater is treated and disposed off in accordance with standards given in Annexure-1.


You are requested to acknowledge the receipt of direction under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended within 15 days and shall communicate the status on the action plan and its implementation.


(C.C. Yadav)

Member Secretary

- Copy to: 1. Member Secretary, Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032
2. District Magistrate, Lucknow.


Member Secretary

012 
28/4/16

2334 / G.F-35/16

29/8/16

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ


विषय:- गोमती नदी लखनऊ में गिरने वाले नाले की सर्वेक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ के पत्र संख्या-1695/ओएसडी/2016 दिनांक 20/08/16 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित निर्देश के अनुपालन में इस कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा स्थिति का भौतिक सत्यापन करते हुये स्थलीय निरीक्षण दिनांक 28/08/2016 को सम्पादित किया गया। गोमती नदी के लखनऊ शहर में प्रवेश एवं निकास खण्ड के मध्य स्थित नालों एवं पम्पिंग स्टेशनों तथा निरीक्षण के समय निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की स्थिति का समायिक संकलन संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक निषेधात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कदाचित संलग्न संकलन से स्पष्ट है कि गोमती नदी में बिना उपचार किये हुये निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह पर प्रभावी रोक लगाये जाने की प्रबल आवश्यकता है।


भवदीय,



(कुलदीप मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय अधिकारी

- 59 -

- 81 -

पत्रांक संख्या- 630270 / सी-5/सा.46/19

दिनांक 11-06-2019
पंजीकृतसेवा में,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

यह कि नगर निगम, लखनऊ जो एक निगमित निकाय है एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, के द्वारा शहर के अन्तर्गत विन्हित कुल 33 नालों के माध्यम से घरेलू जल-मल का निस्तारण गोमती नदी में किया जाता है तथा उक्त नालों में कुल 26 नालों को टैप/आंशिक रूप से टैप कर सीवेज उत्प्रवाह शोधन हेतु एस.टी.पी. (क्षमता 56 एम.एल.डी.) दौलतगंज एवं एस.टी.पी. (क्षमता 345 एम.एल.डी.) भरवारा पर उत्प्रवाह भेजने की व्यवस्था की गयी है। एस.टी.पी. दौलतगंज एवं एस.टी.पी. भरवारा का रखरखाव एवं संचालन उ०प्र० जल निगम द्वारा किया जाता है। अन्य 07 नालों तथा 09 आंशिक रूप से टैप नालों से सीवेज उत्प्रवाह बिना शोधन के गोमती नदी में निस्तारित किया जाता है।

यह कि उक्त वर्णित स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 07 नालें जिनमें सहाच सिटी नाला, बैरीकला नाला, धंला नाला, अपस्ट्रीम फौजुल्लागंज, डाउनस्ट्रीम, फौजुल्लागंज, गोमती नगर नाला व गोमती नगर विस्तार नाला द्वारा सम्बन्धित सीवेज उत्प्रवाह बिना शोधन के गोमती नदी में निस्तारित किया जाता है एवं उक्त 26 नालों में से 09 नाले जिसमें नगरिया नाला, सरकटा नाला, वजीरगंज नाला, जी.एच. कैंनाल, लामार्टिनियर नाला, जियामऊ नाला, बैरल नं०-02 दाया तटबन्ध (महेशगंज नाला, लखनऊ खण्ड-01); हनुमान सेतु नाला, कुकरैल नाला ओवरफ्लो के कारण बिना शोधन के गोमती नदी में निस्तारित किया जाता है, जिससे गोमती नदी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा पूर्व में दिनांक 21.02.2019, 22.02.2019 एवं 23.02.2019 को उक्त नालों का निरीक्षण व जल नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया था, विश्लेषण आख्यानानुसार नगरिया नाला में बी.ओ.डी.-25.0 मिग्रा/ली० व टोटल कॉलीफार्म-5,40,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०), सरकटा नाला में बी.ओ.डी - 36.0 मिग्रा/ली० व टोटल कॉलीफार्म-54,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०), पाटा नाला में बी.ओ.डी.- 80.0 मिग्रा/ली० व टोटल कॉलीफार्म-54,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०), वजीरगंज नाला में बी.ओ.डी.- 85.0 मिग्रा/ली० व टोटल कॉलीफार्म-54,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०), घसियारी मंडी नाला में बी.ओ.डी.- 76.0 मिग्रा/ली० व टोटल कॉलीफार्म-16,00,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०) तथा चाइना बाजार नाला में बी.ओ.डी.- 98.0 मिग्रा/ली० व टोटल कॉलीफार्म-1,30,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०) पायी गयी। दिनांक 07.06.2019 को कुड़ियाघाट पर स्थित सरकटा नाला तथा गऊघाट पर स्थित नगरिया नाला से वहित अशोधित सीवेज ओवरफ्लो होकर सीधे गोमती नदी में प्रवाहित होते पाया गया जो कि गोमती नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने तथा घुलित आक्सीजन (डी.ओ.) घटने का मूल कारण है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 04.06.2019 को एकत्रित गोमती नदी के जल नमूनों के विश्लेषणोपरान्त केन्द्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार घुलित आक्सीजन (डी.ओ.) की मात्रा कुड़ियाघाट अपस्ट्रीम-1.55 मिग्रा/ली०, हनुमान सेतु अपस्ट्रीम-1.94 मिग्रा/ली० तथा बैरज अपस्ट्रीम-2.88 मिग्रा/ली० पाई गयी, जो कि निर्धारित न्यूनतम मानक 4.0 मिग्रा/ली० से अत्यन्त कम है, जो कि जलीय जीव जन्तुओं हेतु अत्यन्त घातक है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-833/जी.एफ-35/19 दिनांक 10.06.2019.....

.....2/-

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.comTC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

- 58 -

- 82 -

द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33'ए' के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त नगर निगम, लखनऊ के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाए।
2. यह कि क्यों न नगर निगम, लखनऊ के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाए।


उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नगर निगम, लखनऊ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure NA-15
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD.

पत्रांक संख्या 30475 /सी-5/शा.भा.व्य-46/19

दिनांक 02-7-19
पंजीकृत

सेवा में,

अनु सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-6
उ०प्र० शासन।

विषय: नगर निगम, लखनऊ के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अन्तर्गत 'अभियोजन स्वीकृति' के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हो कि नगर निगम, लखनऊ एक निकाय है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। नगर निगम, लखनऊ शहर में स्थित गोमती नदी में मिलने वाले नालों से निस्तारित सीवेज उत्प्रवाह का निस्तारण निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किए जाने के लिए उत्तरदायी है। नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती नदी में गिरने वाले नालों के स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 07 नालों जिनमें सहारा सिटी नाला, बैरीकला नाला, धैला नाला, अपस्टीम फौजुल्लागंज, डाउनस्टीम, फौजुल्लागंज, गोमती नगर नाला व गोमती नगर विस्तार नाला द्वारा सम्बन्धित सीवेज उत्प्रवाह बिना शोधन के गोमती नदी में निस्तारित होता पाया गया एवं उक्त 26 नालों में से 09 नाले जिसमें नगरिया नाला, सरकटा नाला, वजीरगंज नाला, जी.एच. कैनाल, लामार्टिनियर नाला, जियामऊ नाला, बैरल नं०-02 दाया तटबन्ध (गहेशगंज नाला, लखनऊ खण्ड-01), हनुमान सेतु नाला, कुकरैन नाला ओवरफ्लो के कारण बिना शोधन के सीवेज उत्प्रवाह गोमती नदी में निस्तारित हो रहा था, जिससे गोमती नदी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा पूर्व में दिनांक 21.02.2019, 22.02.2019 एवं 23.02.2019 को उक्त नालों का निरीक्षण व जल नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया था, विश्लेषण आख्यानुसार नगरिया नाला में बी.ओ.डी.-25.0 मिग्रा०/ली० व टोटल कॉलीफार्म-5,40,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०), सरकटा नाला में बी.ओ.डी. - 36.0 मिग्रा०/ली० व टोटल कॉलीफार्म-54,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०), पाटा नाला में बी.ओ.डी.- 80.0 मिग्रा०/ली० व टोटल कॉलीफार्म-54,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०), वजीरगंज नाला में बी.ओ.डी.- 85.0 मिग्रा०/ली० व टोटल कॉलीफार्म-54,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०), घसियारी मंडी नाला में बी.ओ.डी.- 76.0 मिग्रा०/ली० व टोटल कॉलीफार्म-16,00,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०) तथा चाइना बाजार नाला में बी.ओ.डी.- 98.0 मिग्रा०/ली० व टोटल कॉलीफार्म-1,30,000 (एम.पी.एन/100 मि०ली०) पायी गयी। दिनांक 07.06.2019 को कुड़ियाघाट पर स्थित सरकटा नाला तथा गऊघाट पर स्थित नगरिया नाला से वहित अशोधित सीवेज ओवरफ्लो होकर सीधे गोमती नदी में प्रवाहित होते पाया गया जो कि गोमती नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने तथा घुलित आक्सीजन (डी.ओ.) घटने का मूल कारण है। तत्कम में राज्य बोर्ड के पत्रांक-जी 30270/सी-5/सा-46/19 दिनांक 11.06.2019 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि "क्यों न जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाए।" उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नगर निगम, लखनऊ से राज्य बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं है।

.....2/-

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com


- 62 - -84-

नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती नदी में गिरने वाले नालों के स्थल का निरीक्षण पुनः बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.08.2019 को किया गया (छायाप्रति संलग्न)। निरीक्षण के समय पाई गयी उपरोक्त इंगित नालों के माध्यम से वहित अशुद्धित सीवेज गोमती नदी में मिलने की स्थिति यथावत पाई गयी है। केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गोमती नदी की जल गुणता का अनुश्रवण/विश्लेषण आख्या दिनांक 04.06.2019 के अनुसार घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कुड़ियाघाट अपस्ट्रीम-1.55 मिग्रा०/ली०, हनुमान सेतु अपस्ट्रीम-1.94 मिग्रा०/ली० तथा बैराज अपस्ट्रीम-2.88 मिग्रा०/ली०, जो कि निर्धारित न्यूनतम मानक 4.0 मिग्रा०/ली० से अत्यन्त कम हो गयी है जो कि जलीय जीव जन्तुओं हेतु अत्यन्त घातक है। नगर निगम, लखनऊ उक्त कृत्य जल जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-24 का उल्लंघन है एवं धारा-43 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त के संबंध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम स्तर से अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

नगर निगम, लखनऊ के दिन-प्रतिदिन कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, श्री एस०पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ एवं श्री पंकज भूषण, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ लोक सेवक की श्रेणी में आते है, जिनके विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अन्तर्गत 'अभियोजन स्वीकृति' अपेक्षित है।

अतः नगर निगम, लखनऊ के दिन-प्रतिदिन कार्यों के लिए डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, श्री एस०पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ एवं श्री पंकज भूषण, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ, जो पदेन उत्तरदायी व्यक्ति हैं, के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से 'अभियोजन स्वीकृति' प्रदान कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

822/G.F-35/19

6/6/19

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
(शारदा सहायक) सिंचाई विभाग,
तेलीबाग लखनऊ।

विषय: गोमती नदी में प्रदूषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महाप्रबन्धक जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1366/CJS-9/SM दिनांक 20/05/19 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्तमान समय में गोमती नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से पानी में अमोनिया का स्तर काफी बढ़ गया है तथा घुलनशील अमोनिया की मात्रा कम हो जाती है जिससे शोधन में कठिनाई आ रही एवं रसायनों का अधिक प्रयोग हो रहा है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि शारदा स्कैप से जल छोड़ने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे जिससे गोमती नदी में प्रदूषण की मात्रा कम हो सके।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ ऐशबाग, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

क्षेत्रीय अधिकारी

0/0

863/G.F.35/17

31/5/17

सेवा में,

अधिसासी अभियंता,
जोन-2, जलकल विभाग नगर निगम,
लखनऊ

संदर्भ- पत्र संख्या 169/EE2/C75/17-18 दिनांक 23/06/2017


विषय: जनपद-लखनऊ में गोमती नदी अपस्ट्रीम वाटर इंटेक एवं अपस्ट्रीम कुड़िया घाट में उपजी जलकुम्भी को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि दिनांक 27/05/2017 को क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जनपद-लखनऊ में गोमती नदी अपस्ट्रीम वाटर इंटेक एवं अपस्ट्रीम कुड़िया घाट स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय व्यापक पैमाने पर गोमती नदी की जलधारा में जलकुम्भी व्याप्त पायी गयी है, जो मुख्यतः कुड़िया घाट के अपस्ट्रीम निकट शनिदेव मंदिर क्षेत्र में स्थित है। इसके प्रभाव से नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटने की पूर्ण संभावना है, जो जलीय जन-जीवन को प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित करेगा एवं आकस्मिक मछलियों की मरने की संभावना प्रबल हो जायेगी। उक्त स्थिति को नियंत्रित किये जाने में यह आवश्यक है कि जलकुम्भी के इस पर फैलाव को तत्काल वहाँ से हटा दिया जाये तथा संपूर्ण गोमती नदी की जल धारा में इस वनस्पति से पनपने न दिया जाये।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में यथा शीघ्र कार्यवाही करने हेतु तथा प्रस्तावित गंगा मेला (2 जून 2017 से 6 जून 2017) के दौरान श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठान हेतु पर्याप्त जल की आपूर्ति हो सकने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।


भवदीय,



(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ को क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-570/जीएफ-35/17 दिनांक 16/05/2017 के सम्बन्ध में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० पदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी

31/05/2017

- 65 -

- 87 -

324/Gr.F-50/18

25/4/18

सेवा में,

अधिशाली अभियंता, लखनऊ खण्ड,
शारदा नहर,
लखनऊ

विषय: जनपद-लखनऊ में गोमती नदी अपस्ट्रीम वाटर इंटेक/अपस्ट्रीम कुड़िया घाट एवं गोमती बैराज में उपजी जलकुम्भी को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि दिनांक 11/04/2018 को क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जनपद-लखनऊ में गोमती नदी अपस्ट्रीम वाटर इंटेक/अपस्ट्रीम कुड़िया घाट स्थल एवं गोमती नदी बैराज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय व्यापक पैमाने पर गोमती नदी की जलधारा में जलकुम्भी व्याप्त पायी गयी है, जो मुख्यतः कुड़िया घाट के अपस्ट्रीम निकट शनिदेव मंदिर क्षेत्र एवं गोमती बैराज निकट बैकुण्ठ धाम क्षेत्र में स्थित है। इसके प्रभाव से नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटने की पूर्ण संभावना है, जो जलीय जन्तु-जीवन को प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित करेगा एवं आकस्मिक मछलियों की मरने की संभावना प्रबल हो जायेगी। उक्त स्थिति को नियंत्रित किये जाने में यह आवश्यक है कि जलकुम्भी के इस पर फैलाव को तत्काल वहाँ से हटा दिया जाये तथा संपूर्ण गोमती नदी की जल धारा में इस वनस्पति से पनपने न दिया जाये।


आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में यथा शीघ्र कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डा० प्रमोद करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी

०/६

— 66-88-18 —

732/G.F-50/18

26/5/18

सेवा में,

अधिकाारी अभियंता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ ।

विषय: गोमती नदी में स्थित जल कुम्भी को हटाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या- एच 20683/के0प्रयो0/166/2013-18 दिनांक- 23.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा गोमती नदी का सर्वेक्षण/निरीक्षण दिनांक- 24.05.2018 को किया गया । निरीक्षण के समय गोमती नदी की जल धारा में गरुघाट से कुड़ियाघाट के मध्य एवं अपस्ट्रीम बैराज पर अत्यधिक जल कुम्भी व्याप्त पायी गयी, जिसके फलस्वरूप गोमती नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि गरुघाट से कुड़ियाघाट एवं अपस्ट्रीम बैराज पर एकत्रित जल कुम्भी को पूर्णतः हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना चाहें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे ।
- 2- मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
- 3- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृ०-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

क्षेत्रीय अधिकारी

427

67 -- 89 --

627/G.F-50/19

14/5/19

सेवा में,

अधिकाारी अभियंता,

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,

लखनऊ ।

विषय: गोमती नदी में स्थित जल कुम्भी को हटाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा गोमती नदी का सर्वेक्षण/निरीक्षण दिनांक- 14.05.2019 को किया गया । निरीक्षण के समय गोमती नदी की जल धारा में हनुमान सेतु एवं अपस्ट्रीम बैराज पर अत्यधिक जल कुम्भी व्याप्त पायी गयी, जिसके फलस्वरूप गोमती नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि हनुमान सेतु एवं अपस्ट्रीम बैराज पर एकत्रित जल कुम्भी को पूर्णतः हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना चाहें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय



(डीओ राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से वास्तविकता को निर्देशित करना चाहे ।
- 2- मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
- 3- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृ०-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c
15/05/2019

- 62 - 90 - 30 -

461/614-55/19

24/6/19

सेवा में

अधिसाक्षी अभियन्ता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ ।

विषय: गोमती नदी में स्थित जल कुम्भी को हटाये जाने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा गोमती नदी का सर्वेक्षण/निरीक्षण दिनांक 20/06/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय गोमती नदी की जल धारा में हनुमान सेतु एवं अपस्ट्रीम बैराज पर अत्यधिक जल कुम्भी व्याप्त पायी गयी, जिसके फलस्वरूप गोमती नदी में घुलित आक्सीजन की मात्रा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अनुमान सेतु एवं अपस्ट्रीम बैराज पर एकत्रित जल कुम्भी को पूर्णतः हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना चाहें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय



(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी संबंधित को निर्देशित करना चाहें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



-69-

-91-

155/GF-35/15-

18.4.15

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ ।


विषय: गोमती नदी में उपजी जल कुम्भी हटाये जाने विषयक :

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि वर्तमान में व्यापक पैमाने पर गोमती नदी की धारा में जल कुम्भी व्याप्त है, जो मुख्यतः कुड़िया घाट के अपस्ट्रीम (निकट शनीदेव मंदिर) क्षेत्र में है । इसके प्रभाव से नदी में घुलित आक्सीजन की मात्रा घटने की पूर्ण सम्भावना है, जो अन्ततः जलीय जन-जीवन को प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित करेगा एवं आकस्मिक मछलियों की मरने की सम्भावना प्रबल हो जायेगी । उक्त स्थिति को नियंत्रित किये जाने में यह आवश्यक है कि जल कुम्भी के इस फैलाव को तत्काल वहाँ से हटा दिया जाये तथा सम्पूर्ण नदी की जल धारा में इस वनस्पति से फनफने न दिया जाये ।


आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय


(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ ।
- 2-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृ0-5) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
- 3-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।


क्षेत्रीय अधिकारी

04

- 70 -

- 92 -

23/1/16

2900/ G.F-50/16

23/01/16

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ

विषय:- गोमती नदी में स्थित जल कुम्भी को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा गोमती नदी का सर्वेक्षण दिनांक 21/01/16 को किया गया। उक्त सर्वेक्षणानुसार गोमती नदी में गरुघाट से कुड़िया घाट के मध्य जल में अत्यधिक जल कुम्भी पायी गयी, जिसके फलस्वरूप गोमती नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव आकलित किया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि गरुघाट से कुड़ियाघाट तक एकत्रित जल कुम्भी को पूर्णतः हटाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।


भवदीय



(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ



क्षेत्रीय अधिकारी

04

3010/G.F.50/16

04/2/16

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ

अनुस्मारक-1

विषय:- गोमती नदी में स्थित जल कुम्भी को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० 2900/जी०एफ०-50/16 दिनांक 23/01/16 का पुनः संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा गोमती नदी का सर्वेक्षण दिनांक 03/02/16 को किया गया। उक्त सर्वेक्षणानुसार गोमती नदी में गरुघाट से कूड़िया घाट के मध्य जल में अत्यधिक जल कुम्भी पायी गयी, जिसके फलस्वरूप गोमती नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव आकलित किया गया।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि गरुघाट से कूड़ियाघाट तक एकत्रित जल कुम्भी को पूर्णतः हटाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।


भवदीय



(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।


1. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ


क्षेत्रीय अधिकारी

g/c
Gandharvi



Removal Of Water Hyacinth From The River Gomati On Dated 30-05-2018 By UPPCB



-74- 65

-96-

Removal Of Water Hyacinth From The River Gomati On Dated 30-05-2018 By UPPCB

909/G.F.50/16

13/5/16

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम
लखनऊ

विषय: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धक एवं हथालन) नियम-2000 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्याल के पत्र संख्या-एफ76594/सी-7/नोडल एम.एसं0डब्लू /196/2016 का पुनः संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा अभी तक कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000, नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिये प्रत्येक नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर पंचायतों पर दिनांक 03/10/2000 से लागू है। इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19/11/2015 के माध्यम से नगर निकाय प्राधिकारी के दायित्वों के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख आपके संज्ञान में लाया जा चुका है।

नगर पालिका प्राधिकारी या संस्था का संचालनक, उक्त नियम की अनुसूची-1 में अभिकथित कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुपालन की दृष्टि से राज्य बोर्ड या समिति से अपशिष्टों के प्रसंस्करण व व्ययन की सुविधा, जिसके अंतर्गत भूमि भरण भी है, की स्थापना के लिये प्राधिकार प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप-1 में आवेदन कराना आवश्यक है तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार संचालन हेतु कृत कार्यवाही का उल्लेख अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष 30 जून तक या इससे पूर्व प्रेषित करने का प्राविधान है, किन्तु आप द्वारा अभी तक उपरोक्त वर्णित नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000, के आज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियम-4 (2) के अंतर्गत राज्य बोर्ड से नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं व्ययन हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित कर राज्य बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु निर्धारित फार्म-I पर आवेदन करना होता है, जिसे संकलित कर सूचना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।

अग्रेतर नगरीय ठोस अपशिष्ट का, नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000 के अंतर्गत निस्तारण न किये जाने की दशा में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986, की धारा-15 के अंतर्गत उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

कृप०उ०/-

108


- 75 -

- 97 -

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000 के आज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन कराते हुये राज्य बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु की गयी व्यवस्था की वार्षिक रिपोर्ट फार्म-II (संलग्न) में सूचना भरकर यथासमय प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,



(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ।
3. मुख्य पर्याप्त अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी वृत्त-7, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय अधिकारी

13.5.16 15/05/16

1697/GF-18/18

19/11/18

सेवा में,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ ।

विषय: लखनऊ शहरी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के दृष्टिगत ठोस अपशिष्ट खुले में जलाए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 17/11/2018 को इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों के निरीक्षण के समय लखनऊ शहर के विभिन्न 09 स्थलों पर कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट खुले में जलाते हुये पाया गया तथा 11 स्थलों पर कूड़ा अध-जला हुआ पाया गया जिसके फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में लिये गये हैं जिनका विवरण क्रमशः निम्नवत है :-

- एस.के.एम. पैराडाइस के सामने निकट कुकरेल पुलिया, कुर्सी रोड, लखनऊ ।
- सिटी क्लब के सामने कुर्सी रोड, लखनऊ ।
- पहाड़पुर चौराहा जानकीपुरम कुर्सी रोड, लखनऊ ।
- इंटीगल विश्वविद्यालय के सामने कुर्सी रोड, लखनऊ ।
- कमता फ़ैजाबाद रोड, निकट चिनहट चौराहा, लखनऊ ।
- 60 फीटा रोड, जानकीपुरम, लखनऊ ।
- छठा मील स्थित वर्मा इंटरप्राइजेज, सीतापुर रोड, लखनऊ कुन्दन हास्पिटल की बीच में ।
- कठवारा ग्राम के पास पेट्रोल पम्प से पहले खाली प्लाट में ।
- मांडी घाट पुल के किनारे सड़क के दोनों ओर ।
- चन्द्रिका देवी के पास बने हनुमान मंदिर के बगल में दायी ओर सड़क के किनारे ।
- टाटा मोटर्स के सामने देवा रोड लखनऊ ।
- इलाहाबाद पब्लिक स्कूल के सामने देवा रोड, लखनऊ ।
- रिद्धीराज नमकीन फैक्ट्री गणेशपुर देवा रोड, लखनऊ ।
- भारत इंजीनियरिंग, गणेशपुर देवा रोड, लखनऊ ।
- मॉ वैष्णो देवी लॉ कॉलेज के सामने फ़ैजाबाद रोड, लखनऊ ।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ ।
- बालागंज चौराहा लखनऊ ।
- हैदर कैनाल कालोनी चारबाग लखनऊ ।
- बालचन्द इन्स्टीट्यूट हरदोई रोड लखनऊ ।
- हरदोई रोड दुवग्गा लखनऊ ।
- प्रियम प्लाजा रजनी खण्ड शारदा नगर लखनऊ ।

जैसा कि आप अवगत है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 की सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत उक्त स्थलों पर ठोस अपशिष्टों को खुले स्थल पर जलाना किसी भी दशा में अनुमत्त नहीं है, माननीय हरित अधिकरण द्वारा

- 77 - - 99 -

पारित आदेशों का उल्लंघन हैं। शीतकालीन ऋतु के चलते वर्तमान समय में लखनऊ शहर का एयर क्वालिटी इन्डेक्स मानकों से अधिक दर्शित हो रहा है, जो की इस बात का द्योतक है कि लखनऊ शहर की वायु प्रदूषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में खुले में कूड़ा न जलाये जाने के संबंध में संबंधित को कड़े निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि लखनऊ शहरी क्षेत्र की वायु गुणता में सुधार सम्भव हो सके तथा कृत कार्यवाही की आख्या 15 दिन में प्रेषित कराने का कष्ट करे।

भवदीय

(डा० राम करन)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी, यू०-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

०१

1772/G.F-161/18

07/12/18

सेवा में,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ ।

विषय: आकांक्षा श्रीवास्तव द्वारा वेस्ट, मानीटरिंग सिस्टम के माध्यम से आनलाइन प्राप्त, इन्दिरा नगर सेक्टर-9, मुंशीपुलिया पानीगांव पैलेस के बगल में सालिड वेस्ट डाले जाने संबंधी शिकायत के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों से दिनांक 07/12/18 को कराया गया। निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित स्थल सेक्टर 9 मोड़, श्री ए0डी0 मिश्र के मकान नं0 9/1, सेक्टर-9 इन्दिरा नगर के सामने स्थित है। उक्त स्थल पर लगभग 1 कुंतल नगरीय ठोस अपशिष्ट (कूड़े का ढेर) पाया गया तथा बगल में दो कूड़ा उठाने वाली हाथ-ट्राली रखी पायी गयी। इसके अतिरिक्त स्थल पर गायें कुत्ते आदि जानवर भी पाये गये तथा स्थल पर नगर निगम का कूड़ा दान नहीं पाया गया। स्थानीय नागरिकों को द्वारा यह अवगत कराया गया कि स्थानीय नागरिक एवं नगर निगम के लोग कूड़ा इकठ्ठा कर यहां पर डाल देते हैं जो कि नगर निगम द्वारा गाड़ी से प्रतिदिन आवश्यकतानुसार उठान कर लिया जाता है। उक्त स्थल पर कूड़ा एकत्र होने से जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल उक्त स्थल पर भण्डारित कूड़े को हटाने एवं स्थल पर कूड़ा न डालने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा उक्त के भण्डारण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर कार्यवाही करें, जिससे शिकायती प्रकरण का निस्तारण हो सके।

भवदीय

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ ।
- 2- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृ0-5, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 79 -

- 101 -

1779/G.F-161/18

07/12/18

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 में निहित प्राविधानों के विरुद्ध जनपद-लखनऊ के शहरी क्षेत्र में अनियन्त्रित एवं अवैधानिक ढंग से एकत्रित कूड़े से जनित दुर्गन्ध की समस्या एवं निस्तारण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ शहर में नगरीय ठोस अपशिष्ट के समस्या के दृष्टिगत इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा गोमती नगर विस्तार क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 4/12/18 को किया गया, निरीक्षण के समय फ्लाई ओवर ग्वारी चौराहा गोमती नगर, लखनऊ के किनारे अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट बिखरा हुआ पाया गया। फैले हुये कूड़ा स्थल के आस-पास 10-12 गये कूड़ा खाती पाई गयी स्थानीय नागरिकों द्वारा अवगत कराया गया कि आस-पास के घरों द्वारा कचरा फेका जाता है। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $26^{\circ}50'33''N$ एवं $80^{\circ}59'55''E$ नोट किया गया। मकान संख्या-5/1147, विराम खण्ड-5, गोमती-नगर, लखनऊ के सामने पार्क में अल्प मात्रा में सूखी घास जलती हुयी पायी। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $26^{\circ}50'35.718''N$, एवं $80^{\circ}59'59.106''E$ नोट किया गया। ग्वारी रेलवे क्रासिंग एवं फ्लाई ओवर के बीच गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में कबाडी मोहल्ला स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट कबाड़ियों द्वारा कुछ स्थानीय रेस्टोरेंट व होटलों तथा घरों से लाकर पृथकीकरण कर प्लास्टिक बोतल, कैन, शीशा बोतल, कागज, पॉलीथीन बैग्स इत्यादि को अलग कर दयाल पैराडाइज चौराहा के निकट स्थित कूड़ा एकत्रण घर एवं आस-पास डाला जाता है। निरीक्षण के समय अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट भण्डारित पाया गया। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $26^{\circ}50'30.804''N$ एवं $80^{\circ}59'59.616''E$ नोट किया गया। जेनेश्वर मिश्र पार्क, अपोजिट गेट न0-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के पास अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित एवं बिखरा हुआ पाया गया। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $26^{\circ}50'8.184''N$ एवं $81^{\circ}00'5.88''E$ नोट किया गया। सिटी माण्टेसरी स्कूल, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के मेन गेट के किनारे बायीं तरफ अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट रोड के किनारे एकत्रित एवं बिखरा हुआ पाया गया। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $26^{\circ}50'28.5''N$ एवं $81^{\circ}0'34.092''E$ नोट किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में खुले में कूड़ा न जलाये जाने तथा उक्त स्थलों पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० सी.म.करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिनिधि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 80-57

-102-

1710/G.F-161/18

22/11/18

D. 2

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विशय: लखनऊ क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के दृष्टिगत रखते हुये संचालित कूड़ा घरों एवं कूड़े को जलाये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ शहर में बढ़ते प्रदूषण के दृष्टिगत कूड़ा घरों तथा अस्थायी कूड़ा भण्डारण स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 21-11-2018 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के कार्यालय की बाउन्ड्री के किनारे अत्यधिक मात्रा में कूड़ा एकत्रित पाया गया। सड़क के किनारे दूसरी तरफ विद्यालय स्थापित है। कूड़ा स्थल पर 3-4 गाये कूड़े को खाती पायी गयी, जिससे ऐसा लग रहा था कि कूड़ा कई दिनों से उठाया नहीं गया है जिससे आस-पास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय काफी मात्रा में एकत्रित ठोस अपशिष्ट के सड़ने के कारण बदबू की समस्या पायी गयी। निरीक्षण के समय काफी मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया। दिनांक 21/11/2018 को माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0पी0 सिंह, अध्यक्ष, पूर्वी उ0प्र0 नदी एवं जलाशय अनुश्रवण कमेटी एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा भी उक्त स्थल पर कूड़ा डम्पिंग किये जाने पर रोश व्यक्त करते हुये तत्काल कूड़ा हटवाने के मौखिक निर्देश दिये गये। उक्त के अनुपालन में मौके पर उपस्थित पर्यावरण अभियन्ता श्री पंकज भूषण जो को बताया गया था तथा उनसे अपेक्षा की गयी थी कि कूड़े को तत्काल हटा दिया जाये, जिसका संज्ञान लेते हुये कूड़े को हटा दिया गया था परन्तु सायंकाल भाम 6 बजे क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर पुनः कूड़े की डम्पिंग कर दी गयी है। तत्पश्चात् आज दिनांक 22/11/18 पुनः प्रातः 10.15 बजे उक्त स्थल का सर्वेक्षण/निरीक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि अत्यधिक मात्रा में कूड़े की डम्पिंग कर दी गयी है, मौके पर सफाई कर्मी द्वारा कूड़े को टेले द्वारा डालते हुये पाया गया, जोकि एक अत्यन्त खेद का विशय है। निरीक्षण के समय फोटोग्राफ भी लिये गये हैं, जोकि संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पर्यावरण निदेशालय विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के कार्यालय की बाउन्ड्री वाल के आस-पास कूड़ा डम्पिंग को रोके जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें तथा किसी भी दशा में उक्त स्थल पर कूड़े की डम्पिंग न होने पाये। कृत कार्यवाही की आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित कराना चाहें, अन्यथा की स्थिति में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के आज्ञापक प्राविधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही सम्पादित करने हेतु बाध्य होना पड़ सकता है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व नगर निगम, लखनऊ के स्वयं का होगा।

भवदीय

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।
2. जोनल अधिकारी, जोन-4, नगर निगम, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृ0-4, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 81 - 35

103-

1789/Gf-161/10

10.12.2018

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 में निहित प्राविधानों के विरुद्ध जनपद-लखनऊ के शहरी क्षेत्र में अनियन्त्रित एवं अवैधानिक ढंग से एकत्रित कूड़े से जनित दुर्गन्ध की समस्या एवं निस्तारण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नदी एवं जलाशय अनुश्रवण समिति एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सालिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉनीटरिंग समिति के आदेशानुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थलों तथा घैला घाट गोमती नदी तटबन्ध के किनारे एकत्रित कूड़ा डम्पिंग साइट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समिति के साथ दिनांक- 08/12/2018 को किया गया। सर्वप्रथम प्रियदर्शिनी कालोनी सेक्टर-डी सीतापुर रोड के सन्निकट स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार शहरी क्षेत्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्टों का संग्रहण कर नगर निगम के कवर्ड छोटे एवं बड़े वाहनों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित किया जाता पाया गया। इकाई में वर्तमान में लगभग 250 टन प्रतिदिन नगरीय ठोस स्थल पर एकत्रित कर नगर निगम के वाहनों (डम्पर) के द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट शिवरी में भेजा जाता है। इकाई में कूड़े के प्रबन्धन हेतु 06 लोडर, 01 डम्पर तथा 01 मोबाइल कम्पैक्टर कार्यरत पाया गया। एकत्रण स्थल को कवर्ड नहीं किया गया है तथा ज्यादा मात्रा में कूड़ा एवं लीचेट एकत्रण स्थल से सटे हुए नवीन गल्ला भण्डी के प्लाट में बिखरा पाया गया। एकत्रण स्थल में लीचेट शोधन की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं पाई गयी, बिना कम्पैक्शन के कूड़े को डम्पर में भरा जाता पाया गया। निरीक्षण के समय घैला घाट स्थित डम्पिंग ग्राउन्ड में पूर्ववत् कि तरह अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट बड़े क्षेत्रफल में भंडारित है। राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों एवं प्रदूषण के दृष्टिगत नगर निगम लखनऊ द्वारा वर्तमान में उक्त डम्पिंग ग्राउन्ड का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, परन्तु निरीक्षण के समय नगर निगम का एक डम्पर उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट गिराता हुआ पाया गया तत्पश्चात् खसरा सं०-457, ग्राम-मल्लपुर, दुबग्गा के निकट स्थित ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्थल का निरीक्षण किया गया। इकाई प्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा यह अवगत कराया गया कि माननीय न्यायालय के निर्देशों एवं राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में वर्तमान में उक्त स्थल पर कूड़ा नहीं लाया जा रहा है। निरीक्षण आख्यानानुसार बाउन्ड्री के किनारे एवं मुख्य गेट के आस-पास नगरीय ठोस अपशिष्ट वर्तमान समय में भी एकत्र है जिसका निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपितु उक्त स्थल से भारी मात्रा में भंडारित कूड़ा हटा लिया गया है, आस-पास के जनमानस के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये उक्त स्थल से बचा हुआ कूड़ा शीघ्र हटवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

विकास खण्ड-5, गोमती नगर, दयाल पैराडाइज चौराहा के निकट स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्थल पर वहाँ पर बचे हुए कूड़े को लोडर के माध्यम से शिवरी भेजा जाता पाया गया, इकाई को राज्य बोर्ड से बन्दी आदेश जारी है परन्तु निरीक्षण के समय अल्प मात्रा में ताजा कूड़ा भंडारित दृष्टिगत हुआ जो कि बन्दी आदेश का उल्लंघन दर्शाता है। निकट ग्वारी रेलवे क्रॉसिंग गोमती नगर विस्तार स्थल पर अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित एवं बिखरा हुआ पाया गया। कूड़े से जनित दुर्गन्ध व संक्रमण से जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ग्वारी रेलवे क्रॉसिंग एवं पलाई ओवर के बीच गोमती नगर विस्तार के पास अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित एवं बिखरा हुआ पाया गया। स्थल के निकट नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र करने वाले कबाड़ियों द्वारा कुछ स्थानीय रेस्टोरेंट व होटलों तथा घरों से कूड़ा ला कर कूड़े का पृथक्कीकरण कर प्लास्टिक बाटल, कैन, शीशा बाटल, कागज, पॉलीथीन बैग्स इत्यादि अलग कर दयाल पैराडाइज चौराहा के निकट स्थित कूड़ा एकत्रण स्थल पर एवं आस-पास डाला जाना सूचित किया गया। अपोजिट गेट नं०-7, जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती नगर विस्तार के पास अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित एवं बिखरा हुआ पाया गया। कूड़े से जनित दुर्गन्ध व संक्रमण से जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त वर्णित स्थलों पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे। मल्लपुर कूड़ा ट्रान्सफर स्थल तथा विकास खण्ड-5, गोमती नगर, दयाल पैराडाइज कूड़ा ट्रान्सफर स्थल पर स्थित बचा हुआ कूड़ा तत्काल हटवाया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में कूड़े की डम्पिंग उक्त दोनों स्थलों पर कदापि न होने पाये, निकट प्रियदर्शिनी कालोनी, सेक्टर-डी, सीतापुर रोड, लखनऊ के निकट पुरनिया कूड़ा ट्रान्सफर स्थल पर भी स्थायी रूप से कूड़ा भण्डारण रोकें जाने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें। कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम चौरन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 82 -

- 104 -

1790/ef-161/18

11/12/18

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय: आकांक्षा श्रीवास्तव द्वारा वेस्ट मानीटरिंग सिस्टम के माध्यम से पर्यावरण निदेशालय विनीत खण्ड-01, गोमती नगर, लखनऊ के बगल में सॉलिड वेस्ट पाये जाने की आनलाइन शिकायत की आख्या के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 11/12/18 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित स्थल पर्यावरण निदेशालय विनीत खण्ड-01, गोमती नगर, लखनऊ के दाहिने बगल वाले रोड पर स्थित है। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $26^{\circ}51'12.018''N$ एवं $81^{\circ}00'44.706''E$ नोट किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर लगभग एक ट्रक नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र एवं बिखरा पड़ा पाया गया। इसके अतिरिक्त स्थल पर कुछ गायें एवं कुत्ते आदि जानवर पाये गये। स्थल पर इकोग्रीन संस्था की गाड़ी खड़ी थी। स्थानीय नागरिकों द्वारा यह बताया गया कि नगर निगम की गाड़ियों द्वारा उक्त कूड़ा को आवश्यकतानुसार उठान कर लिया जाता है। उक्त स्थल पर कूड़ा एकत्र होने से जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल उक्त स्थल पर भंडारित कूड़े को हटाने एवं स्थल पर कूड़ा न डालने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा उक्त कूड़ा भंडारण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर कार्यवाही करना चाहे जिससे शिकायती प्रकरण का निस्तारण हो सके।

भवदीय


(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृ०-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

o r r
A k a y

- 83 -

- 105 -

1814/GF-161/2018

दि 14.12.2018

सेवा में,

जोनल अधिकारी,
जोन-6,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र हिन्दूस्तान दिनांक 13/12/18 में प्रकाशित समाचार पत्र में शीर्षक "एच0 आई0 वी0 और हेपेटाइटिस संक्रमण बांट रहा कचरा" के माध्यम से नगरय ठोस अपशिष्ट के साथ अस्पताल का कचरा बिखरे होने के संबंध में निरीक्षण आख्या :-

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। संदर्भित शिकायती स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 13/12/18 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित स्थल कंचन मार्केट के सामने के0जी0एम0यू0 के पीछे चौक, लखनऊ में स्थित है। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) पड़ा पाया गया, जिससे आस-पास के जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट (कूड़े) का उचित रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित करें जिससे आस-पास जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

भवदीय,

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

84

106

1869/CF-161/19

02/01/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: जनपद लखनऊ क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, परिवहन, निस्तारण के सम्बन्ध में
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-108/सी-2/कैम्प/354/18 दिनांक 24.12.18 के अनुपालन में नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण परिवहन एवं निस्तारण की मानिट्रिंग के सम्बन्ध में जनपद लखनऊ के शहरी क्षेत्र का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक- 01/01/2018 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार लखनऊ पब्लिक स्कूल एवं किंग्स कोर्ट के मध्य विनम्र खण्ड, गोमती नगर में निरीक्षण के समय लखनऊ पब्लिक स्कूल एवं किंग्स कोर्ट के मध्य विनम्र खण्ड, गोमती नगर में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया, स्थल के पास कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $26^{\circ}51'35.55''N$ एवं $81^{\circ}1'48.216''E$ नोट किया गया। मकान सं०- 2/130, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के सामने खाली प्लाट में निरीक्षण के समय मकान सं०- 2/130, विशेष खण्ड, गोमती नगर के सामने खाली प्लाट में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक एकत्रित एवं बिखरा हुआ पाया गया। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $26^{\circ}52'0.456''N$ एवं $81^{\circ}0'52.608''E$ नोट किया गया। माँ भगवती साइकिल स्टोर के सामने मेट्रो के नीचे इन्दिरा नगर, में निरीक्षण के समय माँ भगवती साइकिल स्टोर के सामने मेट्रो के नीचे इन्दिरा नगर के पास अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया, स्थल के पास कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। स्थल के निकट नगर निगम का कूड़ादान रखा पाया गया। कैलाश कुंज के सामने रोड के किनारे फ़ैजाबाद रोड, पर निरीक्षण के समय अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया। स्थल के पास नगर निगम की गाड़ी (टाटा एस) द्वारा कूड़ा गिराया जाता पाया गया। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $26^{\circ}52'19.074''N$ एवं $80^{\circ}58'46.392''E$ नोट किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में खुले में कूड़ा न जलाये जाने तथा उक्त स्थलों पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 85 -

- 107 -

1870/AR-161/19

02/01/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: जनपद लखनऊ क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, परिवहन, निस्तारण के सम्बन्ध में महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-108/सी-2/कैम्प/354/18 दिनांक 24.12.18 के अनुपालन में नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण परिवहन एवं निस्तारण की मानिट्रिंग के सम्बन्ध में जनपद लखनऊ के शहरी क्षेत्र का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक- 02/01/2018 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार मकान सं०- 1/346 वास्तु खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बगल में खाली प्लाट में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं अत्यधिक मात्रा में पॉलीथीन एकत्रित एवं बिखरा हुआ पाया गया। मकान सं०- 2/21-ए०, विजयन्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के अपोजिट रोड पर निरीक्षण के समय नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं अल्प मात्रा में प्लास्टिक एकत्रित एवं बिखरा हुआ पाया गया। गाँधी आश्रम के अपोजिट सीतापुर रोड अहिलारनपुर, लखनऊ में अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित एवं बिखरा पाया गया, स्थल के पास कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। निराला नगर (ओवर ब्रिज चढ़ने से पहले), लखनऊ में सड़क के किनारे नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल से नगर निगम की गाड़ियों द्वारा कूड़ा उठाया जा रहा था। आनन्द मोटर ट्रेनिंग स्कूल के पास (पार्क के किनारे) निराला नगर, में निरीक्षण के समय सड़क के किनारे नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया, स्थल के पास कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। डॉ० कालोनी निराला नगर, में निरीक्षण के समय सड़क के किनारे नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया, स्थल के पास कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में खुले में कूड़ा न जलाये जाने तथा उक्त स्थलों पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 85 -

- 108 -

1871/G.F-161/18

03/11/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 में निहित प्राविधानों के विरुद्ध जनपद-लखनऊ के शहरी क्षेत्र में अनियंत्रित एवं अवैधानिक ढंग से एकत्रित कूड़े से जनित दुर्गन्ध की समस्या एवं निस्तारण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मॉनिटरिंग कमेटी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 31/12/2018 के माध्यम से सूचित किया गया है कि पर्यावरण निदेशालय, विपिन खण्ड गोमती नगर, सेण्ट जोसेफ हॉस्पिटल गोमती नगर, संस्कृत संस्थान गोमती नगर के पास बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट से आस-पास लोगों को दुर्गन्ध की समस्या व्याप्त है जिसके परिप्रेक्ष्य में स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 03/01/19 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न। निरीक्षण आख्यानुसार संस्कृत संस्थान गोमती नगर के बाहर स्थल पर अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक एवं पैकिंग मटेरियल बिखरा हुआ पाया गया तथा स्थल के आस-पास कलर कोडेड सॉलिड वेस्ट कनटेनर स्थित नहीं पाये गये, स्थल के पास कुछ जानवर कुड़ा खाते पाये गये। सेण्ट जोसेफ हॉस्पिटल विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ के बाहर हॉस्पिटल के बाहर बहुत अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट भण्डारित पाया गया तथा स्थल के आस-पास कलर कोडेड सॉलिड वेस्ट कनटेनर स्थित नहीं पाये गये। पर्यावरण निदेशालय विनीत खण्ड गोमती नगर लखनऊ के बाहर स्थल पर बहुत अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट बिखरा हुआ पाया गया। स्थल के पास कलर कोडेड सॉलिड वेस्ट कनटेनर स्थित नहीं पाये गये। आस पास दुर्गन्ध की समस्या व्याप्त पायी गयी, जोकि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थलों पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने तथा कलर कोडेड सॉलिड वेस्ट कनटेनर स्थापित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे एवं कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को भी अवगत कराना चाहें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सचिव, उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मॉनिटरिंग कमेटी लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 87 -

- 109 -

1913/AF-161/19

14/01/19

सेवा में,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय:- जनपद लखनऊ क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट के अनियंत्रित एवं अवैज्ञानिक ढंग से एकत्रण से
जनित दुर्गन्ध की समस्या के दृष्टिगत निरीक्षण आख्या

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संदर्भ में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा गोमती नगर क्षेत्र में निरीक्षण दिनांक 14/01/19 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार खाली प्लाट में उदय टावर के बगल में कठौता चौराहा, विजयन्त खण्ड, गोमती नगर में अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल खुले में बिखरा हुआ पाया गया तथा खाली प्लाट में राज्य उपरोक्ता आयोग के पीछे विक्रांत खण्ड, गोमती नगर में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक खुले में बिखरा हुआ पाया गया। इसके अतिरिक्त स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। उक्त स्थल पर कूड़ा एकत्र होने से जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।


अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल उक्त स्थल पर भंडारित कूड़े को हटाने एवं स्थल पर कूड़ा न डालने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा उक्त कूड़ा भंडारण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर कार्यवाही करना चाहे जिससे शिकायती प्रकरण का निस्तारण हो सके।

भवदीय


(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृ०-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

o/c


- 88 -

-110-

1922/G.F-161/19

15-1-19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 13/01/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थलों पर नगरीय टोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत करना है कि गोमती नगर विस्तार लखनऊ में नगरीय टोस अपशिष्ट स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14/01/2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उ०प्र० राज्य सहकारी संघ के बगल में खाली प्लाट, गोमती नगर, विस्तार लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन व नगरीय टोस अपशिष्ट अल्प मात्रा में जला हुआ भी पाया गया। ग्रीन बुड अपार्टमेन्ट के सामने सड़क के पार (सतलज अपार्टमेन्ट के बगल में खाली प्लाट) गोमती नगर, लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन टोस अपशिष्ट भण्डारित पाया गया। कावैरी अपार्टमेन्ट के पास निरीक्षण के समय पन्नी अपशिष्ट एवं कुछ जलता हुआ भी पाया गया। ग्रीन बुड अपार्टमेन्ट के गेट के पास खाली प्लाट गोमती नगर लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन नगरीय टोस अपशिष्ट बिखरा हुआ पाया गया। सब्जी मण्डी बैंक आफ इण्डिया के सामने खाली प्लाट गोमती नगर, लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन टोस अपशिष्ट निर्माण सामग्री अत्यधिक मात्रा में बिखरा पाया गया। जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं०-7 के पास गोमती नगर, लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन टोस अपशिष्ट बिखरा हुआ पाया गया। अलकनन्दा अपार्टमेन्ट के सामने सड़क के पार गोमती नगर लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन व टोस अपशिष्ट अधिक मात्रा में पड़ा पाया गया। रोहणी अपार्टमेन्ट के पास खाली प्लाट गोमती नगर, लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन एवं नगरीय टोस अपशिष्ट अल्प मात्रा में बिखरा पाया गया। सरस्वती अपार्टमेन्ट के पास सड़क के किनारे गोमती नगर लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन टोस अपशिष्ट निर्माण सामग्री अत्यधिक मात्रा में बिखरा पाया गया। शारदा अपार्टमेन्ट के पास प्लाट गोमती नगर, लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन एवं नगरीय टोस अपशिष्ट अल्प मात्रा में बिखरा पाया गया। सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास गोमती नगर, लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन एवं नगरीय टोस अपशिष्ट अल्प मात्रा में बिखरा पाया गया। कल्पतरु अपार्टमेन्ट के पास प्लाट गोमती नगर, लखनऊ पर निरीक्षण के समय पालीथीन व नगरीय टोस अपशिष्ट अल्प मात्रा में जला हुआ भी पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में खुले में कूड़ा न जलाये जाने तथा उक्त स्थलों पर एकत्रित नगरीय टोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

भारतीय
(डा० राम/करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 09 -

- 111 -

1918/2F-101/19

15/01/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 31/12/2018 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि चन्द्रलोक टावर अलीगंज लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 11/01/2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल के समीप में स्थित गली में अत्यधिक मात्रा में कूड़ा-कचरा एकत्रित पाया गया एवं कुछ मात्रा में कूड़ा जला एवं कीचड़ की तरह दर्शित हुआ। कूड़ा एकत्रित होने से दुर्गन्ध की समस्या पायी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में खुले में कूड़ा न जलाये जाने तथा उक्त स्थलों पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 90 -

-112-

1926 / GF-161

16-1-19

सेवा में,

मुख्य अधिशाषी अधिकारी,
कैन्टोमेण्ट बोर्ड, (छावनी),
लखनऊ

विषय:— मैसर्स कैन्टोमेण्ट बोर्ड (छावनी) लखनऊ की नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कैन्टोमेण्ट बोर्ड (छावनी) लखनऊ का निरीक्षण दिनांक 10/01/19 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार छावनी में लगभग 63 हजार लोग निवास कर रहे हैं जिसमें 53 हजार सामान्य व्यक्ति एवं 10 हजार आर्मी व्यक्ति निवास करते हैं। छावनी में 08 वार्ड हैं जिनसे नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रण मै0 अग्रवाल एजेन्सी द्वारा एकत्रित किया जाता है। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि छावनी परिषद से लगभग 40टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट जनित होता है। परिषद से लगभग 60 प्रतिशत हार्टिकलचर अपशिष्ट जनित होता है। छावनी परिषद का ठोस अपशिष्ट सुल्तानपुर रोड स्थित छावनी परिसर में सड़क के किनारे डम्पिंग साइट पर किया जाता है। स्थल पर ठोस अपशिष्ट खुले में अत्यधिक मात्रा में भण्डारित पाया गया। स्थल पर एक शेड के निर्माण हेतु पिलर बनाये जाने का कार्य किया जा रहा था। डम्पिंग साइट पर एकत्र कूड़े के फोटो ग्राफ्स निरीक्षण के समय लिये गये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम-2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किया जना सुनिश्चित करे तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को 15 दिन के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

-91-5-

277

-113-

1988/G.F-161/19

25/1/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: सपना जयसवाल द्वारा ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट
मानिट्रिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08/01/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थल पर
नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आदिल लॉन के समाने आदिल नगर, टेढ़ी पुलियां, कुर्सी रोड, लखनऊ के पास बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 22/01/2019 को किया गया। उक्त स्थल पर निरीक्षण के समय (11:40 AM) नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बिखरा हुआ पाया गया एवं स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये, स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $N 26^{\circ} 54' 38.52''$ एवं $E 80^{\circ} 57' 34.8''$ नोट किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मानिट्रिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

-92-

o/c
Jury
-114-

1989/GF-16/19

25/1/19

सेवा में,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: श्री मनोज कुमार द्वारा ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट
मानिट्रिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08/01/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थल पर
नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ पब्लिक स्कूल के बगल में रोड के किनारे विनम्र खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पास बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 22/01/2019 को किया गया। उक्त स्थल पर निरीक्षण के समय (10:25 AM) नगरीय ठोस अपशिष्ट रोड के किनारे एकत्रित पाया गया। स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये तथा कूड़े के एकत्रण से बदबू की समस्या महसूस की गई। स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $N 26^{\circ} 51' 35.02''$ एवं $E 81^{\circ} 1' 48.33''$ नोट किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मानिट्रिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत
खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी

OIC


-93-

-115-

1990/G.F-16/19

25/1/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: श्री केशव द्वारा ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानिट्रिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08/01/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अपोजिट एच०ए०एल० इन्दिरा नगर, फ़ैजाबाद रोड, लखनऊ के पास बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 22/01/2019 को किया गया। उक्त स्थल पर निरीक्षण के समय (10:00 AM) नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया, स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर $N 26^{\circ} 52' 21.804''$ एवं $E 80^{\circ} 59' 21.15''$ नोट किया गया। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर नगर निगम की गाड़ियों से कूड़ा उठाया जा रहा था।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय


(डा० राम चरण)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानिट्रिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी

- 94 -

of c
KMA
- 116 -

2256/G.F-161/19

01/3/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ.

विषय: ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20/02/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है लखनऊ शहर में स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 27/02/19 एवं 28/02/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय के०के० सिंह एवं श्री ऋषी भार्गव द्वारा प्रेषित शिकायत का निरीक्षण पूर्व में किया गया था स्थिति यथावत है। श्री वरुण चौरसिया द्वारा प्रेषित शिकायत का निरीक्षण किया गया। श्री संदीप सिंह द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण के समय नाली जाम होने के कारण नाली का पानी रोड पर भरा हुआ पाया गया जिससे वहाँ के निवासियों को आने-जाने में एवं दुर्गन्ध की समस्या पायी गयी। श्रीमती मृदु मेहरा द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण के समय अत्यधिक मात्रा में कूड़ा आस-पास पाया गया। उक्त स्थल पर सप्ताह में दो बार सड़की मार्केट लगती है जिससे अत्यधिक मात्रा में गन्दगी होती है। श्री शिवांशु विक्रम सिंह द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में बाउण्ड्री के अन्दर घरेलू अपशिष्ट पड़ा हुआ पाया गया। श्री सुनील कुमार द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण के समय अत्यधिक मात्रा में घरेलू अपशिष्ट तथा पत्तियों पड़ी हुयी पायी गयी। (फोटोग्राफ एवं शिकायत संलग्न है)।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय


(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी

-117-
-195-


A.S.K.

2256/G.F-161/19

01/3/19

सेवा में,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मानिट्रिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20/02/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है लखनऊ शहर में स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 27/02/19 एवं 28/02/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय के०के० सिंह एवं श्री ऋषी भार्गव द्वारा प्रेषित शिकायत का निरीक्षण पूर्व में किया गया था स्थिति यथावत है। श्री वरूण चौरसिया द्वारा प्रेषित शिकायत का निरीक्षण किया गया। श्री संदीप सिंह द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण के समय नाली जाम होने के कारण नाली का पानी रोड पर भरा हुआ पाया गया जिससे वहाँ के निवासियों को आने-जाने में एवं दुर्गन्ध की समस्या पायी गयी। श्रीमती मृदु मेहरा द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण के समय अत्यधिक मात्रा में कूड़ा आस-पास पाया गया। उक्त स्थल पर सप्ताह में दो बार सब्जी मार्केट लगती है जिससे अत्यधिक मात्रा में गन्दगी होती है। श्री शिवांशु विक्रम सिंह द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में बाउण्ड्री के अन्दर घरेलू अपशिष्ट पड़ा हुआ पाया गया। श्री सुनील कुमार द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण के समय अत्यधिक मात्रा में घरेलू अपशिष्ट तथा पन्नियों पड़ी हुयी पायी गयी। (फोटोग्राफ एवं शिकायत संलग्न है)।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मानिट्रिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

-118-

- 96 -

of

11/3/19

1.9.19



सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र 20/02/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संघ में अवगत कराना है लखनऊ शहर में नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 01/03/19 को किया गया। श्री उम दुबे सचिव गोमती नगर विस्तार महासमिति द्वारा प्रेषित शिकायत का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर अत्यधिक नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग, मेटेरियल बिखरा पाया गया। स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। श्री मनोज मिश्रा द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 22/01/2019 को किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या 25/01/2019 को प्रेषित की जा चुकी है। श्री कुमार जयकृत द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल के निरीक्षण के समय स्थल पर अल्प न कूड़ा एकत्रित पाया गया। स्थल के आस-पास कुछ रिकशा, ट्रेक्टर दाली खड़ा पाया गया। श्री सूरज अग्रवाल द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल के निरीक्षण के समय स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक, पैकेजिंग मेटेरियल एकत्रित पाया गया। स्थल पर कुछ न कूड़ा खाते पाये गये। अवरुधी ट्रेवल्स द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल के निरीक्षण के समय स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग मेटेरियल एकत्रित पाया गया। स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये तथा गूड़े से बदबू की समस्या महसूस की। श्री केशव बजाज द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 22/01/2019 को किया गया। जिसकी निरीक्षण दिनांक 25/01/2019 को प्रेषित की जा चुकी है। श्री प्रशांत मिश्रा द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल के निरीक्षण के समय उक्त प्लाट एवं उसके आस-पास नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक पड़ा पाया गया। श्री अमृतांशु सिंह द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल के निरीक्षण के समय स्थल पर कूड़ा एकत्रित पाया गया। सपना जायसवाल द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल के निरीक्षण के समय स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक बिखरा पाया गया। स्थल के पास कुछ जानवर खड़े पाये गये। श्री केशव द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 22/01/2019 को किया गया। जिसकी निरीक्षण आख्या 25/01/2019 को प्रेषित की जा चुकी है। श्री वीर प्रताप सिंह द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल के निरीक्षण के समय स्थल पर ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। नालियाँ टूटी पायी गयीं। श्री कृष्ण शुक्ला द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल के निरीक्षण के समय स्थल पर अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। स्थल के पास स्थल सीवेज नाली र जिसमें सीवेज बहता पाया गया, जिसके कारण दूग्ध की समस्या महसूस की गयी (फोटोग्राफ एवं शिकायत संलग्न है)।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: 5/थोपरि।

भवदीय,

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव, उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

91-119-1000

388/G.F-161/19

27/4/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

**विषय: ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत जो श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट
मानिट्रिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26/03/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थल पर
नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है लखनऊ शहर के स्थल पर बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 04/04/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय अपोजिट देविकी नर्सिंग होम, निकट शुल्म शौचालय, सीतापुर रोड, लखनऊ उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया तथा स्थल के निकट स्थित शुल्म शौचालय की दीवार के पास सीवेज का पानी बहता हुआ पाया गया। अपोजिट नवीन गल्ला मंडी (तरुण धर्मकांटा) सीतापुर रोड लखनऊ, निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक एवं पैकेजिंग मेटेरियल सड़क के किनारे बिखरा पाया गया। (फोटोग्राफ एवं शिकायत संलग्न है)।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानिट्रिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० पदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c
AKK

- 98 - -120 - -

389/G.F-161/19

27/4/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय: सपना जयसवाल द्वारा ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानिट्रिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22/04/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है लखनऊ शहर के स्थल पर बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 24/04/2019 को किया गया। आदिल लान के सामने, आदिल नगर, टेढ़ी पुलिया, कुर्सी रोड, लखनऊ निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट, पॉलिथीन एवं पैकेजिंग मटेरियल बिखरा पाया गया। (फोटोग्राफ एवं शिफ्टावत संलग्न हैं)।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानिट्रिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ०प्र० पदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी

DIC
Okay 

455/G.F-16/19

01/5/19

सेवा में,

जोनल अधिकारी (जोन-4),
नगर निगम,
निकट-हुसड़िया चौराहा, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय: ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत जो श्री राजेन्द्र सिंह सचिव, उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट
मानिट्रिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15/04/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थल
पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में शिकायती स्थल गोमती नगर लखनऊ में स्थित अम्बेडकर पार्क के सामने का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23/04/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय यद्यपि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का नगरीय ठोस अपशिष्ट बिखरा हुआ नहीं पाया गया, परन्तु उक्त स्थल के आस-पास उपस्थित दुकानदारों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर भण्डारा किया गया था, जिसमें उपयोग किये गये, खाने-पीने की वस्तुएँ एवं पत्तल, दोना, ग्लास इत्यादि सड़क पर बिखरे पड़े थे।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के आयोजन होने से पूर्व ही आयोजनकर्ता को निर्देशित करने का कष्ट करें कि खाने-पीने की वस्तुएँ एवं पत्तल, दोना, ग्लास इत्यादि को सड़क पर न फेंके।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव, उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मानिट्रिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15/04/2019 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

OIC
11/5/19

122

100

706/G.F-16/19

23/5/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय:- दिनांक 10/05/2019 को अध्यक्ष उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मॉनीटरिंग कमेटी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्री उमाशंकर दूबे एवं श्री इन्द्र शेखर की शिकायत पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के मध्य स्थित रेलवे लाइन के दोनों किनारे नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थलों की निरीक्षण आख्या के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के मध्य स्थित रेलवे लाइन के दोनो किनारे बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थलों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22/05/2019 को किया गया। रेलवे लाइन के किनारे निकट ओवरब्रिज, गोमती नगर, निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर गारवेज, प्लास्टिक एवं मकान के तोड़-फोड़ से जनित मलवा एकत्रित पाया गया। रेलवे लाइन के किनारे निकट ग्वारी चौराहा (ओवरब्रिज के पास), गोमती नगर निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर प्लास्टिक बिखरा पाया गया एवं मकान के तोड़-फोड़ से जनित मलवा को रोड के किनारे स्थित गहरे भूमि में डाला हुआ पाया गया। निकट ग्वारी रेलवे क्रॉसिंग, गोमती नगर, लखनऊ निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में गारवेज, प्लास्टिक, थर्माकोल, पैकेजिंग मेटेरियल आदि बिखरा पाया गया। (उपर्युक्त सभी स्थलों के फोटोग्राफ निरीक्षण के समय लिये गये हैं जो कि संलग्न हैं)

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थलों पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट के अविलम्ब निराकरण हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें, तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव, उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मॉनीटरिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृ०-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

-101-

-123-

2272/ GF-161/2019

दि 02/3/19

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ

विषय: ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत करना है लखनऊ शहर के विभिन्न स्थलों लोहिया पथ, गोमती नगर से बैराज, रिंग रोड, खुरम नगर, कुकरैल नाले के बायीं तरफ के साथ साथ कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलेशन साइट पर बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थलों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18/02/19 को किया गया। आवासीय परिसर वन विभाग के सामने, रिंग रोड, लखनऊ निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। खाली प्लाट टाइल्स इन स्टाइल शॉप के बगल में रिंग रोड, लखनऊ निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। पार्क के सामने, निकट संपना क्लार्क्स इन, रिंग रोड, लखनऊ, निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। कूड़े से बदबू की समस्या महसूस की गयी। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र, निर्माणधीन कार्यालय/आवासीय परिसर के सामने, रिंग रोड, लखनऊ निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। निकट प्राथमिक विद्यालय खुरम नगर, लखनऊ निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। कूड़े से बदबू की समस्या महसूस की गयी। कुकरैल नाले के किनारे निकट मेरीडियन स्कूल सर्वोदय नगर, लखनऊ निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। कुकरैल नाले के किनारे (कुकरैल पुल के पास) सर्वोदय नगर, लखनऊ निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। कुकरैल नाले के किनारे विद्यवासिनी गेस्ट हाउस के सामने सर्वोदय नगर, लखनऊ निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक एवं डिमोलेशन बिखरा पाया गया। अपोजिटकेन्द्रीय कार्यशाला नगर निगम लखनऊ (निकट एल्विको ग्रीन) निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर बहुत भारी मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक भरा पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय
(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

11C
11/3/19

- 102 -

124

9/11/17

3750/G.F.50/17

सेवा में,
सूची संलग्न।


विषय: नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं घरेलू जल/मल के शोधन प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा अपने स्थानीय निकाय/परिषद से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट एवम् घरेलू जल/मल का निस्तारण बिना शोधित किये ही नाले के माध्यम से किया जा रहा है। नाले के नदी में मिलने से नदी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट व नगरीय ठोस अपशिष्ट शोधन संयंत्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव व क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम यथाशीघ्र प्रस्तुत करें। तत्कम में मा० एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या-215/2016 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मुख्य अधिशाषी अधिकारी व अन्य के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर यह भी अपेक्षित है कि पक्षकार स्थानीय परिषद/निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट/सीवेज शोधन प्रबन्धन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के साथ-साथ स्थानीय परिषदों/निकायों के समस्त उत्तरदायी प्राधिकारी/अधिशाषी अधिकारी के नाम पते, पद एवम् उक्त का विवरण प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

9/11/17
26
9/11/17

Sr No.	Name of the Minicipal authority
1	नगर निगम, लखनऊ
2	नगर पंचायत, मलिहाबाद
3	नगर पंचायत, काकोरी
4	नगर पंचायत, अमेठी
5	नगर पंचायत, गोसाईगंज
6	नगर पंचायत, नगराम
7	नगर पंचायत, महोना
8	नगर पंचायत, इटौजा
9	नगर पंचायत, बीकंटी
10	नगर पालिका परिषद, सीतापुर
11	नगर पालिका परिषद, मिश्रिख नैमिषारण्य
12	नगर पालिका परिषद, बिसर्वा
13	नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद
14	नगर पालिका परिषद, लहरपुर
15	नगर पालिका परिषद, खैराबाद
16	नगर पंचायत, महोली
17	नगर पंचायत, हरगँव
18	नगर पंचायत, सिधौली
19	नगर पंचायत, पैतेपुर
20	नगर पंचायत, तम्बौर महमूदाबाद,
21	नगर पालिका परिषद, लखीमपुरखीरी
22	नगर पालिका परिषद, गोलागोकर्णनाथ
23	नगर पालिका परिषद, मोहम्मदी
24	नगर पालिका परिषद, पलियाकला
25	नगर पंचायत, खीरी
26	नगर पंचायत, अयोलढकवा
27	नगर पंचायत, सिंघाईभिण्डौरा
28	नगर पंचायत, मैलानी
29	नगर पंचायत, बरबर
30	नगर पंचायत, धौरहरा
31	नगर पालिका परिषद, बाराबंकी
32	नगर पंचायत, देवा
33	नगर पंचायत, दरियाबाद
34	नगर पंचायत, हैदरगढ़
35	नगर पंचायत, टिकैतनगर
36	नगर पंचायत, रामनगर
37	नगर पंचायत, फतेहपुर
38	नगर पंचायत, बंकी
39	नगर पंचायत, जैदपुर
40	नगर पंचायत, सतरिख
41	नगर पंचायत, सिद्धौर
42	नगर पंचायत, सुबेहा

-126-

- 104 -

22731 GF-161/2019

दि 02/3/2019

सेवा में,

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ

विषय: ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानिट्रिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है लखनऊ शहर में स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थलों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 01/03/19 को किया गया। निरीक्षण के समय ग्वारी रेलवे क्रासिंग के बगल में, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग मेटेरियल बिखरा पाया गया। स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। निरीक्षण के समय ग्वारी रेलवे लाइन के किनारे गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग मेटेरियल बिखरा पाया गया। निरीक्षण के समय अपोजिट जनेश्वर मिश्र पार्क (निकट रेलवे ओवर ब्रिज) गोमती नगर विस्तार लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग मेटेरियल बिखरा पाया गया। स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अविलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

3. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानिट्रिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

2275/GF-161/2019

dt. 02/13/2019

सेवा में,

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ

विषय: ई-मेल के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20/02/2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र में उल्लिखित स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

गहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है लखनऊ शहर में स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थल निकट फ्लाई ओवर गोमती नगर विस्तार, लखनऊ एवं गोमती नगर विस्तार, लखनऊ का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 01/03/19 को किया गया। श्री रूप कुमार शर्मा सेक्रेटरी गोमती नगर जन कल्याण महासमिति द्वारा की गयी शिकायत के संबंध में स्थल के निरीक्षण के समय निकट फ्लाई ओवर गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में अत्यधिक मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बिखरा पाया गया। स्थल पर कुछ जानवर कूड़ा खाते पाये गये। श्री उमाशंकर दूबे सचिव गोमती नगर विस्तार महासमिति लखनऊ द्वारा प्रेषित शिकायती स्थल का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 14/01/19 को किया गया। जिसकी निरीक्षण आख्या दिनांक 15/01/19 को प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अदिलम्ब निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहे तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव उ०प्र० सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

OIC
2019

- 106 -

- 128 -

707/6.F-161/19

23/5/19

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय:- दिनांक 10/05/2019 को अध्यक्ष उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मॉनीटरिंग कमेटी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्री उमाशंकर दूबे एवं श्री इन्द्र शेखर की शिकायत पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के मध्य स्थित रेलवे लाइन के दोनों किनारे नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थलों की निरीक्षण आख्या के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के मध्य स्थित रेलवे लाइन के दोनों तरफ बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थलों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22/05/2019 को किया गया। रेलवे पुल के पास (निकट जनेश्वर मिश्र पार्क) गोमती नगर विस्तार, निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर अल्प मात्रा में गारवेज एवं प्लास्टिक बिखरा पाया गया। निकट ग्वारी रेलवे क्रासिंग, गोमती नगर विस्तार, रेलवे क्रासिंग के पास रोड के दोनों तरफ अत्यधिक मात्रा में गारवेज, प्लास्टिक, थर्माकोल एवं पैकेजिंग मटेरियल आदि बिखरे पाये गये। ग्वारी रेलवे क्रासिंग से ओवर ब्रिज के बीच, गोमती नगर विस्तार निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर मकान के तोड़-फोड़ से जनित मलबा रेलवे लाइन एवं सड़क के बीच स्थित गहरे भूमि पर डाला पाया गया। (उपर्युक्त सभी स्थलों के फोटोग्राफ निरीक्षण के समय लिये गये हैं जो कि संलग्न हैं)

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उक्त स्थलों पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट के अविलम्ब निराकरण हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें, तथा कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय



(डा० प्रमोद करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-1. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव, उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मॉनिटरिंग कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृ०-5, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

OIC



-129-

- 107 -

2261/G.F-16/19

02/3/19

सेवा में,

महानिरीक्षक (जेल),
कारागार मुख्यालय, चारबाग
लखनऊ

विषय:- जनपद में स्थित मै0 जिला कारागार, आदर्श कारागार व नारी बन्दी निकेतन, ग्राम-मोहारीकला, तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित जेल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01/03/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय आदर्श कारागार के जेलर श्री वी0के0 गौतम उपस्थित थे। कारागार से संयुक्त रूप से जनित कुल किचन वेस्ट लगभग-5 कुन्तल/दिन को परिसर के अन्दर पाले गये पशुओं को भोजन के रूप में दिया जाता है। जेल परिसर में म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट के निस्तारण का कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सालिड वेस्ट को एक गडढे में डाल दिया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कारागार परिसर लखनऊ से जनित ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम-2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कराये जाने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को 15 दिन के अन्दर प्रेषित कराना चाहे।

भवदीय,

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
9/3/19

2280/ G.F-161/19

02/3/19

सेवा में,

मुख्य लोको प्रबन्धक,
लोको वर्कशाप, चारबाग,
लखनऊ

विषय:—मै0 रेलवे लोको वर्कशाप चारबाग, लखनऊ में स्थापित उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र के सतत संचालन तथा उचित ढंग से रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित लोको वर्कशाप का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02/03/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय लोको वर्कशाप के मुख्य लोको प्रबन्धक श्री विवेक खरे एवं श्री प्रेम नारायण शुक्ला ग्रिट वन फिटर (एम0टी0एस0) उपस्थित थे। निरीक्षण के समय रेलवे वर्कशाप आफडे होने के कारण बन्द पाया गया। लोको वर्कशाप में रेल के डिब्बो/इंजन के मरम्मत एवं धुलाई का कार्य किया जाता है। लोको वर्कशाप में वाशिंग प्रक्रिया के जनित उत्प्रावह के शोधन हेतु 50 किली0/दिन क्षमता का उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है जो निरीक्षण के समय बन्द पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आफडे होने के कारण ई0टी0पी0 बन्द है। उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र में कलेक्शन टैंक, स्कीमिंग एण्ड ग्रिड चैम्बर 1,2, इक्वलाइजेशन टैंक, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप 1, 2, मिक्सिंग टैंक, लाइम डोजिंग, सेटलिंग टैंक, मकैनिकल आयल स्कीमर, रोटेट्री टैंक, फिल्ट्रेशन, क्लोरियेशन टैंक, ट्रीटेड वाटर टैंक आदि इकाईयाँ स्थापित है जिनका रख-रखाव संतोषजनक नहीं पाया गया। उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट तथा आउटलेट पर उत्प्रावह का संवहन नहीं पाया गया जिसके कारण विश्लेषण हेतु जल नमूने का एकत्रण नहीं किया जा सका। वर्कशाप में शोधित उत्प्रावह को सीवर लाइन के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि लोको वर्कशाप में स्थापित उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र की इकाईयाँ का सतत संचालन तथा समयबद्ध रूप से रख-रखाव किया जाये, जिससे शोधित उत्प्रावह बोर्ड मानको के अनुरूप निस्तारित हो सके। आपसे अपेक्षा है कि कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :—मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

109 - 131 -



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या- 29167 / सी-5/सा-86/18

दिनांक 31-12-18
पंजीकृत

सेवा में,
नगर आयुक्त
नगर निगम,
लखनऊ।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ओ0ए0 संख्या-608/2018 के आदेश दिनांक 12.10.2018 द्वारा गठित यू.पी. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा अपेक्षा की गयी है कि घैला घाट, मलपुर, प्रियदर्शनी नगर, फेजुल्लागंज एवं दयाल पैराडाइज की पुरानी साइट पर गार्बेज/सॉलिड वेस्ट/बायो मेडिकल वेस्ट का भण्डारण न होना दिनांक 31.12.2018 तक सुनिश्चित किया जाए। कमेटी द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं कि नगर निगम, लखनऊ की म्यूनिसिपल सीमा के अन्तर्गत कोई भी गार्बेज/सालिड वेस्ट/मेडिकल वेस्ट तथा प्लास्टिक वेस्ट सड़क के किनारे भण्डारित न किया जाए तथा नगर निगम, लखनऊ के अन्दर ट्रैश बर्निंग (Trash burning) न होना सुनिश्चित किया जाए। यदि उक्त कृत्त करता हुआ पाये जाने पर नगर निगम, लखनऊ अथवा प्राधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

यह कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 08.06.2018 को नगर निगम, लखनऊ को ठोस अपशिष्ट के समुचित हथालन, भण्डारण एवं निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए हैं।

यह कि नगर निगम, लखनऊ को बोर्ड द्वारा दिनांक 08.06.2018 को दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या अभी तक प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि नगर निगम, लखनऊ द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के प्राविधानों के अधीन ठोस अपशिष्ट का हथालन, भण्डारण एवं निस्तारण न किए जाने से उत्पन्न प्रदूषण से जनसाधारण के स्वास्थ्य पर हो रहे प्रतिकूल प्रभाव को तत्काल रोका जाए।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर निगम, लखनऊ को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. निकट घैला घाट, मलपुर, प्रियदर्शनी नगर, फेजुल्लागंज एवं दयाल पैराडाइज नगर निगम, लखनऊ का समस्त गार्बेज, सालिड वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट आदि का सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, रूल्स 2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 31.12.2018 तक नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

.....2/-

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-Info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com


TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

-132-


2. निकट घैला घाट, मलपुर, प्रियदर्शनी नगर, फेजुल्लागंज एवं दयाल पैराडाइज नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि लखनऊ म्यूनिसिपल सीमा के अन्तर्गत कोई भी गार्बेज, सालिड वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट तथा प्लाटिक वेस्ट सड़क किनारे भण्डारित न किया जाए।
3. निकट घैला घाट, मलपुर, प्रियदर्शनी नगर, फेजुल्लागंज एवं दयाल पैराडाइज नगर निगम, लखनऊ सीमा के अन्दर ट्रैश बर्निंग (Trash burning) न होना सुनिश्चित किया जाए।


उपरोक्त निर्देशों की अनुपालन आख्या तत्काल बोर्ड को प्रेषित की जाए अन्यथा की स्थिति में नगर निगम, लखनऊ के जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डनात्मक कार्यवाई, जिसमें अभियोजनात्मक तथा जुर्माना अधिरोपित किया जाना भी सम्मिलित है, की जाएगी।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित निरीक्षण तथा आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय अधिकारी को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिए गए निर्देशों/अपेक्षाओं का ससमय अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।




सदस्य सचिव



UTTAR PRADESH

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Annexure No. 23

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

A-42

पत्रांक संख्या

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम,
लखनऊ।

/सी-5/38/W.P. No 9141/13/18

दिनांक

पंजीकृत

AEE(A)/PPM
30/8/18

यह कि लखनऊ जनपद के खसरा संख्या-457, ग्राम-मल्लपुर, दुबग्गा के निकट स्थित ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर का कार्य किया जा रहा है।

यह कि उक्त वर्णित स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.07.2018 को किया गया, निरीक्षण के समय मेसर्स इकोग्रीन इनर्जी प्रा0लि0 के प्रतिनिधि श्री राम दुलारे विश्वकर्मा (गार्ड) उपस्थित थे। यह कि उक्त स्थल पर लखनऊ शहर के ग्राम-मल्लपुर, दुबग्गा के सन्निकट स्थापित ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्टेशन स्थल के कुल 03 जोन (जोन-1, जोन-2, जोन-6) से जनित ठोस अपशिष्टों का संग्रहण कर नगर निगम के कवर्ड छोटे वाहनों द्वारा उक्त स्थल पर एकत्रित किया जाता पाया गया 08 वाडों से जनित नगरीय ठोस अपशिष्टों का संग्रहण नगर निगम के कवर्ड छोटे वाहनों द्वारा एकत्रित किया जाता है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 100 टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित कर नगर निगम के वाहनों (डम्पर) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शिवरी में भेजा जाता है तथा जेसीबी मशीन द्वारा एकत्रित ठोस अपशिष्टों को नगर निगम के बड़े वाहनों (डम्पर) में भरते हुए पाया गया।

यह कि ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल के पूरब दिशा में ग्राम-मल्लपुर एवं उसकी आबादी स्थित है। पश्चिम दिशा के सन्निकट इण्डियन आयल का पेट्रोल पम्प तथा लगभग 40 मीटर की दूरी पर हरदोई दुबग्गा बाई पास रिंग रोड स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 30 मीटर की दूरी पर मेसर्स बसंल ब्रिक फील्ड नामक ईट भट्टा स्थापित है। उत्तर दिशा में रिक्त भूमि एवं आवासीय कालोनी स्थित है।

यह कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल की बाउन्ड्री लगभग 05 फिट ऊंची है तथा एकत्रण स्थल की फर्श में बिक सोलिंग की गयी है। एकत्रण स्थल को कवर्ड नहीं किया गया है तथा अस्थाई रूप से एकत्रित ठोस अपशिष्ट के कारण स्थल के आस-पास दुर्गन्ध व्याप्त पाई गयी। एकत्रण स्थल परिसर में लीचेट शोधन की व्यवस्था नहीं पाई गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा पूर्व में दिनांक 27.06.2018 को उक्त स्थल के किये गये निरीक्षण के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्रांक-1023/रिट यांचिका/14/18 दिनांक 28.06.2018 के माध्यम से नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को प्रश्नगत स्थल पर ठोस अपशिष्ट एकत्रण से जनित दुर्गन्ध एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर नगर निगम द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। उक्त ठोस अपशिष्ट ग्राम-मल्लपुर, दुबग्गा अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्थल द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में याचिका सं0-9141/2013 इरशाद हुसैन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य लम्बित है।

.....2/-

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

112 = 134

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित की धारा-5 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमति से कार्यदायी संस्था नगर निगम, लखनऊ को निम्नवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

"यह कि क्यों न लखनऊ जनपद के खसरा संख्या-457, ग्राम-मल्लपुर, दुबग्गा स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्टेशन को तत्काल प्रभाव से निषेधित कर दिया जाये।"


उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पूर्ति कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ ।
2. पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नगर निगम, लखनऊ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपन स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

File No. 294
Date 24/7/18

पत्रांक संख्या 4233/17 सी-61 H-C-440-36/18

दिनांक 24/7/18
पंजीकृत

सेवा में,
नगर आयुक्त
नगर निगम,
लखनऊ।

24/7/18 (K)
26/7/18

यह कि विकास खण्ड-05, गोमती नगर, लखनऊ में दयाल पैराडाइज चौराहा के निकट नगर निगम, लखनऊ द्वारा ठोस अपशिष्ट का एकत्रण का कार्य किया जा रहा है।

यह कि उक्त वर्णित स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.06.2018 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल की बाउन्ड्री लगभग 05 फिट ऊँची है तथा फ्रॉन्ट में ब्रिक सोलिंग की गयी है। एकत्रण स्थल को कवर्ड नहीं किया गया। अस्थाई रूप से एकत्रित ठोस अपशिष्ट के कारण स्थल के आस-पास दुर्गन्ध व्याप्त पाई गयी। एकत्रण स्थल परिसर में लीचेट शोधन की व्यवस्था नहीं पाई गयी जिसके कारण लीचेट का निस्तारण स्थल के सन्निकट स्थित नालों में होने की पूर्ण सम्भावना है।

यह कि उक्त स्थल पर लखनऊ शहर के गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार क्षेत्र के कुल 08 वार्डों से जनित नगरीय ठोस अपशिष्टों का संग्रहण नगर निगम के कवर्ड छोटे वाहनों द्वारा एकत्रित किया जाता है। निरीक्षण के समय स्थल पर लगभग 150 से 200 टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित कर नगर निगम के बड़े कवर्ड वाहनों (डम्पर) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शिवरी में भेजा जाता है तथा जेसीबी मशीन द्वारा अपशिष्ट को डम्पर में भरते हुए पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा पूर्व में दिनांक 26.05.2018 को उक्त स्थल के किये गये निरीक्षण के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्रांक-739/जी.एफ.-50/18 दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को प्रश्नगत स्थल पर ठोस अपशिष्ट एकत्रण से जनित दुर्गन्ध एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने तथा स्थल का महायोजना-2021 में अनुमन्य भू-प्रयोग से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर नगर निगम द्वारा प्रेषित नहीं किया गया।

यह कि मुख्य नगर नियोजक (ड्रान्स गोमती), लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-157/मु.नि/2018 दिनांक 14.06.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत "पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी" अंकित है तथा वर्तमान में प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 में भी उक्त स्थल का भू-उपयोग "पार्क एवं खुले स्थल" अंकित है।

यह कि प्रश्नगत स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण का कार्य लखनऊ महायोजना-2021 एवं वर्तमान में प्रभावी महायोजना-2031 के वर्णित भू-उपयोग के विपरीत किया जा रहा है तथा उक्त कृत्य से जनित दुर्गन्ध व सम्भावित लीचेट निस्तारण से पर्यावरण व जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट का एकत्रण खुले में बिना कवर्ड शेड के अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम-15 एवं नियम-22(6) का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

....2/-

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित की धारा-5 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमति से कार्यवाही संस्था नगर निगम, लखनऊ को निम्नवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

"यह कि क्यों न विकास खण्ड-05, गोमती नगर, लखनऊ में दयाल पैराडाइज चौराहा के निकट स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निषेधित कर दिया जाये।"


उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ ।
2. पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नगर निगम, लखनऊ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


सदस्य सचिव



पत्रांक संख्या 1187/18 /सी-5/ सामान्य - 86/18

दिनांक 22/11/18
पंजीकृत

सेवा में,
नगर आयुक्त
नगर निगम,
लखनऊ।

580
Diary No.
File No.
File S.No. 8

AEE LRKT
04/11/18

यह कि लखनऊ नगर में घैला घाट, गोमती बन्ध के किनारे नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण का कार्य किया जा रहा है।

यह कि उक्त वर्णित स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.11.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय घैला घाट के निकट गोमती बन्ध के किनारे कूड़ा/कचरा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया तथा कुछ मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट खुले में जला हुआ पाया। कूड़े को अनियंत्रित ढंग से जलाने से आस-पास के क्षेत्र में धुँएँ एवं वायु प्रदूषण की समस्या होना सम्भावित है। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट डाला जाता पाया गया। स्थल पर भण्डारित कूड़ा से बरसात में होने वाले सीपेज के गोमती नदी में जाने की सम्भावना है, जिसके कारण गोमती नदी की जल गुणता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का सम्भावित है। भण्डारित नगरीय ठोस अपशिष्ट से जनित दुर्गन्ध एवं विसंक्रमण से आस-पास के जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

यह कि नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट का एकत्रण खुले में बिना कवर्ड शेड के अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम-15 के सुसंगत प्राविधानों का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के शोधन एवं निपटान हेतु प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है जो ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं-

"यह कि नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शोधन एवं निपटान हेतु घैला घाट, गोमती बन्ध के किनारे, लखनऊ पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुसार कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके एवं उक्त शोधन एवं निपटान के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 सपठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।"

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नगर निगम, लखनऊ को जारी निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सचिव
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - Annexure No. 30
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या 30454 / सी-5/सामान्य-86/19

दिनांक 27/19
पंजीकृत

सेवा में,
अनु सचिव
पर्यावरण विभाग,
उओप्रओ शासन।

विषय: नगर निगम, लखनऊ के उत्तरदायी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

नगर निगम, लखनऊ एक निकाय है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-16 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। नगर निगम, लखनऊ शहर में स्थित घैला घाट, गोमती बन्धे के किनारे नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण का कार्य किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत घैला घाट स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 16.11.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय घैला घाट के निकट गोमती, बन्धे के किनारे कूड़ा/कचरा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया तथा कुछ मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट खुले में जला हुआ पाया गया। कूड़े को अनियंत्रित ढंग से जलाने से आस-पास के क्षेत्र में धुएँ एवं वायु प्रदूषण की समस्या होना होती है। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट डाला जाता पाया गया। स्थल पर भण्डारित कूड़ा से बरसात में होने वाले सीपेज के गोमती नदी में जाने की सम्भावना है, जिससे कारण गोमती नदी की जल गुणता पर कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट का एकत्रण खुले में बिना कवर्ड शेड के अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम-15 के सुसंगत प्राविधानों का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तत्कम में राज्य बोर्ड के पत्रांक-जी 28773/सी-5/सामान्य-86/18 दिनांक 22.11.2018 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत निर्देश जारी किया गया था कि "नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शोधन एवं निपटान हेतु घैला घाट, गोमती बन्धे के किनारे, लखनऊ पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुसार कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ एवं उक्त शोधन तथा निपटान के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 सपडित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायीत्व स्वयं का होगा।" उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नगर निगम, लखनऊ से अभी तक प्राप्त नहीं है। अग्रेतर क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.06.2019 को घैला घाट, लखनऊ का निरीक्षण किया गया (छायाप्रति संलग्न), जिसमें पूर्व की स्थिति यथावत पाई गयी है, जिसके आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नगर निगम, लखनऊ एवं उसके दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए पदेन उत्तरदायी अधिकारी डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, श्री एस०पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ एवं श्री पंकज भूषण, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गयी है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि नगर निगम, लखनऊ के उपरोक्त पदेन उत्तरदायी व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आते है।

.....2/-

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web.site www.uppcb.com

- 117 -

-139-

(2)

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निगम, लखनऊ के आयुक्त डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, मुख्य अभियन्ता श्री एस०पी० सिंह एवं पर्यावरण अभियन्ता श्री पंकज भूषण के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से 'अभियोजन स्वीकृत' प्रदान कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

सदस्य सचिव

o/c



- 118 -

- 140 -



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पं. 1/सी-5/जल-72/Lko /शुगर /2018

दिनांक
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स हैदरगढ़ चीनी मिल
ग्राम-पाखरा, हैदरगढ़, बाराबंकी।

विषय :-शुगर इकाईयों को मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण एवं हथालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(बी) के अन्तर्गत जारी निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह कि मेसर्स हैदरगढ़ चीनी मिल पाखरा, ग्राम-पाखरा, हैदरगढ़, बाराबंकी जो कि कच्चे माल के रूप में गन्ने की पिराई कर चीनी के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्गित स्थल पर कार्यरत है तथा जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक B-410/PCI-III/DIST/2K16-2K17/2141 दिनांक-25.06.2018 द्वारा शुगर इकाईयों को मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण एवं हथालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(बी) के द्वारा मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण, संरक्षण, निस्तारण के संबंध में राज्य बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं। उ० प्र० शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत भी मोलासेस के उत्पादन/प्रयोग/भण्डारण व निस्तारण के संबंध में नियम प्रख्यापित किये गये हैं।

चीनी इकाईयों से जनित मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण, हथालन एवं एडेल्डेटेड मोलासेस के पर्यावरणीय अनुकूल निस्तारण के संबंध में जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई से जनित मोलासेस किसी भी प्रकार से भूमि अथवा जल श्रोत में लीक अथवा डिस्चार्ज नहीं होगा तथा उचित टैंकों में ही भण्डारण किया जायेगा।
2. मोलासेस की अधिक मात्रा होने पर आबकारी/ संबंधित विभाग से अनुमति के उपरान्त सुरक्षित तौर पर लाइण्ड लैगून में अस्थाई तौर पर भण्डारित किया जा सकेगा तथा अस्थाई भण्डारित मोलासेस को यथाशीघ्र प्रयोग /खपत कर लिया जाएगा।
3. किसी भी प्रकार से स्पीलेज/ एक्सीडेन्टल डिस्चार्ज से बचने हेतु सम्बन्धित नाले/ नदी की जल गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।
4. किसी भी प्रकार के एडेल्डेटेड मोलासेस(टोटल रिड्यूसिंग शुगर कन्टेन 40 प्रतिशत से कम) को परिसर में क्लीनी इकाई द्वारा बताये गये अवधि के अन्दर निस्तारण आबकारी विभाग एवं उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाएगा तथा निस्तारण की प्रक्रिया की फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी कराते हुए संयुक्त हस्ताक्षर से रिपोर्ट तैयार कर उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ससमय प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही का जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग का होगा। इस पत्र का उद्योग के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. आबकारी आयुक्त, उ० प्र०, 171, ओल्ड ममफोर्डगंज, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या प्रेषित करें एवं निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित रहने के संबंध में सतत अनुश्रवण करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या ससमय प्रेषित करें।

- 119 -

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5)

- 141 -



पत्रांक

/सी-5/जल-25/Lko /शुगर /2018

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स दि अवध शुगर एण्ड इनर्जी लि०
(शुगर यूनिट) हरगॉव, सीतापुर।

विषय :- शुगर इकाईयों को मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण एवं हथालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(बी) के अन्तर्गत जारी निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह कि मेसर्स दि अवध शुगर एण्ड इनर्जी लि० (शुगर यूनिट) हरगॉव, सीतापुर जो कि कच्चे माल के रूप में गन्ने की पिसाई कर चीनी के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक B-410/PCI-III/DIST/2K16-2K17/2141 दिनांक-25.05.2018 द्वारा शुगर इकाईयों को मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण एवं हथालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(बी) के द्वारा मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण, संरक्षण, निस्तारण के संबंध में राज्य बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं। उ० प्र० शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत भी मोलासेस के उत्पादन/प्रयोग/भण्डारण व निस्तारण के संबंध में नियम प्रख्यापित किये गये हैं।

चीनी इकाईयों से जनित मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण, हथालन एवं एडेल्ड्रेटेड मोलासेस के पर्यावरणीय अनुकूल निस्तारण के संबंध में जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई से जनित मोलासेस किसी भी प्रकार से भूमि अथवा जल स्रोत में लीक अथवा डिस्चार्ज नहीं होगा तथा उचित टैंकों में ही भण्डारण किया जायेगा।
2. मोलासेस की अधिक मात्रा होने पर आबकारी/ संबंधित विभाग से अनुमति के उपरान्त सुरक्षित तौर पर लाइण्ड लैगून में अस्थाई तौर पर भण्डारित किया जा सकेगा तथा अस्थाई भण्डारित मोलासेस को यथाशीघ्र प्रयोग/खपत कर लिया जाएगा।
3. किसी भी प्रकार से स्पीलेज/ एक्सीडेन्टल डिस्चार्ज से बचने हेतु सम्बन्धित नाले/ नदी की जल गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।
4. किसी भी प्रकार के एडेल्ड्रेटेड मोलासेस (टोटल रिड्यूसिंग शुगर कन्टेन 40 प्रतिशत से कम) को परिसर में चीनी इकाई द्वारा बताये गये अवधि के अन्दर निस्तारण आबकारी विभाग एवं उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाएगा तथा निस्तारण की प्रक्रिया की फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी कराते हुए संयुक्त हस्ताक्षर से रिपोर्ट तैयार कर उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ससमय प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही का जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग का होगा। इस पत्र का उद्योग के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. आबकारी आयुक्त, उ० प्र०, 171, ओल्ड ममफोर्ड गंज, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या प्रेषित करें एवं निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित रहने के संबंध में सतत अनुश्रवण करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या ससमय प्रेषित करें।

- 120 -

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या सी-5/जल-11/लु-0 /शुगर / 2018

दिनांक
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०
महमूदाबाद(अवध) सीतापुर।

विषय :- शुगर इकाईयों को मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण एवं हथालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) के अन्तर्गत जारी निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,
यह कि मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० महमूदाबाद(अवध) सीतापुर जो कि कच्चे माल के रूप में गन्ने की पिसाई कर चीनी के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक B-410/PCI-III/DIST/2K16-2K17/2141 दिनांक-25.05.2018 द्वारा शुगर इकाईयों को मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण एवं हथालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(बी) के द्वारा मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण, संरक्षण, निस्तारण के संबंध में राज्य बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं। उ० प्र० शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत भी मोलासेस के उत्पादन/प्रयोग/भण्डारण व निस्तारण के संबंध में नियम प्रख्यापित किये गये हैं।

चीनी इकाईयों से जनित मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण, हथालन एवं एडेल्टेडेड मोलासेस के पर्यावरणीय अनुकूल निस्तारण के संबंध में जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई से जनित मोलासेस किसी भी प्रकार से भूमि अथवा जल श्रोत में लीक अथवा डिस्चार्ज नहीं होगा तथा उचित टैंकों में ही भण्डारण किया जायेगा।
2. मोलासेस की अधिक मात्रा होने पर आबकारी/ संबंधित विभाग से अनुमति के उपरान्त सुरक्षित तौर पर लाइण्ड लैगून में अस्थाई तौर पर भण्डारित किया जा सकेगा तथा अस्थाई भण्डारित मोलासेस को यथाशीघ्र प्रयोग / खपत कर लिया जाएगा।
3. किसी भी प्रकार से स्पीलेज/ एक्सीडेंटल डिस्चार्ज से बचने हेतु सम्बन्धित नाले/ नदी की जल गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।
4. किसी भी प्रकार के एडेल्टेडेड मोलासेस (टोटल रिड्यूसिंग शुगर कन्टेन 40 प्रतिशत से कम) को परिसर में चीनी इकाई द्वारा बताये गये अवधि के अन्दर निस्तारण आबकारी विभाग एवं उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाएगा तथा निस्तारण की प्रक्रिया की फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी कराते हुए संयुक्त हस्ताक्षर से रिपोर्ट तैयार कर उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ससमय प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही का जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग का होगा। इस पत्र का उद्योग के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. आबकारी आयुक्त, उ० प्र०, 171, ओल्ड ममफोर्डगंज, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या प्रेषित करें एवं निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित रहने के संबंध में सतत अनुश्रवण करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या ससमय प्रेषित करें।

- 121 -

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5)

-143-



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION

Annexure NA-34

L BOARD

27/10/18

दिनांक

क्रमांक

सी-5/इकाई-2/क/शुगर/2018

सेवा में,

मेसर्स डालमिया चीनी मिल्स(शुगर यूजिट)
रामगढ़, सीतापुर।

विषय :- शुगर इकाईयों को मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण एवं हथालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) के अन्तर्गत जारी निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह कि मेसर्स डालमिया चीनी मिल्स(शुगर यूजिट) रामगढ़, सीतापुर जो कि कच्चे माल के रूप में ग्रान्ने की पिराई कर चीनी के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक B-410/PCI-III/DIST/2K16-2K17/2141 दिनांक-25.05.2018 द्वारा शुगर इकाईयों को मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण एवं हथालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(बी) के द्वारा मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण, संरक्षण, निस्तारण के संबंध में राज्य बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं। उ0 प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत भी मोलासेस के उत्पादन/प्रयोग/भण्डारण व निस्तारण के संबंध में नियम प्रख्यापित किये गये हैं।

चीनी इकाईयों से जनित मोलासेस के सुरक्षित भण्डारण, हथालन एवं एडेल्ड्रेटेड मोलासेस के पर्यावरणीय अनुकूल निस्तारण के संबंध में जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई से जनित मोलासेस किसी भी प्रकार से भूमि अथवा जल स्रोत में लीक अथवा डिस्चार्ज नहीं होगा तथा उचित टैंकों में ही भण्डारण किया जायेगा।
2. मोलासेस की अधिक मात्रा होने पर आबकारी/ संबंधित विभाग से अनुमति के उपरान्त सुरक्षित तौर पर लाइण्ड लैगून में अस्थाई तौर पर भण्डारित किया जा सकेगा तथा अस्थाई भण्डारित मोलासेस को यथाशीघ्र प्रयोग/खपत कर लिया जाएगा।
3. किसी भी प्रकार से स्पीलेज/ एक्सीडेन्टल डिस्चार्ज से बचने हेतु सम्बन्धित नाले/ नदी की जल गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।
4. किसी भी प्रकार के एडेल्ड्रेटेड मोलासेस(टोटल रिड्यूसिंग शुगर कन्टेन 40 प्रतिशत से कम) को परिसर में चीनी इकाई द्वारा बताये गये अवधि के अन्दर निस्तारण आबकारी विभाग एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाएगा तथा निस्तारण की प्रक्रिया की फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी कराते हुए संयुक्त हस्ताक्षर से रिपोर्ट तैयार कर उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ससमय प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही का जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग का होगा। इस पत्र का उद्योग के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0, 171, ओल्ड ममफोर्डगंज, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या प्रेषित करें एवं निर्देशों का कियान्यवन सुनिश्चित रहने के संबंध में सतत अनुश्रवण करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या ससमय प्रेषित करें।

- 122 -

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-5)

-144-



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure No - 35
बोर्ड
CONTROL BOARD

Ref. No. 13/290

सी-5/जल-179/19

Dated 24/9

सेवा में,

मेसर्स अवध शुगर मिल्स एण्ड एनर्जी लि० (आसवनी इकाई),
हरगाँव,
सीतापुर।

विषय: उद्योग में स्थापित लैगून में अनुमन्य सीमा से अधिक स्पेन्ट वाश भण्डारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करें। बोर्ड मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी है कि दिनांक 29.03.2019 को उद्योग में स्थापित लैगून में अनुमन्य सीमा से अधिक स्पेन्ट वाश भण्डारित किया जाना दृष्टिगत हो रहा है।

उद्योग में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। उक्त के सतत अनुश्रवण हेतु वेब कैमरा का सतत संचालन का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रोटोकॉल के अनुसार रख-रखाव किया जाना एवं नियमित संचालन सुनिश्चित करते हुये आंकड़ों के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। आपके उद्योग मेसर्स अवध शुगर मिल्स एण्ड एनर्जी लि० (आसवनी इकाई), हरगाँव, सीतापुर में स्थापित लैगून में अनुमन्य सीमा से अधिक स्पेन्ट वाश भण्डारित पाया गया है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि लैगून में स्पेन्ट वाश भण्डारण निर्धारित सीमा तक रखना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि मेसर्स अवध शुगर मिल्स एण्ड एनर्जी लि० (आसवनी इकाई), हरगाँव, सीतापुर में स्थापित वेब कैमरा का सतत संचालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कंट्रोल रूम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

- 123 -

-145-



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

बोर्ड Annexure No-35

Ref. No. 136312

दिस/जल-14/19

Dated 23/5/19

सेवा में,

मेसर्स. सैफ ईस्ट कम्पनी प्रा०लि०,
101, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, सण्डीला,
हरदोई।

विषय: उद्योग में स्थापित वेब कैमरा बन्द रहने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करें। बोर्ड मुख्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी है कि दिनांक 21.05.2019 को उद्योग में स्थापित web camera संचालित नहीं पाया गया।

उद्योग में शून्य उत्प्रावाह निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। उक्त के सतत् अनुश्रवण हेतु वेब कैमरा का सतत् संचालन का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रोटोकॉल के अनुसार रख-रखाव किया जाना एवं नियमित संचालन सुनिश्चित करते हुये आंकड़ों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। आपके उद्योग मेसर्स सैफ ईस्ट कम्पनी प्रा०लि०, 101, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, सण्डीला, हरदोई में स्थापित वेब कैमरा दिनांक 21.05.2019 को बन्द पाया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उद्योग में स्थापित वेब कैमरे का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रोटोकॉल के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा उसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर पर नियमित रूप से लिंक रखे जाएं अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुये कि उद्योग द्वारा जान-बूझकर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि मेसर्स सैफ ईस्ट कम्पनी प्रा०लि०, 101, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, सण्डीला, हरदोई में स्थापित वेब कैमरा का सतत् संचालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कन्ट्रोल रूम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

- 124 -

-146-



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure ND-37
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1380/1

सी-5/जल-04/19

Dated 17/7/19

सेवा में,

मेसर्स डालमिया चिनी मिल्स (आसवानी इकाई),
जवाहरपुर, रामकोट,
सीतापुर।

विषय: उद्योग में स्थापित वेब कैमरा बन्द रहने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करें। बोर्ड मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी है कि दिनांक 27.06.2019 को उद्योग में स्थापित web camera संचालित नहीं पाया गया।

उद्योग में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। उक्त के सतत अनुश्रवण हेतु वेब कैमरा का सतत संचालन का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रोटोकॉल के अनुसार रख-रखाव किया जाना एवं नियमित संचालन सुनिश्चित करते हुये आंकड़ों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। आपके उद्योग मेसर्स डालमिया चिनी मिल्स (आसवानी इकाई), जवाहरपुर, रामकोट, सीतापुर में स्थापित वेब कैमरा दिनांक 27.06.2019 को बन्द पाया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उद्योग में स्थापित वेब कैमरे का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रोटोकॉल के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा उसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर पर नियमित रूप से लिंक रखे जाएं अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुये कि उद्योग द्वारा जान-बूझकर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि मेसर्स डालमिया चिनी मिल्स (आसवानी इकाई), जवाहरपुर, रामकोट, सीतापुर में स्थापित वेब कैमरा का सतत संचालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कंट्रोल रूम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

T 58

-147-



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure No. 38
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 137/2019 शी-5 / जल-22/19

Dated 14/6/19

सेवा में,

मेसर्स एवरेडी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा०लि०,
माल रोड, ऐशबाग,
लखनऊ।

विषय: उद्योग में स्थापित वेब कैमरा बन्द रहने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करें। बोर्ड मुख्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक 04.06.2019, 06.06.2019 एवं 07.06.2019 को उद्योग में स्थापित web camera संचालित नहीं पाया गया।

उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को सुचारू रूप से निरन्तर संचालन पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। उक्त के सतत् अनुश्रवण हेतु web camera का सतत् संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रोटोकॉल के अनुसार रख-रखाव किया जाना एवं नियमित संचालन सुनिश्चित करते हुये एक्सेस (पहुँच) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। आपके उद्योग मेसर्स एवरेडी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा०लि०, माल रोड, ऐशबाग, लखनऊ में स्थापित web camera दिनांक 04.06.2019, 06.06.2019 एवं 07.06.2019 को बन्द पाया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उद्योग में स्थापित web camera का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रोटोकॉल के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा उसे नियमित रूप से बोर्ड मुख्यालय से लिंक रखें अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुये कि उद्योग द्वारा जान-बूझकर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि मेसर्स एवरेडी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा०लि०, माल रोड, ऐशबाग, लखनऊ में स्थापित web camera का सतत् संचालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कन्ट्रोल रूम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या- 131752/सी-5/जल-44/19

दिनांक 21-1-19

सेवा में,

मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा० लि०
ग्राम-अगासन, कुर्सी रोड,
बाराबंकी।

पंजीकृत

यह कि मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा० लि०, ग्राम-अगासन, कुर्सी रोड, बाराबंकी द्वारा भैंस/भैंसा का वध कर फ़ोजेन नीट का उत्पादन करते हुए वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि उक्त उद्योग का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उन्नाव के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.01.2019 को किया गया है। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालनरत पाया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार उत्प्रावाह शुद्धिकरण संयंत्र के एरियेशन टैंक में एम.एल.एस.एस. मेन्टेन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग से निस्तारित उत्प्रावाह रेठ नदी में भीरनगर गोंव के पास हयूम फाईप के माध्यम से निस्तारित होता पाया गया। रेठ नदी में उत्प्रावाह निस्तारण के बिन्दु के अप-स्ट्रीम पर नदी का जल अपेक्षाकृत साफ दृष्टिगोचर हुआ। उक्त अपस्ट्रीम पर नदी का जल नमूने में डीओ की मात्रा 10.4 मिग्रा/ली०, बीओडी-34.0 मिग्रा/ली० एवं सीओडी-108 मिग्रा/ली० पाई गई। जबकि उद्योग के उत्प्रावाह निस्तारण बिन्दु के डाऊन स्ट्रीम में रेठ नदी में लगभग 1.0 से 1.50 किमी० तक स्लजयुक्त डार्क ब्राउन जल पाया गया। निस्तारण बिन्दु के डाऊन स्ट्रीम नदी के जल नमूने में डीओ की मात्रा शून्य, बीओडी-260.0 मिग्रा/ली० एवं सीओडी-586.0 मिग्रा/ली० पाई गई।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के निरीक्षण आख्या दिनांक 15.1.2019 के अनुसार उद्योग द्वारा रेठ नदी में 20-25 दिन से स्लजयुक्त उत्प्रावाह निस्तारित किया जा रहा है जिससे नदी की जल गुणता अत्यन्त प्रभावित हुई है। निरीक्षण के समय रेण्डरिंग प्लांट में दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु बायो फिल्टर स्थापित है परन्तु बायोफिल्टर के समुचित कार्य न करने के कारण परिसर में दुर्गन्ध व्याप्त पाई गयी। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से प्राप्त जल सहमति में निहित शर्तों तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि पूर्व में दिनांक 09.1.2019 को किये गये निरीक्षण के दौरान उत्प्रावाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट के नमूने का एकत्रण किया गया था। विश्लेषण आख्यानानुसार बी.ओ.डी.-34.0 मिग्रा/ली० एवं सी.ओ.डी.-262.0 मिग्रा/ली० पाया गया जो कि निर्धारित मानक बी.ओ.डी.-30.0 मिग्रा/ली० एवं सी.ओ.डी.-250.0 मिग्रा/ली० से अधिक था। दिनांक 14.01.2019 को निरीक्षण के समय ई.टी.पी. के आउटलेट के नमूने का एकत्रण कर राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार बी.ओ.डी.-38.0 मिग्रा/ली० एवं सी.ओ.डी.-267.0 मिग्रा/ली० पाया गया जो कि निर्धारित मानक बी.ओ.डी.-30.0 मिग्रा/ली० एवं सी.ओ.डी.-250.0 मिग्रा/ली० से अधिक है। जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा उत्प्रावाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग के विरुद्ध मा० एन० जे० टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश ओ० ए० सं०-200/2014 एम० सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.7.2017 के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार उद्योग मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा० लि०, ग्राम-अगासन, कुर्सी रोड, बाराबंकी पर रू० 50,000/- प्रतिदिन के अनुसार 25 दिन हेतु कुल रू० 12.50 लाख (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र) का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई० एफ० एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा करें।

...2

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

- 127 -

- 149 -

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि उद्योग को संचालन से रोका जाय:

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) सपठित धारा-27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग को निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते है-

1. यह कि क्यो न मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा०लि०, ग्राम-अगासन, कुर्सी रोड, बाराबंकी को बोर्ड के पत्र संख्या-एच 12802/सी-5/जल प्रदूषण-44/17 दिनांक 29.11.2017 द्वारा जारी जल सहमति आदेश संख्या-330/सी-5/सहमति जल-44/2017-लखनऊ/17 दिनांक 29.11.2017 को निलम्बित कर दिया जाय।
2. यह कि क्यो न मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा०लि०, ग्राम-अगासन, कुर्सी रोड, बाराबंकी का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाय।
3. यह कि क्यो न मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा०लि०, ग्राम-अगासन, कुर्सी रोड, बाराबंकी को मिलने वाली मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बंद कर दिया जाय।

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
2. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3. अधिषासी अभियंता, उ०प्र० पॉवर कार्पोरेशन लि०, बाराबंकी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या

136/12 /सी-5/जल-2/19

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स हैदरगढ़ चीनी मिल्स,
ग्राम-पोखरा, हैदरगढ़,
बाराबंकी।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके उद्योग मेसर्स हैदरगढ़ चीनी मिल्स, ग्राम-पोखरा, हैदरगढ़, बाराबंकी का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.04.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अंतिम निस्तारण बिन्दु पर स्थापित आनलाइन व्यवस्था का संचालन संतोषजनक नहीं पाया गया। आनलाइन व्यवस्था में प्रयुक्त आटोमैटिक समस्त sensors एक ड्रम में एकत्रित जल उत्प्रवाह में डुबो कर रखे हुये पाये गये तथा उक्त अवहित उत्प्रवाह एकत्रित जल के परिचालक आनलाइन डिस्प्ले में प्रदर्शित होते पाये गये। बहाव मापी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के परिचालक आकड़े को बाधित करने हेतु फ्लोमीटर के नीचे ईटों का लघु चट्टा लगा हुआ पाया गया। शुगर इकाई द्वारा Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) को परिचालको के भ्रामक आकड़े प्रेषित किये जाने की व्यवस्था स्पष्ट रूप से अवलोकित हुई है, जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत (OCEMS) निर्धारित गाइड लाइन के अनुरूप नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 22.04.2019 को किये गये निरीक्षण समय Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) का संचालन संतोषजनक नहीं पाया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 22.04.2019 को किये गये निरीक्षण के समय Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) का डाटा दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 22.04.2019 तक का संकलित किया गया। डाटा की विवेचना के अनुसार पाया गया कि उक्त रिपोर्ट में दिनांक 02.04.2019 से दिनांक 04.04.2019 तक तीन दिन का आनलाइन डाटा उपलब्ध नहीं है (प्रिंट आउट की छायाप्रति संलग्न)। अतः उद्योग की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति के अनुसार उद्योग पर दिनांक 02.04.2019 से दिनांक 04.04.2019 तक की अवधि (03 दिन) का डिफॉल्ट पर रहा है। इस हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारण किया जाना है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक- B-31011/BMW/2019/WMD-I/1614 दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कार्यप्रणाली (Methodology) विकसित किया गया है। उक्त के अनुसार उद्योग के विरुद्ध प्रतिदिन रूपये 30,000/- की दर से 03 दिन हेतु कुल रूपये 90,000/- (रूपये नब्बे हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय है।

अग्रतर अवगत हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 में यह उल्लेख है कि प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना आदेशित है।

...2

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

- 129 -

- 151 -

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली (Methodology) के अनुसार सक्षम अधिकारी स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त मेसर्स हैदरगढ़ चीनी मिल्स, ग्राम-पोखरा, हैदरगढ़, बाराबंकी पर दिनांक 04.04.2019 तक रुपये 90,000/- (रुपये नब्बे हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से बैंक के खाता सं०-701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

[Handwritten Signature]

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

[Handwritten Initials]

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मेसर्स हैदरगढ़ चीनी मिल्स, ग्राम-पोखरा, हैदरगढ़ बाराबंकी से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. कन्ट्रोल रूम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

[Handwritten Signature]

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

[Handwritten Initials]



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या

/सी-5/जल-21/19

दिनांक
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल लि०,
सुल्तानपुर।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके उद्योग मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सुल्तानपुर में स्थापित Online Continuous Effluent Monitoring System पर दिनांक 03.05.2019 को प्रचालक कुल बी.ओ.डी.-66.1-119.3 मिग्रा/ली०, एवं सी.ओ.डी. 323.1-351.2 मिग्रा०/ली०, दिनांक 06.05.2019 को प्रचालक कुल बी.ओ.डी.- 97.2-97.8 मिग्रा/ली०, सी.ओ.डी.-262.5-265.0 मिग्रा०/ली०, दिनांक 07.05.2019 को प्रचालक कुल बी.ओ.डी. 87.1-95.7 मिग्रा०/ली०, दिनांक 08.05.2019 को प्रचालक कुल बी.ओ.डी.-87.4-88.4 मिग्रा/ली० एवं दिनांक 09.05.2019 को प्रचालक कुल बी.ओ.डी.- 88.1-87.8 मिग्रा/ली० प्रदर्शित हुआ। जो कि निर्धारित मानक बी.ओ.डी. 30.0 मिग्रा०/ली० एवं सी.ओ.डी. 250.0 मिग्रा०/ली के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उद्योग द्वारा प्रदूषित उत्स्रावह का निस्तारण किया गया। (प्रिंट आउट संलग्न है)

उक्त के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक- B-31011/BMW/2019/WMD-I/1614 दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कार्यप्रणाली (Methodology) विकसित किया गया है। उक्त के अनुसार इकाई के विरुद्ध रुपये 30,000/- की दर से (दिनांक 08.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019 एवं 09.05.2019 तक की अवधि हेतु) कुल रुपये 1,50,000/- (रुपये एक लाख, पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय है।

अतः उपरोक्त विसंगतियों के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को जारी आदेश के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनानुसार मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सुल्तानपुर पर रुपये 1,50,000/- (रुपये एक लाख, पचास हजार मात्र) का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। संलग्नक उपरोक्तानुसार।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

...2

टी.सी.-12 वी, विमूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

131-

-153-

(2)

2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सुल्तानपुर से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. कंट्रोल रूम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

१८/११/१९९२



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या- 1345/0 / सी-5/ जल-12/19

दिनांक 29/7
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स सी.पी. मिल्क फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०,
ग्राम-गुडम्बा, कुर्सी रोड,
लखनऊ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आपके उद्योग मेसर्स सी.पी. मिल्क फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, ग्राम-गुडम्बा, कुर्सी रोड, लखनऊ में स्थापित Online Continuous Effluent Monitoring System पर दिनांक 30.03.2018 को प्रचालक कुल टी.एस.एस. 214.3-420.4 मिग्रा०/ली० प्रदर्शित हुआ। जो कि निर्धारित मानक टी.एस.एस.-100 मिग्रा०/ली० के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उद्योग द्वारा प्रदूषित उत्स्राव का निस्तारण किया गया। (प्रिंट आउट संलग्न है)

अग्रेतर अवगत हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स सी.पी. मिल्क फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, ग्राम-गुडम्बा, कुर्सी रोड, लखनऊ पर रू० 50,000/- (पचास हजार रुपये) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से बैंक के खाता सं०-701502010002104 IFSC Code **UBIN0570150** में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मेसर्स सी.पी. मिल्क फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, ग्राम-गुडम्बा, कुर्सी रोड, लखनऊ से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

- 133 -

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

- 155 -



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या- H31335 / सी-5/जल-44/19

दिनांक 14-1-19
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा०लि०,
1310/6, 7, 9, 11, कुर्सी, अगासन रोड,
बाराबंकी।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.17 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आपके उद्योग मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा०लि०, 1310/6, 7, 9, 11, कुर्सी, अगासन रोड, बाराबंकी में स्थापित Online Continuous Effluent Monitoring System पर दिनांक 10.01.2019 से प्रचालक कुल पीएच-0.3-1.5 प्रदर्शित हो रही है, जो कि निर्धारित मानक पीएच- 5.5-09 के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उद्योग द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह का निस्तारण किया जा रहा है।

अग्रेतर अवगत हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा०लि०, 1310/6, 7, 9, 11, कुर्सी, अगासन रोड, बाराबंकी पर रू० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से बैंक के खाता सं०-701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मेसर्स अमरुन फूड्स प्रा०लि०, 1310/6, 7, 9, 11, कुर्सी, अगासन रोड, बाराबंकी से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

-134-

-156-

988/HE-1664 A119

पंजीकृत 28/6/19

सेवा में,

मै0 होटल इण्डिया अक्षय
(ए यूनिट आफ होटल जवाहर इण्टरनेशनल प्रा0लि0)
36/18-4 सप्रू मार्ग हजरतगंज,
लखनऊ

विषय:- एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में होटल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त सदर्भित होटल का निरीक्षण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 27/06/2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री अक्षय (एकाउण्ट आफिसर) उपस्थित थे। होटल 67 कमरे का है। होटल में बैनक्वेट हॉल एवं बार स्थापित है। होटल में 80 किली0/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट स्थापित है। निरीक्षण के समय होटल में स्थापित उत्सवाह शुद्धिकरण संचालित नहीं पाया गया। समस्त उत्सवाह बिना शोधन के सीवर लाइन में निस्तारित किया जा रहा था जिसका नमूना एकत्रित कर राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा करा दिया गया। होटल में 320 केवीए क्षमता का डी0जी0 सेट स्थापित है। डी0जी0 सेट पर ध्वनिरोधक यंत्र स्थापित है किन्तु मानको के अनुरूप घिमनी स्थापित नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय आपके होटल से जनित टोस अपशिष्ट का निस्तारण टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुरूप होता हुआ नहीं पाया गया। सूखा एवं गीला टोस अपशिष्ट बिना पृथक्कीकरण के मिश्रित अवस्था में एकत्रित पाया गया।

निरीक्षण के दौरान एकत्रित जल नमूना अत्यधिक प्रदूषित तथा काले रंग का देखने में प्रतीत हुआ जो इस बात का स्पष्ट सूचक है कि होटल द्वारा सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का संचालन सुचारु रूप से नहीं किया जाता है। निरीक्षण के समय सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के नाम पर स्थापित इकाई सैण्ड एवं कार्बन फिल्टर पूर्णतः चोक पाये गये। होटल को निर्गत राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 23/06/2016 के अनुपालन में होटल द्वारा अपना उत्तर प्रेषित किया गया था जोकि संतोषनक नहीं है। होटल का संचालन बिना राज्य बोर्ड की सहमति जल/वायु प्राप्त किये तथा राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को बिना निक्षेपण कराये जल/वायु अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये किया जा रहा है जोकि एक दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि होटल का संचालन बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु किये किया जा रहा है जोकि पर्यावरणीय क्षति की ओर इंगित करता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये होटल पर मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में होटल का संचालन राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित कराये बिना तथा बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना किये जाने के कारण दिनांक 23/06/2016 से दिनांक 26/06/2019 तक (कुल दिन-1092)रु0 15625/- प्रतिदिन की दर से गणना के आधार पर रु0 1,70,62,500.00 (एक करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार पांच सौ रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त धनराशि को बैंक-यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमटी नगर, लखनऊ के खाता संख्या-701502010002104, आई0एफ0सी0 कोड-UBIN0570150, बेनिफिशरी नेम-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में तत्काल जमा करा कर जमा प्राप्ति रसीद प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त धनराशि जमा नहीं कराये जाने की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,


(डा0 रम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी
१८

Regd. 241

984/HE-2074A/19

28/6/19

सेवा में,

मै0 होटल गोल्डन ट्यूलिप,
6,9 स्टेशन रोड,
लखनऊ

विषय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त होटल का निरीक्षण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 27/06/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री अमित कुमार सिंह (चीफ इंजीनियर) उपस्थित थी। उद्योग एवं होटल इकाई है। होटल वर्ष-2009 से स्थापित व संचालित है। होटल में 115 कमरे, 01 रेस्टोरेन्ट, 01 बार, 07 बैंकट, 01 पूल, एवं 02 किचन स्थापित है। होटल में 02 ब्लाक स्थापित है। पूर्व में होटल को इस कार्यालय के आदेश सं0-2417/सहमति (वायु)/2074-ए/2016 दिनांक 02/09/2016 एवं आदेश सं0-2416/सहमति (जल)/2074-ए/2016 दिनांक 02/09/2016 द्वारा दिनांक 31/12/2017 तक सहमति इस निर्देश के साथ की गयी थी होटल शुद्धिकृत उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या एक माह में प्रस्तुत की जायेगी तथा जल मद में वांछित शुल्क रू0 50,000/- सहमति निर्गमन के 15 दिन के अन्दर जमा किया जायेगा जिसका अनुपालन होटल द्वारा नहीं किया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि होटल में 65 केएलडी क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संचालित नहीं पाया गया। समस्त उत्प्रवाह बिना शोधन के सीवर लाइन में निस्तारित किया जा रहा था। एस0टी0पी0 के निरीक्षण से परिलक्षित हुआ कि एस0टी0पी0 का संचालन काफी समय से नहीं किया जा रहा है। होटल में 380X2 केवीए एवं 160X1 केवीए क्षमता के कुल तीन डी0जी0 सेट स्थापित है। डी0जी0 सेट पर ध्वनिरोधक यंत्र स्थापित है किन्तु मानको के अनुरूप चिमनी स्थापित नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय होटल से जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुरूप होता हुआ नहीं पाया गया। सूखा एवं गीला ठोस अपशिष्ट बिना पृथक्कीकरण के मिश्रित अवस्था में एकत्रित पाया गया। पूर्व में होटल को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19/11/2018, 14/12/2018, 20/12/2018 को नोटिस प्रेषित किया गया तथा होटलों को राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 21/06/2018 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञापित भी प्रकाशित करायी गयी किन्तु संदर्भित होटल द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी। वर्तमान समय में होटल बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के स्थापित एवं संचालित है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित होटल पर मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में दिनांक 01/01/2018 से दिनांक 26/06/2019 तक की अवधि तक (कुल दिन 542) रू0 15625/- प्रतिदिन की दर से रू0 8468750.00 (रुपये चौरासी लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्धदण्ड स्वरूप अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त धनराशि को बैंक-यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के खाता संख्या- 701502010002104, आई0एफ0सी0 कोड-UBIN0570150, बेनिफिशरी नेम-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में तत्काल जमा करा कर जमा प्राप्ति रसीद प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त धनराशि जमा नहीं कराये जाने की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

-136-

-158-

985/ME-2348A/19

28/6/19

A-02
बिजीडन

सेवा में,

मै0 होटल शेल्टर
प्लॉट नं0-76, बिल्डिंग नं0-279/43 कानपुर रोड,
चारबाग, लखनऊ

विषय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त होटल का निरीक्षण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 27/06/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री दानिश (प्रबन्धक) उपस्थित थे। उद्योग एक होटल इकाई है। होटल वर्ष-2009 से स्थापित व संचालित है। होटल में 62 कमरे, एवं किचन स्थापित है। पूर्व में होटल को इस कार्यालय के आदेश सं0-29347/UPPCB/Lucknow (UPPCBRO) CTO/Air/Lucknow/2018 dated 24/07/2018 एवं 29353/UPPCB/Lucknow (UPPCBRO) CTO/Water/ Lucknow/2019 dated 24/07/2018 द्वारा दिनांक 31/12/2018 तक सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि होटल द्वारा 20 केएलडी क्षमता का एस0टी0पी0 छः माह में स्थापित करना अनिवार्य होगा तथा होटल द्वारा जल दोहन के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करेगा जिसका अनुपालन होटल द्वारा नहीं किया गया है। पूर्व में होटल को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14/12/2018 एवं 20/12/2018 को नोटिस प्रेषित किया गया तथा होटलों को राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 21/06/2018 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञापित भी प्रकाशित करायी गयी किन्तु संदर्भित होटल द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी। वर्तमान समय में होटल द्वारा राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय होटल में एस0टी0पी0 स्थापित नहीं पाया गया तथा होटल से जनित प्रदूषित उत्स्रवाह बिना शोधन के परिसर के बाहर स्थित सीवर लाइन में निस्तारित होता हुआ पाया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि होटल का संचालन बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के किया जा रहा है जोकि पर्यावरणीय क्षति की ओर इंगित करता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित होटल पर मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में दिनांक 01/01/2019 से दिनांक 26/06/2019 तक की अवधि तक (कुल दिन 177) रू0 15625/- प्रतिदिन की दर से रू0 27,65,625.00 (सत्ताइस लाख पैसठ हजार छः सौ पच्चीस रूपये मात्र) की क्षतिपूर्ति अर्धदण्ड स्वरूप अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त धनराशि को बैंक-यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के खाता संख्या-701502010002104, आई0एफ0सी0 कोड-UBIN0570150, बेनिफिशरी नेम-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में तत्काल जमा करा कर जमा प्राप्ति रसीद प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त धनराशि जमा नहीं कराये जाने की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 137 -

- 159 -

Regd.

986/HE-2304A/19

28/6/19

सेवा में,

मै० डी.डी. होटल प्रा० लि०,
196 गौतम बुद्ध मार्ग,
लखनऊ

विषय एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके होटल का निरीक्षण मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 27/06/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री शुभम सिंह (सुपर वाइजर) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि आपका होटल वर्ष-2010 से स्थापित है तथा आपके होटल में 32 कमरे एवं किचन स्थापित है। पूर्व में आप द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से आन लाइन सहमति आवेदन दिनांक 26/04/2018 को किया गया था किन्तु होटल द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी तथा होटल का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है। पूर्व में आपके होटल को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19/11/2018, 14/12/2018, 20/12/2018 को नोटिस प्रेषित किया गया तथा होटलों को राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 21/06/2018 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञापित भी प्रकाशित करायी गयी किन्तु संदर्भित आप द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी। वर्तमान समय में होटल बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय होटल में एस०टी०पी० स्थापित नहीं पाया गया तथा होटल के उपभोग से जनित प्रदूषित उत्स्रवाह बिना शोधन के परिसर के बाहर स्थित सीवर लाइन में निस्तारित होता हुआ पाया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि होटल का संचालन बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के किया जा रहा है जोकि पर्यावरणीय क्षति की ओर इंगित करता है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में 26/04/2018 से दिनांक 26/06/2019 तक की अवधि तक (कुल दिन 425) रू० 15625/- प्रतिदिन की दर से रू० 66,40,625.00 (छाछठ लाख चालिस हजार छः सौ पच्चीस रुपये मात्र) की क्षतिपूर्ति अर्थ दण्ड स्वरूप अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त धनराशि को बैंक-यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभव खण्ड, गान्धी नगर, लखनऊ के खाता संख्या- 701502010002104, आई०एफ०सी० कोड-UBIN0570150, बेनिफिशरी नेम-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में तत्काल जमा करा कर जमा प्राप्ति रसीद प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त धनराशि जमा नहीं कराये जाने की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 138 -

- 160 -

Regd.

28/6/19

987/1.E-2305A/19

28/6/19

28/6/19

सेवा में,

मै० डी.डी. होटल प्रा०लि०,
551क/61घ, मिलावन आलमबाग,
लखनऊ

विषय एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके होटल का निरीक्षण मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 27/06/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री शुभम सिंह (सुपर वाइजर) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि आपका होटल वर्ष-2010 से स्थापित है तथा आपके होटल में 28 कमरे एवं किचन स्थापित है। पूर्व में आप द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से आन लाइन सहमति आवेदन दिनांक 26/04/2018 को किया गया था किन्तु होटल द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी तथा होटल का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है। पूर्व में आपके होटल को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19/11/2018, 14/12/2018, 20/12/2018 को नोटिस प्रेषित किया गया तथा होटलों को राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 21/06/2018 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित करायी गयी किन्तु संदर्भित आप द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी। वर्तमान समय में होटल बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय होटल में एस०टी०पी० स्थापित नहीं पाया गया तथा होटल के उपभोग से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह बिना शोधन के परिसर के बाहर स्थित सीवर लाइन में निस्तारित होता हुआ पाया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि होटल का संचालन बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के किया जा रहा है जोकि पर्यावरणीय क्षति की ओर इंगित करता है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में 26/04/2018 से दिनांक 26/06/2019 तक की अवधि तक (कुल दिन 425) रू० 15625/- प्रतिदिन की दर से रू० 66,40,625.00 (छाछठ लाख चालिस हजार छः सौ पच्चीस रुपये मात्र) की क्षतिपूर्ति अथ दण्ड स्वरूप अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त धनराशि को बैंक-यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के खाता संख्या- 701502010002104, आई०एफ०सी० कोड-UBIN0570150, बेनिफिशरी नेम-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में तत्काल जमा करा कर जमा प्राप्ति रसीद प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त धनराशि जमा नई कराये जाने की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

989/ AE-2115A/19

28/6/19

सेवा में,

मै0 होटल सिलवेट
4ए राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ

विषय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त होटल का निरीक्षण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 27/06/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में नवीन श्रीवास्तव (जी0एम0) उपस्थित थे। उद्योग एवं होटल इकाई है। होटल वर्ष-2014 से स्थापित व संचालित है। होटल में 27 कमरे एवं किचन स्थापित है। पूर्व में होटल को इस कार्यालय के आदेश सं0-2696/सहमति (वायु)/2115-ए/2017 दिनांक 26/10/2017 एवं आदेश सं0-2695/सहमति (जल)/2115-ए/2017 दिनांक 26/10/2017 द्वारा दिनांक 31/12/2018 तक सहमति इस निर्देश के साथ की गयी थी होटल द्वारा जल दोहन के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करेगा जिसका अनुपालन होटल द्वारा नहीं किया गया है। पूर्व में होटल को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19/11/2018, 14/12/2018, 20/12/2018 को नोटिस प्रेषित किया गया तथा होटलों को राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 21/06/2018 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित करायी गयी थी। वर्तमान समय में होटल बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के संचालित है। निरीक्षण के समय होटल में स्थापित एस0टी0पी0 संचालित नहीं पाया गया तथा होटल से जनित प्रदूषित उत्स्रवाह बिना शोधन के परिसर के बाहर स्थित सीवर लाइन में निस्तारित होता हुआ पाया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि होटल का संचालन बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के किया जा रहा है जोकि पर्यावरणीय क्षति की ओर इंगित करता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित होटल पर मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में दिनांक 01/01/2019 से दिनांक 26/06/2019 तक की अवधि तक (कुल दिन 177) रू0 15625/- प्रतिदिन की दर से रू0 27,65,625.00 (सत्ताइस लाख पैसठ हजार छः सौ पच्चीस रूपये मात्र) की क्षतिपूर्ति अर्धदण्ड स्वरूप अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त धनराशि को बैंक-यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विषय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के खाता संख्या-701502010002104, आई0एफ0सी0 कोड-UBIN0570150, बेनिफिशरी नेम-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में तत्काल जमा करा कर जमा प्राप्ति रसीद प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त धनराशि जमा नही कराये जाने की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 सम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 140 -

- 162 -

998/1E-3439A/19

28/6/19

सेवा में,

मैसर्स सिन्का होटल,
26, विभूति खण्ड-2 निकट शहीद पथ,
गोमती नगर, लखनऊ

विषय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में आपके होटल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 27/06/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री गौरव सिंह (मैनेजर) उपस्थित थी। उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि होटल का संचालन विगत 03 वर्षों से किया जा रहा है। होटल में 39 कमरे हैं। 02 बैकवेट हॉल है। होटल में किचन स्थापित है। होटल को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02/05/2019, को नोटिस प्रेषित किया गया तथा होटलों को राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 21/06/2018 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित करायी गयी किन्तु आप द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी। निरीक्षण के समय होटल से जनित अशोधित सीवेज को बिना शोधन के सीवर लाइन में निस्तारित होता पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज के जल नमूने को एकत्रित करने के कारण से रोका गया था तथा होटल में 220 केवीए क्षमता के 01 डी0जी0 सेट स्थापित है। डी0जी0 सेट पर ध्वनिरोधक यंत्र स्थापित है किन्तु मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय होटल से जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण उक्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुरूप होता हुआ नहीं पाया गया। सूखा एवं गीला ठोस अपशिष्ट बिना पृथक्कीकरण के मिश्रित अवस्था में एकत्रित पाया गया। पूर्व में होटल को इस कार्यालय के पत्र संख्या-465/विधि-1/19 दिनांक 02/05/2019 को नोटिस प्रेषित किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि होटल का संचालन बिना राज्य बोर्ड के सहमति जल/वायु के किया जा रहा है जोकि पर्यावरण अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन एवं पर्यावरणीय क्षति की ओर इंगित करता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपके होटल पर मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2019 के अनुक्रम में दिनांक 02/05/2019 से दिनांक 27/06/2019 तक की अवधि तक (कुल दिन 55) रू0 15625/- प्रतिदिन की दर से रू0 8,59,375.00 (आठ लाख उन्सठ हजार तीन सौ पछत्तर रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड स्वरूप अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त धनराशि को बैंक-यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के खाता संख्या- 701502010002104, आई0एफ0सी0 कोड-UBIN0570150, बेनिफिशरी नेम-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में तत्काल जमा करा कर जमा प्राप्ति रसीद प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त धनराशि जमा नहीं कराये जाने की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

- 141 -

163 - 104 -



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

A-29/6
24/11/19

पत्रांक संख्या- 1435059 /सी-5/जल-264/19

दिनांक 23.4.19

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स जैमिनी कॉन्टीनेन्टल प्रा० लि०,
10, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, हजरतगंज,
लखनऊ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

मेसर्स जैमिनी कॉन्टीनेन्टल प्रा० लि०, 10, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.04.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त होटल से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापना अभी तक नहीं की गई है तथा उक्त इकाई द्वारा जनित उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण म्यूनीसिपल ड्रेन में किया जा रहा है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा अपने पत्र सं० एच 29052/सी-5/जल-264/18 दिनांक 11.02.2018 होटल के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश दिये गये थे कि:

1. उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जल सहमति प्राप्त किये बिना कदापि न किया जाय।
2. उद्योग द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. की स्थापना की जाय एवं शुद्धिकृत सीवेज का बागवानी आदि में प्रयोग किया जाय।
3. उद्योग द्वारा सी.जी.डब्लू.ए. से एन.ओ.सी. प्राप्त की जाय।

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं० 46385/UPPCB/Lucknow (UPPCBRO) CTO/Air/Lucknow/2019 dated 05-02-2019 एवं पत्र सं० 46389/UPPCB/Lucknow (UPPCBRO) CTO/Water/Lucknow/2019 dated 05-02-2019 के माध्यम से सशर्त क्रमशः सहमति वायु एवं जल निर्गत की गयी है। उद्योग को निर्गत जल सहमति आदेश के बिन्दु सं०-24 में उद्योग द्वारा स्थापित एस. टी.पी. की कुल लागत 12.0 लाख का 20 प्रतिशत के अनुसार बैंक गारण्टी के रूप में एक माह के अन्दर जमा किया जाना था। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या द्वारा दिनांक 10.4.2019 को उक्त होटल के किये गये निरीक्षण में पाया गया कि होटल द्वारा अभी एस.टी.पी. का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है एवं न ही आप द्वारा वांछित बैंक गारण्टी रूपये 2,40,000/- (रूपये दो लाख चालीस हजार मात्र) बोर्ड के पक्ष में अभी तक जमा किया गया है तथा सहमति आदेश में उल्लिखित अन्य विशिष्ट शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.04.2019 को किये गये निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति के अनुसार उक्त होटल पर दिनांक 01-12-2018 से दिनांक 04-02-2019 तक की अवधि (66 दिन) का डिफॉल्ट पर रहा है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी 31011/बी०एम०डब्लू०/2019/डब्लू०एम०डी०-1/16314 दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कार्यप्रणाली (Methodology) 2/-

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

- 142 -

- 164 -

विकसित किया गया है। उक्त के अनुसार होटल के विरुद्ध प्रतिदिन रूपये 15,625/- की दर से 66 दिन हेतु कुल रूपये 10,31,250/- (रूपये दस लाख इक्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय है।

अग्रेतर अवगत हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 में यह उल्लेख है कि प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना आदेशित है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली (Methodology) के अनुसार सक्षम अधिकारी स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त होटल मेसर्स जैमिनी कॉन्टीनेन्टल प्रा० लि०, 10, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ पर दिनांक 04.02.2019 तक रूपये 10,31,250/- (रूपये दस लाख इक्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से बैंक के खाता सं०-701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मेसर्स जैमिनी कॉन्टीनेन्टल प्रा० लि०, 10, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

698/G.F-174/19

23/5/19

To,

Divisional Railway Manager (DRM),
Alam Nagar Railway Station,
Lucknow.

Subject: Instruction to comply the provision of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

Sir,

Please refer to above subject it is to inform you that your railway station was inspected by the authorized officers of the Board on date 07/05/2019 and observed that the railway station is violating the emission and discharge standards prescribed by SPCB. It's strictly adhere compliance of the following:

- 1- The railway station shall strictly adhere to the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules 2016, as amended from time to time.
- 2- Logbook /Formats for record keeping of all type of waste i.e. Municipal solid waste, C&D waste etc is need to be standardized, so that the uniformity can be maintained.
- 3- The railway station shall obtain Consents for Operate from UPPCB, as required Under Section 25/26 of the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974 and under Section 21/22 of the Air (Prevention and control of pollution) Act 1981.
- 4- The railway station shall strictly adhere to obtain permission of existing bore wells for draw ground water from Competent Ground Water Authorities.
- 5- The railway station shall comply the provision of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 6- The railway station shall be submit D.G.stack Flue Gas Emission monitoring report/ ambient air monitoring report done by laboratory approved by NABL/ MoEF & CC/ State Board.
- 7- Each of the D.G. Sets shall be provided with a stack whose height, should be worked out according to the formula:-
 $H = h + 0.2 \text{ capacity of KVA}$, Where h= height of the building in meters where the generator set is installed.
- 8- Adequate mufflers shall be provided to the D.G.Set's, so that the ambient noise level shall not exceed the limits prescribed by CPCB.
- 9- The railway station shall strictly provide water meters to measure the quantity of water consumption and wastewater generation.
- 10- As per the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974, the effluent generated are treated from the premises of railway station, before discharging to the sewer should confirm the board prescribed limit norms, these standards can be achieved only after installation of the waste water treatment plant. The railway station shall strictly construct and commission the waste water treatment plant.

The reply regarding compliances of the above direction shall be submitted to this office within 15 days of the receipt of this notice, failing which UPPCB will be constrained to initiate suitable action against the unit, in accordance with the provisions of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended, without giving further notice.

Yours Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Regional Officer

CC: CEO-S, UPPCB, Lucknow for information Please.

Regional Officer

- 144 -

- 166 -

697/ G.F-174/19

23/5/19

A 20

To,

Divisional Railway Manager (DRM),
Aishbagh Railway Station,
Lucknow.

Subject: Instruction for comply the provision of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

Sir,

Please refer to above subject It is to inform you that your railway station was inspected by the authorized officers of the Board on date 07/05/2019 and observed that the railway station is violating the emission and discharge standards prescribed by SPCB. It's strictly adhere compliance of the following:

- 1- The railway station shall strictly adhere to the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules 2016, as amended from time to time.
- 2- Logbook /Formats for record keeping of all type of waste i.e. Municipal solid waste, C&D waste etc is need to be standardized, so that the uniformity can be maintained.
- 3- The railway station shall obtain Consents for Operate from UPPCB, as required Under Section 25/26 of the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974 and under Section 21/22 of the Air (Prevention and control of pollution) Act 1981.
- 4- The railway station shall strictly adhere to obtain permission of existing bore wells for draw ground water from Competent Ground Water Authorities.
- 5- The railway station shall comply the provision of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 6- The railway station shall be submit D.G.stack Flue Gas Emission monitoring report/ ambient air monitoring report done by laboratory approved by NABL/ MoEF & CC/ State Board.
- 7- Each of the D.G. Sets shall be provided with a stack whose height, should be worked out according to the formula:
 $H = h + 0.2 \text{ capacity of KVA}$, Where h= height of the building in meters where the generator set is installed
- 8- Adequate mufflers shall be provided to the D.G.Set's, so that the ambient noise level shall not exceed the limits prescribed by CPCB.
- 9- The railway station shall strictly provide water meters to measure the quantity of water consumption and wastewater generation.
- 10- As per the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974, the effluent generated are treated from the premises of railway station, before discharging to the sewer should confirm the board prescribed limit norms, these standards can be achieved only after installation of the waste water treatment plant. The railway station shall strictly construct and commission the waste water treatment plant.

The reply regarding compliances of the above direction shall be submitted to this office within 15 days of the receipt of this notice, failing which UPPCB will be constrained to initiate suitable action against the unit, in accordance with the provisions of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended, without giving further notice.

Yours Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Regional Officer

CC: CEO-5, UPPCB, Lucknow for information Please.

Regional Officer

- 145 -

- 167 -

696/G.F.174/19

23/5/19

93

To,

Divisional Railway Manager (DRM),
NER Railway Charbagh,
Lucknow.

Subject: Instruction for comply the provision of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

Sir,

Please refer to above subject it is to inform you that your railway station was inspected by the authorized officers of the Board on date 07/05/2019 and observed that the railway station is violating the emission and discharge standards prescribed by SPCB. It's strictly adhere compliance of the following:

- 1- The railway station shall strictly adhere to the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules 2016, as amended from time to time.
- 2- Logbook /Formats for record keeping of all type of waste i.e. Municipal solid waste, C&D waste etc is need to be standardized, so that the uniformity can be maintained.
- 3- The railway station shall obtain Consents for Operate from UPPCB, as required Under Section 25/26 of the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974 and under Section 21/22 of the Air (Prevention and control of pollution) Act 1981.
- 4- The railway station shall strictly adhere to obtain permission of existing bore wells for draw ground water from Competent Ground Water Authorities.
- 5- The railway station shall comply the provision of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 6- The railway station shall be submit D.G.stack Flue Gas Emission monitoring report/ ambient air monitoring report done by laboratory approved by NABL/ MoEF & CC/ State Board.
- 7- Each of the D.G. Sets shall be provided with a stack whose height, should be worked out according to the formula:-
 $H = h + 0.2$ capacity of KVA, Where h= height of the building in meters where the generator set is installed.
- 8- Adequate mufflers shall be provided to the D.G.Set's, so that the ambient noise level shall not exceed the limits prescribed by CPCB.
- 9- The railway station shall strictly provide water meters to measure the quantity of water consumption and wastewater generation.
- 10- As per the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974, the effluent generated are treated from the premises of railway station, before discharging to the sewer should confirm the board prescribed limit norms, these standards can be achieved only after installation of the waste water treatment plant. The railway station shall strictly construct and commission the waste water treatment plant.

The reply regarding compliances of the above direction shall be submitted to this office within 15 days of the receipt of this notice, failing which UPPCB will be constrained to initiate suitable action against the unit, in accordance with the provisions of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended, without giving further notice.

Yours Sincerely

(Dr. Ram Kumar)
Regional Officer

CC: CEO-5, UPPCB, Lucknow for information Please.

Regional Officer

-146-

-168-

695/G.F.174/19

23/5/19

20

To,

Divisional Railway Manager (DRM),
Daliganj Junction,
Lucknow.

Subject: Instruction for comply the provision of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

Sir,

Please refer to above subject It is to inform you that your railway station was inspected by the authorized officers of the Board on date 07/05/2019 and observed that the railway station is violating the emission and discharge standards prescribed by SPCB. It's strictly adhere compliance of the following:

- 1- The railway station shall strictly adhere to the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules 2016, as amended from time to time.
- 2- Logbook /Formats for record keeping of all type of waste i.e. Municipal solid waste, C&D waste etc. is need to be standardized, so that the uniformity can be maintained.
- 3- The railway station shall obtain Consents for Operate from UPPCB, as required Under Section 25/26 of the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974 and under Section 21/22 of the Air (Prevention and control of pollution) Act 1981.
- 4- The railway station shall strictly adhere to obtain permission of existing bore wells for draw ground water from Competent Ground Water Authorities.
- 5- The railway Station shall comply the provision of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 6- The railway station shall be submit D.G.stack Flue Gas Emission monitoring report/ ambient air monitoring report done by laboratory approved by NABL/ MoEF & CC/ State Board.
- 7- Each of the D.G. Sets shall be provided with a stack whose height, should be worked out according to the formula:-
 $H = h + 0.2 \text{ capacity of KVA}$, Where h= height of the building in meters where the generator set is installed.
- 8- Adequate mufflers shall be provided to the D.G.Set's, so that the ambient noise level shall not exceed the limits prescribed by CPCB.
- 9- The railway station shall strictly provide water meters to measure the quantity of water consumption and wastewater generation.
- 10- As per the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974, the effluent generated are treated from the premises of railway station, before discharging to the sewer should confirm the board prescribed limit norms, these standards can be achieved only after installation of the waste water treatment plant. The railway station shall strictly construct and commission the waste water treatment plant.

The reply regarding compliances of the above direction shall be submitted to this office within 15 days of the receipt of this notice, failing which UPPCB will be constrained to initiate suitable action against the unit, In accordance with the provisions of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended, without giving further notice.

Yours Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Regional Officer

CC: CEO-5, UPPCB, Lucknow for information Please.


Regional Officer

- 147 -

- 169 -

694/ G.F.174/19

23/5/19

To,

Divisional Railway Manager (DRM),
NR Railway Charbagh,
Lucknow.

Subject: Instruction for comply the provision of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

Sir,

Please refer to above subject it is to inform you that your railway station was inspected by the authorized officers of the Board on date 07/05/2019 and observed that the railway station is violating the emission and discharge standards prescribed by SPCB. It's strictly adhere compliance of the following:

- 1- The railway station shall strictly adhere to the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules 2016, as amended from time to time.
- 2- Logbook /Formats for record keeping of all type of waste i.e. Municipal solid waste, C&D waste etc is need to be standardized, so that the uniformity can be maintained.
- 3- The railway station shall obtain Consents for Operate from UPPCB, as required Under Section 25/26 of the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974 and under Section 21/22 of the Air (Prevention and control of pollution) Act 1981.
- 4- The railway station shall strictly adhere to obtain permission of existing bore wells for draw ground water from Competent Ground Water Authorities.
- 5- The railway station shall comply the provision of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 6- The railway station shall be submit D.G.stack Flue Gas Emission monitoring report/ ambient air monitoring report done by laboratory approved by NABL/ MoEF & CC/ State Board.
- 7- Each of the D.G. Sets shall be provided with a stack whose height, should be worked out according to the formula:-
$$H = h + 0.2 \text{ capacity of KVA, Where } h = \text{height of the building in meters where the generator set is installed.}$$
- 8- Adequate mufflers shall be provided to the D.G.Set's, so that the ambient noise level shall not exceed the limits prescribed by CPCB.
- 9- The railway station shall strictly provide water meters to measure the quantity of water consumption and wastewater generation.
- 10- As per the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974, the effluent generated are treated from the premises of railway station, before discharging to the sewer should confirm the board prescribed limit norms, these standards can be achieved only after installation of the waste water treatment plant. The railway station shall strictly construct and commission the waste water treatment plant.

The reply regarding compliances of the above direction shall be submitted to this office within 15 days of the receipt of this notice, failing which UPPCB will be constrained to initiate suitable action against the unit, in accordance with the provisions of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended, without giving further notice.

Yours Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Regional Officer

CC: CEO-5, UPPCB, Lucknow for Information Please.

Regional Officer

- 148 -

- 170 -

693/G.F-179/19

23/5/19

To,

Station Superintendent,
NER- Badshahnagar,
Lucknow.

Subject: Instruction for comply the provision of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

Sir,

Please refer to above subject it is to inform you that your railway station was inspected by the authorized officers of the Board on date 07/05/2019 and observed that the railway station is violating the emission and discharge standards prescribed by SPCB. It's strictly adhere compliance of the following:

- 1- The railway station shall strictly adhere to the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules 2016, as amended from time to time.
- 2- Logbook /Formats for record keeping of all type of waste i.e. Municipal solid waste, C&D waste etc is need to be standardized, so that the uniformity can be maintained.
- 3- The railway station shall obtain Consents for Operate from UPPCB, as required Under Section 25/26 of the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974 and under Section 21/22 of the Air (Prevention and control of pollution) Act 1981.
- 4- The railway station shall strictly adhere to obtain permission of existing bore wells for draw ground water from Competent Ground Water Authorities.
- 5- The railway station shall comply the provision of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 6- The railway station shall be submit D.G.stack Flue Gas Emission monitoring report/ ambient air monitoring report done by laboratory approved by NABL/ MoEF & CC/ State Board.
- 7- Each of the D.G. Sets shall be provided with a stack whose height, should be worked out according to the formula;-
 $H = h + 0.2 \text{ capacity of KVA}$, Where h= height of the building In meters where the generator set is installed.
- 8- Adequate mufflers shall be provided to the D.G.Set's, so that the ambient noise level shall not exceed the limits prescribed by CPCB.
- 9- The railway station shall strictly provide water meters to measure the quantity of water consumption and wastewater generation.
- 10- As per the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974, the effluent generated are treated from the premises of railway station, before discharging to the sewer should confirm the board prescribed limit norms, these standards can be achieved only after installation of the waste water treatment plant. The railway station shall strictly construct and commission the waste water treatment plant.

The reply regarding compliances of the above direction shall be submitted to this office within 15 days of the receipt of this notice, failing which UPPCB will be constrained to initiate suitable action against the unit, in accordance with the provisions of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended, without giving further notice.

Yours Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Regional Officer

CC: CEO-5, UPPCB, Lucknow for information Please.

Regional Officer

-149-

-171-

692/G.F.174/19

23/5/19

To,

Station Superintendent,
Gomti Nagar,
Lucknow.

Subject: Instruction for comply the provision of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

Sir,

Please refer to above subject it is to inform you that your railway station was inspected by the authorized officers of the Board on date 07/05/2019 and observed that the railway station is violating the emission and discharge standards prescribed by SPCB. It's strictly adhere compliance of the following:

- 1- The railway station shall strictly adhere to the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules 2016, as amended from time to time.
- 2- Logbook /Formats for record keeping of all type of waste i.e. Municipal solid waste, C&D waste etc is need to be standardized, so that the uniformity can be maintained.
- 3- The railway station shall obtain Consents for Operate from UPPCB, as required Under Section 25/26 of the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974 and under Section 21/22 of the Air (Prevention and control of pollution) Act 1981.
- 4- The railway station shall strictly adhere to obtain permission of existing bore wells for draw ground water from Competent Ground Water Authorities.
- 5- The railway station shall comply the provision of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 6- The railway station shall be submit D.G.stack Flue Gas Emission monitoring report/ ambient air monitoring report done by laboratory approved by NABL/ MoEF & CC/ State Board.
- 7- Each of the D.G. Sets shall be provided with a stack whose height, should be worked out according to the formula:-
$$H = h + 0.2 \text{ capacity of KVA, Where } h = \text{height of the building in meters where the generator set is Installed.}$$
- 8- Adequate mufflers shall be provided to the D.G.Set's, so that the ambient noise level shall not exceed the limits prescribed by CPCB.
- 9- The railway station shall strictly provide water meters to measure the quantity of water consumption and wastewater generation.
- 10- As per the Water (Prevention and control of pollution) Act 1974, the effluent generated are treated from the premises of railway station, before discharging to the sewer should confirm the board prescribed limit norms, these standards can be achieved only after installation of the waste water treatment plant. The railway station shall strictly construct and commission the waste water treatment plant.

The reply regarding compliances of the above direction shall be submitted to this office within 15 days of the receipt of this notice, failing which UPPCB will be constrained to initiate suitable action against the unit, in accordance with the provisions of the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981; Water (Prevention and control of pollution) Act-1974, Solid Waste Management Rules (SWM), 2016 ; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended, without giving further notice.

Yours Sincerely,

(Dr. Rana Karan)
Regional Officer

CC: CEO-5, UPPCB, Lucknow for information Please.

Regional Officer

- 150 -

- 172 -

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 नं0- 6 में पारित आदेश दिनांक- 20.09.2018, 19.12.2018 एवं 08.04.2019 के सम्बन्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 14.06.2019 द्वारा पुनर्गठित River Rejuvenation Committee (RRC) की प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त वर्णित तिथियों में पारित आदेशों के अनुक्रम में पुनर्गठित River Rejuvenation Committee (RRC) की बैठक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ के सभाकक्ष में दिनांक-01.07.2019 को अपराह्न 03:30 बजे प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत हुई। बैठक में उपस्थित प्राधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि का विवरण संलग्न है।

2- बैठक में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0- 673/2018 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक- 20.09.2018, 19.12.2018 एवं 08.04.2019 के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा प्राथमिकता तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण की कुल- 08 प्रदूषित नदियों के स्ट्रेच का विवरण निम्नवत् है, जिनके पुनरूद्धार की कार्ययोजना तैयार की गई है :-

क्रमांक	नदी का नाम	नदी स्ट्रेच	प्राथमिकता का चरण
1	गोमती	सीतापुर से वाराणसी	तृतीय
2	गंगा	कन्नौज से वाराणसी	चतुर्थ
3	रामगंगा	मुरादाबाद से कन्नौज	
4	बेतवा	बागपुर (म0प्र0) से हमीरपुर	पंचम
5	घाघरा	बड़हलगंज से देवरिया	
6	राप्ती	डामिनगढ से राजघाट	
7	सई	उन्नाव से जौनपुर	
8	सरयू	अयोध्या से इलाफतगंज	

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक- 24.04.2019 को टॉस्क टीम की बैठक में विचारोपरान्त कतिपय सूचनायें उक्त कार्ययोजना में समाहित करने की अपेक्षा की गयी है, जिसमें प्रमुख रूप से उद्योगों में जल खपत तथा उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति, गैप एनालिसिस, सभी ड्रेन्स की सूची एवं जल गुणता का विवरण, भूजल गुणता का विवरण इत्यादि को समाहित किया जाना था।

3- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सभी सूचनाएं/विवरण उपरोक्त आठ नदियों हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना में समाहित कर दिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा नदियों में जलगुणता सुधार हेतु लघु (तात्कालिक) एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गयी जिसमें मुख्य रूप से निम्न कार्यों को

स्थानीय निकाय, सिचाई विभाग एवं स्थानीय नागरिक/स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से अल्प समय में किया जा सकता है, इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य चिन्हित किये गये हैं :-

1. नदियों को ठोस अपशिष्ट से मुक्त करना।
2. नदियों के अविरल प्रवाह हेतु कार्यवाही।
3. नदी के प्रदूषण भार में कमी हेतु कार्यवाही।
4. औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण।

4- इसी प्रकार दीर्घकालिक कार्यों के बारे में भी विस्तार से बताया गया :-
 डा0 अखिलेश मिश्र, विशेष सचिव, परिवहन (पूर्व जिलाधिकारी, पीलीभीत) द्वारा जिलाधिकारी, पीलीभीत अवधि के दौरान गोमती नदी के उद्गम स्थल से 16.0 कि०मी० तक गोमती नदी पुनरुद्धार एवं प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु उनके द्वारा जन-सहभागिता के माध्यम से किये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि नदी को पुनर्जीवित किये जाने में जनसामान्य की भागीदारी होना अत्यन्त आवश्यक है।

डा0 विकास रंजन, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि कूड़ा फेंकने तथा समुचित निस्तारण न किये जाने तथा उसकी शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु मोबाइल ऐप बनवा कर कार्यवाही किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

डा0 एस०आर० टैगौर, पर्यावरण विशेषज्ञ, एन०एम०सी०जी० द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत जलकुम्भी से बैग्स एवं हैण्डिकाफ्ट के सम्बन्ध में बताया गया।

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, लोकभारती द्वारा अवगत कराया गया कि बैटलैण्ड्स, सूखे जल स्रोतों की रिचार्जिंग तथा नैमिष, सीतापुर के आसपास तमाम छोटी-2 नदियों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया। श्री वेकेण्टेश्वर दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डा0 अम्बेडकर सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा गोमती नदी पर तैयार किये गये एक्शन प्लान का भी अध्ययन किया जाए। संत बलवीर सिंह, सीचेवाल द्वारा कालीबेई नदी, पंजाब के पुनरुद्धार का भी संज्ञान लिये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।

5- प्रमुख सचिव महोदया द्वारा विशेष सचिव, नगर विकास को अवगत कराया गया कि प्रदेश में स्थित संमस्त एस०टी०पी० पर ओसीईईएमएस एवं पी०टी०जेड० कैमरा 15 दिवस के अन्दर स्थापित एवं लिंक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए। भरवाश, लखनऊ स्थित एस०टी०पी० को मॉडल एस०टी०पी० के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें प्लांटेशन हेतु नर्सरी, शुद्धिकृत सीवेज के उपयोग करने आदि की व्यवस्था की जाए। नालों में बारमेश से मैकेनाइज्ड सालिड वेस्ट रिमुवल के सम्बन्ध में तकनीक विकसित करने हेतु नगर विकास द्वारा कार्यवाही की जाए।

6- अंत में निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित करने के निर्देश के साथ शेष कुल 08 नदियों के एक्शन प्लान्स को अनुमोदित किया गया :-

1. इन्वायरमेंट मानीटरिंग पोर्टल का एड्रेस उपलब्ध कराना।
2. वेस्ट इरीगेशन/एग्रीकल्चर प्रेक्टिस।

3. रिचार्ज वेल एवं पाण्डस।
4. अपेन्डिक्स में रिसोर्स पर्सन, ग्राउण्ड वाटर एवं मियावाकी फॉरेस्टरी से सम्बन्धित यूट्यूब लिंक भी अंकित किये जायें।
5. जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की संरचना को भी एक्शन प्लान में संलग्नक के रूप में शामिल किया जाये।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि समिति के अनुमोदनोपरान्त एक्शन प्लान्स को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए तथा उन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या को समेकित रूप से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अन्त में धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।


उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन अनुभाग-7
संख्या-285(2)/55-पर्या-7-2019-49(पर्या0)/2017


लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 3- निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
- 5- निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
- 6- क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम,
- 8- निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
- 9- डॉ० ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, आई०आई०टी०, रुड़की।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

**ACTION PLAN
FOR
RESTORATION OF POLLUTED STRETCH
OF
RIVER GOMTI
FROM
SITAPUR
TO
KAITHI (DISTRICT GHAZIPUR)**



**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
TC - 12V, VIBHUTI KHAND, GOMTINAGAR,
LUCKNOW (UP)**

INDEX

Executive Summary	1-8
1. Introduction	9-12
• 1.1 Polluted stretch of river Gomti from Sitapur to Jaunpur along with drains.	12
2. Objective of the Action Plan	12
3. Pollution Inventory	13-40
• 3.1 Details of drains contributing the pollution	13-27
▪ a - b Drains (A -G)	
• 3.2 Details of Sewage Pollution Sources	28-33
• 3.3 Details of Waste Management	34-40
▪ 3.3 (a) Municipal Solid Waste	34-36
▪ 3.3 (b) Bio- Medical Waste	37-39
▪ 3.3 (c) Hazardous Waste	40
▪ 3.3 (d) E-Waste	40
4. Details of Industrial Pollution Sources	41-46
• GIS Mapping.	41-43
• 4.1 Details of Industrial Unit	44
• 4.2 Gap Analysis of Industries Situated in the catchment of River Gomti	45-46
5. Status of Ground Water	47-49
6. Monitoring of Pollution Sources	50-54
• 6.1 Monitoring of Drains	50-51
• 6.2 Monitoring of River	52
• 6.3 Monitoring of Water Polluting Industries	53
• 6.4 Establishment of River Gomti Pollution Control Room	53-54
7. Polluted River Stretch Rejuvenation Action Plan	55-69
Appendices	70-122
Appendix-1 Pollution Source Mapping of River Gomti from Sitapur to Jaunpur.	71-75
Appendix-2 Details of Cities & Towns	76
Appendix-3 Details of Industries	77-80
Appendix-3A GAP Analysis of Industries Situated in the Polluted Stretch of River Gomti	81-88
Appendix-3B Action Points for Slaughter Houses	89-90
Appendix-3C Action Points for Textile Industries	91-92
Appendix-3D Action Points for Electroplating Industries	93-94
Appendix-3E Action Plan for Distillery & Fermentation Sector for Mitigation of Pollution to ensure ZLD	95
Appendix-4 Details of Gram Panchayats & Revenue Villages on the banks of River	96-105
Appendix-5 Wet Lands / Water Bodies Along The River Gomti	106-107
Appendix-6 Status of E-waste Management	108-111
Appendix-7 River Water Quality Data	112-118
Appendix-8 MSW improvement action plan time-line for the ULBs of Department of Urban Development, UP	119-122
Appendix-9 Other Relevant Informations	123-125

Executive Summary

The Aadi Ganga, daughter of Muni Vashistha i.e. River Gomti is known as Lifeline of Lucknow, which originates from Madhotanda, Gomad lake (Phooler Lake), Pilibhit . The river passes through, Lakhimpur kheri, Hardoi, Sitapur, Lucknow, Barabanki, Sultanpur and Jaunpur. During its journey, its traverses approximately 821 Kms. and ultimately confluences in sacred River Ganga near village Kaithi of tehsil Shaidpur of district Ghazipur. River Sarayan, which is a tributary of river Gomti confluences with it at village-Kantaian, District-Sitapur before meeting river Sarayan River Gomti looks like a drain after confluence with Sarayan it actually looks like a river.

Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 20th September 2018 instructed UPPCB to prepare River Gomti Action Plans to restore the quality of priority-III polluted stretch of River Gomti to be fit for at least bathing purposes within 06 months from the date of action plan gets approved.

The river water quality analysis reveals that the average Dissolved Oxygen (D.O.) was found 5.05 mg/l and Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.) in the range of 2.25 mg/l to 17.33 mg/l in the year 2018 (B.O.D. is minimum at- Dadhnamau Ghat, Sitapur & maximum at- D/s After meeting of STP, Nala Bharwara, Lucknow), which comes under category E as per water quality standards IS 2296-1982, based on last 3 years monitoring data of river water quality in the identified polluted stretch of River Gomti, from Sitapur to Kaithi (District Ghazipur). The river receives considerable amounts of wastewater every day from the industries and sewage system flow from different nagar palika/municipal area of Sitapur, Hardoi,

Barabanki, Sultanpur, Jaunpur and Kerakat (Jaunpur) which leads to deterioration of its water quality.

Pollution Inventory:

In the polluted stretch of River Gomti, total discharge of 865 MLD is estimated in the form of sewage and industrial effluent through 68 drains and direct discharge of 30 industries in the river. As per desk inventory, about 835 MLD of sewage and 30 MLD of industrial effluent are currently being discharged into the river Gomti through various drains and river Sarayan. Treated Industrial effluent coming from 30 industries which is approx. 30 MLD, is being discharged into river Gomti in the polluted river stretch. The treatment of sewage is a major area of concern as out of total estimated sewage discharge of 835 MLD, only 443MLD of sewage is treated. The estimates of industrial effluent are based upon the consented discharge quantified from the units but actual industrial effluent may be more than the estimates owing to over discharge by consented industries and discharge from illegal units operating in non-conforming areas. A detailed drain wise data regarding sewage, industrial effluent and number of industries in the drain, status of tapping and status of fixing of bar meshes etc. is given in the detailed Action Plan.

As mentioned above, total sewage discharged into River Gomti through 68 major drains is approximately 865 MLD. There are 06 main towns namely Sitapur, Lucknow, Barabanki, Jagdishpur, Sultanpur, Jaunpur and 01 town area namely, Kerakat (Jaunpur) are located in the catchment area of the river. The sewage and other effluent generated from these cities contribute to the organic load of the river. As mentioned earlier the treatment of sewage is a major issue of concern as the total installed capacity of the Sewage Treatment Plants is 443 MLD and 100%

capacity of the installed STPs is being utilized. Approx. 422 MLD of untreated sewage flows into River Gomti. This indicates that the treatment facility available is insufficient. The treated sewage from 345 MLD Bharwara STP meets river Gomti at the downstream of Lucknow city near Khaledeoria. The treated sewage from 56 MLD Daulatganj STP meets river Gomti at the upstream of Lucknow city near Kudiyaaghat. The details of Sewage Treatment Plants along with installed capacity, utilized capacity, operating agency and discharge point is given in Action Plan.

08 Towns located in the catchment area of River Gomti from Sitapur to Jaunpur. approx. 1842.07 TPD Solid Waste is generated in Lucknow, Sitapur, Sandila (Hardoi), Barabanki, Sultanpur and Jaunpur. Although, the agency operating in Lucknow municipal area has been practicing door to door collection of MSW. The city wise details of municipal solid waste generation are provided in Action Plan.

Gap Analysis for the Projected Population in Year 2030 in the Catchment Area of River Sewage Treatment:

There are 8 Cities and Towns situated in the catchment area of Polluted Stretch of River Gomti. Estimated Sewer Generation for year 2030 on the basis of Census 2011 is 860.66 MLD. The installed capacity of existing STPs is 443 MLD and 373 MLD capacity STPs are proposed to be installed in Lucknow, Sultanpur and Jaunpur but there is a gap in the treatment of Sewage Generated and STPs to be installed at Sitapur, Barabanki, Amethi (Jagdishpur) and Kerakat (Jaunpur).

Municipal Solid Waste:

There are 8 Cities and Towns situated at the catchment area of Polluted Stretch of River Gomti. Estimated MSW Generation for year 2030

on the basis of Census 2011 is 1798.84 TPD. There is processing facility available only Districts Lucknow & Barabanki with 1230 TPD capacity and the rest of the districts have no processing facility available. Therefore, gap of 568.84 TPD exists in the catchment area of polluted River Stretch.

Bio-Medical Waste:

In 08 Cities and Towns located in the catchment of the stretch of river Gomti there are 2112 Health Care Facilities which generate 7475Kg/Day of Bio-Medical Waste. All the Health Care Facilities have valid agreements with 04 Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities situated in Lucknow and Sitapur for collection, transportation and disposal of Bio-Medical Waste. The segregation of Bio-Medical Waste and disposal in the CBWTFs as per the provisions of Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 is a major area of concern. The mixing of Bio-Medical Waste with Municipal Solid Waste is also observed which also needs to be addressed.

Hazardous Waste:

The total hazardous waste generation in the catchment area of the stretch from 646 industrial units is 73278.733 Ton/Annum which is collected, treated and disposed by 02 Common Facilities located near Kanpur Dehat.

E-Waste:

In the State, a total 43 Common E- Waste Disposal Facility is operational. Out of these, 10 units are collection center, 18 have the facility of collection & dismantling whereas remaining 15 are collection, dismantling and recycling centres. The cumulative capacity of these plants- 2,64,552 TPA and 10,000 Pieces/Annum. The quantum of E-Waste

generated in the State is approximately 86,000 TPA. Hence there is no gap in the generation and treatment infrastructure for safe E-Waste handling as per the provisions of E-Waste Rules, 2016. **Industries:**

Total 30 water polluting industries, mainly Sugar, Distillery, Electroplating, Textile, Slaughter House and other miscellaneous industries etc. located in the catchment area of the present stretch of Gomti River. Presently polluted stretch of River Gomti receives approximately 30 MLD treated industrial effluent. The industries situated in the catchment of the polluted river stretch utilize ground water needed for their processes. Total estimated water extraction by the industries is approximately 65 MLD against the discharge of 30 MLD by the industries. This indicates that about 40 percent of the treated effluent is recycled in the processes and rest accounts for the evaporation losses and consumption in the products.

Monitoring of Pollution Sources

Drains:

Monitoring of drains discharging into the polluted stretch of river Gomti varies with concerning districts Monthly: Sitapur, Quarterly: Lucknow, Half Yearly: Amethi & Sultanpur, Weekly: Sultanpur & Jaunpur. The sampling points are selected near the confluence of the drains with the Gomti River. Care has been taken that there is no backwater effect of the river at the sampling point and no source of pollution joins the drain after the sampling point.

River:

The priority-III polluted stretch of River Gomti will be monitored at 19 places so as to ascertain adverse effect of pollution by various sources in the river.

Industries

All the water polluting industries will be monitored regularly by 03 agencies namely UPPCB, District Ganga Committee/Zila Paryavaran Samiti and Third Party Institutions of repute. GPIs will be monitored quarterly and other industries will be monitored randomly by District Ganga Committee/Zila Paryavaran Samiti. Third Party Institutions shall also be entrusted with the responsibility of comprehensive monitoring by CPCB and NMCG. Besides this the drive for identification and closure of illegal industries operating in non-conforming areas shall also be carried out by District Ganga Committees/Zila Paryavaran Samitis with appropriate Magisterial and Police support

Establishment of Gomti Pollution Control Room:

A Control Room for monitoring and centralized reporting of various pollution sources shall be established in Lucknow with appropriate infrastructure and human resource. This control room will be under overall supervision of Commissioner, Lucknow and will be run by UP Pollution Control Board with the help of District Ganga Committees/Zila Paryavaran Samitis.

Polluted River Stretch Rejuvenation Action Plan:

Some short and long term Action points were identified based on their urgency and time period required for their completion. Point wise details are provided in Action Plan. Some highlights of Action points are given below:

Sewage Management

Short Term:

- Estimation of total sewage generation from City/Towns where sewage treatment facility does not exist and preparation of DPR for treatment of sewage.
- Measurement of flow & load of all the drains contributing pollution load in River Yamuna.
- Installation of Bar-meshes in the drains & regular cleaning & disposal of Solid Waste from them.
- Untapped drains to be provided with modular treatment facilities/ In-Situ bio-remediation or Phytoid-SWAB (CSIR-NEERI) based treatment.
- Completion and commissioning of under construction STP at G.H. Canal, Lucknow.

Long Term:

- Laying of Sewerage Network & Connection of households to the sewer line in order to utilize the installed capacity of existing STPs.
- Establishment of Sewage Treatment Plants of adequate capacity.
- Tapping & diversion of the drains having high sewage load to STPs to be constructed on I&D model.
- Infrastructure Development in Irrigation/Horticulture/Sprinkling/Industries. Ensuring use of treated water.

Industrial waste Management

Short Term Action Point:

- Re-inventorisation of Water Polluting Industries in the catchment area of the drains and their status with respect to consent, installation of ETP, adequacy of ETP and final discharge point.
- Monitoring of water polluting industries and ensuring closure of industries which are operating without consent or non-compliant.
- Closure and legal action against the illegal water polluting industries operating in non-confirming /residential areas.

- Installation of OCEEMS, Flow Meter & Web Cams in large and medium category of GPIs with connectivity to the server of CPCB and UPPCB
- In Sugar industries for reducing the water consumption, improving the quality of treated effluent and reuse of water in irrigation

Long Term Action Point:

- Adoption of cleaner technologies by water polluting industrial sectors having major impact on water quality of the river. For eg. - Electroplating, Dyeing, Pulp & Paper industries etc.
- Imposing stringent norms in Distillery, Pulp & Paper, and Slaughter House.
- Reducing abstraction of ground water by reuse/recycle of treated effluent by installation of additional treatment facilities & process improvement.
- Use of treated effluent from CETPs for industrial and irrigation purposes.

Actions related to improvement of ETPs and reduction of use of ground water by the industries

1. INTRODUCTION

The Aadi Ganga, daughter of Muni Vashistha i.e. River Gomti is known as Lifeline of Lucknow, which originates from Madhotanda, Gomad lake (Phooler Lake), Pilibhit . The river passes through, Lakhimpur kheri, Hardoi, Sitapur, Lucknow, Barabanki, Sultanpur and Jaunpur. During its journey, its traverses approximately 821 Kms. and ultimately confluences in sacred River Ganga near village Kaithi of tehsil Shaidpur of district Ghazipur. Gomti River appears as a natural drain form Modhotanda to Mohmmadi Kheri in a stretch of approximately 110 Kms. The quality of water possessed by the River from Madhotanda to Mohammadi Kheri is natural, and maintains wholesomeness, so far as the quality of water is concerned.

River Sarayan, which is a tributary of river Gomti confluences with it at village-Kantaayan, District-Sitapur.

Sarayan River has its origin in the forest area of district Lakhimpur, Uttar Pradesh. Sarayan River joins River Gomti at village-Kantyaan, District-Sitapur. Coordinates of its meeting point in River Gomti are Latitude: 27°12'00.8"N & Longitude: 80°47'23.1"E. The River carries sewage and industrial effluent from 10 Industries, which are situated in the catchment of river sarayan. The treated effluent of approx. 4 MLD from these industries and sewage approx. 20 MLD is being discharged in the river Sarayan. Total Distance of Sarayan River from its origin to village Kantaian at meeting point to Gomti is approx. 170 kms. Approx. 4 MLD of treated effluent generated from four industries situated in the catchment of river Sarayan is discharged in river Sarayan which ultimately meets river Gomti.

The stretch of the river from Sitapur to Rajwari, Varanasi (Gomti before meeting to Ganga), has been identified as a polluted stretch. As per UP Jal Nigam records an approx. 865 MLD sewage is contributed in river Gomti. During the long journey of 375 Kms from Pilibhit to Barabanki

district it carries rain water during monsoon through connected tributary/natural drain / manmade Nalas from approximately 7500 square Kms catchment area of both banks. As per data from flood control department (Irrigation deptt.) maximum flow that has been observed is around. 55,000 MLD in rainy season and minimum flow of nearly 500 MLD in summer season. In majority of the river stretch, there has been encroachment of the river bed for the urban settlements, discharge of sewage from Lucknow city and activities of cloth washings (Dhobighat). River Gomti travels approximately 275 Kms from Lakhimpur to Barabanki and in Lucknow city, the river travels from Upstream (Ghaila Ghat) to downstream (Pipra Ghat) approximately 20 Kms. The raw water from river Gomti (270 MLD) is drawn daily for the supply of potable water which affects Gomti river quality due to shortage of water especially in summers. 02 tributaries (Sarayan River, and Sai River) & 68 Nalas are meeting in river Gomti at different places on both the sides. In river Gomti, 30 water polluting industries also discharge their treated effluent at various points.




Fig : 1.1, Confluence point of River Gomti in Ganga at Vill. Kaithi, Ghazipur.

As per the last year monitoring of river water quality in the identified polluted stretch of river Gomti, from Sitapur to Jaunpur, water of River Gomti is neither fit for Drinking water nor for Outdoor bathing and Fish Culture etc. between kudiaghat to Jagdishpur. It can only be used for irrigation, industrial cooling or controlled waste disposal (Class - E, specified as per IS 2296-1982).




Fig:1.2: Image showing stretch of River Gomti from origin to confluence at river Ganga and the polluted stretch from Sitapur to Jaunpur

-- 11 --

1.1 POLLUTED STRETCH OF GOMTI RIVER FROM SITAPUR TO JAUNPUR

Polluted Stretch of Gomti River originates at Madhotanda, Gomad Lake (Phooler Lake), Pilibhit and flows further towards Lakhimpur kheri, Hardoi, Sitapur, Lucknow, Barabanki, Amethi, Sultanpur and Jaunpur. During its journey from origin to destination, it traverses a long distance of about 821 Kms out of which the polluted stretch lies in between District Sitapur to District Jaunpur, of approximate length of 628 Kms.

There are 132 (Left Bank: 50 and Right Bank: 82) villages located on the banks of this Priority-III polluted stretch of river. The total population of these villages is 3,25,844 as per the census of 2011. Taking Decadal growth into consideration, the estimated population in 2019 would be around 3,77,450 and estimated generation of sewage would reach approx. 30 MLD. There are 30 water polluting industries located in the catchment of the concerned stretch of Gomti River **Appendix-3**. These industries have effluent treatment plants and their treated effluent is discharged through 8 drains, of which all drains are mixed drains where treated industrial effluent is mixed with the sewage.

2. OBJECTIVE OF THE ACTION PLAN

The objective of the Action Plans is to restore the quality of this priority - III polluted stretch of River Gomti to be made fit for at least bathing purposes within 06 months from the date of action plan as directed by Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 20th September 2018 passed in the original Application No 673/2018 in the matter of NEWS ITEM PUBLISHED IN 'THE HINDU' AUTHORED BY SHRI JACOB KOSHY titled " More river stretches are now critically polluted: CPCB.

3. POLLUTION INVENTORY

3.1 DETAILS OF DRAINS POLLUTING RIVER GOMTI

Details of drains contributing the pollution

In the polluted stretch under question of river Gomti, total discharge of 865 MLD is estimated in the form of sewage and industrial effluent through 68 drains directly or partially discharging into the river

As per desk inventory, about 835 MLD of sewage and 30 MLD of industrial effluent are currently being discharged into the river Gomti through various drains and river Sarayan. Treated Industrial effluent coming from 30 industries which is approx. 30 MLD, is being discharged into river Gomti in the polluted river stretch. The treatment of sewage is a major area of concern as out of total estimated sewage discharge of 835 MLD, only 443MLD of sewage is treated. The estimates of industrial effluent are based upon the consented discharge quantified from the units but actual industrial effluent may be more than the estimates owing to over discharge by consented industries and discharge from illegal units operating in non-conforming areas. A detailed drain wise data regarding sewage, industrial effluent and number of industries in the drain, status of tapping and status of fixing of bar meshes etc. is given in **Appendix-1**

Summary of Drains

S No.	District/ City	No. of Drains	Type of Drains			Status of Drains			Industries			Sewage Discharge (MLD)			Total Discharge in the River (MLD)
			Domes tic	Indus trial	Mixed	Tapped	Untapp ed	Partially Tapped	Number	Treated Effluent (MLD)	Treated	Untreat ed	Total		
1	Sitapur	2	-	-	2	-	2	-	2	1.28	-	5	5	6.28	
	Sitapur * (river Sarayan)								10	4.03	0	20	20	24.03	
2	Hardoi (Sandila)	1	0		1	-	1	0	2	1.5	0	1.4	1.4	2.90	
3	Lucknow	33	30	-	3	16	7	10	6	5.03	438	323	755.5	760.53	
4	Unnao	1	0	0	1	0	1	0	2	0.4	0	2	2	2.4	
5	Barabanki	2	1	-	1	-	2	-	4	2.43	-	16	16	18.43	
6	Amethi (Jagdishpu r)	1	-	-	1	-	1	-	3	14.05	0	5	5	19.05	
7	Sultanpur	7	6	-	1	3	4	-	1	1.1	5	0.5	5.5	6.6	
8	Jaunpur	14	14	-	-	-	14	-	-	-	-	16	16	16	
9	Jaunpur (Kerakat)	7	7	-	-	-	7	-	-	-	-	8.7	8.7	8.7	
	Total	68	58	0	10	19	39	10	30	29.82	443	397.6	835.1	864.92	

* There are 04 drains meeting in river Sarayan which carry treated industrial effluent from 10 industries and part sewage of Sitapur city.
Source : Joint Verification Report submitted in Hon'ble NGT in OA No. 200/2014 and desk inventory of UPPCB. 19 drains are tapped and are connected to STP.

A. Sarayan River (Sitapur)

a. Origin

Sarayan River originates from Lakhimpur forest area, Uttar Pradesh. It joins Gomti River at village-Kantaian, District-Sitapur. Coordinates of its meeting point in River Gomti are Latitude: 27°12'00.8"N & Longitude: 80°47'23.1"E. The River carries sewage and industrial effluent of 10 Industry in the catchment of river sarayan. The treated effluent approx. 4 MLD from these industries and sewage approx. 20 MLD. is discharged in river Sarayan.

b. Length covered

Total Distance of Sarayan River from its origin to village- Kantaian meeting point to Gomti is approx.: 170 kms.

c. Details of industries & discharge of their effluent into the drain

Sarayan River carries natural water, domestic waste water of Sitapur as well as effluent of 10 Industries in the catchment of river Sarayan

Parameters	Results
pH	8.44
BOD (mg/l)	2.6
COD (mg/l)	13.6
TSS (mg/l)	31
Total Coliform (MPN/100 ml)	3800
Date of Sampling	17.04.19



B. KUKRAIL DRAIN (LUCKNOW)

a. Origin

Kukrail Drain originates from Kukrail forest reserve in Lucknow district, Uttar Pradesh. Coordinates of its origin point are: Latitude: 26°55'58.36"N & Longitude: 80°59'58.47"E. Kukrail drain joins Gomti River at Trans side near Nishatganj Coordinates of its meeting point in River Gomti are Latitude: 26°51'34.97"N & Longitude: 80°58'2.48"E. This drain is a mixed drain carrying sewage and industrial effluent of M/s C.P Milk Pvt. Ltd and M/s HAL Ltd. This drain is tapped near Gomti Barrage and the effluent is transferred to STP OF 345 MLD situated in Bharwara.

Total Discharge from Kukrail Drain is 150 MLD and about 90 MLD goes to STP Bharwara for treatment and approximately 60 MLD overflows into river Gomti

b. Length covered

Covered Distance of Kukrail Drain from Barkhurdarpur to meeting point to Gomti is approx. 25.4 km.

c. Details of industries & discharge of their effluent into the drain

Kukrail Drain carries domestic waste water from the catchment area of Kalyanpur, Indira nagar, Shakti nagar and Nishatganj of Lucknow city as well as effluent from M/s C.P. Milk & Food Products, Pvt. Ltd. Kurshi Road, Lucknow & M/s HAL Ltd, Faizabad road, Lucknow

Parameters	Results
pH	7.84
BOD (mg/l)	24.0
COD (mg/l)	126
TSS (mg/l)	21
Total Coliform (MPN/100 ml)	54 X 10 ⁵
Date of Sampling	26.04.19



C. G.H. Canal (LUCKNOW)

a. Origin

G.H. Canal originating point is Sarosa Bharosa. Drain starting point coordinates is Latitude: 26°49'51.56"N & Longitude: 80°50'24.68"E. G.H. Canal meeting to the Gomti coordinates of the end point of the G.H. Canal is Latitude: 26°51'13.39"N & Longitude: 80°58'7.94"E. This drain is connected to 345 MLD STP at Bharwara but it was observed that about 55% of total sewage is directly discharged in river Gomti at D/S of Gomti Barrage.


b. Length covered :

Covered Distance of G.H. Canal from Sarosa Bharosa to meeting point to Gomti is approx.: 14.0 km.

c. Details of effluent discharge & water quality of G. H. Canal

G.H. Canal carries domestic waste water of Lucknow as well as effluent from M/S Eveready Industries Ltd, Aishbagh, Lucknow and M/S Lucknow Producer Co-operative Milk Union Ltd., Jopling Road, Lucknow. Total discharge from G.H. Canal to Gomti is 158 MLD, out of which approx. 87 MLD is sent for treatment in the STP Bharwara and the rest about 71 MLD untreated sewage directly overflows into river Gomti

Parameters	Results
pH	7.9
BOD (mg/l)	34
COD (mg/l)	165
TSS (mg/l)	79
Total Coliform (MPN/100 ml)	1.6 x 10 ⁷
Date of Sampling	26.04.19



D. Gomti Nagar Drain

a. Origin

Gomti Nagar Drain originates in Vikram Khand 5 Gomti Nagar. Coordinates of its origin point are Latitude: 26°50'51.37"N & Longitude: 81° 0'16.59"E. Gomti Nagar Drain meets Gomti River at Village Ujariyaon Lucknow. Coordinate of the end point of the Gomti Nagar Drain are Latitude: 26°50'1.59"N & Longitude: 80°59'34.20"E.

b. Length covered

Distance covered by Gomti Nagar Drain is approx.3.71 km.

c. Details of effluent discharge & water quality of Gomti Nagar Drain

Gomti Nagar Drain carries domestic waste water from the catchment area of Gomti Nagar in Lucknow. Total Discharge from Gomti Nagar Drain is about 30 MLD, out of which 30 MLD sewage is discharged directly into River Gomti as the drain is untapped.

Parameters	Results
pH	7.3
BOD (mg/l)	41
COD (mg/l)	284
TSS (mg/l)	980
Total Coliform (MPN/100 ml)	1.2x 10 ⁵
Date of Sampling	26.04.19



E. Ghasiyari Mandi Drain (Lucknow)

a. Origin

Ghasiyari Mandi Drain, the origin point of this drain couldn't be found because of the dense population around this drain. Ghasiyari Mandi Drain meets Gomti River near Shaheed Smarak Park. Coordinate of the end point of the Ghasiyari Mandi drain are Latitude: 26°51'45.06"N & Longitude: 80°55'45.04"E.


b. Length covered

The distance covered by Ghasiyari Mandi Drain is approx. 5 Km. and passes through densely populated areas of River Bank Colony and City Station.

c. Details of effluent discharge & water quality of Ghasiyari Mandi Drain.

Ghasiyari Mandi Drain carries domestic waste water of Lucknow. Total Discharge from Ghasiyari Mandi Drain is 17.5 MLD and treated through STP Bharwara but sometimes overflow is discharged directly into the river Gomti without any treatment.

Parameters	Results
pH	7.62
BOD (mg/l)	28
COD (mg/l)	148
TSS (mg/l)	27
T. Coli (MPN /100ml)	3,50,000
Date of Sampling	26-04-2019



F. Wazirganj Drain

a. Origin

Wazirganj Drain originates from Old City, Lucknow that is city station Nakkhas, Baroodkhana, Golaganj etc. Coordinates of origin point of Wazirganj Drain are Latitude: 26°50'34.37"N & Longitude:80°54'48.33"E. Wazirganj Drain meets Gomti River near Shaheed Smarak Park Coordinate of the end point of the Wazirganj drain is Latitude: 26°51'57.51"N & Longitude: 80°55'34.29"E.


b. Length covered

Distance covered by Wazirganj drain is approx.: 3.5km. Only about 3.5 km of length could be traced on Google Earth because of the dense population of Lucknow city around the drain.

c. Details of effluent discharge & water quality of Wazirganj Drain

It carries about 35 MLD of sewage generated from Old City Lucknow. All the sewage is collected at SPS near River Bank Colony and is transferred to Kukrail SPS for further transfer to 345 MLD STP Bharwara. About 25 MLD of sewage is transferred for treatment in the STP Bharwara and about 10 MLD untreated sewage overflows into river Gomti.

Parameters	Results
pH	7.6
BOD (mg/l)	69
COD (mg/l)	200
TSS (mg/l)	160
T. Coli (MPN /100ml)	2.1×10 ⁶
Date of Sampling	29-04-2019



G. Nagaria Drain

a. Origin

Nagaria Drain originates from Balaganj, Lucknow. Coordinates of origin point of Nagaria Drain are Latitude: 26°52'59.29"N & Longitude: 80°52'50.81"E. Nagaria Drain meets Gomti River near Balaganj. Coordinates of the end point of the Nagaria drain is Latitude: 26°53'15.01"N & Longitude: 80°53'29.11"E.


b. Length covered

Distance covered by Nagaria drain is approx.: 1.84 km.

c. Details of effluent discharge & water quality of Nagaria Drain

It carries about 13 MLD of sewage discharged from Balaganj Lucknow. Out of which, about 7 MLD sewage transferred to STP Daulatganj for treatment and the rest about 6 MLD untreated overflows directly into U/S of river Gomti near Gaughat Pumping Station.

Parameters	Results
pH	7.89
BOD (mg/l)	26
COD (mg/l)	112
TSS (mg/l)	38
T. Coli (MPN /100ml)	9.2×10^6
Date of Sampling	26-04-2019



H. Sarkata Drain

a. Origin

Sarkata Drain originates from Balaganj, Lucknow. Coordinates of origin point of Sarkata Drain are Latitude: 26°52'10.88"N & Longitude: 80°54'20.69"E. Sarkata Drain meets Gomti River near Lajpat Nagar, Lucknow. Coordinate of the end point of the Sarkata drain is Latitude: 26°53'9.25"N & Longitude: 80°54'15.85"E.


b. Length covered

Distance covered by Sarkata drain is approx.: 2.40 km.

c. Details of effluent discharge & water quality of Sarkata Drain

It carries about 30 MLD of sewage generated from Balaganj Lucknow. Approx. 18 MLD of sewage is transferred to STP Daulatganj for treatment and rest approx. 12 MLD untreated sewage overflows directly into river Gomti. The treated sewage of STP Daulatganj is discharged into River Gomti through this drain.

Parameters	Results
pH	7.33
BOD (mg/l)	108
COD (mg/l)	412
TSS (mg/l)	109
T. Coli (MPN /100ml)	9.2×10^6
Date of Sampling	26-04-2019



I. Pata Drain

a. Origin

Pata Drain originates near Raja Bazar, Lucknow. Coordinates of origin point of Pata Drain are Latitude: 26°51'47.78"N & Longitude: 80°54'45.35"E. Pata Drain meets Gomti River near Machhi Bhawan. Coordinates of the end point of the Pata drain is Latitude: 26°52'24.64"N & Longitude: 80°54'43.34"E.

b. Length covered

Distance covered by Sarkata drain is approx. 1.24 km.

c. Details of effluent discharge & water quality of Sarkata Drain

It carries about 15 MLD of sewage generating from Balaganj Lucknow. Out of which about 10 MLD of sewage is transferred to STP Daulatganj for treatment and approx 05 MLD untreated sewage is discharged directly into the river Gomti.

Parameters	Results
pH	7.62
BOD (mg/l)	62
COD (mg/l)	376
TSS (mg/l)	40
T. Coli (MPN /100ml)	1.6×10^6
Date of Sampling	26-04-2019



J. Jamuria Drain

a. Origin

Jamuria Drain originates from Fateh sarai, Barabanki. Coordinates of origin point of Jamuria Drain are Latitude: 26°58'10.53"N & longitude: 81°14'24.59"E. Jamuria Drain meets Reth river (drain) near Kurdeeh, Barabanki. Coordinate of the end point of the Jamuria drain is Latitude: 26°54'23.59"N & Longitude: 81°10'44.82"E.

b. Length covered

Distance covered by Jamuria drain is approx.: 13.3 km.

c. Details of effluent discharge & water quality of Jamuria Drain

Jamuria Drain carries domestic waste water of Barabanki. Total Discharge from Jamuria Drain to Reth is about 15 MLD, out of which 15 MLD treated sewage is discharged directly into River Reth as the drain is untapped. The Reth River (drain) ultimately meets river Gomti at Ghuskar, Barabanki.

Parameters	Results
pH	7.17
BOD (mg/l)	34
COD (mg/l)	144
TSS (mg/l)	86
Date of Sampling	03.12.2018



K. Kadu Drain

a. Origin

Kadu Drain originates from Shahpur, District Amethi. Coordinates of origin point of Kadu Drain are Latitude: 26°58'10.53"N & Longitude: 81°14'24.59"E. Kadu Drain meets Gomti River near Kailashpur. Coordinate of the end point of the Kadu drain is Latitude: 26°25'28.19"N & Longitude: 81°49'25.08"E.


b. Length covered

Distance covered by Kadu drain is approx.: 93.7 km.

c. Details of effluent discharge & water quality of Kadu Drain

Kadu Drain carries domestic waste water of Jagdishpur and Amethi. Discharge from Kadu Drain to Gomti is approx. 6 MLD, out of which approx. 5 MLD is treated effluent is coming from the industries, namely M/S Hindustan Aeronautics Limited, Indo-Gulf Fertilizers and BHEL Industrial Area, Jagdishpur.

Parameters	Results
pH	8.6
BOD (mg/l)	7
COD (mg/l)	42
T. Coli (MPN /100ml)	11000
Date of Sampling	26-04-2019



L. Drains of Jaunpur

a. Origin

There are 14 Drains which are originating from Jaunpur having total discharge of approx. 16 MLD. They all are very small drains and most of the drains are carrying domestic effluent of less than 1 MLD only Turtipur drain & Ahyapur drain carries sewage of about 05 MLD. The untreated sewage is directly discharged in river Gomti at Jaunpur.

There are 07 small drains in Kerakat (Jaunpur) area having total discharge approx. 8.7 MLD which is discharged into river Gomti without treatment.

b. Details of effluent discharge & water quality of Jaunpur Drain

There are no industries near the catchment of Gomti or any major drain of Jaunpur carrying any industrial effluent to the river. All the effluents which is unloaded into river Gomti is domestic waste.



14

205

3.2 DETAILS OF SEWAGE POLLUTION SOURCES

As mentioned above, total sewage discharged into River Gomti through 68 major drains is approximately 865 MLD. There are 07 main towns namely Sitapur, Sandila, Lucknow, Barabanki, Jagdishpur, Sultanpur, Jaunpur and 01 town area namely, Kerakat (Jaunpur) are located in the catchment of the river (**Appendix-1**). The sewage and other effluent generated from these cities contribute to the organic load of the river. As mentioned earlier the treatment of sewage is a major issue of concern as the total installed capacity of the Sewage Treatment Plants is 443 MLD and 100% capacity of the installed STPs is being utilized. Approx. 422 MLD of untreated sewage flows into River Gomti. This indicates that the treatment facility available is insufficient. The treated sewage from 345 MLD Bharwara STP meets river Gomti at the downstream of Lucknow city near Khaledeoria. The treated sewage from 56 MLD Daulatganj STP meets river Gomti at the upstream of Lucknow city near Kudiyaaghat. The details of Sewage Treatment Plants along with installed capacity, utilized capacity, operating agency and discharge point is given in the table below:-

Details of STPs

S. No	District	Name of STP	Installed Capacity (MLD)	Utilized Capacity (MLD)	Capacity Utilized (%)	Operating Govt. Agency	Compliance	Discharge Drain
							(Yes/ NO)	
1	Lucknow	345 MLD STP Bharwara	345	345	110%	U.P Jal Nigam, Lucknow	Yes	Local Drain
2	Lucknow	56 MLD STP Daulatganj	56	56	110%	U.P Jal Nigam, Lucknow	Yes	Sarkata Drain
3	Lucknow	37 MLD STP Vrindavan Yojna	37	18	50%	U.P Jal Nigam, Lucknow	Yes	Local Drain
4	Sultanpur	05MLD Oxidation Pond, Lolepur,	5	5	100%	U.P Jal Nigam, Lucknow	Yes	River Gomti

Source: Desk Inventory of UPPCB

Note: STP installed at Vrindavan Yojna is not running at full capacity as the sewage load from Vrindavan Yojna is approx. 50 % only.




Fig : 3.2, GIS map showing STPs and drain

Details of Plan for Treatment of Sewage Gap in River Gomti Priority-III Stretch from

Sl. No.	District	Name of Drain (City)	Details of STPs proposed		Details of DPR				Expected date of completion
			Name	Capacity (in MLD)	Status (under preparation/ prepared)	Amount of DPR (Rs. In crore)	Status of approval (submitted/ approved)	Funding Agency	
1	Lucknow	i) Sarkata ii) Pata iii) Nagaria	Daulatganj	39	Prepared	298.12	Approved	Namami Gange	Bid opened on 22.05.2019
2	Lucknow	i) Sahara ii) Gomti Nagar iii) Gomti Nagar Extension	Bharwara	64	Prepared	1297.49	Submitted	Namami Gange	NA
3	Lucknow	GH Canal	GH canal	120	Under Constructed	336.08	Approved	Rajya Sector	Likely to be completed by July-2020
4	Lucknow	As remark	Bijnaur	80	Prepared	532.24	Submitted	Namami Gange	This STP will cover the catchment area of Sewerage District-II

1185, -208

					Prepared	167.99	Submitted	Namami Gange	NA
5	Lucknow	i) Faizullahganj U/S ii) Faizullahganj D/S	Ghaila	22					
6	Sultanpur	(1) Barhaiyabee r Nala, (2) Ganda Nala, (3) Hathiya Nala	Zone 1	10		34 Crore	Approved	Jal Nigam UP / UP Government	N.A
7	Sultanpur	Karaudiya Drain	Zone 2	2					
8	Sultanpur	Gabriya Drain	Zone 2	5					
9	Jaunpur	Jaunpur	Jaunpur	30	Prepared	206.05	approved	NMCG	24 Months

Source: Data obtained from UP Jal Nigam and Desk Inventory of UPPC

186

-209

Analysis of gap generated in Sewage Treatment based on projection of Population for Year 2030 in the catchment of River Gomti Sitapur to Jaunpur

S. NO	CITY	POPULATION (AS PER CENSUS 2011)	ESTIMATED POPULATION 2030	WATER CONSUMPTION (MLD) (@135)	ESTIMATE D SEWAGE GENERATION ON YEAR 2030 (MLD)	INSTALLED CAPACITY OF EXISTING STP (MLD)	PROPOSED STP CAPACITY (MLD)	GAP IN STP CAPACITY UTILIZATION BASED ON POPULATION YEAR 2030 (MLD)
1	Sitapur	1,77,234	2,57,649	34.78	27.83	NIL	NIL	27.83
2	Sandila*	58,346	81,005	10.94	8.75	NIL	NIL	NA
3	Lucknow	28,17,105	41,99,120	566.88	755.5**	438	326	NIL
4	Barabanki	1,47,000	2,08,446	28.14	22.51	NIL	NIL	22.51
5	Jagdishpur	24,652	33130	4.47	3.58	NIL	NIL	3.58
6	sultanpur	1,07,640	1,44,678	19.53	15.63	5	17	NIL
7	Jaunpur	1,80,362	2,31,388	31.24	24.99	NIL	30	NIL
8	Kerakat	13,525	17,351	2.34	1.87	NIL	NIL	1.87
	Total	35,25,864	5,172,767	698.32	860.66	443	373	55.79

* Sewage from town Sandila in Dist. Hardoi does not meet the river Gomti.

**As per data received from UP Jal Nigam, total sewage generation in Lucknow is 755.5 MLD.

187-

210.

11

There are 8 Cities and Towns situated in the catchment of Polluted Stretch of River Gomti. Estimated Sewer Generation on the basis of Census 2011 is 860.66 MLD. The installed capacity of existing STPs is 443 MLD and 373 MLD capacity STPs are proposed to be installed in Lucknow, Sultanpur and Jaunpur but there is a gap in the treatment of Sewage Generated and STPs to be installed at Sitapur, Barabanki, Amethi (Jagdishpur) and Kerakat (Jaunpur).

There are 132 (Left Bank: 50 and Right Bank: 82) villages located on the banks of this Priority-III polluted stretch of river Gomti. The total population of these villages is 3,25,844 as per the census of 2011. Taking Decadal growth in consideration estimated population of 2019 is expected to be 3,77,450 which will generate around 30 MLD of sewage which needs to be treated in-situ through traditional techniques. The Panchayati Raj Department of Government of Uttar Pradesh may be given responsibility of treatment of this sewage under Rashtriya Swachhata Mission-Gramin.

3.3 DETAILS OF WASTE MANAGEMENT

3.3 (a) Municipal Solid Waste

There are 08 Towns located in the catchment area of River Gomti from Sitapur to Jaunpur approx. 1842.07 TPD Solid Waste is generated in Lucknow, Sitapur, Sandila Barabanki, Sultanpur, Amethi and Jaunpur. Although the agency operating in Lucknow municipal area has been practicing door to door collection of MSW. The details of city wise municipal solid waste generation are given below:

S.No.	District	Waste generated (TPD)	Waste Collected (TPD)	Door to Door Collection)	Remarks
1	Sitapur	214	190	Yes	As of now the MSW processing facility is not established /functional in the ULBs. For city of Lucknow and Barabanki, The MSW facility is installed however the installed facility is not adequate for the 100% treatment of MSW. Hence it is required to work on decentralized processing of waste till the WTE plants are established.
2	Sandila	10	8	Yes	
3	Lucknow	1351	1200	Yes	
4	Barabanki	118	30	Yes	
5	Amethi	17.68	17.68	Yes	
6	Sultanpur	53.89	53.89	Yes	
7	Jaunpur	72	72	Yes	
8	Kerakat, (Jaunpur)	5.5	5.5	Yes	
	Total	1842.07	1577.07		Municipal Solid Waste treatment plant is installed for 1200 MT/Day Municipal Solid Waste treatment plant is installed for 30 TPD.

Source : Nagar Palika Parishad and Nagar Nigam

Details of Dumping Site 500 Meters from the edge of the River

There is legacy waste dumping site within 500 meter of Gomti river in Lucknow and the estimated quantity of in this dumping site is approx. 7.5 Lac MT. Lucknow Nagar Nigam has proposed to dispose this legacy municipal solid waste through Bio-remediation. Approx. cost of the project is Rs 53.25 Cr. Details are given the table:

S no.	Dist	Name of Dumping site	Location		Area (Ha)	Legacy / Current	Estimated quantity of MSW (MT)	Name of ULB/Panchayat	Disposal Plan (Yes /No)
			Latitude	Longitude					
1	Lucknow	Ghalla	26.899592	80.873187	Not estimated	Legacy	7.5 Lac	Lucknow	Yes To be disposed through bio remediation by Nagar Nigam, Lucknow.

Source : Nagar Nigam, Lucknow

The villages located on the banks of this Priority-III polluted stretch of river Gomti. The total population of these villages generates approx 90 TPD of un-segregated solid waste. This un-segregated solid waste is dumped in open plots or ponds/low lying areas in the villages which contribute air and ground water pollution. Details of villages, their location, population etc. is given in **Appendix-2**. The details of the existing wetlands is available in the **Appendix- 5**.

Gap Analysis of Municipal Solid Waste Treatment based on Year 2030 Population in the catchment of River Gomti.

SR. NO.	DISTRICT	CITY / TOWN	POPULATION (AS PER CENSUS)	Decadal Growth rate	ESTIMATED POPULATION N 2030	MSW GENERATION ESTIMATED	AVAILABLE PROCESSING FACILITY (TPD)	GAP (TPD)	PROPOSED PROCESSING FACILITY & TIMELINE
1	Sitapur	Sitapur	177,234	23.88	257649	90.18	NIL	90.18	As per Appendix-8
2	Hardoi	Sandila	58,346	20.44	81005	28.35	NIL	28.35	
3	Lucknow	Lucknow	28,17,105	25.82	4199120	1469.69	1200	269.69	
4	Barabanki	Barabanki	147,000	21.96	208334	72.92	30	42.92	
5	Sultanpur	Sultanpur	107,640	18.11	144678	50.64	NIL	50.64	
6	Jaunpur	Jaunpur	180362	14.89	231388	80.99	NIL	80.99	
7	Jaunpur	Kerakat	13525	14.89	17351	6.07	NIL	6.07	
TOTAL						1798.84	1230	568.84	

There are 6 Cities and 02 Towns situated at the catchment of Polluted Stretch of River Gomti. Estimated MSW Generation on the basis of Census 2030 is 1798.84TPD. There are 02 processing facilities available in Lucknow & Barabanki but in rest of the towns there is no processing facility available hence, gap of 568.84TPD exists in the catchment area of polluted River Stretch. Proposed facilities and timeline as received from Urban Development Department is enclosed as **Appendix- 8**

3.3 (b) Bio-Medical Waste

In 08 Cities and Towns located in the catchment of the stretch of river Gomti there are 2112 Health Care Facilities which generate 7475Kg/Day of Bio-Medical Waste. All the Health Care Facilities have valid agreements with 04 Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities situated in Lucknow and Sitapur for collection, transportation and disposal of Bio-Medical Waste. The segregation of Bio-Medical Waste and disposal in the CBWTFs as per the provisions of Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 is a major area of concern. The mixing of Bio-Medical Waste with Municipal Solid Waste is also observed which also needs to be addressed. The details of Bio-Medical Waste generated in the Cities/Towns and details of Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities are given below:

S.No.	District	Total No. Of H.C.Fs	Bio Medical Waste generated (Kg/Day)	Bio Medical Waste Treated (Kg/Day)	No. Of H.C.Fs attached with CBWTF	No. Of H.C.Fs having captive treatment facility	Gap between waste generated & treatment capacity available (Kg/Day)	Remarks
1	Sitapur	155	486.75	486.75	153	NIL	NIL	All the HCFs are Members of CBWTF
2	Sandila (Hardoi)	26	43.75	43.75	26	NIL	NIL	
4	Lucknow	1212	5441.5	5441.5	1211	1	NIL	
5	Barabanki	213	510	510	213	NIL	NIL	
6	Amethi	235	371.24	371.24	94	NIL	NIL	
7	Sultanpur	131	585.19	585.19	140	NIL	NIL	
8	Jaunpur	150	37.5	37.5	150	NIL	NIL	
	Total	2122	7475.93	7475.93	1987	01		

Source: Desk Inventory of UPPC

Details of Bio-Medical Waste Treatment Facilities

S.N.	Name of the CBWTF operator connect No. & Address	Total No. Of HCFs Being Covered	Covered District	Treatment facility available			BMW Treatment capacity Kg/day	Number of Vehicles	Status of On Line Continuous Emission Monitoring System & Connectivity	Validity of Issued Authorization
				Incinerator	Auto Clave	Shredder				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	M/s Synergy Waste Management (P) Ltd. Plot No. 36,37,72, Vill-Mohammadpur Nawabganj, Barabanki	495	Barabanki, Lucknow, Sitapur, Hardoi	250 kg/hr	75 kg/shift	50 kg/hr	3100	8 With GPS	Installed & Connected	05.03.2023
2	M/s S.M.S. Watergrace Mediawaste Management Pvt. Ltd. Mohanlalganj Lucknow	1030	Lucknow, Lakhimpur, Unnao, Sultanpur, Hardoi	250 kg/hr	75 kg/shift	300 kg/hr	8000	15 With GPS	Installed & Connected	10.02.2024
3	M/s Spectrum Waste Solutions Pvt. Ltd. Khasra No-597, Jawahar Nagar Mastemau, Sultanpur Road, Mohanlalganj Lucknow	788	Lucknow, Sultanpur, Gonda, Bahraich, Balrampur, Amethi, Faizabad, Lakhimpur	250 kg/hr	200 kg/Shift	50 kg/hr	3400	10 With GPS	Installed & Connected	20.02.2020

4	M/s Star Pollutech, Gata no.1425 & 1426, Vill-Chandra, Tehsil-Maholi, Sitapur	100	Sitapur, Lakhimpur,Hardoi,	100 kg/hr	500 Litre/hr	50 kg/hr	2000	2 With GPS	Installed & Connected	31.12.2020
5	M/s Sangam Mediserve Pvt.Ltd., Handiya, Prayagraj	158	Prayagraj, Varanasi, Kaushambi, Sonbhadra, Mirzapur, Jaunpur, Pratapgarh, Chitrakoot	250kg/hr	500 litre/shift	400 kg/day	4000	10 with GPS	Installed & Connected	19.01.2023
6	M/SSilicon Welfare Society vil. Banka , Distt.Ghazipur	130	Baliya. Ghazipur, Deoria, Azamgarh, Ambedkar Nagar, Varanasi, Mau, Chandauli	100 kg/hr	200 litre/shift	150 kg/hr	1600	7 with GPS	Installed & Connected	31.12.2019
7	M/S Center for Pollution Control , Mohansarai, Varanasi	488	Varanasi, Bhadohi, Jaunpur	150 kg/hr	100 litre/shift	50 kg/hr	2000	6 with GPS	Not Installed	31.12.2018
8	M/S Royal Pollution Control Services. Vill. Chaspur Saduwahi, Sultampur.	184	Bhadohi, Jaunpur, Azamgarh, Gorakhpur	150 kg/hr	500 kg/day	200 kg/day	2800	2 with GPS	Installed & Connected	05.08.2023

Source: Desk Inventory of UPPCB

794,

-217-

3.3(c) Hazardous Waste

The total hazardous waste generation in the catchment of the polluted stretch from 646 industrial units is 73278.733 Ton/Annum which is collected, treated and disposed by 02 Common Facilities located near Kanpur Dehat. The details of Hazardous Waste generated and the treatment facilities are given below:

S.No.	District	Hazardous Waste Generating Units	Hazardous Waste Generated (TPA)			Total	Facility for Treatment & Disposal of Hazardous Waste	Gap b/w waste generated & treatment capacity (TPA)
			Incinerable	Landfillable	Recyclable			
1	Sitapur	8	23.6	150.2	6	179.8	The Incinerable & Landfillable Hazardous waste is disposed to authorized TSDFs 1- U.P. Waste Management Project, Kanpur Dehat. 2- Bharat Oil & Waste Management, Kanpur Dehat.	There is no Gap between generation & disposal of Hazardous Waste
2	Lucknow	21	0.25	1527	9.2	1536.4		
3	Barabanki	8	344	11.7	0	355.7		
4	Amethi	12	Nil	51.96	308.2	360.16		
5	Sultanpur	1	1	0	0	1		
6	Jaunpur	6	0	33.75	0	33.75		
	Total	56	368.85	1774.61	323.4	2466.81		

Source :Desk Inventory of UPPCB

3.3(d) E-Waste

In the State, total 43 Common E- Waste Disposal Facilities are operational. Out of these, 10 units are collection center, 16 have the facility of collection & dismantling whereas remaining 17 are collection, dismantling and recycling centers. The cumulative capacity of these plants- 2,48,000/annum. The quantum of E-Waste generated in the State is approximately 86,000 TPA. Hence, there is no gap in the generation and treatment infrastructure for safe E-Waste handling as per the provisions of E-Waste Rules, 2016. The status report of E-Waste disposal facilities in the State is enclosed at **Appendix-6**.




Fig : 4.2: GIS map showing Sugar and Distillery Industries along with drains




Fig :4.3: GIS map showing Milk Processing Industries along with drains

4.1 DETAILS OF INDUSTRIAL UNITS

The drain wise and sector wise distribution of industries and their discharge & the details given in the tables below:

Summary of Industrial Units

SN	District	Drain	Type of Industry						Total Effluent Discharge (MLD)	
			* The Type of Industry may be changed as per local conditions							
			Sugar	Pulp & Paper	Distillery	Textile	Slaughter House	Others	Total	
1	Sitapur	2	2	0	0	0	0	0	2	1.28
	Sitapur (Sarayan river)		3	1	2	3	0	1	10	4.03
2	Hardoi (Sandila)	1	0	0	1	0	0	1	2	1.5
3	Lucknow	3	0	0	0	0	0	6	6	5.03
4	Unnao	1	0	0	0	0	1	1	2	0.4
5	Barabanki	1	1	0	0	0	1	2	4	2.43
6	Amethi	1	-	-	-	-	-	3	3	14.05
7	Sultanpur	1	1	-	-	-	-	-	1	1.1
	Total	10	7	1	3	3	2	14	30	29.82

Source : Desk Inventory of UPPCB

4.2 GAP ANALYSIS OF INDUSTRIES SITUATED IN THE CATCHMENT OF RIVER GOMTI

Presently polluted stretch of River Gomti receives approximately 30 MLD treated industrial effluent. The industries situated in the catchment of the polluted river stretch utilize ground water needed for their processes. Total estimated water extraction by the industries is approximately 65 MLD against the discharge of 30 MLD by the industries. This indicates that about 40 percent of the treated effluent is recycled in the processes and rest accounts for the evaporation losses and consumption in the products.

Sector wise Gap analysis is given below: -

- I. **Sugar:-**There are 07 Sugar industries in the catchment of polluted river stretch which consume 11.0 MLD ground water and 7.5 MLD treated effluent is discharged. The detail gap analysis may be referred to in **Appendix-3A**. These gaps are to be fulfilled within 06 months. This will help in reducing the water consumption, improving the quality of treated effluent and reuse of water in irrigation.
- II. **Slaughter House:-**There are 02 slaughter house in the catchment of polluted river stretch which consumes 1.2 MLD of groundwater & 0.8 MLD treated effluent is discharged. For reduction of water consumption & strengthening of Pollution control system as per guidelines of CPCB have to be taken up as per the action points prescribed with time line given in **Appendix-3 B**.
- III. **Textile: -** There are 03 textile/yarn dyeing industries in the catchment of polluted river stretch which consume 0.28 MLD ground water & 0.2 MLD treated effluent is being discharged. For reduction of water consumption & strengthening of Pollution control system as per charter prepared by CPCB, the action points with timeline are given in **Appendix-3C**.

- IV. **Electroplating**:-There are only 05 engineering industries in the catchment of polluted river stretch. These units are having electroplating sections also. Although the water consumption in these units is approx.11 MLD which is extracted from groundwater but mostly the water is used for Domestic purposes therefore the discharge of sewage and effluent is approx. 6.5 MLD after treatment. For reduction of water consumption & strengthening of Pollution control system for electroplating section should be as per guidelines of CPCB, the action points with time line are given in **Appendix-3D**.
- V. **Distillery**:- There are 03 distillery unit in the catchment of polluted river stretch which consumes 7.0 MLD groundwater. Although the distillery is maintaining zero liquid discharge (ZLD) but improvements are required with respect to establishment of Condensate Polishing Units and safe storage of Molasses as per CPCB guidelines. Action points with time line are given in **Appendix-3E**.
- VI. Remaining 10 no. of industries are Dairy, Fertilizer, Paper, Food & Beverages, respectively. All these units are having adequate ETPs. These industries consume 36.9 MLD of water and discharge 17.6 MLD of effluent after proper treatment & regular monitoring is done by U.P. Pollution Control Board.

5. STATUS OF GROUND WATER

The Priority-III polluted stretch of Gomti River from Sitapur to Kaithi Ghazipur lies in Doab region of Ganga. The river flows through 06 districts i.e. Sitapur, Lucknow, Hardoi (Sandila), Barabanki, Sultanpur & Jaunpur. The status of Groundwater in these blocks is given below:

River Gomti Stretch from Sitapur to Kaithi, Ghazipur Ground Water Status

S. N.	Name of District	Name of Block	Pre Monsoon / Post Monsoon water level (Meters)			Status of Exploitation
			15-May	15-Nov	16-Jan	
1	Sitapur	Mishrikh	6.35	6.3	6.5	Safe
		Sidhauli	8.1	6.9		Safe
		Pisawan	7.74	8.1	8.15	Safe
2	Hardoi (Sandila)	Ahrori	6.04		19.24	
		Kothawan		5.75		
		Pihani	5.25	3.75	4.45	
3	Lucknow	Gosaiganj	1.8	1.7	2.65	Safe
		Mal	11.12	12	12.55	Over Exploited
		Bakshi Ka talaab	13.15	13.85	13.95	Semi-critical
4	Barabanki	Trivediganj	7.19	5.58	3.9	Safe
		Sidhaur	4.16	4.66	8.65	Safe
		Jagdishpur	9.05	10.2		Safe
5	Sultanpur	Kadipur	9.5	10.07		Safe
		Bhadaiyan	11	5.85	12.44	Safe
		Jaisinghpur		1.74	2.38	Safe
		Kurebhar	4.38	4.14	3.59	Safe
		Kurwar	5.11	4.33		Safe
		Sultanpur	13.45	11.4	3.25	
6	Jaunpur	Badlapur	4.34	4.3		Critical
		Muftiganj		8.07	9.15	Semi-critical
		Jaunpur(Hasanpur)		5.49	6.06	
		Kerakat(Rampur)		6.81	7.97	Over Exploited

Pre Monsoon Data--2014 Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/UP

**CHEMICALS ANALYSIS DATA OF SAMPLES COLLECTED FROM
GROUND WATER MONITORING WELLS IN UTTAR PRADESH 2015 -2016
River Gomti, Stretch from Sitapur to Jaunpur**

District	Block	pH	E.C.µ S/cm at25°C	CO ₃	HCO ₃	Cl	F	NO ₃	SO ₄	TH	Ca	Mg	Na	K	SiO ₂	PO ₄	TDS	RSC	SAR
Sitapur	Mishriakh	8.4	500	24	207	21	0	0.1	1.6	200	32	29	15	4.2	40	ND	325	0.3	0.5
	Sidhauli	7.9	1320	NIL	525	99	0	55	29	520	136	44	45	5.6	43	ND	858	1.7	0.9
	Pisawan	8	570	NIL	293	14	0	0.18	7.6	200	44	22	30	4.5	38	ND	371	0.9	0.9
Hardoi (Sandlla)	Ahrori	7.9	590	NIL	317	7.1	0	0.09	7.1	230	52	24	20	6.7	44	ND	384	0.7	0.6
	Kothawan	8.3	380	NIL	171	14	1	0.13	15	160	32	19	5.8	4	36	ND	247	0.4	0.2
Lucknow	Pihani	7.9	790	NIL	390	36	0	3	10	290	56	36	40	7.8	42	ND	514	0.7	1
	Gosaiganj	8	614	NIL	354	21	0	1.9	19	230	36	34	48	2.8	33	ND	411	1.2	1.4
	Mal	8.1	472	NIL	268	14	1	0.2	18	220	20	41	17	4	35	ND	316	0	0.5
Barabank i	BKT	8	591	NIL	354	21	0	0.3	6.3	210	32	32	51	4.8	39	ND	396	1.6	1.5
	Trivediganj	8	412	NIL	244	14	0	0.4	3	150	4	34	32	4.4	33	ND	276	1	1.2
	Sidhaur	8	458	NIL	281	14	0	0.3	2.3	210	48	22	18	3.7	34	ND	307	0.4	0.5
Sultanpu r	Jagdishpur	8.2	1030	NIL	439	78	0	0.6	36	360	48	58	58	6.6	33	ND	690	0	1.3
	Kadipur	8.2	790	NIL	342	43	0	30	15	320	56	44	29	4.3	32	ND	529	0.8	0.7
	Bhadaiyan	8.3	600	NIL	293	21	1	6.2	17	270	52	34	6	3.5	30	ND	402	0.6	0.2
Jaunpur	Jaisinghpur	8.4	560	24	232	14	1	0.1	16	230	44	29	16	3.1	32	ND	375	0	0.5
	Kurebhar	8.3	0	NIL	329	7.1	1	0.2	3.4	230	36	34	24	3.1	30	ND	402	0.8	0.7
	Kurwar	8.3	800	NIL	415	14	0	5	5.3	310	36	54	31	3.9	35	ND	536	0.6	0.8
Jaunpur (Jannipur)	Sultanpur	7.9	640	NIL	378	7.1	0	8.6	9.1	250	40	37	42	3.3	30	ND	429	1.2	1.2
	Badlapur	8.2	920	NIL	525	14	0	0	51	290	40	46	98	3.4	26	ND	598	2.9	2.5
	Muftiganj	8.8	640	48	232	25	0	3.2	26	250	8	56	42	3.5	29	ND	429	0.4	1.2

1203

226

	Kerakat (Rampur)	9	1190	84	451	57	1	16	31	180	8	39	210	4.1	31	ND	797	6.6	6.8
Ghazipur	Saidpur	7.8	1222	NIL	464	199	1	4.8	16	250	48	55	196	3.6	30	ND	794	2.7	5.4
Varanasi	Cholapur	8.8	685	48	268	21	1	2	19	200	8	44	74	2.8	27	ND	459	2	2.3

Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/UP.

6. MONITORING OF POLLUTION SOURCES

6.1 MONITORING OF DRAINS

All the 47 drains will be monitored on quarterly basis and the sampling points are selected near the confluence of the drains with the Gomti River. Care has been taken that there is no backwater effect of the river at the sampling point and no source of pollution joins the drain after the sampling point. The details of drain sampling points are given below:

Drain Sampling Points

S. No	District	Name of Drain	Monitoring Point	Latitude	Longitude	Monitoring Frequency	Controlling Regional Office
1	Sitapur	Sarain River	Sitapur	27°12'00.8"N	80°47'23.1"E	Monthly	Lucknow
2	Lucknow	Nagaria Nala	Lucknow	26°53'7.9"	80°53'31"	Quarterly	Lucknow
3	Lucknow	Sarkata Nala	Lucknow	26°53'2.7"	80°54'5.7"	Quarterly	Lucknow
4	Lucknow	Pata Nala	Lucknow	26°52'22.9"	80°54'40.1"	Quarterly	Lucknow
5	Lucknow	Wazirganj Nala	Lucknow	26°51'55.9"	80°55'32.1"	Quarterly	Lucknow
6	Lucknow	Ghasiyani mandi Nala	Lucknow	26°51'45.3"	80°55'45.1"	Quarterly	Lucknow
7	Lucknow	Mahesh Ganj Nala	Lucknow	26°52'7.3"	80°55'36.0"	Quarterly	Lucknow
8	Lucknow	Mohan Meakins Nala	Lucknow	26°52'22.4"	80°55'9.4"	Quarterly	Lucknow
9	Lucknow	Daliganj-1 Nala	Lucknow	26°52'10.2"	80°55'32.7"	Quarterly	Lucknow
10	Lucknow	Kukrail Nala+Sewer	Lucknow	26°51'41.4"	80°58'4.3"	Quarterly	Lucknow
11	Lucknow	GH Canal Nala	Lucknow	26°51'12.6"	80°58'8.18"	Quarterly	Lucknow
12	Lucknow	Sahara City Nala (Flood Pumping Station-Barrel no-2)	Lucknow	26°50'9.9"	80°58'10.608"	Quarterly	Lucknow
13	Lucknow	Batrikala	Lucknow	26°53'35"	80°52'51"	Quarterly	Lucknow
14	Lucknow	Ghaila	Lucknow	26°54'39"	80°53'28"	Quarterly	Lucknow
15	Lucknow	Faizullahganj-U/S	Lucknow	26°52'49"	80°51'51.5"	Quarterly	Lucknow
16	Lucknow	Faizullahganj-D/S	Lucknow	26°52'48"	80°51'51.9"	Quarterly	Lucknow
17	Lucknow	Gomti Nagar Dain	Lucknow	26°50'5.59"	80°59'32.49"	Quarterly	Lucknow
18	Lucknow	Gomti Nagar Extension	Lucknow	26°50'31.79"	80°59'41.65"	Quarterly	Lucknow
19	Unnao	Loni Drain	Lucknow	26°41'41.67" N	81°17'41.66" E	Quarterly	Lucknow
20	Hardoi	Behta Drain	Lucknow	26°56'8.26"	80°51'2209"	Quarterly	Lucknow
21	Barabanki	Jamuria Drain	Lucknow	26°54'27.75"	81°10'45.39"	Quarterly	Lucknow
22	Barabanki	Reth River	Lucknow	26°46'9.81"	81°11'22.44"	Quarterly	Lucknow
23	Amethi	Industrial Drain (Kadu Nala), Jagdishpur	Raebareli	26°24'05"N	81°45'19"E	Half Yearly	Raebareli
24	Sultanpur	Karaudiya Nala	Raebareli	26°16'53.76" N	82°3'48.66"E	Half Yearly	Raebareli

25	Sultanpur	Gabriya Nala	Chunaha	26°17'0.12"N	82°3'46.07"E	Half Yearly	Raebareli
26	Sultanpur	Jamuriya/Chini Mill Nala	Tantia Nagar near Bypass bridge	26°16'49.75" N	82°5'42.74"E	Weekly	Raebareli
27	Jaunpur	MUFTI MOHALLA DRAIN	Mufti mohalla Jalalpur	25°45'7.218" N	82°40'39.33 48"E	Weekly	Varanasi
28	Jaunpur	MALUANTOLA DRAIN	Sekh	25°45'4.014" N	82°40'24.25 08"E	Weekly	Varanasi
29	Jaunpur	TURTIPUR DRAIN	Turtipur chauraha	25°45'4.4928" N	82°40'51.74 4"E	Weekly	Varanasi
30	Jaunpur	HANUMAN GHAT DRAIN	Rizwikhan	25°44'57.058 8"N	82°41'8.206 8"E	Weekly	Varanasi
31	Jaunpur	QUILA MOHALLA DRAIN	Rizwikhan	25°44'57.158 8"N	82°41'8.201 8"E	Weekly	Varanasi
32	Jaunpur	BALUA GHAT DRAIN	NH731	25°44'52.62" N	82°41'38.38 92"E	Weekly	Varanasi
33	Jaunpur	RASMANDAL DRAIN	Sahi masjid	25°44'35.530 8"N	82°41'36.13 2"E	Weekly	Varanasi
34	Jaunpur	ACHALA DRAIN	Chachakpur	25°44'34.486 8"N	82°41'47.87 88"E	Weekly	Varanasi
35	Jaunpur	KATGHAR DRAIN	Gular ghat santi nagar	25°44'59.503 2"N	82°40'52.34 88"E	Weekly	Varanasi
36	Jaunpur	JOGLAPUR DRAIN	Civil Line road	25°44'33.403 2"N	82°41'19.97 52"E	Weekly	Varanasi
37	Jaunpur	MIYA PUR DRAIN	Miyapur	25°44'33.378" N	82°41'29.95 8"E	Weekly	Varanasi
38	Jaunpur	HARAIPUR DRAIN	Siddikipur	25°44'26.023 2"N	82°42'7.948 8"E	Weekly	Varanasi
39	Jaunpur	SEKHUPUR DRAIN	Miyapur	25°44'35.177 2"N	82°41'27.26 52"E	Weekly	Varanasi
40	Jaunpur	AHYAPUR DRAIN	Vishesharpur	25°44'57.696" N	82°42'55.22 4"E	Weekly	Varanasi
41	Jaunpur	SIPAH MOHALLA DRAIN	Keraket	25°38'5.32"N	82°54'50.39" E	Weekly	Varanasi
42	Jaunpur	NAU GHAT DRAIN	Keraket	25°38'5.35"N	82°54'54.16" E	Weekly	Varanasi
43	Jaunpur	RAVIDASH GHAT DRAIN	Keraket	25°38'4.38"N	82°55'2.21"E	Weekly	Varanasi
44	Jaunpur	RAMESHWAR GHAT DRAIN	Keraket	25°38'4.05"N	82°55'5.01"E	Weekly	Varanasi
45	Jaunpur	NARHAN KHAN CHURAH DRAIN	Keraket	25°38'1.28"N	82°55'18.08" E	Weekly	Varanasi
46	Jaunpur	CHANDWAK GHAT DRAIN	Keraket	25°34'54.28" N	83° 0'9.21"E	Weekly	Varanasi
47	Jaunpur	BALUA GHAT DRAIN	Keraket	25°34'5.27"N	83° 0'22.11"E	Weekly	Varanasi

6.2 MONITORING OF RIVER

The priority-III polluted stretch of river Gomti will be monitored at 19 places so as to ascertain adverse effect of pollution by various sources in the river. The details of sampling points are given below:

River Sampling Points

S.No.	District	Monitoring Point			Monitoring Frequency	Controlling Regional Office
		Place	Latitude	Longitude		
1	Sitapur	Dadhnamau Ghat	27°27'53.9"N	80°24'01.3"E	Monthly	Lucknow
2	Lucknow	Manjhighat	27°01'23.6"N	80°49'57.4"E	Monthly	Lucknow
3	Lucknow	Upstream Water Intake, Gaughat	26°53'15.4"N	80°53'51.5"E	Daily	Lucknow
4	Lucknow	Kudiyaghat	26°52'29.1"N	80°54'41.9"E	Daily	Lucknow
5	Lucknow	D/s Mohan Meakins	26°52'19.7"N	80°55'07.5"E	Monthly	Lucknow
6	Lucknow	Nishatganj Bridge	26°51'42.8"N	80°57'19.0"E	Monthly	Lucknow
7	Lucknow	U/s Bairaj	26°51'32.9"N	80°58'05.2"E	Daily	Lucknow
8	Lucknow	D/s Pipraghat	26°49'58.5"N	80°58'06.6"E	Monthly	Lucknow
9	Lucknow	D/s After meeting of STP, Nala Bharwara	26°49'45.1"N	81°03'31.1"E	Monthly	Lucknow
10	Amethi	U/S River Gomati Near Aam Ghat Bridge, Thauri Amethi UP	26°29'31.2"N	81°44'44.2"E	Monthly	Raebareli
11	Amethi	D/S River Gomati Near Isauli Ghat, Mushafirkhana, Amethi	26°24'20.6"N	81°50'40.7"E	Monthly	Raebareli
12	Sultanpur	U/S Karaudiya, Sultanpur	26°16'48.76"N	82°3'52.76"E	Monthly	Raebareli
13	Jaunpur	Rangeela Ghat	25°49'31.27"N	82°44'27.34"E	Monthly	Varanasi
14	Jaunpur	Ramghat	25°41'48.21"N	82°41'48.21"E	Monthly	Varanasi
15	Jaunpur	Rangeela Ghat	25°49'31.27"N	82°44'27.34"E	Monthly	Varanasi
16	Jaunpur	Ramghat	25°41'48.21"N	82°41'48.21"E	Monthly	Varanasi
17	Jaunpur	D/s Gomti	25°44'44.3"N	82°43'54.9"E	Monthly	Varanasi
18	Varanasi	Ragwaari	25°30'24.50"N	83°08'31.42"E	Monthly	Varanasi
19	Varanasi	Gomti before meeting to Ganga, Rajwari	25°30'22.4"N	83°08'28.5"E	Monthly	Varanasi

The monitoring data for the last three years is available at **Appendix-7**

6.3 MONITORING OF WATER POLLUTING INDUSTRIES

All the water polluting industries will be monitored regularly by 03 agencies namely UPPCB, District Ganga Committee/Zila Paryavaran Samiti and Third Party Institutions of repute. GPs will be monitored quarterly and other industries will be monitored randomly by District Ganga Committee/Zila Paryavaran Samiti. Third Party Institutions shall also be entrusted with the responsibility of comprehensive monitoring by CPCB and NMCG. Besides this the drive for identification and closure of illegal industries operating in non-conforming areas shall also be carried out by District Ganga Committees/Zila Paryavaran Samitis with appropriate Magisterial and Police support.

6.4 ESTABLISHMENT OF GOMTI POLLUTION CONTROL ROOM

A Control Room for monitoring and centralized reporting of various pollution sources shall be established in Lucknow with appropriate infrastructure and human resource. This control room will be under overall supervision of Commissioner, Lucknow and will be run by UP Pollution Control Board with the help of District Ganga Committees/Zila Paryavaran Samitis. For monitoring purpose, District Ganga Committees/Zila Paryavaran Samitis will be employing JRFs/Monitoring Assistants on contractual basis with the financial support of District Ganga Committees/Zila Paryavaran Samitis. Educational/Technical Institutions and Colleges will also be identified for taking their help in monitoring and remediation of pollution sources. Capacity building for monitoring of pollution sources of the students of such identified institutions and colleges will also be done by Pollution Control Board. For monitoring exercise The Control Room with adequate infrastructure viz. LED Monitor, Desktop,

Printer, Wi-Fi facility, Room rent including electricity charges etc. shall be established by UP Pollution Control Board with financial support from National Mission for Clean Ganga (NMCG). The monitoring will be done from the Control Room with the help of Web Portal on which monitoring data from field shall be uploaded. The Web Portal will be developed by UP Pollution Control Board and login ID and Password will be provided to District Ganga Committees/Zila Paryavaran Samitis for access to the portal and uploading of monitoring data of various pollution sources.

7. POLLUTED RIVER STRETCH REJUVENATION ACTION PLAN

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
A. SEWAGE MANAGEMENT				
(a) Short Term Action Point				
1	Estimation of total sewage generation from City/Towns where sewage treatment facility does not exist and preparation of DPR for treatment of sewage.	02 Months	U.P. Jal Nigam & Concerned ULBs	
2	Measurement of flow & load of all the drains contributing pollution load in River Gomti.	02 Months	U.P. Jal Nigam & Concerned ULBs	
3	Installation of Bar-meshes in the drains & regular cleaning & disposal of Solid Waste from them.	03 Months	Concerned ULBs	The ULBs will ensure compliance in the prescribed time line as informed by Urban Development Department.
4	Untapped drains to be provided with modular treatment facilities/ In-Situ bio-remediation or Phytoid-SWAB (CSIR-NEERI) based treatment.	06 Months	U.P. Jal Nigam & Concerned ULBs	The ULBs/Urban Development Department will ensure compliance in the prescribed time line as informed by Urban Development Department.
5	Completion and commissioning of under construction STP at G.H. Canal, Lucknow.	July, 2020	U.P. Jal Nigam/ Govt. working Agencies	Timeline as informed by Urban Development Department, Govt. of U.P.
6	Formulation of Action Plan for long term use of treated water discharged from	03 Months	U.P. Jal Nigam, Irrigation &	

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
	STPs.		Concerned ULBs in consultation with UPPCB/CPCB	
7	Installation of Web Cams & OCEEMS in STPs	03 Month	U.P. Jal Nigam/ Operating Govt. Agencies	
8	Formulation of Action Plan for income generation of STPs including installation of Solar Power Plants, Energy Plantation & sale of sludge and treated water, bio-composting etc.	03 Months	U.P. Jal Nigam & ULBs	
9	Obtaining Consent to Operate/Establish and Hazardous Authorization from UPPCB	02 Months	U.P. Jal Nigam/ Operating Govt. Agencies	
10	Preparation of DPR for channelization including diversion of sewage generated from household / township / villages to sewer lines and interception of all drains (excluding drains carrying industrial wastewater) for ensuring proper treatment through upcoming STPs.	Within 3 Months	Jal Nigam / Nagar Nigam, Concerned Districts	
11	Septage Management in the areas where sewerage network does not exist	Within 6 Months	ULBs/Jal Nigam	The ULBs will ensure compliance in the prescribed time line as informed by Urban Development Department.

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
B. Long Term Action Point				
1	Laying of Sewerage Network & Connection of households to the sewer line in order to utilize the installed capacity of existing STPs	24 Months from sanction of DPR	U.P. Jal Nigam & Concerned ULBs	Detailed plan along with details of status of DPR, source of funding etc. Is given in para-3.2 as informed by Urban Development Department, U.P.
2	Establishment of Sewage Treatment Plants of adequate capacity	24 to 30 Months from sanction of DPR	U.P. Jal Nigam & Concerned ULBs	Detailed plan along with details of status of DPR, source of funding etc. Is given in para-3.2 as informed by Urban Development Department, U.P.
3	Tapping & diversion of the drains having high sewage load to STPs to be constructed on I&D model	24 to 30 Months from sanction of DPR	U.P. Jal Nigam & Concerned ULBs	Detailed plan along with details of status of DPR, source of funding etc. Is given in para-3.2 as informed by Urban Development Department, U.P.
4	Infrastructure Development in Irrigation/Horticulture/Sprinkling/Industrial use etc. And ensuring use of treated water	24 to 30 Months from sanction of DPR	U.P. Jal Nigam & Concerned ULBs	Detailed plan along with details of status of DPR, source of funding etc. Is given in para-3.2 as informed by Urban Development Department, U.P.
5	Installation of Solar Power Plant & Energy Plantations in the vacant land of STPs	12 Months from sanction of DPR	U.P. Jal Nigam/ Operating Govt. Agencies	

212 -

-235-208-

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
6	Installation of supplementary/tertiary treatment system in existing STPs which are not able to achieve discharge norms in the present system	12 Months from sanction of DPR	U.P. Jal Nigam & Concerned ULBs	
7	Treatment of waste water in Rural areas flowing into the river by Bio-remediation/Phyto-remediation/Oxidation Pond etc.	12 Months	Gram Panchayat, Panchayati Raj, Rural Development Departments, Rashtriya Swachta Mission-Gramin	The financial resources may be arranged from MNREGA/Swachh Bharat Mission - Gramin
8	Ensuring ODF in all the villages situated along the river	12 Months	Gram Panchayat, Panchayati Raj, Rural Development Departments, Rashtriya Swachta Mission-Gramin	
C. INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT				
(a) Short Term Action Point				
1	Re-inventorisation of Water Polluting Industries in the catchment area of the drains and their status with respect to consent, installation of ETP, adequacy of ETP and final discharge point	03 Months	UPPCB, UPSIDC, ULBs & Department of Industries	
2	Monitoring of water polluting industries and ensuring closure of industries which	Quarterly	UPPCB & CPCB	

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
	are operating without consent or non-compliant			
3	Installation of OCEEMS, Flow Meter & Web Cams in large and medium category of GPIs with connectivity to the server of CPCB and UPPCB	03 Months	UPPCB	
4	Closure and legal action against the illegal water polluting industries operating in non-confirming /residential areas	Regular activity	District Level Inter-Departmental Enforcement Committee having representatives of Administration, Police, UPPCB, ULBs, Development Authority, Power Corporation, Department of Industries etc.	
5	In Sugar industries for reducing the water consumption, improving the quality of treated effluent and reuse of water in irrigation	06 months	UPPCB/CPCB/ Industry department	
(b) Long Term Action Point				
1	Adoption of cleaner technologies by water polluting industrial sectors having	24 Months	UPPCB, CPCB & Department of	

-214-

-237-

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
	major impact on water quality of the river. For eg. - Electroplating, Dyeing, Pulp & Paper industries etc.		Industries	
2	Imposing stringent norms in Distillery, Pulp & Paper, and Slaughter House.	24 Months	Departments of Environment, Industries, Excise &UPPCB	
3	Reducing abstraction of ground water by reuse/recycle of treated effluent by installation of additional treatment facilities & process improvement	12 Months	CGWA, CPCB, Department of Industries & UPPCB	
4	Use of treated effluent from CETPs for industrial and irrigation purposes	12 Months	Department of Industries, SPVs, Operating Agencies, UPPCB & CPCB	
5	Actions related to improvement of ETPs and reduction of use of ground water by the industries as per the prescriptions given in Appendices 3A, 3B, 3C, 3D & 3E.	6 to 24 Months	Department of Industries, UPPCB & CPCB	
D. SOLID WASTE & FLOOD PRONE ZONE MANAGEMENT				
(a) Short Term Action Point				
1	Strictly ensuring prohibition of dumping of solid & other waste within 500 Meters of the banks of the river	Immediate	ULBs, Gram Panchayat Development	

1 215-

- 238.

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
2	Collection & Segregation of Solid Waste as per the provision of SWM Rules, 2016	Immediate	Authorities & Urban Development Department ULBs, Gram Panchayat Development Authorities & Urban Development Department	The ULBs will ensure compliance as per timeline given according to the Action Plan (Appendix-8) as informed by Urban Development Department, UP. Panchayati Raj Department, UP will ensure compliance in Rural Areas.
3	Disposal of Recyclable waste through registered recyclers	Immediate	ULBs, Gram Panchayat, Development Authorities & Urban Development Department	The ULBs will ensure compliance as per timeline given according to the Action Plan (Appendix-8) as informed by Urban Development Department, UP. Panchayati Raj Department, UP will ensure compliance in Rural Areas.
4	Compliance of SWM Rules, 2016 by bulk generators (onsite bio-composting, disposal of recyclable waste through registered recyclers)	02 Months	ULBs, Development Authorities, Railways, Transport Corporation, Mandi Parishad, Cantonment Board, Educational Institution, RWAs & Urban Development Department etc.	The ULBs will ensure compliance as per timeline given according to the Action Plan (Appendix-8) as informed by Urban Development Department, UP. Panchayati Raj Department, UP will ensure compliance in Rural Areas.

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
5	Upgradation & operation of existing non-operational & non-complying Solid Waste Treatment Facilities as per prescribed norms	06 Months	ULBs, Development Authorities & Urban Development Department	The ULBs will ensure compliance as per timeline given according to the Action Plan (Appendix-8) as informed by Urban Development Department, UP. Development Authorities will also ensure compliance in concerned areas.
6	Compliance of C&D Waste Management Rules, 2016 & prohibition of illegal dumping of C&D waste	Immediate	ULBs, Development Authorities & Urban Development Department	
7	Installation of Web Cams in Solid Waste & C&D Waste Treatment & Disposal Facilities with open access to UPPCB & CPCB server connectivity	03 Month of functioning of the processing plants	ULBs, Development Authorities & Urban Development Department	
8	Formulation of Action Plan for income generation of Solid Waste & C&D Waste Treatment & Disposal Facilities including installation of Solar Power Plants, Energy Plantation & sale of RDF, compost etc.	02 Months	ULBs, Development Authorities & Urban Development Department	The ULBs will ensure compliance as per timeline given according to the Action Plan (Appendix-8) as informed by Urban Development Department, UP. Development Authorities will also ensure compliance in concerned areas.

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
9	Obtaining Consent to Operate/Establish and Authorization from UPPCB	02 Months	ULBs, Development Authorities, Urban Development Department & UPPCB & CPCB	
10	Ensuring idol immersion in environmental friendly manner by creation of artificial ponds with proper lining & proper disposal of sludge & effluent	Immediate	ULBs, Development Authorities & District Administration	
11	Ensure strict prohibition of encroachments & illegal constructions in FPZ	06 Months	Development Authorities, District Administration & Police and Irrigation Department	
12	Removal of solid waste & algal growth disposed in the river by use of low cost innovative techniques with involvement of local community.	06 Months	ULBs, Gram Panchayat, Development Authorities & Irrigation Department	

1218-

241-

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
(b) Long Term Action Point				
1	Establishment of new solid waste & C&D treatment & disposal facilities against the gap with respect to generation of solid waste	24 Months after sanction of DPR	ULBs, Development Authorities & Urban Development Department	The ULBs will ensure compliance as per timeline given according to the Action Plan (Appendix-8) as informed by Urban Development Department, UP. Development Authorities will also ensure compliance in concerned areas.
2	Treatment & disposal of legacy waste dumped within 500 meters of the bank of the River	24 Months after sanction of DPR	ULBs, Development Authorities & Urban Development Department	The ULBs will ensure compliance as per timeline given according to the Action Plan (Appendix-8) as informed by Urban Development Department, UP. Development Authorities will also ensure compliance in concerned areas.
3	Construction of electric/fuel efficient crematorium to stop disposal of unburnt/ semi burnt corpses in the river	24 Months	ULBs, Development Authorities & Urban Development Department	The ULBs will ensure compliance as per timeline given as informed by Urban Development Department, UP. Development Authorities will also ensure compliance in concerned areas.
4	Demarcation & notification of FPZ by introducing Pillars at suitable locations in river flood plain and preventing encroachment in river bed.	24 Months	Irrigation Department	Only after sanctioning of DPR & its other formalities including sanctioning of budget under NMCG.

- 219 -

- 242 -

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
5	Removal of illegal encroachments & constructions from FPZ	24 Months	District Level Committee headed by D.M, with representative from concerned Departments.	
D. ECOLOGICAL FLOW & GROUND WATER MANAGEMENT				
(a) Short Term Action Point				
1	Identification, inventorization & geo referencing of wetlands/water bodies including their zone of influence & catchment areas within 2 Km of the river	03 Months	State Authority, Forest & Wildlife, Panchayati Raj, Revenue Department, ULBs & Gram Panchayats	
2	Identification & geo referencing of vacant lands in the vicinity of the river for development of bio-diversity parks & forest areas	03 Months	Forest & Wildlife, Panchayati Raj, Revenue Department, ULBs & Gram Panchayats	
3	Identification of external water sources like canal escapes etc. for addition of water in the river for dilution purposes	03 Months	Irrigation Department	Only surplus water after fulfilling irrigation demands will be provided to nearby rivers through canal escapes.

220 -

243 -

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
4	Prohibition of illegal mining & diversion of river stream	Regular Activity	District Administration, Mining Department & Irrigation Department	Only diversion of river stream would be reported to District authorities in non monsoon period by concerned district irrigation officers.
5	Ensuring rain water harvesting/recharging structures/Rainier wells on river banks & construction of water harvesting structures	Regular Activity	Mining, Rural Development & Minor Irrigation Department	Possible funding may be arranged through MNREGA and Central assistance by NMCG.
(b) Long Term Action Point				
1	Notification of E-flow of the River	12 Months	Irrigation Department, MoWR (CWC)	Notification of E-flow of the River will be done by MOWR (CWC).
2	Ecological restoration of the wetlands including plantation in the catchment area & development of community based eco-tourism in the wetland	24 Months from sanction of DPR	State Wetland Authority, Forest & Wildlife Department Tourism Department & National Mission for Clean Ganga	Possible source of funding may be from Centrally Sponsored Scheme for Development of Wetlands and from NMCG.
3	Development of Bio-diversity Parks and Riverine Forests by plantation & re-generation of native species of trees, grasses & herbs and establishment of new nurseries	24 Months from sanction of DPR	State Wetland Authority, Forest & Wildlife Department & National Mission for Clean Ganga	Funds may be arranged from NMCG.

- 221 -

- 244 -

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
4	Adoption of good irrigation/Agriculture practices, suitable crop selection, use of sprinkler/drip irrigation to minimize the water consumption through awareness & support to the farmers	12 Months	Agriculture Department, Rural Development, Minor Irrigation Department	
5	Removal of encroachment from wetlands, ponds & their restoration	24 Months	Revenue, Administration, Panchayati Raj Department, ULBs & Gram Panchayats	
6	Allowing flow of fresh surplus water source like canal for restoration of E-flow	18 Months	Irrigation Department	Only surplus water after fulfilling irrigation demands will be provided to nearby rivers through canal escapes.
7	Recharge of dry Wells and Ponds	24 Months	Panchayati Raj Department, ULBs & Gram Panchayats	
E. MONITORING & EVALUATION				
(a) Short Term Action Point				
1	Daily Monitoring of river water quality at the upstream & downstream of cities & meeting points of the major drains	Regular Activity	UPPCB, District Ganga Committee/ District Environment Committee	
2	Weekly monitoring of drains, STPs & CETPs	Regular Activity	UPPCB, District Ganga Committee/	

1222

245

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
			District Environment Committee	
3	Monitoring of water polluting industries	Quarterly	UPPCB, District Ganga Committee/ District Environment Committee	
4	Monitoring of ground water quality within 500 meters of the rivers & drains	Quarterly	UPPCB, CGWA, CPCB & District Ganga Committee/ District Environment Committee	
5	Pre-monsoon & post-monsoon monitoring of ground water level	Regular Activity	CGWA & Directorate of Ground Water	
6	Measurement of River flow as per the protocol	Regular	Irrigation Department & District Ganga Committee/ District Environment Committee	Annual flow discharge data of river.
7	Project formulation & funding including recurring expenses for employment of JRFs/Monitoring Assistants/Field Assistants, purchase of kits & equipments, vehicle on rental basis,	02 Months	UPPCB, District Ganga Committee/ District Environment Committee, SMCG & NMCG	

1 223.

-246-

S.No.	Action Point	Timeline	Implementing Department/Agency	Remark
	development of Web Portal & establishment of Control Room, purchase of desktop computers, printers/ LED Monitor etc.			
8	Development of Web Portal for reporting & centralized monitoring of water quality of the river & drains and action points with access to all concern stakeholders departments/agencies responsible for implementation of the action plan	Regular	UPPCB, NMCG & CPCB	
9	Establishment of Regional Control Rooms at District/ Division Level for monitoring & uploading of data related to monitoring of water quality & compliance of action points with its integration to the State Level Control Room	04 Months	UPPCB, District Ganga Committee/ District Environment Committee	

-224-

-247-

APPENDICES

-- 70 --

- 225 -

-248-

APPENDIX-1

Pollution Source Mapping of River Gomti from Sitapur to Jaunpur

S.NO	District	Name of Drain	Meeting Point of Drain		Domestic/Industrial/Mixed	Tapped/Untapped/Partially Tapped	Industries		Sewage Discharge (MLD)	Untreated	Total	Status of Barmesh	Percent overflow
			Latitude	Longitude			Number	Treated Effluent (MLD)					
	Sitapur	Sarain River*	27°12'00.8"N	80°47'23.1"E			10	4.03	0	20	24.03	No	
1	Sitapur	Minor Sharda Canal	27°08'23.2"N	80°49'19.0"E	Irrigation Canal	Untapped	1	0.53	0	2	2.5	No	0
2	Sitapur	Garra Nala	27°16'18.39"N	80°37'144.0"E	Mixed	Untapped	1	0.75	0	3	3.75	No	
3	Lucknow	Nagaria Nala	26°53'7.9"	80°53'31"	Domestic	Partially Tapped	0	0	7	7	14	Yes	50
4	Lucknow	Sarkata Nala	26°53'2.7"	80°54'5.7"	Domestic	Partially Tapped	0	0	16	16	32	Yes	50
5	Lucknow	Gaughat Nala	26°53'5.9"	80°53'51.6"	Domestic	Tapped	0	0	5	0	5	Yes	0
6	Lucknow	Pata Nala	26°52'22.9"	80°54'40.1"	Domestic	Partially Tapped	0	0	10	4	14	Yes	30
7	Lucknow	Wazirganj Nala	26°51'55.9"	80°55'32.1"	Domestic	Partially Tapped	0	0	20	15	35	Yes	40
8	Lucknow	Ghasiyani mandli Nala	26°51'45.3"	80°55'45.1"	Domestic	Partially Tapped	0	0	13	5	18	Yes	30
9	Lucknow	China bazar nala	26°51'24.6"	80°56'11.3"	Domestic	Tapped	0	0	3	0	3	Yes	0
10	Lucknow	Laplace Nala	26°51'34.4"	80°56'39.34"	Domestic	Tapped	0	0	6	0	6	Yes	0
11	Lucknow	Mahesh Ganj Nala	26°52'7.3"	80°55'36.0"	Domestic	Partially Tapped	0	0	8	5	13	Yes	40

12	Lucknow	Ruppur Khadra nala	26°53'8"	80°53'37"	Domestic	Tapped	0	0	3	0	3	Yes	0
13	Lucknow	Mohan Meakins Nala	26°52'22.4"	80°55'9.4"	Domestic	Partially Tapped	0	0	3	2	5	Yes	40
14	Lucknow	Daliganj-1 Nala	26°52'10.2"	80°55'32.7"	Domestic	Partially Tapped	0	0	5	2	7	Yes	20
15	Lucknow	Daliganj-2 Nala	26°52'7.3"	80°55'36.0"	Domestic	Tapped	0	0	3	0	3	Yes	0
16	Lucknow	Arts College Nala(barrel no-3)	26°51'49"	80°55'46"	Domestic	Tapped	0	0	3	0	3	Yes	0
17	Lucknow	Hanuman Setu nala(barrel no-4)	26°51'37"	80°56'19"	Domestic	Tapped	0	0	6	0	6	Yes	0
18	Lucknow	Trans Gonti Nala(barrel no-5)	26°51'41"	80°56'41"	Domestic	Tapped	0	0	2	0	2	Yes	0
19	Lucknow	Kedar Nath Nala(barrel no-6)	26°51'39"	80°56'4"	Domestic	Tapped	0	0	3	0	3	Yes	0
20	Lucknow	Mahanagar/ni shatganj nala(barrel no-7)	26°51'42"	80°56'43"	Domestic	Tapped	0	0	3	0	3	Yes	0
21	Lucknow	Baba ka purva Nala(barrel no-8)	26°51'46"	80°57'38"	Domestic	Tapped	0	0	1	0	1	Yes	0
22	Lucknow	Kukrail Nala+Sewer	26°51'41.4"	80°58'4.3"	Mixed	Partially Tapped	3	2.96	150	100	252.96	Yes	30
23	Lucknow	NER U/S Nala	26°49'9.8"	80°57'7.1"	Domestic	Tapped	0	0	1.5	0	1.5	Yes	0
24	Lucknow	NER D/S Nala	26°48'4.3"	80°56'9.9"	Domestic	Tapped	0	0	2	0	2	Yes	0
25	Lucknow	Jopling Road /Parag Dairy Nala	26°50'10.6"	80°57'7.08"	Mixed	Tapped	0	0	2	0	2	Yes	0
26	Lucknow	GH Canal Nala	26°51'12.6"	80°58'8.18"	Mixed	Partially Tapped	2	1.07	80	80	160.17	Yes	50
27	Lucknow	Jlamau Nala	26°55'26.1"	80°57'54.4"	Domestic	Tapped	0	0	2	0	2	Yes	0

- 227 -

250

28	Lucknow	Lamartiniere	26°50'7.6"	80°57'58.8"	Domestic	Tapped	0	0	7	0	7	Yes	0
	Lucknow	Sahara City Nala (Flood Pumping Station-Barrel no-2)	26°50'9.9"	80°58'10.608"	Domestic	Untapped	0	0	0	9	9	No	
29	Lucknow	Bairikala	26°53'35"	80°52'51"	Domestic	Untapped	0	0	0	1	1	No	
30	Lucknow	Ghaila	26°54'39"	80°53'28"	Domestic	Untapped	0	0	0	9	9	No	
31	Lucknow	Faizullahganj-U/S	26°52'49"	80°51'51.5"	Domestic	Untapped	0	0	0	16	16	No	
32	Lucknow	Faizullahganj-D/S	26°52'48"	80°51'51.9"	Domestic	Untapped	0	0	0	8	8	No	
33	Lucknow	Gomti Nagar Dain	26°50'5.59"	80°59'32.49"	Domestic	Untapped	0	0	0	32	32	No	
34	Lucknow	Gomti Nagar Extension	26°50'31.79"	80°59'41.65"	Domestic	Untapped	1	1	0	4	4	No	
35	Unnao	Loni Drain	26°41'41.67" N	81°17'41.66" E	Mixed	Untapped	3	0.8	0	2	2	No	
36	Hardoi	Behta Drain	26°56'8.26"	80°51'22.09"	Mixed	Untapped	2	2.41	0	0.5	0.5	No	
37	Barabanki	Jamuria Drain	26°54'27.75"	81°10'45.39"	Domestic	Untapped	0	0	0	14	14	No	
38	Barabanki	Reth River	26°46'9.81"	81°11'22.44"	Mixed	Untapped	3	2.03	0	2	2	No	
39	Ameti	Industrial Drain (Kadu Nala), Jagdishpur	26°24'05"N	81°45'19"E	Industrial Drain	Untapped	3	14.05	0	5	19.05	No	
40	Sultanpur	Karaudiya Nala	26°16'53.76" N	82°3'48.66"E	Domestic	Untapped	0	0	0	3	3	No	
41	Sultanpur	Amahat Nala	26°16'02.7"N	82°05'29.9"E	Domestic	Tapped	0	0	1	0	1	No	0
42	Sultanpur	Gabriya Nala	26°17'0.12"N	82°3'46.07"E	Domestic	Untapped	0	0	0	5	5	No	
43	Sultanpur	Hathiya nala	26°16'02.7"N	82°05'29.9"E	Domestic	Tapped	0	0	2	0	2	Yes	0

228-

251-

45	Sultanpur	Ganda Nala	26°16'13.01" N	82°4'39.74"E	Domestic	Tapped	0	0	0	1.5	0	1.5	Yes	0
46	Sultanpur	Barhaiyabeer Nala	26°16'13.74" N	82°4'21.66"E	Domestic	Tapped	0	0	0	1.5	0	1.5	Yes	0
47	Sultanpur	Jamuriya/Chin i Mill Nala	26°16'49.75" N	82°5'42.74"E	Mixed	Untapped	1	1.1	0	0	0.5	1.6	No	
48	Jaunpur	MUFTI MOHALLA DRAIN	25°45'7.218" N	82°40'39.334 8"E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	0.8	0.8	No	
49	Jaunpur	MALJANTOLA DRAIN	25°45'4.014" N	82°40'24.250 8"E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	0.4	0.4	No	
50	Jaunpur	TURTIPUR DRAIN	25°45'4.492 8"N	82°40'51.744 "E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	5	5	No	
51	Jaunpur	HANUMAN GHAT DRAIN	25°44'57.05 88"N	82°41'8.2068 "E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	2	2	No	
52	Jaunpur	QUILA MOHALLA DRAIN	25°44'57.15 88"N	82°41'8.2018 "E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	0.25	0.25	No	
53	Jaunpur	BALUA GHAT DRAIN	25°44'52.62" N	82°41'38.389 2"E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	0.25	0.25	No	
54	Jaunpur	RASMANDAL DRAIN	25°44'35.53 08"N	82°41'36.132 "E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	1.4	1.4	No	
55	Jaunpur	ACHALA DRAIN	25°44'34.48 68"N	82°41'47.878 8"E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	0.45	0.45	No	
56	Jaunpur	KATGHAR DRAIN	25°44'59.50 32"N	82°40'52.348 8"E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	2	2	No	
57	Jaunpur	JOGIAPUR DRAIN	25°44'33.40 32"N	82°41'19.975 2"E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	0.69	0.69	No	
58	Jaunpur	MIYA PUR DRAIN	25°44'33.37 8"N	82°41'29.958 "E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	1.2	1.2	No	
59	Jaunpur	HARAIPUR DRAIN	25°44'26.02 32"N	82°42'7.9488 "E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	2	2	No	
60	Jaunpur	SEKHUPUR DRAIN	25°44'35.17 72"N	82°41'27.265 2"E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	1	1	No	
61	Jaunpur	AHYAPUR DRAIN	25°44'57.69 6"N	82°42'55.224 "E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	6	6	No	
62	Jaunpur	SIPAH MOHALLA DRAIN	25°38'5.32"N	82°54'50.39" E	Domestic	Untapped	0	0	0	0	0.18	0.18	No	

63	Jaunpur	NAU GHAT DRAIN	25°38'5.35"N	82°54'54.16" E	Domestic	Untapped	0	0	0	0.17	No
64	Jaunpur	RAVIDASH GHAT DRAIN	25°38'4.38"N	82°55'2.21"E	Domestic	Untapped	0	0	0.19	0.19	No
65	Jaunpur	RAMESHWAR GHAT DRAIN	25°38'4.05"N	82°55'5.01"E	Domestic	Untapped	0	0	0.18	0.18	No
66	Jaunpur	NARHAN KHAN CHURAHA DRAIN	25°38'1.28"N	82°55'18.08" E	Domestic	Untapped	0	0	0.17	0.17	No
67	Jaunpur	CHANDWAK GHAT DRAIN	25°34'54.28 N	83°0'9.21"E	Domestic	Untapped	0	0	0.19	0.19	No
68	Jaunpur	BALUA GHAT DRAIN	25°34'5.27"N	83°0'22.11"E	Domestic	Untapped	0	0	0.18	0.18	No
	Total						30	30.73	370.5	396.7	790.7 6

* River Sarayan is a small tributary of river Gomti meeting at downstream of Sitapur at Kantain. It carries industrial effluent from 10 industries and part of domestic sewage from Sitapur city. It is not a drain, it carries natural water.

Appendix-2**Details of Cities & Towns**

S.No.	District	Name of City/ Town	Type of ULB	Population (Lakh) Census - 2011	Estimated Population (Lakh) Year - 2019
1	Sitapur	Sitapur	Nagar Palika Parishad	177,234	2,11,093
2	Hardoi	Sandila	Nagar Palika Parishad	58,346	67,887
3	Lucknow	Lucknow	Nagar Nigam	2,817,105	33,99,006
4	Barabanki	Barabanki	Nagar Palika Parishad	3,260,699	38,33,539
5	Sultanpur	Sultanpur	Nagar Palika Parishad	107,640	1,23,235
6	Jaunpur	Jaunpur	Nagar Palika Parishad	180362	2,01,847
7	Jaunpur	Kerakat	Nagar Panchayat	13525	15,136

Total

6,614,911

83,023

Appendix-3 Details of Industries

S. N.	District	Name and Address	Location		Type	Treatment Mechanism (ETP/CETP)	Effluent Discharge (KLD)	Effluent Discharge	Compliance Status (Yes/No)
			Latitude (N)	Longitude (E)					
1	Sitapur	Aasan. Ind. Area Sarai Malbhi, Sitapur	27.549444444	80.716111111	Yarn/Textile Processing	ETP	65	River Sarayan/River Gomti	Yes
2	Sitapur	Dalmia chini Mill(sugar), Ramgarh, Sitapur	27.326111111	80.626666667	Sugar	ETP	750	Nala Garra/River Gomti	Yes
3	Sitapur	Dalmia chini Mills (Sugar), Jawaharpur, Ramkoat, Sitapur	27.524444444	80.558055556	Sugar	ETP	1000	River Sarayan/River Gomti	Yes
4	Sitapur	Dalmia chini Mills, (Distt) Jawaharpur, Ramkoat, Sitapur	27.524444444	80.558055556	Distillery	ETP	0	ZLD/ River Sarayan/River Gomti	Yes
5	Sitapur	JB Daruka paper, A-Ind Area, Adbaniya, Sitapur	27.591111111	80.607222222	Paper,	ETP	0	ZLD/ River Sarayan/River Gomti	Yes
6	Sitapur	Kamlapur Chini Mill, Kamlapur Sitapur	27.41094701	80.83268601	Pulp & Paper	ETP	1415	Nala Pirai/ River Sarayan /River Gomti	Yes

7	Sitapur	Madhu India deco Ltd, Atariya, Sitapur	27.17576901	80.84933601	Sugar	ETP	0	River Gomti	Yes
8	Sitapur	Mohd Aafaq Mohd Ashfaq, Laherapur road, Sitapur	27.50257201	80.98954401	Yarn/Textile Processing	ETP	1.350	Nala Gandsanar/River Gomti	Yes
9	Sitapur	Avadh Sugar Mill, (Distillery unit) Hargaon, Sitapur	27.77384401	80.73219201	Yarn/Textile Processing	ETP	2.4	Local Drain/River Gomti	Yes
10	Sitapur	Avadh Sugar Mill, (Sugar unit) Hargaon, Sitapur	27.77377201	80.72948101	Distillery	ETP	0	ZLD/Nala Goan/River Gomti	Yes
11	Sitapur	Kishan Sahakari Chini Mills, Mahmahoodabad ,Sitapur	27.30231101	81.10245802	Sugar	ETP	500	Irrigation Canal	Yes
12	Sitapur	Singhaniya Milk Product Pvt Ltd, Ramnagar, Sitapur	27.55086401	80.62852801	Milk Processing	ETP	180	River Sarayan/River Gomti	Yes
13	Lucknow	C.P. Milk & Food Product Product, Pvt. Ltd. Kurshi Road, Lucknow	26.93554701	80.97765301	Milk Processing	ETP	900	Nala Kukrail/River Gomti	Yes
14	Lucknow	Eveready Industries Ltd, Aishbagh, Lucknow	26.83823101	80.89436101	Metal Surface Treatment	ETP	170	Haider Canal/River Gomti	Yes
15	Lucknow	HAL Ltd, Faizabad road, Lucknow	26.87005601	80.99139701	Heavy Engineering	ETP	1766	Nala Kukrail/River Gomti	Yes
16	Lucknow	Lucknow Producer Co- operative Milk Union Ltd., Jopling road, Lucknow	26.85735801	80.96609201	Milk Processing	ETP	300	Haider Canal/River Gomti	Yes

7 233

-256-

17	Lucknow	Scooter India Ltd, Sarojini Nagar Lucknow	26.73848601	80.8524502	Automobile	ETP	900	Nala Loni/River Gomti	Yes
18	Lucknow	Banaskantha District Cooperative Milk Products Union Ltd, CG City, Lucknow	26.78694203	81.02558304	Dairy			Local Drain/River Gomti	Yes
19	Barabanki	Amroon Foods Pvt. Ltd, kursi road, Barabanki	27.03862201	81.03015802	Slaughter House and Meat Processing	ETP	1000	River Reth / River Gomti	Yes
20	Barabanki	Brindawan Bottlers Pvt. Ltd., Shafedabad, Barabanki	26.90307502	81.12259203	Food & Beverages	ETP	634	Local Drain/ River Gomti	Yes
21	Barabanki	Haidergarh chini Mill Ltd Vill-Pokhra, Haidergarh Barabanki	26.59276701	81.30378602	Sugar			Local Drain/ River Gomti	Yes
22	Barabanki	C.P. Milk & Food Product Product, Pvt. Ltd. Barabanki	27.01404201	81.03895302	Milk Processing	ETP	400	River Reth/River Gomti	Yes
23	Amethi	BHEL, Industrial area, Jagdishpur	26.48928902	81.55591901	Heavy Engineering	ETP	600	Industrial drain / Kadu Nala Jagdishpur	Yes
24	Amethi	Hindustan Aeronautics Ltd, Korwa, Munsiganj	26.21456102	81.82106901	Heavy Engineering	ETP	1900	Industrial drain / Kadu Nala Jagdishpur	Yes
25	Amethi	Indogulf Fertilizer Ltd, Jagdishpur	26.52569702	81.66973301	Fertilizer	ETP	12000	Industrial drain / Kadu Nala Jagdishpur	Yes
26	Sutanpur	Kisan Sahkari Chini Mill, Sultanpur	26.29691401	82.09801903	Sugar	ETP	1100	Jamuria/chini mill nala	Yes

- 234 -

-257-

27	Hardoi	Varun Beverages Ltd B2/1 Sandila, Industrial Area, Hardoi	27.093958	80.440017	Food & Beverages	ETP	740	Behta drain	Yes
28	Hardoi	SAF Yeast Co. Ltd., Sandila, Industrial Area, Hardoi	27.09451904	80.44921103	Distillery	ETP	ZLD	Behta drain	Yes
29	Unnao	Marsh Agro Foods Ltd., Bichpari, Unnao	26.59180801	80.57942804	Slaughter House	ETP	412 KLD	Loni drain	Yes
30	Unnao	Brindawan Bottlers Pvt.Ltd., Makhdumpur, Nawabganj, Hasanganj, Unnao	26.63195301	80.68155601	Food & Beverages	ETP	ZLD in stream	Sai river	Yes

- 235 -

-258-

Appendix 3 A

GAP Analysis of Industries Situated in the Polluted Stretch of River Gomti

Sl. No.	District	Name of Industry	Sector	Water Consumption (KLD)	Effluent Discharge (KLD)	Details of ETP	Gap Analysis	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lucknow	Scooter India Ltd, Sarojini Nagar Lucknow	Automobile	975	900	collection tank Dosing tank, aeration tank, Settling tank, Filtration tank	Phase wise Reduction of Fresh Water Consumption & other action points as Appendix - 3 D	
2	Lucknow	Banaskantha District Cooperative Milk Products Union Ltd, CG City, Lucknow	Milk Processing	1010	1000	collection tank Screen chamber, fat removal tank, Primary clarifier, Intermittent sump, USB Reactor, Aeration Tank, Secondary Clarifier, intermittent Sump, Treated water storage tank, Anaerobic Sludge digester, Sludge sump gas holder	No Gap	
3	Sitapur	Singhaniya Milk Product Pvt Ltd, Ramnagar, Sitapur	Milk Processing	63	60	Bar Screen, Oil Grease Trap, Chemical Dosing Tank, Equalization Tank, Sedimentation Tank, aeration Tank, Settling Tank, Sludge Drying Bed	No Gap	

-236-

-257-

4	Barabanki	C.P. Milk & Food Product, Pvt. Ltd. Barabanki	Milk Processing	752	500	Bar Screen, Equalization Tank, Settling Tank, Aeration Grid with MBBR Media, Secondary Tube Settler, Carbon Sand Filter, Sludge Drying Bed.	No Gap	
5	Sitapur	Dalmia chini Mills, (District) Jawaharpur, Ramkoat, Sitapur	Distillery	2850	ZLD	Five Stage Multi-effect Evaporator & Bio Composting	No Gap	
6	Sitapur	Oudh Sugar Mill, (Distillery unit) Hargaon, Sitapur	Distillery	650	ZLD	Five Stage Multi-effect Evaporator with Incineration (Slop Fired Boiler)	No Gap	
7	Hardoi	M/s SAF Yeast Co. Ltd., Sandila, Industrial Area, Hardoi	Distillery	3569	ZLD	Bio methanization tank-04 nos., RO Plant-1920 KLD capacity, Multiple effect evaporator-450 m ³ /day, Bio composting yard (80X50).	No Gap	
8	Sitapur	Aasan. Ind. Area Sarai Mahuhi, Sitapur	Dying Unit	72	65	Screen, Equalization Tank Chemical Dosing Tank, Carbon and Sand Filter	Water Consumption to be reduced & charter of CPCB to be followed. As per Appendix - 3 C	As per CPCB charter for water recycling and pollution prevention for textile industry.
9	Sitapur	Madhu India deco Ltd, Atariya, Sitapur	Dying Unit	190	160	Oil Grease Trap, Equalization Tank, Flash Mixer, Tube Settler, aeration Tank, Clarifier, Sludge Thickener, Sludge	Water Consumption to be reduced & charter of CPCB to be followed. As per Appendix	As per CPCB charter for water recycling and pollution prevention

- 237 -

260

						drying Bed	- 3 C	for textile industry.
10	Sitapur	Mohd Aafaq Mohd Ashfaq, Laherpur road, Sitapur	Dying Unit	27	20	Equalization Tank, Reaction com Settling Tank, Dosing Tank, Filtration Tank, Sludge drying Beds	Water Consumption to be reduced & charter of CPCB to be followed. As per Appendix - 3 C	As per CPCB charter for water recycling and pollution prevention for textile industry.
11	Amethi	M/s Hindustan Aeronautics Ltd., Korwa, Munshiganj, Amethi	Electroplating	3318	2765	Holding tank, Chemical dosing tank, Reaction tank, Flocculation settling tank, sludge drying bed, sludge storage pit.	Phase wise Reduction of Fresh Water Consumption & other action points as Appendix - 3 D	2750 KLD Domestic & 15 KLD Industrial
12	Amethi	M/s Indogulf Fertilizer Ltd., Industrial Area, Jagdishpur, Amethi	Fertilizer	25720	12240	Ammonium Process, Condensate Treatment, Urea Plant Process, Condensate Treatment, Turbine Condensate, Oily Bar Treatment, Neolite Softening, Neutralization, Equalization System, Guard Pond Treatment, Oxidation Pond for domestic sewage.	No Gap	

13	Unnao	M/s Brindawan Bottlers Pvt.Ltd., Makhdumpur, Nawabganj, Hasanganj, Unnao	Food & Beverages	2464	412	Screen Chamber, Oil and grease tab, Collection Sump, Equalization tank-2 nos., Chemical Dosing Tank, Flash Mixture, AFF reactor, MBBR reactor, Clarifier-1, Aeration tank, Clarifier-2, Treated water sump, D Chlorination tank, ACF, MGF, UF, RO, Treatment water collection tank and Sludge beds.	No Gap	
14	Lucknow	HAL Ltd, Faizabad road, Lucknow	Heavy Engineering	4688	1766	Chemical Dosing tank, acid/alkali mixer, Reaction tank, SDB	Phase wise Reduction of Fresh Water Consumption & other action points as Appendix - 3 D	STP of 3 MLD is installed for the treatment of domestic effluent
15	Amethi	M/s BHEL, Industrial Area, Jagdishpur, Amethi	Heavy Engineering	1688	900	Oil and grease tank, Settling tank, sludge drying bed. Oxidation pond for domestic sewage.	Phase wise Reduction of Fresh Water Consumption & other action points as Appendix - 3 D	600 KLD Domestic & 300 KLD Industrial
16	Lucknow	Eveready Industries Ltd, Aishbagh, Lucknow	Metal Surface Treatment	318	170	Reaction tank Chemical Dosing tank Holding/precipitation tank, Settling tank, ETP	Phase wise Reduction of Fresh Water Consumption & other action points as Appendix - 3 D	

- 239 -

- 262 -

17	Lucknow	C.P. Milk & Food Product, Pvt. Ltd. Kurshi Road, Lucknow	Milk Processing	1000	900	Screen Chamber, Collection/ Equalization Tank, Primary Clarifier, Aeration tank, Secondary Clarifier, SDB ETC.	No Gap	
18	Lucknow	Lucknow Producer Co-operative Milk Union Ltd., Jopling road, Lucknow	Milk Processing	340	300	Holding cump, Equalization tank, aeration tank, secondary clarifier, SDB	No Gap	
19	Sitapur	JB Daruka paper, A-Ind Area, Adbaniya, Sitapur	Paper Unit	1300	850	Krofta, Equalization Tank, Primary Clarifier, aeration Tank, Secondary Clarifier, Media Sand Filter, Activated Carbon Filter and Drum Thickener	No Gap	
20	Barabanki	Amroon Foods Pvt. Ltd, kursi road, Barabanki	Slaughter House	840	765	Bar Screen, Equalization Tank, Rotator Filter, DAFUASVR Reactor, Retention Tank-3, Clarifier-3, Aeration Tank, Activated Carbon and Sand Filter, Polishing Pond, Sludge Drying Bed.	Phase wise Reduction of Fresh Water Consumption & other action points as Appendix - 3 B	The existing gap with reference to discharge of effluent, effluent treatment infrastructure, solid waste management as per the norms laid down in CPCB document.

- 240 -

- 263 -

21	Unnao	M/s Marsh Agro Foods Ltd., Bichpari, Unnao	Slaughter House	340	ZLD	Dung separation system, Collection tank, Solid liquid separator, Flash mixer, Equalization tank, Primary settling tank, UASB reactor-2 nos., Aeration tank-1, Clarifier-1, Aeration tank-2, Clarifier-2, Disinfection tank, sludge drying beds, MGF, ACF.	Phase wise Reduction of Fresh Water Consumption & other action points as Appendix - 3 B	The existing gap with reference to discharge of effluent, effluent treatment infrastructure, solid waste management as per the norms laid down in CPCB document.
22	Barabanki	Brindawan Bottlers Pvt. Ltd., Shafedabad, Barabanki	Soft Drink Bottling Plant	1515	635	Bar Screen, Oil and Grease Tank, Equalization Tank-2, Aeration Tank, Clarifier, Dechlorination, Carbon and Sand Filter, Sludge Drying Bed.	No Gap	
23	Hardoi	Varun Beverages Ltd B2/1 Sandila, Industrial Area, Hardoi	Food & Beverages	2800	740	Screen Chamber, Oil and grease tab, Collection Sump, Equalization tank-2 nos., Chemical Dosing Tank, Flash Mixture, AFF reactor, MBBR reactor, Clarifier-1, Aeration tank, Clarifier-2, Treated water sump, D Chlorination tank, ACF, MGF, UF, RO,	No Gap	

24	Sultanpur	M/s Kisan Sahkari Chini Mills, Sultanpur	Sugar	1325	250	Bar screen, Oil and grease trap, Neutralization tank, Aeration tank, Clarifier, sludge drying beds.	No Gap
25	Sitapur	Dalmia chini Mill(sugar), Ramgarh, Sitapur	Sugar	1044	750	Bar Screen, Oil Grease Trap, Equalization Tank, Primary Clarifier, aeration Tank, Secondary Clarifier, Carbon Sand Filter, Sludge Drying Bed	No Gap
26	Sitapur	Dalmia chini Mills (Sugar) , Jawaharpur, Ramkoat, Sitapur	Sugar	1370	1000	Bar Screen, Oil Grease Trap, Equalization Tank, Primary Clarifier, aeration Tank, Secondary Clarifier, Carbon Sand Filter, Sludge Drying Bed	No Gap
27	Sitapur	Kamlapur Chini Mill, Kamlapur Sitapur	Sugar	518	345	Bar Screen, Oil Grease Trap, Equalization Tank, Primary Clarifier, aeration Tank, Secondary Clarifier, Carbon Sand Filter, Sludge Drying Bed	No Gap
28	Sitapur	Oudh Sugar Mill, (Sugar unit) Hargaon, Sitapur	Sugar	2270	1624	Bar Screen, Oil Grease Trap, Equalization Tank, Primary Clarifier, aeration Tank,	No Gap

- 242 -

-265-

29	Sitapur	Kishan Sahakari Chini Mills, Mahmahoodabad, Sitapur	Sugar	770	250	Secondary Clarifier, Carbon Filter, Sludge Drying Bed	No Gap
30	Barabanki	Haidergarh chini Mill Ltd Vill-Pokhra, Haidergarh Barabanki	Sugar	844	480	Bar Screen, Oil and Grease Tank, Equalization Tank, Chemical Dosing Tank, Primary Clarifier, Aeration Tank, Secondary Clarifier, Sludge Decanter, Carbon and Sand Filter, Sludge Drying Bed.	No Gap

- 243 -

- 266 -

Appendix 3B

Action Points for Slaughter Houses

The Slaughter House unit shall take time bound steps as detailed below for fulfilling the existing gaps with reference to discharge of effluent, effluent treatment infrastructure, solid waste management as per the norms laid down in CPCB document :

1. The Water consumption and effluent discharge in the unit shall be restricted as below :

Animal	Specific water consumption M ³ /TLWK			Timeline
	Large Category	Medium Category	Small Category	
	(More than 200 Large animal i.e. bovines per day, or more than 1000 small animal i.e. goat and sheep per day)	(50 to 200 Large animal i.e. bovines per day, or 300 to 1000 small animal i.e. goat and sheep per day)	(Less than 50 Large animal i.e. bovines per day, or less than 300 small animal i.e. goat and sheep per day)	
Buffalo	0.30 - 0.50	0.1-0.25	0.05 - 0.25	06 Months
Goat/Sheep	1.2 - 2.1	1.3 - 2.5	0.8 - 1.7	06 Months

• M³/TLWK - Cubic Meter per Ton of Live Weight killed.

Source : Central Pollution Control Board vide its office memorandum dated 23-11-2017 has released a document titled "Revised Comprehensive Industry Document on Slaughter Houses".

2. Action Points with timeline for upgrading the Effluent Treatment Plant and its monitoring-

S.No.	Action Point	Timeline
1	ETP must be provided with tertiary treatment units like Pressure Sand Filter, Activated Carbon Filter, Ultra Filtration	03 Months
2	Calibration of Online Continuous Effluent Monitoring System as per CPCB protocol and ensure continuous linkage with server of CPCB	01 Month
3	Installation of High Definition Open to Network Web Camera on ETP, final outlet point, final discharge point and its connectivity with UPPCB.	01 Month.
4	Ensuring Zero Liquid Discharge by way of recycling of treated effluent in process or utilization of effluent treated as per norms for irrigation on land.	06 Months.
5	Installation of sealed flow metering system along with running hours at the inlet water source (Bore well or other sources) and outlet and at inlet pipeline of different process operation and outlet of ETP	30-06-2019
6	Colour Coding of Pipelines carrying recycled process water and fresh process water.	06 Months
7	Segregation of salt bearing stream and installation of salt recovery/evaporation system.	06 Months

Appendix 3C

Action Points for Textile Industries

Central Pollution Control Board has released a document titled "Charter for Water Recycling & Pollution Prevention for Textile Industry". The Textile unit shall take time bound steps as detailed below for fulfilling the existing gaps with reference to water consumption & discharge of effluent, effluent treatment infrastructure etc. as below with timeline for upgrading the Effluent Treatment Plant -

S.No.	Objective	Action Point	Timeline
1.	Water Consumption	Reduce Water consumption by 20 % per kg of product by Completing upgradation of ETP.	31-12-2019
2.	Water Consumption	Reduce Water consumption by 15 % in addition to last year's 20 % per kg of product by Completing upgradation of ETP by adding tertiary treatment units.	31-12-2020
3.	Water Consumption	Confirmation of 30 % Water Recycle against total input (in other words water consumption per kg should be reduced by 30 % minimum)	Beyond 31-12-2020
4.	Monitoring of Water Consumption	Installation of sealed flow meter and running hours meter on bore wells and inlet pipeline of different process section.	01 Month
5.	Colour coding of pipe lines	Colour coding of pipe lines carrying recycled process water and fresh process water	06 Months
6.	Self-Assessment of ETP adequacy	Preparation of ETP adequacy assessment report	01 Month
7.	Installation of sealed flow	Installation of sealed flow metering system along with	30-06-2019

	metering system	running hours at the inlet water source (Bore well or other sources) and outlet and at inlet pipeline of different process operation and outlet of ETP	
8.	Setting up of Online Effluent Monitoring System	Setting up of Online Effluent Monitoring System to Monitor final outlet discharge, units connected to CETPs can have Common System Installed at CETP discharge	06 Months

Appendix 3 D

Action Points for Electroplating Industries

The Electroplating units shall take time bound steps as detailed below for fulfilling the existing gaps with reference to adoption of cleaner technology, water consumption & discharge of effluent-

S.N	Gap	Action Point	Timeline
1	Adoption of cleaner technology	Usage of cyanide in electroplating should be phased out. Non-Cyanide Plating Processes should be adopted	31-12-2019
2	Proper segregation of metal bearing effluent streams	Different metal bearing streams shall be segregated by way of dedicated marked lines, to segregate waste water according to its characteristics	03 Months
3	Reducing Water Consumption	Unit shall achieve the target of 50% reduction in water consumption by adopting cleaner technologies such as: Introduction of rinse water recirculation, Using of counter current rinsing systems; recycling rinse waters to the process after treatment. Regenerate and recycle process baths and rinse water after treatment.	31-12-2019
4	Reducing waste water discharge	Unit shall reduce the waste water discharge up to 50% by adopting cleaner technologies such as: Controlling spillages by using troughs between tanks and avoiding haphazard rinsing and washing	31-12-2019

		Recycling of treated effluent for rinsing.	
5	Upgradation of ETP	ETP must be provided with tertiary treatment units like Reverse Osmosis Plant, Ultra Filtration, Ion Exchange etc, to enable recycling of treated effluent in the process	31-12-2019
6	Self-Assessment of ETP adequacy	Preparation of ETP adequacy assessment report	01 Month
7	Installation of sealed flow metering system	Installation of sealed flow metering system along with running hours at the inlet water source (Bore well or other sources) and outlet and at inlet pipeline of different process operation and outlet of ETP.	03 Months
8	Setting up of Online Effluent Monitoring System	Setting up of Online Effluent Monitoring System to Monitor final outlet discharge.	06 Months
9	Colour Coding of Pipelines	Colour Coding of Pipelines carrying recycled process water and fresh process water.	06 Months
10	Monitoring of pollution control systems	Installation of High Definition Open to Network Web Camera on ETP, final outlet point, final discharge point and its connectivity with UPPCB.	01 Month.
-- 94 --			

- 249 -

- 272 -

Appendix 3E**Action Plan for Distillery & Fermentation Sector for Mitigation of Pollution to ensure ZLD**

Sr.no.	GAP	Action Point	Time Line
1.	MEE condensate management	MEE condensate management through CPU	12 Months
2.	Mass flow meter at inlet & outlet	Installation of online mass flow meter at inlet & outlet of MEE & its connectivity to CPCB/UPPCB server	03 Months
3.	Restriction on spent wash storage capacity	Restriction on Spent wash storage capacity I. 01 Month in case of Bio-compost II. 01 Week in case of incineration	03 Months
4.	Installation of web cam	Installation of PTZ cameras and connectivity	01 Month
5.	Ground water monitoring	Setting up of adequate no. of bore well and peizometers around the bio compost area for Ground water monitoring.	03 Months
6.	OCEMS on boilers.	Installation of OCEMS on boilers.	06 Months
7.	Implementation of notification regarding compost	Registration from Agriculture Department as per notification of compost & sale of bio-compost in bag packing	Immediate
8.	Safe storage of Molasses	Safe storage of Molasses as per CPCB guidelines.	Immediate

Appendix-4

Details of Gram Panchayats & Revenue Villages on the banks of River VILLAGE SITUATED ALONG THE RIVER GOMTI RIVER LEFT BANK

VILLAGE SITUATED ALONG THE RIVER GOMTI LEFT BANK

SR NO	DISTRICT	NAME OF VILLAGE / REVENUE VILL	LAT	LONG	DECADAL POPULATION (2011)	GROWTH RATE (%)	ESTIMATED POPULATION (2019)	SEWAGE GENERATION (MLD)	ESTIMATED SOLID WASTE (Kg/day)
1	Sitapur	Bhagvanpur Grant,	27°44'12.0"N	80°26'49.3"E	4,383	23.88	5,220	0.564	1305.08
2		Maholi	27°39'27.5"N	80°28'25.0"E	1,151	23.88	1,371	0.148	342.722
3		Misrikh-cum-Neemsar	27°20'59.1"N	80°29'04.3"E	1,135	23.88	1,352	0.146	337.958
4	Hardoi	Newada Lochan	27°18'48.7"N	80°29'45.7"E	3005	20.44	3,496	0.378	874.094
5		Kakarghata	27°16'04.6"N	80°36'00.9"E	2700	20.44	3,142	0.339	785.376
6		Kunwarpur	27°15'56.2"N	80°37'29.7"E	1,094	20.44	1,273	0.137	318.223
7		Dharawa	27°09'29.4"N	80°49'28.2"E	1,960	20.44	2,280	0.246	570.125
8	Lucknow	Raitha	26°59'07.9"N	80°50'37.2"E	3,286	25.82	3,965	0.428	991.189
9		Dhovaila,	26°56'38.7"N	80°51'00.8"E	470	25.82	567	0.061	141.771
10		Ghaila	26°54'28.6"N	80°53'05.3"E	3,323	25.82	4,009	0.433	1002.35
11		Kamala Pur	26°43'07.6"N	81°15'41.9"E	1347	25.82	1,625	0.176	406.309
12	Faizabad	Duwarika Pur	26°41'23.7"N	81°36'09.3"E	1,808	46.48	2,480	0.268	620.072
13		Raichh	26°38'26.0"N	81°38'39.3"E	4081	18.29	4,678	0.505	1169.53
14		Sunwa	26°35'31.8"N	81°42'00.5"E	3366	18.29	3,859	0.417	964.628

- 252 -

- 275 -

15		Imanganj	26°31'27.5"N	81°42'35.0"E	1,431	18.29	1,640	0.177	410.096
16	Sultanpur	Saifulla Ganj	26°17'30.1"N	82°07'16.3"E	1,326	18.11	1,518	0.164	379.528
17		Odara	26°17'11.8"N	82°07'35.9"E	1,784	18.11	2,042	0.221	510.616
18		Arjunpur	26°11'14.8"N	82°12'56.5"E	424	18.11	485	0.052	121.357
19		Shodhanpur	26°04'53.5"N	82°22'44.2"E	5906	18.11	6,762	0.73	1690.42
20		Gudara	26°03'52.4"N	82°22'34.1"E	707	18.11	809	0.087	202.358
21		Pratap Sulempur	26°00'38.3"N	82°25'38.6"E	533	18.11	610	0.066	152.555
22		Satthin	26°31'31.3"N	81°40'27.9"E	1633	18.11	1,870	0.202	467.397
23		Pichhuti	26°30'54.6"N	81°43'21.3"E	2686	18.11	3,075	0.332	768.787
24		Nara Adhanpur	26°27'00.8"N	81°46'08.2"E	7,544	18.11	8,637	0.933	2159.24
25		Saraiya Sabal Shah	26°26'26.8"N	81°46'27.0"E	2369	18.11	2,712	0.293	678.055
26		Gajanpur Duwariya,	26°25'35.3"N	81°47'07.0"E	5,703	18.11	6,529	0.705	1632.31
27		Mithnepur	26°22'37.6"N	81°54'24.8"E	2,011	18.11	2,302	0.249	575.588
28		Rasul Pur	26°19'08.0"N	82°04'28.5"E	584	18.11	669	0.072	167.152
29		Dhakhva	26°17'33.9"N	82°04'13.4"E	3570	18.11	4,087	0.441	1021.81
30		Bhoyen	26°16'57.2"N	82°05'46.4"E	1734	18.11	1,985	0.214	496.305
31		Kolhuamau	26°10'35.4"N	82°13'56.8"E	1,163	18.11	1,331	0.144	332.874
32		Chaurariya	26°12'24.9"N	82°17'28.5"E	938	18.11	1,074	0.116	268.474
33		Sabsukhpur	26°11'01.5"N	82°18'13.4"E	801	18.11	917	0.099	229.262
34		Lotiya	26°10'06.1"N	82°17'45.2"E	2,602	18.11	2,979	0.322	744.744
35		Banbhokar	26°07'21.7"N	82°20'24.9"E	1,344	18.11	1,539	0.166	384.68
36	Jaunpur	Amiliya	25°58'37.7"N	82°29'47.3"E	2334	14.89	2,612	0.282	653.007
37		Anguli	25°55'02.1"N	82°33'53.8"E	4168	14.89	4,664	0.504	1166.12
38		Narauli	25°52'59.7"N	82°35'05.4"E	1,782	14.89	1,994	0.215	498.568
39		Chak Mirzapur	25°49'07.3"N	82°36'08.1"E	412	14.89	461	0.05	115.269
40		Kohara Sultanpur	25°46'44.7"N	82°38'45.5"E	5,279	14.89	5,908	0.638	1476.96

41		Pasewan	25°38'42.3"N	82°50'56.4"E	5,284	14.89	5,913	0.639	1478.36
42		Sarauni Paschim	25°38'01.3"N	82°52'28.3"E	2,503	14.89	2,801	0.303	700.289
43		Narhan	25°37'34.9"N	82°55'34.1"E	5,761	14.89	6,447	0.696	1611.81
44		Kusarna	25°37'15.1"N	82°56'50.4"E	4,712	14.89	5,273	0.57	1318.32
45		Hariharpur	25°36'27.9"N	82°58'09.0"E	125	14.89	140	0.015	34.973
46		Khaliyabankat	25°34'32.1"N	83°00'29.2"E	117	14.89	131	0.014	32.734
47	GHAZIPUR	Biri-Bari	25°34'31.7"N	83°01'39.3"E	4,859	19.18	5,605	0.605	1401.14
48		Barahpur	25°33'30.0"N	83°03'39.4"E	7,012	19.18	8,088	0.873	2021.98
49		Badura	25°31'20.6"N	83°04'28.4"E	3,016	19.18	3,479	0.376	869.694
50		Nuruddinpur	25°31'31.7"N	83°06'46.4"E	854	19.18	985	0.106	246.259
		Total					147,390	16	36,849

-253-

276

VILLAGES SITUATED ALONG THE RIVER GOMTI RIGHT BANK

SR NO	DISTRICT	NAME OF VILLAGE / REVENUE VILL.	LAT.	LONG.	DECADAL POPULATION (2011)	GROWTH RATE (%)	ESTIMATE D POPULATION (2019)	SEWAGE GENERATION (MLD)	ESTIMATE D SOLID WASTE (Kg/day)
1	Sitapur	Amdari	27°43'36.4" N	80°25'30.4" E	758	23.88	903	0.098	225.702
2		Rustam Nagar	27°42'28.2" N	80°26'14.3" E	2,373	23.88	2,826	0.305	706.584
3		Hariaya	27°41'33.7" N	80°26'03.3" E	1,679	23.88	2,000	0.216	499.939
4		Chandra,	27°39'46.5" N	80°27'07.5" E	3,737	23.88	4,451	0.481	1112.73
5		Patabojha	27°36'08.7" N	80°27'09.5" E	3,041	23.88	3,622	0.391	905.488
6		Pahari	27°34'59.9" N	80°27'31.8" E	433	23.88	516	0.056	128.93
7		Fattepur	27°33'07.3" N	80°26'41.9" E	1,450	23.88	1,727	0.187	431.752
8		Mustafa Bad	27°31'14.0" N	80°24'41.9" E	910	23.88	1,084	0.117	270.962
9		Harni Kala	27°29'41.7" N	80°23'41.9" E	3,128	23.88	3,726	0.402	931.393
10		Dadhnamau	27°28'56.9" N	80°23'26.8" E	1,724	23.88	2,053	0.222	513.338
11		Hardoi	Raotapur	27°23'17.6" N	80°26'39.6" E	980	20.44	1,140	0.123

254

277

1 255

-278-

12	Karem Nagar Jalalpur,	27°21'48.2" N	80°27'15.6" "E	2,208	20.44	2,569	0.277	642.263
13	Jamuniya	27°21'06.1" N	80°27'05.1" "E	1,361	20.44	1,584	0.171	395.888
14	Gohlari	27°16'56.9" N	80°30'59.5" "E	2,329	20.44	2,710	0.293	677.46
15	Harraiya	27°16'17.6" N	80°35'06.7" "E	382	20.44	444	0.048	111.116
16	Bhikhpur Eama	27°15'57.0" N	80°36'58.2" "E	675	20.44	785	0.085	196.344
17	Maheshpur,	27°15'16.2" N	80°39'24.1" "E	1,653	20.44	1,923	0.208	480.825
18	Gathiya	27°14'57.4" N	80°38'25.5" "E	959	20.44	1,116	0.121	278.954
19	Ram Madarpur	27°13'25.0" N	80°39'09.8" "E	2,067	20.44	2,405	0.26	601.249
20	Jajupur	27°12'50.8" N	80°40'58.1" "E	4,285	20.44	4,986	0.538	1246.42
21	Kourondh	27°13'45.7" N	80°42'36.3" "E	3,586	20.44	4,172	0.451	1043.1
22	Chawan	27°11'54.4" N	80°45'57.5" "E	4,064	20.44	4,729	0.511	1182.14
23	Bhatpur	27°10'27.7" N	80°48'03.5" "E	7,167	20.44	8,339	0.901	2084.74
24	Katka	27°08'46.7" N	80°48'43.3" "E	1,241	20.44	1,444	0.156	360.982
25	Mahitha	27°07'22.8" N	80°48'08.6" "E	2,471	20.44	2,875	0.311	718.764

26		Auna	27°06'21.3" N	80°49'16.1" "E	1,000	20.44	1,164	0.126	290.88
27		Makaria Kalan	27°03'48.9" N	80°50'26.0" "E	3,441	25.82	4,152	0.448	1037.94
28		Manjhi Nikrojpur,	27°02'19.6" N	80°50'28.5" "E	2,484	25.82	2,997	0.324	749.274
29		Raniya Mau	26°59'36.6" N	80°49'14.6" "E	839	25.82	1,012	0.109	253.076
30		Gopramau	26°58'39.1" N	80°49'27.2" "E	839	25.82	1,012	0.109	253.076
31		Banshigarhi	26°57'20.3" N	80°49'15.8" "E	1,499	25.82	1,809	0.195	452.158
32		Saitha	26°55'54.4" N	80°51'45.0" "E	2,505	25.82	3,022	0.326	755.608
33		Sureya Mau	26°49'40.8" N	81°07'39.3" "E	2,349	25.82	2,834	0.306	708.552
34		Gaureyakala	26°48'32.6" N	81°08'42.1" "E	3,963	25.82	4,782	0.516	1195.4
35		Dhaurahra	26°47'20.2" N	81°09'43.1" "E	3,879	25.82	4,680	0.505	1170.06
36		Mohammadab ad	26°46'23.8" N	81°09'42.3" "E	617	25.82	744	0.08	186.112
37		Salempur	26°43'42.1" N	81°11'59.6" "E	7,542	25.82	9,100	0.983	2274.97
38		Jauras	26°43'28.7" N	81°13'06.0" "E	5,023	21.96	5,905	0.638	1476.36
39		Chaksar	26°43'45.8" N	81°13'07.0" "E	1,939	21.96	2,280	0.246	569.911

1 256 -

-279-

40		Manjhar	26°44'11.5" N	81°14'46.4" "E	2374	21.96	2,791	0.301	697.766
41		Daulat Pur	26°44'20.4" N	81°15'55.0" "E	1306	21.96	1,535	0.166	383.86
42		Bhitri	26°41'40.3" N	81°18'52.2" "E	1,624	21.96	1,909	0.206	477.326
43		Dandoopur	26°39'17.5" N	81°21'21.0" "E	1,664	21.96	1,956	0.211	489.083
44		Gosiyamau	26°39'32.3" N	81°27'36.4" "E	1,993	21.96	2,343	0.253	585.783
45		Thalwara	26°38'40.6" N	81°29'05.9" "E	6,103	21.96	7,175	0.775	1793.79
46		Sharifabad	26°40'10.7" N	81°32'49.4" "E	4,291	21.96	5,045	0.545	1261.21
47		Mustafa Bad	26°38'26.6" N	81°32'47.8" "E	2,315	21.96	2,722	0.294	680.425
48	Pratapgar h	Nadi	26°34'53.6" N	81°40'07.6" "E	969	17.5	1,105	0.119	276.165
49		Satthin	26°31'31.3" N	81°40'27.9" "E	1633	18.11	1,870	0.202	467.397
50		Pichhuti	26°30'54.6" N	81°43'21.3" "E	2686	18.11	3,075	0.332	768.787
51	Sultanpur	Nara Adhanpur	26°27'00.8" N	81°46'08.2" "E	7,544	18.11	8,637	0.933	2159.24
52		Saraiya Sabal Shah	26°26'26.8" N	81°46'27.0" "E	2369	18.11	2,712	0.293	678.055

1 257 -

280 -

53	Gajampur Duwariya,	26°25'35.3" N	81°47'07.0" "E	5,703	18.11	6,529	0.705	1632.31
54	Mithnepur	26°22'37.6" N	81°54'24.8" "E	2,011	18.11	2,302	0.249	575.588
55	Rasul Pur	26°19'08.0" N	82°04'28.5" "E	584	18.11	669	0.072	167.152
56	Dhakhva	26°17'33.9" N	82°04'13.4" "E	3570	18.11	4,087	0.441	1021.81
57	Bhoyen	26°16'57.2" N	82°05'46.4" "E	1734	18.11	1,985	0.214	496.305
58	Kolhuamau	26°10'35.4" N	82°13'56.8" "E	1,163	18.11	1,331	0.144	332.874
59	Chaurariya	26°12'24.9" N	82°17'28.5" "E	938	18.11	1,074	0.116	268.474
60	Sabsukhpur	26°11'01.5" N	82°18'13.4" "E	801	18.11	917	0.099	229.262
61	Lotiya	26°10'06.1" N	82°17'45.2" "E	2,602	18.11	2,979	0.322	744.744
62	Banbhokar	26°07'21.7" N	82°20'24.9" "E	1,344	18.11	1,539	0.166	384.68
63	Pratapgarh Mahdaura	26°00'38.5" N	82°24'30.9" "E	1,910	17.5	2,177	0.235	544.35
64	Anusar	25°59'54.1" N	82°28'26.0" "E	1025	14.89	1,147	0.124	286.775
65	Jaunpur Krishnapur	25°57'45.4" N	82°31'19.0" "E	1,211	14.89	1,355	0.146	338.814

1258-

-261-

66		Ramnipur	25°57'42.6" N	82°31'52.0" "E	552	14.89	618	0.067	154.439
67		Mahmadpur	25°56'21.9" N	82°34'06.2" "E	701	14.89	785	0.085	196.126
68		Baderi	25°55'47.6" N	82°32'28.7" "E	2,972	14.89	3,326	0.359	831.506
69		Dariyawganj	25°50'48.1" N	82°35'18.2" "E	5,913	14.89	6,617	0.715	1654.34
70		Lilapur	25°45'21.5" N	82°39'39.2" "E	2,079	19.18	2,398	0.259	599.5
71		Kesheopur	25°39'45.3" N	82°47'28.8" "E	917	19.18	1,058	0.114	264.426
72	Ghazipur	Dharmapur	25°44'39.1" N	82°43'55.1" "E	4,027	19.18	4,645	0.502	1161.23
73		Zafarabad	25°42'02.8" N	82°44'15.5" "E	1,328	17.15	1,510	0.163	377.55
74	Varanasi	Patkhauli	25°39'18.6" N	82°48'04.0" "E	957	17.15	1,088	0.118	272.075
75		Kevati	25°38'10.7" N	82°48'45.1" "E	456	14.89	510	0.055	127.58
76		Bansbari	25°37'16.2" N	82°54'06.3" "E	2,206	14.89	2,469	0.267	617.195
77	Jaunpur	Bhainsa	25°34'30.2" N	82°58'47.4" "E	4,506	14.89	5,043	0.545	1260.69
78		Babatpur	25°32'00.9" N	83°03'45.8" "E	2,293	17.15	2,608	0.282	651.9
79	Varanasi	Bhagwanpur Khurd	25°29'38.4" N	83°06'50.5" "E	2038	17.15	2,318	0.25	579.403

1259

262

80		Saraiya	25°30'34.8" N	83°07'32.6" E	1,596	17.15	1,815	0.196	453.743
81		Rajwari	25°30'15.3" N	83°08'07.1" E	5233	17.15	5,951	0.643	1487.74
82		Kaithi	25°30'06.4" N	83°09'35.8" E	5,903	17.15	6,713	0.725	1678.22
Total							2,30,060	24.848	57,515.19

-260-

-283-25-

Appendix-5

WET LANDS / WATER BODIES ALONG THE RIVER GOMTI

SR. NO.	DISTRICT	NAME OF WETLAND	LAT	LONG	DISTANCE FROM RIVER (Km)	WET LAND SIDE BY RIVER	
						LEFT	RIGHT
1		Sitapur	27°38'57.53"N	80°28'42.46"E	1.37	Yes	
2		Akabarpur	27°33'39.57"N	80°25'58.93"E	1.5		Yes
3		Near Nirhana	27°26'2.83"N	80°26'32.16"E	1.99	Yes	
4		Kolhua	27°24'33.33"N	80°24'22.05"E	1.59		Yes
5		Bhatpur	27°11'7.97"N	80°47'24.05"E	1.15		Yes
6		Bhatpur	27°10'28.68"N	80°48'6.27"E	0.42		Yes
7		Bhatpur	27°9'43.22"N	80°48'19.44"E	0.76		Yes
8		Dhudhara	27°4'56.02"N	80°50'33.72"E	0.59	Yes	
9		near sultanpur	27°3'14.92"N	80°50'52.80"E	0.45	Yes	
10		Ghailla	26°55'5.83"N	80°53'16.16"E	1.42	Yes	
11		Lucknow	26°54'29.25"N	80°51'53.59"E	0.4		Yes
12		Near Maholi Village	27°39'56.88"N	80°28'23.58"E	0.95	Yes	
13	Sitapur	Near Gohlari Village Gohlari	27°15'27.05"N	80°30'12.39"E	1.24		Yes
14		Kukrail Nadi	26°51'39.72"N	80°58'33.05"E	0.86		Yes
15		Butler Lake	26°51'13.80"N	80°57'42.48"E	0.69	Yes	
16		Behind Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Cricket Stadium	26°48'27.56"N	81°1'18.20"E	1.13	Yes	
17	Lucknow	Ardonamau	26°48'49.77"N	81°0'44.71"E	0.17	Yes	

- 261 -

- 284 -

18		B/w Chaurhiya and Bakkas	26°48'33.88"N	81° 3'20.55"E	0.99	Yes	
19		Near Sikandarpur Khurd	26°50'46.87"N	81° 4'51.77"E	1.69		Yes
20			26°49'19.92"N	81° 4'36.35"E	0.67		
21		Nawajgah	25°45'46.35"N	82°40'37.82"E	0.62		Yes
22		Narhan	25°38'10.31"N	82°56'2.88"E	1.29	Yes	
23		Dalal Tola	25°38'16.77"N	82°55'2.60"E	0.44	Yes	
24		chaura	25°38'13.56"N	82°55'47.11"E	0.94	Yes	
25		Dalal Tola	25°38'16.23"N	82°55'6.72"E	0.39	Yes	
26		Patkhauli, Ramgarh	25°33'38.41"N	82°59'33.02"E	1.4	Yes	
27	Jaunpur	Ramgarh	25°33'44.72"N	82°59'39.88"E	1.19		Yes
28	Ghazipur	Ghazipur	25°31'16.18"N	83° 9'18.82"E	1.3	Yes	

1 262-

-285-

Appendix-6

Status of E-Waste Management

Status of E-waste Recycling / Collection / Dismantling Units in the State of U.P.

S. No.	Name & Address of Unit	Regional Office	Status of Authorisation	Status of Registration & Validity	Type	Capacity (T/Annum)
1	M/s Auctus - E Recycling Solutions Pvt. Ltd., F-637, M.G. Road, Industrial Area, Ghaziabad.	Ghaziabad	Grant	Registered 30.08.2019	Collection, Dismantle	1800
2	M/s Mahaluxmi Metal Alloys (India) Pvt. Ltd., Modinagar, Ghaziabad.	Ghaziabad	Grant	Registered 22.05.2023	Collection, Dismantle, Recyclers	30000
3	M/s N.K. Products, 58-59, M.G. Road, Ghaziabad.	Ghaziabad	Refused	Registered 22.06.2016	Collection, Dismantle	9000
4	M/s Bharat Oil Co., E-18, Site-IV, Sahibabad, Industrial Area, Ghaziabad.	Ghaziabad	Grant	Registered 16-05-18	Collection, Dismantle	4000
5	M/s Planet Green Recycling Pvt Ltd., G-129, Phase -1, M.G. Road, Ghaziabad.	Ghaziabad	Grant	Registered 23.08.2018	Collection, Dismantle, Recyclers	1500
6	M/s Rocket Sales, Plot No. 1-12, I/A, M.G. Road, Hapur.	Ghaziabad	Grant	Registered 27.08.2019	Collection, Dismantle	300
7	M/s Arsh Recycling Pvt. Ltd., Plot No. 203, UPSDIC, I/A, M.G. Road, Ghaziabad.	Ghaziabad	Grant	Registered 20.06.2023	Collection, Dismantle, Recycling	15000
8	M/s Auctus Recycling Solutions Pvt. Ltd. Habibpur, Greater Noida.	Greater Noida	Grant	Registered 06.12.2021	Dismantle, Collection	19500
9	M/s Khan Traders, B-5, site4, Panki Industrial Area, Kanpur.	Kanpur	Grant	Registered 15-11-2020	Collection, Dismantle	7190
10	M/s Green Tech Recycling, Khasra No.-645, Achraunds, Bahadurpur Road, Partapur, Meerut.	Meerut	Grant	Registered 12.01.2022	Collection, Dismantle	1800

1263 -

286 -

	M/s Narora Atomic Power Station, Narora, Bulandshahar.	Bulandshahar	Not Applied		Collection' Dismantling & Recycling	10
11	M/s Narora Atomic Power Station, Narora, Bulandshahar.					
12	M/s Metal Alloys, E-46, Industrial Area, Ramnagar, Varanasi	Varanasi	Grant	Registered 31-05-2019	Collection	1825
13	M/s Comwen Information Technologies Pvt.Ltd., 127/35B, ChakRagunath, Naini, Allahabad.	Allahabad	Grant	Registered 11-08-2017	Collection	300
14	M/s Dasia ECo E-Waste Recyclers E-160 Industrial areas, Khalilabad, SantKabairmagar.	Basti	Grant	Registered 31-12-2017	Collection, Dismantling	720
15	M/s Sims Recycling Solutions Plot no.1 Udyog Kendrall Ecotech-III Greater Noida.	Greater Noida	Grant	Registered 31.12.2019	Collection, Dismantle, Recycling	1250
16	M/s J.A.O. E-Waste Recycling Co, Vill- Jaitpur, Distt-Moradabad.	Moradabad	Grant	Registered 23.11.2020	Collection	3001
17	M/s HIN Green E-waste Recycling (P) Ltd, B-19/1, Summer Garden Colony, Meerut.	Meerut	Grant	Registered 12.04.2018	Collection, Dismantle,	750
18	M/s S.R. Metcast India (P) Ltd 11.8 Km.Agra Mathura Road, Agra.	Agra	Grant	Registered 02.08.2022	Collection	600
19	M/s K.M. Metals Suppliers 9/270,271, Mathura Agra.	Agra	Not Applied	-	Collection	5000
20	M/s Prakash Metal House 39/223, Karwan Lohamandi, Agra.	Agra	Grant	Registered 02.05.2023	Collection	1500
21	M/s Shree Mahaveerji Trading Company, 30/127, Chippitala, Agra.	Agra	Not Applied	Reject	Collection	4500
22	M/s E-Waste Recyclers India E-50, UPSIDC Industrial area, NH-2 Kosikalan, Mathura.	Mathura	Grant	Registered 01.03.2022	Collection, Dismantle	6000
23	M/s Supar Trading Company, Plot No.-3 Govt. Industrial Estate, Talkatora Road, Lucknow.	Lucknow	Not Applied	Registered 03.04.2016	Collection	365
24	M/s V.R. Techno Enviro Services pvt. Ltd. khasra No. 440, Indira Priyadarshni ward, Jarhra Indira Nagar, Lucknow.	Lucknow	Not Applied	Registered 09.04.2016	Collection, Dismantle	365

		Kanpur	Grant	Registered One Time	Collection	5000 Pieces Per Annum
25	M/s Sachin enterprises,84/1,Plot no.34-35 Fazalganj, Kanpur.	Kanpur	Grant	Registered 04.06.2018	Collection	5000 Pieces Per Annum
26	M/s Gandhi Traders, 91/103, Dalelpurwa, Kanpur.	Bulandshaha	Grant	Registered 27.08.2022	Collection Dismantle, Recycling	16.5
27	M/s Greezon Recycling Pvt. Ltd., R. 30, UPSIDC, Industrial Area, Sikandrabad, Bulandshahar.	Kanpur	Grant	Registered 16.11.2022	Collection, Dismantling, Refurbishing	2500
28	M/s Sachin Enterprises, 123/751, block-T 74 pratapganj Gadariyan Purwa, Fazalgang, Kanpur.	Hapur	Grant	Registered 18.06.2019	Collection, Dismantling, Recycling.	1500
29	M/s Greeniva Recycler Pvt. Ltd., Plot No. G-284, M.G. Road, Industrial Area, Hapur.	Meerut	Grant	Registered 12.01.2022	Collection, Dismantling	365
30	M/s S. Malik Traders, Plot No.-93, 94 Vill-Budhera Jahidpur, Meerut.	Ghaziabad	Grant	Registered 29.01.2023	Collection, Dismantle, Recycling	12000
31	M/s Royal Faiz Recycling (p) Ltd. , I-22, I.A. M.G. Road, Hapur.	Ghaziabad	Grant	Registered 31.12.2022	Collection, Dismantle, Recycling	9000
32	M/s 3 C Recycler, F-326, I/A, M.G. Road, Hapur.	Ghaziabad	Grant	Registered 05.06.2023	Collection, Dismantle,	9000
33	M/s Life B- Recycling (P) Ltd., F- 435, UPSIDC I/A, M.G. Road, Hapur.	Ghaziabad	Grant	Registered 01.03.2022	Collection, Dismantle,	9000
34	M/s Hind Recycling (P) Ltd., Plot No. F-203, M.G. Road, Hapur.	Ghaziabad	Grant	Registered 21.06.2023	Collection, Dismantle, Recycling	15000
35	M/s Hayat Recycler, F-53, 54, I/A, M.G. Road, Hapur.	Hapur	Grant	Registered 28.06.2023	Recycling, Dismantling, Segregation, Collection	9000 MT/Year
36	M/s B.R.P. Infotech Private Limited, F-394, Phase-I, M.G.Road, Industrial Area, Hapur					

37	M/s Sky Green Waste Recycling Management, Khasra No.- 174, Alipur Jijmana, Meerut, U.P.	Meerut	Grant	Registered 20.12.2023	Dismantling, Recycling	5475 MT/Y 4500 MT/A
38	M/s Swachh Bharat Recycling Company, Gali- N0-4, 2083, Saipuram Industrial Area, Delhi Road, Meerut, U.P.	Meerut	Grant	Registered 08.05.2023	Recycling	4800 MT/A
39	M/s Rudra Enterprises, Plot No. A- 96, Sector- A-4, Tronica City, Loni, Ghaziabad	Ghaziabad	Grant	Registered 03.05.2023	Disposal Dismantling &	500 MT/Month
40	M/s Avgree Recycling Pvt. Ltd. KH No. 549, Vill.- Tiyala, Meerut- Bulandshahar Road, Hapur Bypass, Hapur	Ghaziabad	Grant	Registered 10.09.2023	Dismantling & Segregation	11000 MT/A
41	M/s Faiz Recycling, G-235, MG Road, Industrial Area, Hapur	Ghaziabad	Grant	Registered 13.02.2024	Dismantling & Segregation	36.67 MT/Day
42	M/s Horizon Recycling Pvt. Ltd., Khasra no.-35, Kumarhera, 7th km Dehradun Road, Saharanpur, U.P.	Saharanpur	Grant	Registered 02.08.2022	Recycling, Dismantling, Segregation, Collection	12000 MT/A
43	M/s Golden Ewaste Recyclers Pvt. Ltd., Plot No.- 12A, Gagol Road, Behind Sophia School Udyog Puram, Partapur, Meerut	Meerut	Grant	Registered 01.04.2024	Transportation, Refurbishing, Dismantling, Segregation, Storage, Disposal	9600 MT/A

- 266 -

- 289 -

Appendix-7

River Water Quality Data Water Quality of River Gomti in UP Year 2016-2018

S No	Sample Collection Point	2016			2017			2018		
		DO (mg/l)	BOD(mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)	DO (mg/l)	BOD(mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)	DO (mg/l)	BOD(mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)
1	U/S Sultanpur	5.9	4.6	8316	6.6	4.9	8350	7.1	4.3	7941
2	D/S Sultanpur	5.6	4.8	8691	6.4	4.8	8600	6.9	4.4	8366
3	Dadhnamau Ghat, Sitapur	9.94	2.61	1312	9.40	2.30	1064	7.96	2.25	1147
4	Manjhighat, Lucknow	7.95	2.98	3192	8.30	2.50	2108	6.93	2.61	2800
5	Upstream Water Intake, Gaughat, Lucknow	6.50	3.50	4842	6.90	3.50	3375	5.59	4.08	5117
6	Kudiyaghat, Lucknow	3.00	6.70	28667	2.60	7.30	25167	2.68	6.64	19183
7	D/s Mohan Meakins, Lucknow	3.10	7.70	40083	2.40	9.00	32167	2.41	8.49	24750
8	Nishatganj Bridge,	2.70	9.50	86167	2.20	10.20	62000	2.58	10.34	52500

-- 112 --


- 267 -

- 290 -

S No	Sample Collection Point	2016				2017			2018		
		DO (mg/l)	BOD(mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)	DO (mg/l)	BOD(mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)	DO (mg/l)	BOD(mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)	
	Lucknow										
9	U/s Bairaj, Lucknow	2.60	10.60	108000	2.40	11.30	97667	2.64	11.08	115333	
10	D/s Pipraghat, Lucknow	2.50	11.50	165000	1.90	11.90	126700	1.71	13.52	132667	
11	D/s After meeting of STP, Nala Bharwara, Lucknow	1.90	12.80	170000	1.50	15.10	148667	2.50	17.33	142500	
12	D/s Gomti, Jaunpur	7.60	4.30	26267	7.40	4.70	34833	7.39	4.44	36333	
13	Gomti before meeting to Ganga, Rajwari, Varanasi	8.00	3.70	14500	7.80	3.90	17083	7.83	3.81	19083	


- 268 - -291-

Comparative Chart of Total Coliform in River Gomti



- 269 - -292 - -

Comparitive Chart of Total Biochemical Oxygen Demand in River Gomti



270 - 293

Classification	TYPE OF USE
Class A	Drinking water source without conventional treatment but after disinfection
Class B	Outdoor bathing
Class C	Drinking water source with conventional treatment followed by disinfection.
Class D	Fish culture and wild life propagation
Class E	Irrigation, industrial cooling or controlled waste disposal

- 271 -

-294-4-

TOLERANCE LIMITS

TABLE-1: TOLERANCE LIMITS FOR INLAND SURFACE WATERS, CLASS - A

S. No. (1)	Characteristic (2)	Tolerance (3)
(i)	pH	6.5 to 8.5
(ii)	Dissolved Oxygen, mg/l.	6.0
(iii)	Bio-chemical Oxygen Demand	2.0
(iv)	Total Coliform Organisms, MPN/100 ml. Max	50
(v)	Colour, Hazen units, Max	10
(vi)	Odour	unobjectionable
(vii)	Taste	Agreeable taste
(viii)	Total Dissolved Solids, mg/l, Max	500
(ix)	Total Hardness (as CaCO ₃), mg/l, Max	300
(x)	Calcium Hardness (as CaCO ₃), mg/l, Max	200
(xi)	Magnesium (as CaCO ₃), mg/l, Max	100
(xii)	Copper (as Cu), mg/l, Max	1.5
(xiii)	Iron (as Fe), mg/l, Max	0.3
(xiv)	Manganese (as Mn), mg/l, Max	0.5
(xv)	Chlorides (as Cl), mg/l, Max	250
(xvi)	Sulphate (as SO ₄), mg/l, Max	400
(xvii)	Nitrates (as NO ₃), mg/l, Max	20
(xviii)	Fluorides (as F), mg/l, Max	1.5
(xix)	Phenolic compounds (as C ₆ H ₅ OH), mg/l, Max	0.002
(xx)	Mercury (as Hg), mg/l, Max	0.001
(xxi)	Cadmium (as Cd), mg/l, Max	0.01
(xxii)	Selenium (as Se), mg/l, Max	0.01
(xxiii)	Arsenic (as As), mg/l, Max	0.05
(xxiv)	Cyanides (as CN), mg/l, Max	0.05
(xxv)	Lead (as Pb), mg/l, Max	0.1
(xxvi)	Zinc (as Zn), mg/l, Max	15
(xxvii)	Chromium (as Cr ⁶⁺), mg/l, Max	0.05
(xxviii)	Anionic detergents, (as MBAS), mg/l, Max.	0.2
(xxix)	Poly-nuclear aromatic hydrocarbons (PAH),	0.2
(xxx)	Mineral oil, mg/l, Max	0.01
(xxxi)	Barium (as Ba), mg/l, Max	1.0
(xxxii)	Silver (as Ag), mg/l, Max	0.05
(xxxiii)	Pesticides	Absent
(xxxiv)	Alpha emitters, µCi/ml, Max	10 ⁻³
(xxxv)	Beta emitters, µCi/ml, Max	10 ⁻³

TABLE-2: TOLERANCE LIMITS FOR INLAND SURFACE WATERS, CLASS - B

S. No. (1)	Characteristic (2)	Tolerance Limit (3)
(i)	pH Value	6.5 to 8.5
(ii)	Dissolved Oxygen, mg/l, Max	5.0
(iii)	Biochemical Oxygen Demand (5 days at 20 °C),	3.0
(iv)	Total Coliform Organisms, MPN/100 ml, Max	500
(v)	Fluorides (as F ⁻), mg/l, Max	1.5
(vi)	Colour, Hazen units, Max	300
(vii)	Cyanides (as CN), mg/l, Max	0.05
(viii)	Arsenic (as As), mg/l, Max	0.2
(ix)	Phenolic Compounds (as C ₆ H ₅ OH), mg/l, Max	0.005
(x)	Chromium (as Cr ⁶⁺), mg/l, Max	1.0
(xi)	Anionic detergents (as MBAS), mg/l, Max	1.0
(xii)	Alpha emitters, µCi/ml, Max	10 ⁻³

-272-

-295-

TABLE - 3: TOLERANCE LIMITS FOR INLAND SURFACE WATERS, CLASS - C

S.No.	Characteristic	Tolerance Limit
(1)	(2)	(3)
(i)	pH Value	6.5 to 8.5
(ii)	Dissolved Oxygen, mg/l Minimum	4.0
(iii)	Biochemical Oxygen Demand	3.0
(iv)	Total coliform organisms, MPN/100 ml. Max	5000
(v)	Colour, Hazen units, Max	300
(vi)	Fluorides (as F), mg/l, Max	1.5
(vii)	Cadmium (as Cd), mg/l, Max	0.01
(viii)	Chlorides (as Cl), mg/l, Max	600
(ix)	Chromium (as Cr ⁶⁺), mg/l, Max	0.05
(x)	Cyanides (as CN), mg/l, Max	0.05
(xi)	Total Dissolved Solids, mg/l, Max	1500
(xii)	Selenium (as Se), mg/l, Max	0.05
(xiii)	Sulphates (as SO ₄), mg/l, Max	400
(xiv)	Lead (as Pb), mg/l, Max	0.1
(xv)	Copper (as Cu), mg/l, Max	1.5
(xvi)	Arsenic (as As), mg/l, Max	0.2
(xvii)	Iron (as Fe), mg/l, Max	50
(xviii)	Phenolic compounds (as C ₆ H ₅ OH), mg/l,	0.005
(xix)	Zinc (as Zn), mg/l, Max	15
(xx)	Insecticides, mg/l, Max	Absent
(xxi)	Anionic detergents (as MBAS), mg/l, Max	1.0
(xxii)	Oils and grease, mg/l, Max	0.1
(xxiii)	Nitrates (as NO ₃), mg/l, Max	50
(xxiv)	Alpha emitters, µc/mg, Max	10 ⁻⁸
(xxv)	Beta emitters, µc/ml, Max	10 ⁻⁸

TABLE - 4: TOLERANCE LIMITS FOR INLAND SURFACE WATERS, CLASS - D

S.No.	Characteristic	Tolerance Limit
(1)	(2)	(3)
(i)	pH value	6.5 to 8.5
(ii)	Dissolved Oxygen, mg/l, Min.	4.0
(iii)	Free Ammonia (as N), mg/l, Max.	1.2
(iv)	Electrical Conductance at 25 °C, µS, Max	1000
(v)	Free Carbon Dioxide (as CO ₂), mg/l, Max	6.0
(vi)	Oils and Grease, mg/l, Max	0.1
(vii)	Alpha emitters, µc/ml, Max	10 ⁻⁸
(viii)	Beta emitters, µc/ml, Max	10 ⁻⁸

TABLE - 5: TOLERANCE LIMITS FOR INLAND SURFACE WATERS, CLASS - E

S.No.	Characteristic	Tolerance Limit
(1)	(2)	(3)
(i)	pH value	6.0 to 8.5
(ii)	Electrical Conductance at 25°C, µS, Max	2250
(iii)	Sodium Adsorption Ratio, Max	25
(iv)	Boron (as B), mg/l, Max	2.0
(v)	Total Dissolved Solids, (inorganic), mg/l, Max	2100
(vi)	Sulphates (as SO ₄), mg/l, Max	1000
(vii)	Chlorides (as Cl), mg/l, Max	600
(viii)	Sodium Percentage, Max	60
(ix)	Alpha emitters, µc/ml, Max	10 ⁻⁸
(x)	Beta emitters, µc/ml, Max	10 ⁻⁸

Appendix-8

MSW improvement action plan time-line for the ULBs of Department of Urban Development, UP

S.N.	Key Activities	Timeline (In Months)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Policy Framework adoption (During the period the ULBs are required to adopt various rules /regulation in terms of bylaws for effective implementation of SWM rules)											
2	With adoption action plan the ULBs along the river will formulate IEC campaign (Specifically designing of promotional materials related to not only just for better waste management in the area but also making common people/institutions aware and sensitise about river pollution and its control measure for making an effective behaviour change. The first 2 months will be needed for preparing the material and widely spreading the message and then it's going to be a											

- 274 -

- 297 -

	continuous effort for a sustained drive to make perceptible change among stakeholders.)																		
3	Detail Gap Analysis of existing resources in terms of human resource/equipment/vehicles that are presently deployed and further required for full compliance of SWM rules. During the period each ULB shall prepare a detail micro plan (ward -wise) in sync with the action plan for effective implementation.																		
4	Procurement of Required Material / Services after Gap Analysis																		
5	Capacity Building. All the key stakeholders from senior officials to the level of safaikarmi is required to be sensitized and trained for the effective compliance of SWM rules and during the period intensive capacity building programmes shall be conducted.																		
6	Identification of Land/ Building for waste processing shall be completed for all ULBs within 2 months (decentralised																		

1 275 -

-298-

17	Segregation/ collection / transport / processing (80) percent)																	
18	Segregation/ collection / transport / processing (100) percent) Within 12 months.																	

- 277 -

-299A-13-

Appendix-9

Other Relevant Information

1. Address of Environment Monitoring Portal- <http://upecp.in/>
2. Link for Resource Persons, Weblink for Central Ground Water Board (CGWB) & Miyawaki Forestry.

S.No.	Institution	Address	Website Link
1	Akhil Bhartiya Sewa Sasthan, Chitrakoot- Gopal Bhai	Akhil Bhartiya Samaj Sewa Sansthan Bharat Janani Parisar Village: Ranipur Bhatt Post: Sitapur District: Chitrakoot Uttar Pradesh India PIN: 210 204	http://absss.in/
2	Muskan jyoti samiti - Mewa Lalji	Chaudhary Purwa, Old Kechwa Farm, Madiyawa Village, Kursi Road, Lucknow-226021 Madiyawa Village, Kursi Road, Lucknow-226021	http://www.muskaniyoti.org/
3	Nirmal Kuteya Seechewal- Sant Balveer Singh Ji Seechewal	Post Office Chak Chella, Tehsil Shahkot, Distt Jalandhar, Punjab 144701, INDIA	http://www.nirmalkuteya.com/portal/
4	Central Ground Water Authority	Central Ground Water Board, Northern Region, Bhujal Bhavan, Sector-B. Sitapur Road Yojna, Ram Ram Bank Chauraha, Lucknow - 226021.	http://cgwb.gov.in/aboutcgwb.html
5	Miyawaki, saytrees		https://saytrees.org/miyawaki.html

3. Re-constitution of District Environment Committee by Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh vide Office Order No- 13/2019/NGT-257/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016 dated 14 June, 2019 is as follows.

1	District Magistrate	Chairman
2	C.D.O.	Member
3	S.S.P.	Member
4	Nominee of CEO, Industrial Development Authority	Member
5	ADM/Incharge, Local Bodies	Member
6	V.C., Development Authority	Member
7	Municipal Commissioner	Member
8	All Executive Officer, Nagar Palika/Panchayat	Member
9	District Supply Officer	Member
10	C.M.O.	Member
11	Ex. En., Irrigation Department,	Member
12	Ex. En., PWD	Member
13	Ex. En., UPPCL	Member
14	R.T.O.	Member
15	G.M., DIC	Member
16	R.M., UPSIDC	Member
17	D.P.R.O.	Member

18	District Agriculture Officer	Member
19	District Horticulture Officer	Member
20	D.E.S.T.O	Member
21	District Information Science Officer	Member
22	Representatives of all Oil & Gas Companies	Member
23	All City Gas Network Companies	Member
24	Regional Officer, U.P. Pollution Control Board.	Member
25	02 NGOs (Environment), nominated by District Magistrate	Member
26	Other Officers/Representatives of Cantonment Board, Jila Panchayat, Jal Nigam, Railways, Ground Water, Industrial Association, Common Bio-Medical Waste Facility, Educational institutions, Specialist etc. nominated by District Magistrate	Member
27	District Forest Officer	Member Convenor

7 280 -

-302-



प्राप्त दिनांक: 31-07-19
 2019-2020

1660
 4119/B
 1/8/19
 2-8-19

नगर निगम, लखनऊ

Annexure No. 44

प्रेषक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	सेवा में, सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0-12 वी, विभूती खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010
पत्र संख्या :- 320/P/50 अदि/50m	दिनांक :- 29/07/19

महोदय,

कृपया कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या जी-30270/सी-5/सा-46/19 दिनांक 11-06-2019 जो राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में है, के क्रम में गोमती नदी में गिर रहे नालों, गोमती नदी के प्रदूषण को कम किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्य एवं वर्तमान में किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई लखनऊ की प्राप्त आख्या (पत्रांक 2397/कार्य-8/50 दिनांक 24-07-2019) इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही एवं प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
 नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
 नगर आयुक्त

C-5
 01/08/19

Mo की प्र
 21/8/19



कार्यालय परियोजना प्रबंधक, अस्थाई गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,

उ०प्र० जल निगम, सूरज कुण्ड पार्क, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ-226018
Email I.D:- pm_tgpcu@rediffmail.com

Mob. No:- 9473941836

पत्रांक १३१७

1 कार्या 8 / 50 दिनांक १५/७/१९

सेवा में

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

217/2/19
25-06-19

विषय: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक G-30270/सी-5/सा-46/19, दिनांक 11.06.2019 के संदर्भ में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्तमान में शहर में कुल 33 नग नाले गोमती नदी में गिरते हैं तथा 26 नालों पर गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत पूर्व में टेप कर शोधन हेतु 56 एमएलडी दौलतगंज एस०टी०पी० तथा

345 एमएलडी भरवारा एस०टी०पी० पर भेजा जाता है। 26 नालों पर पम्पिंग प्लाण्ट की डिजाइन से अधिक

श्राव आने तथा कार्यों की डिजाइन अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप इन नालों से ओवरफ्लो होकर गोमती नदी

को प्रदूषित कर रहे हैं। उक्त को अतिरिक्त शहरी सीमा के विस्तार के कारण 07 नए नालें सृजित हुए जिसमें

से 06 नग नाले सीधे गोमती में गिर इसे प्रदूषित कर रहे हैं तथा 01 नग नाला (घैला) ग्रीष्म ऋतु में गोमती

में नहीं गिरता है। वर्ष 2015 में इन 33 नालों के श्राव के मापन कराया गया तथा यह पाया गया कि कुल

675 एमएलडी श्राव इन नालों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं, जिसमें से नगर में निर्मित 401 एम०एल०डी० के

एस०टी०पी० से श्राव का शोधन सम्भव है। शेष 274 एमएलडी सीधे गोमती में गिर इसे प्रदूषित कर रहा है।

अतः उक्त समस्या के निदान हेतु उ०प्र० जल निगम द्वारा दौलतगंज एस०टी०पी० परिसर में

नये एस.टी.पी. का प्राविधान तथा गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत निर्मित अधिकांश नालों के सीवेज पम्पिंग

स्टेशन के सुदृढीकरण एवं तत्संबंधी कार्यों का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु. 456.66 करोड़ राज्य सरकार में

वर्ष 2015 में प्रेषित किया गया है। राज्य सरकार में बजट की व्यवस्था न होने के कारण प्राक्कलन

वर्ष 2015 में एन.एम.सी.जी. प्रेषित किया गया, जहाँ पर इसको टैप एण्ड ट्रीट की अवधारणा पर पुनरीक्षित कर

प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुनः वर्ष 2016 में ही अपस्ट्रीम गोमती के उपरोक्त वर्णित

नालों तथा 56 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के सुदृढीकरण तथा नया 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का प्राक्कलन

Bipin(Temp)des;

- 282 -

304-

Hr. Kuvau
10ep
25-7-19
E.E.

अनुमानित लागत रु. 214.38 करोड़ प्रेषित किया गया, परन्तु नमामि गंगे कार्यक्रम में गोमती नदी की प्राथमिकता नीचे होने पर प्राक्कलन की स्वीकृति की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

वर्ष 2018 में एन.एम.सी.जी. के D.O. No-P-03/2016-17/98/NMCG/Condition Assessment Dt. 24.04.2018 द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम में गोमती नदी को प्राथमिकता पर लिये जाने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार प्राक्कलन प्रेषित किये गये, जिनका विवरण संलग्नक में दर्शाया गया है (संलग्नक-1)।

उल्लेखनीय है कि उक्त के अतिरिक्त जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अंतर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 एवं सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 पार्ट-II में लगभग 1200 कि०मी० सीवर लाइन डाली जा चुकी है, जिससे प्राप्त होने वाले सीवेज का शोधन भी दौलतगंज स्थित एस०टी०पी० पर किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अमृत योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 के लिए लखनऊ नगर जलोत्सारण हेतु कुल 5950.00 करोड़ की मांग के सापेक्ष विभिन्न सैप वर्षों के सापेक्ष कुल रु. 729.42 करोड़ के कार्य स्वीकृत किया गया (संलग्नक-2)।

अतः उपरोक्तानुसार नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पर धनावंटन के उपरान्त ही कार्य पूर्ण किये जा सकते हैं। तदोपरान्त गोमती नदी के प्रदूषण के स्तर में गिरावट होगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि धनाभाव के कारण ही कार्य नहीं कराये जा सके। अतः विभाग के विरुद्ध अभियोज्यनात्मक कार्यवाही व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित तर्कसंगत नहीं है, जिसके क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण को निस्तारित करें।

भवदीय

28/11/19

(सौरभ श्रीवास्तव)
परियोजना प्रबन्धक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

परियोजना प्रबन्धक

Bipin(Temp)des;

-305-

- 283 -

कार्यालय महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उग्रप्रो जल निगम, लखनऊ
लखनऊ नगर में नमामि गौ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की अद्यतन स्थिति।

क्र.सं.	प्रकल्प	प्रस्तावित कार्य	कार्य सागत	सेट-अप	कुल लागत (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	फेज-1 पार्ट-1	<ol style="list-style-type: none"> 39 एमएलडी0 एसपी0एस0 एवं एसटी0पी0, धैरतागंज नगरिया, सरकटा, फटा पर तीन नए एसपी0एस0 का जीपीआर 56 एमएलडी0 एसटी0पी0 धैरतागंज का जीपीआर वरिष्ठता त्राटे हेतु 1 नए नए एसपी0एस0 (1 एमएलडी0) एवं एसटी0पी0 (1 एमएलडी0 बरीकला) 15 वर्ष का अनुसंधान कार्य विविध* 	<p>योग</p> <p>290.67</p> <p>298.12</p> <p>290.67</p> <p>298.12</p>	<p>7.45</p> <p>7.45</p>	<p>57.11</p> <p>16.11</p> <p>14.67</p> <p>6.14</p> <p>193.84</p> <p>2.80</p>	<p>नमामि गौ कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु ई-निविदा संख्या 651/एच-13/20, दिनांक 5.3.19 द्वारा आयोजित की गयी है; विरामी प्री-क्वालिफिकेशन विड विनॉक 3.7.19 को खोली गयी थी, जिसको रिनांक 02 07.2019 को शासन के पत्र सं0 2319/जी-5-19-394स/2018, दि0 11.06 2019 के क्रम में सीबीएल इन्फोटेक के बीच कोलीम संवाहन, रखाखाए एवं संवाहन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था किये जाने के दृष्टिगत निविदा निरस्त कर पुनः ई-निविदा को कार्यवाही प्रगति पर है।</p>
1	फेज-1 पार्ट-2	<ol style="list-style-type: none"> 64 एमएलडी0 एसटी0पी0 भरवावा गोमती नगर नाला हेतु 01 नए नए एसपी0एस0 गोमती नगर निस्तार नाला हेतु 01 नए नए एसपी0एस0 रहावा शहर नाला हेतु 01 नए नए एसपी0एस0 17 नए नालों पर एसपी0एस0 के सुदृढीकरण का कार्य 345 एएलडी एसटी0पी0 का सुदृढीकरण का कार्य 15 वर्ष का अनुसंधान कार्य विविध* 	<p>योग</p> <p>1270.36</p>	<p>27.13</p>	<p>90.50</p> <p>4.74</p> <p>13.29</p> <p>13.21</p> <p>86.58</p> <p>10.95</p> <p>1037.21</p> <p>13.88</p>	<p>नमामि गौ कार्यक्रम के अन्तर्गत एमएलडी0 सं0 में परिकल्पना।</p>
2	फेज-1 पार्ट-3	<ol style="list-style-type: none"> 22 एमएलडी0 एसपी0एस0 एवं एसटी0पी0, शैला 1 नए सुल्तानपुर अपस्ट्रीम नाले का इन्टरसेप्शन एवं अक्वर्शन कार्य (2नए) सुल्तानपुर उपनगर ट्रेनिंग नाले का इन्टरसेप्शन एवं अक्वर्शन कार्य (2नए) 15 वर्ष का अनुसंधान कार्य विविध* 	<p>योग</p> <p>160.69</p>	<p>7.30</p>	<p>31.11</p> <p>15.59</p> <p>12.34</p> <p>97.46</p> <p>4.10</p>	<p>नमामि गौ कार्यक्रम के अन्तर्गत एमएलडी0 सं0 में परिकल्पना।</p>
3	फेज-3	<ol style="list-style-type: none"> 2200 एवं 2400 किमी आर की 3.20 किमी टुक साइन 80 एमएलडी0 मुख्य एसपी0एस0 बिजनाोर- 1 नए 80 एमएलडी0 एसटी0पी0 बिजनाोर- 1 नए 15 वर्ष का अनुसंधान कार्य विविध* 	<p>योग</p> <p>509.85</p> <p>कुल योग न</p> <p>1940.90</p> <p>महायोग (अंश)</p> <p>2231.57</p>	<p>22.39</p> <p>56.82</p> <p>61.27</p>	<p>53.37</p> <p>113.12</p> <p>14.48</p> <p>312.13</p> <p>16.75</p> <p>509.85</p> <p>1940.90</p> <p>2231.57</p>	<p>नमामि गौ कार्यक्रम के अन्तर्गत एमएलडी0 सं0 में परिकल्पना।</p>

* ग्रामपंचायत साइन, इन्फोटेक, सेनीटेशन व मेकेनिकल साइन इत्यादि

परियोजना प्रबन्धक

**LUCKNOW SEWERAGE SCHEME
(QUICK OVERVIEW)**

Sewerage District	Zone No.	Area	Project			
			JnNURM		AMRUT	
			Amount in Crore	Works	Amount in Crore	Works
<u>District-1</u> (Sewered)	Zone -1	Dubagga, Machli Mandi, Malpur, Sargarazganj	236.230	339 km sewer line	76.82 (WC 68.36 + Cent 8.46)	10 km Sewer Line 20000 Nos House Connection
	Zone -2	Campbell Road, Kala Pahad, Wazeer Bagh, Ekta Nagar, Barora, Lakadd Mandi, Chor Ghat		14 Mid STP		
	Zone -3	Jal Nigam Road, Gau Shala Road, Hari Nagar, Manju landon Dhal, Yaseenganj, Radha Gram, Gau Ghat		No MPS		
	Zone -4	Hussainabad, Seesh Mahal, Mehtab Bagh, mohani Purva, Ambar Ganj, Gari Peer Khan, TB Hospital Road				
<u>District-2</u>	Zone -1	Alam Nagar, Kesari Khara				
	Zone -2	Sarojni Nagar				
	Zone -3	Sharda Nagar, Amousi,				
<u>District-3</u> (Part-1) (Sewered)	Zone -1	Faizullahganj	380.435	485 km Sewer Line 1 No SPS @ Loniapurva	139.33 (WC 123.99 + Cent 15.34)	13.73 km Sewer Line 50500 Nos House Connection
	Zone -2	Khadra				
	Zone -3	Daliganj				
	Zone -4	Mankamesher				
	Zone -5	Baba ki Bagla				
	Zone -6	Cokvin College				
	Zone -7	Abhisekhpuram				
	Zone -8	Behla				
	Zone -9	Kaiyanpur				
	Zone -10	Khurram Nagar				
	Zone -11	Mahanagar				
<u>District-3</u> (Part-2) (Sewered)	Zone -1	Amrai	287.63	352 km Sewer Line 3 No SPS @ Faizabad Road, Faridinagar and Jarhara	79.20 (WC 70.48 + Cent 8.72)	18.85 km Sewer Line 24540 Nos House Connection
	Zone -2	Faridinagar, Chaandan, Manas Vihar				
	Zone -3	Maliyari				
	Zone -4	Chinhat, Malhore				
	Zone -5	Takrohi, Takrohi Gaon, Shivajipuram, Gajipur, Mayawati Colony				
	Zone -6	Patel nagar, Surenra nagar, Insaf Nagar, Lohiya Vihar, Kamta				
	Zone -7	Faizabad Road, Shakil Nagar, Marutiipuram, Sanjay Gandhi puram				
<u>District-4</u>	Zone -1 (Part-1)	Chowk, Roomi Gate, Gharla Ghar, Akbari Gale, Chaupaliya, Niwas ganj, KGMC, Imam Bara, Yahliya Ganj, Akbari Road, Kashmiri Mohala			17.64 (WC 15.70 + Cent 1.94)	Rehabilitation of Rising Main from CGSPS to Kukrail IPS DPR for sewerage is under preparation
	Zone -1 (Part-2)	Kaiserbagh, Lalbagh, Aminabad, Old Ganesh Ganj, Kaiserbagh, Wazeerganj, Hazralganj			185.80 WC 165.94 + Cent 19.86)	132.352 km Sewer Line, 38649 Nos House Connection, 1 Nos SPS, 266 Nos Sensors, 1 Nos SPS (Rehabilitation)
	Zone -2	Raja Ji Puram, Aishbagh, Aminabad, Laikuan,				DPR shall be made once SAAP is revised
	Zone -3 (Part-1)	Kalidas marg, Vikramaditya marg, Christian colony, Gulista colony,			25.94 (WC 24.04 + Cent 2.90)	9.314 km Sewer Line, 2000 Nos House Connection, 1 Nos SPS
	Zone -3 (Part-2)	Alam Nagar, Alam bagh, Charbagh				DPR shall be made once SAAP is revised
	Zone -4	Chandarnagar, Dhamodarnagar, Visusournagar, Gopalpuri, Geetapall, Omnagar, Ajadnagar, Newsardhrikhera, Purannagar			269.67 (WC 241.05 + Cent 28.62)	194.292 km Sewer Line, 34681 Nos House Connection, 1 Nos SPS
	Zone -5	Arjunganj, Telibagh, Kharika				DPR shall be made once SAAP is revised

WC - Work Cost Cent - Centage Rs in Crores 729.48 Total WC of DPR's

SAAP Provision under AMRUT

S. No	SAAP Year	Amount in Crore
1	2015-16	165
2	2016-17	180
3	2017-20	240
Total (Rs in Crores)		585

Handwritten signature

301-

**Comparative Status of water quality of River Gomti in term of Biochemical Oxygen Demand
year 2018 & 2019 (April-June)**

S.no.	Sampling Points	2018 (April to June)			2019 (April to June)			Water quality improvement in term of BOD in 2019
		D.O. (mg/l)	B.O.D. (mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)	D.O. (mg/l)	B.O.D. (mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)	
1	Dadhnamau Ghat, Sitapur	7.4	2.3	1466	7.9	2.6	2400	13.0
2	Manjhighat, Lucknow	5.8	2.8	2900	7.4	2.7	2500	-3.6
3	UPStream Water Intake, Gaughat, Lucknow	2.8	5.8	6433	6.4	3.2	6066	-44.8
4	Kudiyaghat, Lucknow	1.6	7.9	22333	1.5	1.7	318333	-78.5
5	D/s Mohan Meakins, Lucknow	1.6	9.7	24000	1.2	13.3	357333	37.1
6	Nishatganj Bridge, Lucknow	2.8	10.9	50333	2.7	9.4	85000	-13.8
7	U/s Bairaj, Lucknow	2.4	11.5	123333	5.1	6.4	224333	-44.3
8	D/s Pipraghat, Lucknow	0.8	9.2	180000	1.6	10.2	143333	10.9
9	D/s After meeting of STP, Nala Bharwara, Lucknow	3.2	17.7	143333	1.9	19.2	160000	8.5
10	D/s Gomti, Jaunpur	7.5	4.7	41000	7.5	3.9	21000	-17.0
11	Gomti before meeting to Ganga, Rajwari, Varanasi	7.8	4.2	22000	1.7	3.3	16000	-21.4

Improvement in the water quality at 7 Location out of 11 Location has been observed in the year 2019 as compared to 2018.

- 286 -

- 308 -

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-13/2019/एन.जी.टी.-257/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2018
लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) के संचालन तथा मा0 अधिकरण द्वारा विभिन्न वादों यथा ओ0ए0 सं0-306/2016, ओ0ए0 सं0-681/2018, ओ0ए0 सं0-48/2016, ओ0ए0 सं0-1038/2016, ओ0ए0 सं0-673/2018, ओ0ए0 सं0-173/2018, ओ0ए0 सं0-317/2015, ओ0ए0 सं0-200/2014 एवं समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत की जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 15 शहर अति वायु प्रदूषित, 09 औद्योगिक समूह क्रिटिकली/सिरियसली प्रदूषित एवं 12 प्रमुख नदियों के नदीखण्ड क्रिटिकली प्रदूषित श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित हैं। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पर्याप्त सुविधाएं स्थापित नहीं है तथा प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-वेस्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट के प्रबन्धन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की उपरोक्त असन्तोषजनक स्थिति एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु प्रदेश में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रभावी अनुश्रवण तन्त्र विकसित किया जाना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत समस्त प्रशासनिक स्तरों एवं सम्बन्धित विभागों के स्तर पर मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में सम्पादित कार्यवाही का सतत अनुश्रवण किया जा सके।

2- उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु निम्न अनुश्रवण तन्त्र स्थापित किया जाता है-

कि

क-अनुश्रवण के कार्य हेतु वेब पोर्टल का विकास: उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुश्रवण कार्य की सुगमता हेतु एक वेब पोर्टल "U.P. Environmental Compliance Portal" विकसित किया गया है जिसका यू०आर०एल० www.upecp.in है।

ख-जिला स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: जिले स्तर पर वर्तमान में विभिन्न अनुश्रवण समितियां जैसे जिला पर्यावरण समिति, जिला प्लान्टेशन समिति, जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (बायो मेडिकल वेस्ट), जिला स्तरीय समिति (क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्र) संचालित है।

(1) भविष्य में जिला स्तर पर समस्त पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समग्र रूप से अनुश्रवण हेतु उपरोक्त वर्णित समितियों के दायित्वों को समाहित करते हुए एक समिति "जिला पर्यावरणीय समिति" का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है-

- | | |
|---|----------|
| 1. जिलाधिकारी | -अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | -सदस्य |
| 3. वरिष्ठ पुलिस-अधीक्षक | -सदस्य |
| 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य |
| 5. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी, स्थानीय निकाय | -सदस्य |
| 6. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण | -सदस्य |
| 7. नगर आयुक्त, नगर निगम | -सदस्य |
| 8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत | -सदस्य |
| 9. जिला पूर्ति अधिकारी (खाद्य एवं रसद) | -सदस्य |
| 10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी | -सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग | -सदस्य |
| 12. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग | -सदस्य |
| 13. अधिशासी अभियन्ता, यू०पी० पावर कार्पो० लि० | -सदस्य |
| 14. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी | -सदस्य |
| 15. पुलिस अधीक्षक, यातायात | -सदस्य |
| 16. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र | -सदस्य |
| 17. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०डी०सी० | -सदस्य |
| 18. जिला पंचायत राज्य अधिकारी | -सदस्य |
| 19. जिला कृषि अधिकारी | -सदस्य |
| 20. जिला उद्यान अधिकारी | -सदस्य |
| 21. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी | -सदस्य |
| 22. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी | -सदस्य |

23. समस्त ऑयल एवं गैस कम्पनीज के प्रतिनिधि -सदस्य
 24. समस्त सिटी गैस नेटवर्क के प्रतिनिधि -सदस्य
 25. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य
 26. जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन -सदस्य
 27. जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यकता नामित, अन्य अधिकारी/प्रतिनिधि (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड, जिला पंचायत, जल निगम, रेलवे, भू-जल, औद्योगिक संगठन, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था एवं शिक्षण संस्थानों/विशेषज्ञादि) -सदस्य
 28. जिला वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी -सदस्य संयोजक

(2) जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित समयतालिका के अनुसार माह में एक बार माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। माह के द्वितीय सप्ताह में संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान जिला स्तर पर पर्यावरण समितियों की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की जायेगी जिसमें जिलाधिकारी व जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक उपस्थित होंगे। जिला पर्यावरण समिति द्वारा निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगी-

(i) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर विषयवार अनुपालन सूचना प्रस्तुत किये जाने हेतु टैम्पलेट प्रदर्शित होंगे। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा उक्त टैम्पलेट पर संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त कर संकलित की जायेगी तथा उसकी एक प्रति माह के प्रथम कार्य दिवस में सदस्य संयोजक को उपलब्ध करायी जायेगी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोर्टल का लॉग-इन आई०डी० एवं पासवर्ड जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुश्रवण पोर्टल पर उपलब्ध टैम्पलेट पर सूचनायें पूर्ण किये जाने हेतु जिला स्तर पर निम्न अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे-

क्र० सं०	अनुपालन हेतु टैम्पलेट का विषय	नोडल अधिकारी
1.	ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्रबन्धन	नगर निगम क्षेत्र हेतु नगर आयुक्त तथा स्थानीय निकायों हेतु प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय
2.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट	मुख्य चिकित्साधिकारी
3.	ई-वेस्ट प्रबन्धन	क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उक्त के अतिरिक्त प्रमुख नदियों के किटिकली प्रदूषित नदी खण्ड, अति वायु प्रदूषित 15 शहरों एवं किटिकली/सीरियसली प्रदूषित 09 औद्योगिक समूहों से संबंधित एक्शन प्लान में कार्यवाही के बिन्दु के समक्ष चिन्हित संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा अनुपालन सूचना निर्धारित टैम्पलेट पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) सदस्य संयोजक उक्त सूचना के आधार पर बैठक का एजेण्डा तैयार करेंगे तथा जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करायेंगे। बैठकोपरान्त बैठक का कार्यवृत्त तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व सदस्य संयोजक का होगा।

(iii) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा बैठकोपरान्त अनुपालन सूचना में आवश्यक संशोधन करते हुये सूचना तथा बैठक का कार्यवृत्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के सहयोग से वेब पोर्टल www.ucecp.in पर अपलोड करायी जायेगी।

(iv) मण्डलायुक्त के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक हेतु संकलित सूचना एवं जिला पर्यावरण समिति का कार्यवृत्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डलायुक्त के स्तर पर बैठक का एजेण्डा क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार कर बैठक करायी जायेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।

ग-राज्य स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: मा० अधिकरणद्वारा पारित विभिन्न आदेशों के द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय समितियों का गठन/पुनर्गठन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर से अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी भी नामित हैं।

(1) मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समितियों एवं उनके कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैं:-

क्र० सं०	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
(i)	इम्प्लीमेंटेशन कमेटी	गंगा नदी में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
(ii)	रिवर रिजुविनेशन कमेटी	गंगा नदी की समस्त सहायक नदियों में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	कृषि उत्पादन आयुक्त
(iii)	एयर क्वालिटी, मानिट्रिंग कमेटी	प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण एवं परिवेशीय वायु गुणता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करार जाने हेतु कार्यों की प्रगति का	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(4/5)

क्र० सं०	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
		अनुश्रवण	
(iv)	राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति	समस्त प्रकार के अपशिष्ट यथा ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-वेस्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट एवं कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमॉलिशन अपशिष्ट के नियमानुसार सुरक्षित निस्तारण किए जाने की स्थिति का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग

उक्त राज्य स्तरीय समितियों की अनुश्रवण बैठक माह के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जिला पर्यावरणीय समिति द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी मासिक प्रगति उक्त राज्य स्तरीय समितियों के लाग-इन पर प्रदर्शित होगी। राज्य स्तरीय विभागीय समितियों द्वारा उक्त मासिक प्रगति आख्याओं व कार्यवृत्तों का अनुश्रवण एवं अध्ययन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट में ऐसे बिन्दु पृथक किये जाएंगे जिन पर अनुपालन हेतु राज्य स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक होगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण का संक्षिप्त विवरण, बैठक का एजेण्डा तथा ऐसे समस्त बिन्दुओं तथा नियमों के अनुपालन की स्थिति को मुख्य सचिव की अनुश्रवण बैठक में निर्णय हेतु वेब पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जायेगा ताकि बैठकों का कार्यवृत्त एजेण्डा इत्यादि तैयार कर वेब पोर्टल पर अपलोड सुगमता से कराये जा सकें।

(2) कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु नामित किये गये अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान जिला स्तर पर आयोजित बैठक में पर्यावरण अनुपालन के बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जायेगी। जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक द्वारा पर्यावरण अनुपालन की वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी अद्यतन सूचना बैठक के एजेण्डा सहित नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। नोडल अधिकारियों द्वारा पर्यावरण अनुपालन के संबंध में अपनी टिप्पणी माह के अंत में वेब पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। नोडल अधिकारी की उक्त टिप्पणी जिला स्तर पर एवं राज्य स्तरीय समितियों के स्तर पर पोर्टल में प्रदर्शित होगी जिसका संज्ञान लेकर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त टिप्पणियों के आधार पर मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु सम्मिलित किये जायेंगे।

घ-मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा प्रत्येक माह के चतुर्थ सप्ताह में मा० अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्य सचिव की उक्त बैठक हेतु पोर्टल में प्रदर्शित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा विषयवार प्रस्तुत अनुपालन की अद्यतन स्थिति एवं चिन्हित बिन्दु, जिन पर मुख्य सचिव स्तर से हस्तक्षेप आवश्यक है, सहित बैठक का एजेण्डा तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा। उक्त कार्य हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल अधिकारी होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-13/2019/एन.जी.टी.-257/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/कार्यक्रम क्रियान्वयन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नगर विकास/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/कृषि/श्रम/सिंचाई/ परिवहन/ लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/खाद्य एवं रसद/सूचना प्रौद्योगिकी, उ०प्र० शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
8. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, उ०प्र०।
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
10. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
11. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
12. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उ०प्र०।
13. जिलाधिकारी, द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन।
14. जिला पर्यावरण समिति के समस्त सदस्यों को संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कल्पना अर्दस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा हिण्डन, काली एवं कृष्णा नदी के संरक्षण, उद्धार, प्रदूषण हेतु उत्तरदायी दोषी व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही तथा पीड़ितों के पुर्नवास सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन हेतु ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- i. मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0यू0 खान -अध्यक्ष.
- ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित -सदस्य वरिष्ठ वैज्ञानिक
- iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक/अभियन्ता -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 08.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण, उद्धार एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- i. मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह -अध्यक्ष
- ii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि -सदस्य
- iii. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि -सदस्य
- iv. डा0 ए0बी0 अकोलकर, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य
- v. उ0प्र0 जल निगम द्वारा नामित प्रतिनिधि -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 23.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा नदी जल संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजनाओं के प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन तथा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

(१०)

- 293 -

- 345 -

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यमुना नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ0ए0 सं0-6/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं 300/2013 मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा दो सदस्यीय निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- i. सुश्री शैलजा चन्द्रा, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली -सदस्य
- ii. श्री बी0एस0 साजवान, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पूर्व विशेषज्ञ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.07.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 द्वारा River Rejuvenation Committee (RRC) गठित की गई। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि RRC द्वारा नदियों के क्रिटिकली प्रदूषित नदीखण्डों हेतु कार्ययोजना बनाई जाएगी तथा उक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाएगा। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया कि RRC का संचालन प्रमुख सचिव, पर्यावरण के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में होगा।

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-एन0जी0टी0-4140/55-पर्या-2-2017-49(पर्या)/2017 दिनांक 14.12.2018 द्वारा River Rejuvenation Committee (RRC) निम्नवत् गठित की गई है :-

- i. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय -सदस्य
- ii. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन -सदस्य
- iii. निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0 -सदस्य
- iv. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य

5- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना/संचालन से

संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा० अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा० अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018, ओ०ए० सं०-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण, उद्धार एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 तथा यमुना नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ०ए० सं०-6/2012 एवं 300/2013 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 तथा उक्त प्रकरणों में मा० अधिकरण द्वारा पारित अन्य आदेशों के अनुपालन में प्रदेश में नदियों की जल गुणता के संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रियान्वित कार्ययोजनाओं का अनुश्रवण करते हुए मा० अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

6- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मा० अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

7- उपरोक्त प्रस्तर-6 में वर्णित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत ओ०ए० सं०-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.

(16)

- 295 -

-347-

08.2018, ओ०ए० सं०-6/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं 300/2013 मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा गठित उक्त तीन अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए प्रदेश में समस्त प्रमुख नदियों (गंगा नदी के अतिरिक्त) में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणता संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु संचालित परियोजनाओं की उपयुक्तता एवं प्रगति के आंकलन एवं उपरोक्त तीनों अनुश्रवण समितियों के समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु मा० अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 20.09.2018 के अनुपालन में पर्यावरण अनुभाग उ०प्र० शासन के कार्यालय झाप सं०-एन०जी०टी०-4140/55-पर्या-2-2017-49(पर्या)/2017 दिनांक 14.12.2018 द्वारा गठित River Rejuvenation Committee (RRC) निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है-

- i. कृषि उत्पादन आयुक्त -अध्यक्ष
- ii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग -सदस्य
- iii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग -सदस्य
- iv. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग -सदस्य
- v. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग -सदस्य
- vi. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन -सदस्य
- vii. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी० -सदस्य
- viii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ -सदस्य
- ix. निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली -सदस्य
- x. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम -सदस्य
- xi. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ -सदस्य
- xii. डॉ० ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, (आई०आई०टी०, रुड़की) -सदस्य
- xiii. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि -सदस्य
- xiv. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -नोडल ऑफिसर

8- उपरोक्त बिन्दु सं०-7 के अन्तर्गत River Rejuvenation Committee के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे-

- i. मा० अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri: Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश तथा ओ०ए० संख्या-66/2015, ओ०ए० सं०-116/2014, ओ०ए० सं०-06/2012 एवं ओ०ए० सं०-300/2013 में मा० अधिकरण द्वारा नदियों में प्रदूषण नियंत्रण एवं नदी जल संरक्षण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।

(क)

- ii. नदियों के क्षेत्र में स्थापित सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 का संचालन मानकों के अनुरूप किये जाने की स्थिति, कार्यरत सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 को अपग्रेड किये जाने संबंधी परियोजना की प्रगति तथा प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना संबंधी प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- iii. नदियों के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के चिन्हिकरण एवं अधिसूचित किये जाने की समीक्षा।
- iv. नदियों में औद्योगिक उत्प्रवाह से प्रदूषण के नियंत्रण की समीक्षा।
- v. नदियों के क्षेत्र में स्थानीय निकायों में नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति की समीक्षा।
- vi. नदियों के विभिन्न नदीखण्डों में ई-फ्लो को मन्टेन किये जाने तथा नदी में अविरल जल प्रवाह सुनिश्चित किये जाने की स्थिति।
- vii. नदियों की जलगुणवत्ता के अनुश्रवण की समीक्षा तथा नदी जल गुणता के संरक्षण हेतु कार्यवाही की समीक्षा।
- viii. नदियों की जल गुणता से सम्बन्धित अन्य विषय-बिन्दु।
- ix. River Rejuvenation Committee द्वारा नदियों के क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति के आंकलन एवं संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।
- x. River Rejuvenation Committee द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0यू0 खान), ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।
3. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह), ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।

(क)

- 297 -

- 349 -

4. सुश्री शैलजा चन्द्रा, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली एवं सदस्य, अनुश्रवण समिति (ओ०ए० सं०-6/2012 एवं 300/2013 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य)।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
8. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
9. प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन।
10. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
13. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।
14. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
15. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, नार्थ जोन, लखनऊ।
17. परियोजना निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
18. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
19. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
20. डॉ० ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, (आई०आई०टी०, रुड़की)।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(क)

(कल्पना अवस्थी)

प्रमुख सचिव।

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Date: 28.11.2019

To,
The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.

Subject: Action Taken Report in O.A. No: 116/ 2014

Hon'ble National Green Tribunal in above O.A. No: 116 / 2014 have ordered on 19.07.2019 to file an ATR on the issues on which certain recommendations were made by the Monitoring Committee under Chairmanship of Hon'ble Justice D.P. Singh (Retd.).

Hon'ble Chairman of Monitoring Committee for river Gomti vide his report dated 8th June, 2019 had suggested various measures and recommendations related to different Authorities/stakeholders' role and responsibility to ensure compliance for enabling pollution free environment with respect to Ramgarh Tal and river Gomti. A concise detail of efforts being made by Urban Development Department regarding issues related to the departments in the report is as following:

	Issue/Recommendation of the Hon'ble Monitoring Committee	Status of ATR
A	Ramgarh Tal: All remaining 18 drains be capped on war footings to save the life of Ramgarh lake expeditiously, say within a period of one year and accordingly appropriate project report be prepared and be submitted to the Government of UP for grant of financial support, if already not done.... ...Long term and short-term action plans as proposed by the Rejuvenation Committee, vide Experts' opinion dated 05.03.2019 be acted upon by the State Government through the Ministry of Urban Development/Irrigation with follow up decision in three months."	A DPR for the interception & diversion of 11 drains out of 18 drains (Total discharge 1.357 MLD) situated at the North corner of Ramgarh Tal amounting to Rs. 34.82 Cr. Has been prepared and under the process of approval. The work on remaining 7 drains is in progress under Amrut program, which is proposed to be completed by October, 2020. 6 main drains falling into the Ramgarh Tal were intercepted and diverted to two sewage treatment plant of 15 MLD and 30 MLD capacity, which were commissioned in June 2015 and February 2015 and working since then. 25 nos. of floating cascade fountains and one floating multimedia fountain and 450 KW solar energy plant were commissioned in June, 2019. Besides above, about 11.43 lakh cubic metre silt/ sludge were removed from Ramgarh tal by dredging, which results into the increase in depth of

		<p>Ramgarh Tal.</p> <p>About 11000 trees have been planted around Ramgarh Tal for ecological balance.</p> <p>After implementation of project the BOD of water reduced to 11 mg/l, which was 108 mg/l earlier.</p>
B	<p>Municipal Commissioner of Lucknow Nagar Nigam and the District Magistrates/Eos of 11 districts (supra) be instructed to ensure that no solid waste or bio-medical waste is discharged into drains and subsequently into river Gomti by use of plastic/steel/fiber nets at discharge points.</p>	<p>All the District Magistrates and EOs of the Urban Local Bodies in the state has been instructed to comply with the instructions related to ensure no waste is dumped in river body. The state government has been apprising the field level officers (DMs/EOs) and monitoring is being done through regular video conferencing and review meetings of ULBs.</p> <p>As per action taken report of Lucknow Nagar Nigam, the solid waste/garbage vulnerable points along the river has been removed and the screens has been installed on the drains. Photographs related to the ATR of Lucknow Nagar Nigam are annexed herewith as Annexure -1.</p> <p>To strengthen and enhance the institutional capacity for better management of waste collection, the state has released fund of approximately 117 Crore to the ULBs situated in 11 Districts (Pilibhit, Shajahanpur, Lakhimpurkheeri, Hardoi, sitapur, Lucknow, Barabanki, Ayodhya, Sultanpur, Pratappgarh, Jaunpur).</p> <p>Further for the plastic waste, the department of urban development Govt. of U.P. has banned the use of single use plastic vide it's order no: 1056/ 9-7-18-29(Lucknow)-18, Dated: 15th July 2018, The notification of it's Act was issued vide order no:1903/79-Vi-1-18-1(KA)-14-2018, Dated: 10th September 2018. The State of Uttar Pradesh has collected the 652 Tons of plastic/ single use banned items and 7.40 Cr. INR is collected as a fine till date in urban areas. The direction for proper disposal of the collected banned items of plastic were issued vide its order no: 1446(2)/0-7-19-29(Lucknow)/2018 Dated: 14th August 2019 and 1727-9-7-19-29(Lucknow)/2018, Dated: 18th September 2019 explaining the various techniques and methodology for disposal of banned plastic items. The copies of G.O. are attached here with as Annexure-2</p>

C	<p>Tapping/Treating Drains flowing into River Gomti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The District Magistrates of all 11 districts (supra) shall ensure to send a DPR through Jal Nigam or other agency to the Government of India under Namami Gange project, in case not already sent, to tap all sewer-lines/drains which are discharging untreated sewage into river Gomti within their respective districts in three months. 2. Owing to long gestation periods of installation of STPs/CETPs, UP Jal Nigam and District Magistrates of 11 districts (supra) may be directed to begin within 2months, bioremediation projects of all the piled solid waste at the banks of river Gomti and its drains of all the 11 districts of UP (supra) by selecting the appropriate bioremediation technique and technologies such as Modular STP based on Electrocoagulation, filtration, Eco-Bioblock, Phytoremediation, Geo-Tube, Phytoremediation etc. which will effectively reduce pollutant concentration to an innocuous state. 3. In City of Lucknow, Nagar Nigam, UP Jal Nigam be directed to complete all formalities under law keeping in view the observation made by the CPCB and UPPCB in its report (supra) within a period of 3 months. Apart from the above instructions, recommendations made by scientists of CPCB and UPPCB are accepted which are as under: <p><i>"1. Nagar Nigam/UP Jal Nigam Lucknow may submit DPR for construction of sewage treatment plant (STP) and tapping of major drain discharging untreated sewage of city in River Gomti making it unfit for bathing and human uses.</i></p>	<p>UP Jal Nigam has prepared a DPR for the treatment by bio-remediation process of 459 drains in UP for drains along river Ganga and its' tributaries including the drains along river Gomti. The DPR amounting to Rs. 1796.00 Cr has been prepared and has been forwarded to NMCG on 01.10.2019 by SMCG UP for approval and allotment of funds.</p> <p>Total Generation of Sewage in City of Lucknow is approximately 675 MLD and the existing capacity of all the STPs installed at present is 438 MLD. To fill the gap related to STPs, the state government has been formulating and implementing the projects related to installation of new STPs.</p> <p>The details about the drains which are discharging into river Gomti within their respective districts and prepared by U.P. Jal Nigam is attached herewith as Annexure-3</p> <p>SUMMARY OF TREATMENT CAPACITY EXISTING, UNDER CONSTRUCTION AND PROPOSED</p> <table border="1" data-bbox="787 1308 1356 1878"> <thead> <tr> <th colspan="3">EXISTING STP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bharwara</td> <td>345 MLD</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Daulatganj</td> <td>56 MLD</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Vrindavan</td> <td>37 MLD</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>438 MLD</td> </tr> <tr> <th colspan="3">UNDER CONSTRUCTION</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>G H Canal</td> <td>120 MLD</td> </tr> <tr> <th colspan="3">SANCTIONED PROJECT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Daulat ganj</td> <td>39 MLD</td> </tr> </tbody> </table>	EXISTING STP			1.	Bharwara	345 MLD	2.	Daulatganj	56 MLD	3.	Vrindavan	37 MLD		Total	438 MLD	UNDER CONSTRUCTION			1	G H Canal	120 MLD	SANCTIONED PROJECT			1	Daulat ganj	39 MLD
EXISTING STP																													
1.	Bharwara	345 MLD																											
2.	Daulatganj	56 MLD																											
3.	Vrindavan	37 MLD																											
	Total	438 MLD																											
UNDER CONSTRUCTION																													
1	G H Canal	120 MLD																											
SANCTIONED PROJECT																													
1	Daulat ganj	39 MLD																											


<p>2. To increase the sewage treating capacity. Jal Nigam/Nagar Nigam has prepared the project and has submitted to the Government for approval.</p> <p>3. To provide additional water into the River and thus bring about improvement in the future drinking water situation and environment of Lucknow city through Mahdoiya and Ataria escape of the Sharda Canal System.</p> <p>4. To develop the Riverfront by developing green belt on the banks of the River, under which facilities like cycle track, walking track, water sports facilities, water transport and tourism activities can be promoted.</p> <p>5. To provide water for regeneration of the River by reviving lakes and ponds in Sitapur, Lakhimpur Kheri and Lucknow districts.</p> <p>6. Nagar Nigam should immediately removed illegal dumping of solids on River Bank and in its catchment area.</p> <p>7. River Gomti ghats may develop with green plantation and remove the silting and garbage dumped in River Stream for maintain natural flow of River."</p>	2	Barikala	1 MLD
	PROPOSED UNDER SUBMITTED ESTIMATES		
	1	Bijnore	80 MLD
	2	Ghaila	22 MLD
	3	Bharwara	64 MLD
	G. TOTAL	764 MLD	
<p>The above status suggests there exist a gap of 237 MLD at present and out of this the projects related to 140 MLD has been already sanctioned and the DPR for projects related 166 MLD has been submitted to NMCG for sanction. The implementation of this projects will ensure that no gap related to STP exist in city of Lucknow.</p>			

As the Department of Urban Development is making sincere efforts to comply with the directions of the Hon'ble monitoring committee and the orders of Hon'ble Tribunal and the status of the progress made shall be monitored by the Department on continuous basis. In view of the efforts being made to improve and comply the recommendations and directions of the Hon'ble Committee it is it is humbly submitted and prayed before this Hon'ble Tribunal that the recommendations related to the penalty imposed on various authorities (Jal Nigam/Lucknow Nagar Nigam/ULBs in 11 Districts) may be waived.


 (Anurag Yadav)




Secretary
 Department of Urban Development
 Govt. of Uttar Pradesh

Garbage Dumping sites within 100 meters of River Gomti Stream


BEFORE	AFTER
 <p>IRIDIUM 5128 S PRO DUAL CAMERA Bhikhampur Bandhan-STP 2019/2/14 09:58</p>	
 <p>IRIDIUM 5128 S PRO DUAL CAMERA Ghat Ray Bagan 2019/2/14 10:31</p>	 <p>Lucknow Uttar Pradesh India 2019-04-23(Tue) 18:00</p>
 <p>IRIDIUM 5128 S PRO DUAL CAMERA 2019/2/14 10:55</p>	 <p>Decimal DMS Latitude 26.873155 26°52'23" Longitude 80.889213 80°53'21" 2019-04-24(Wed) 08:38(a.m.)</p>




Dandi Gas] STP area











सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 15 जुलाई, 2018

आषाढ़ 24, 1940 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-7

संख्या 1056/9-7-18-29(लखनऊ)-18

लखनऊ, 15 जुलाई, 2018

अधिसूचना

प०आ०-178

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6क, 7, 12 और 13क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल:-

(क) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैंरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैंरी बैगों, जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हों, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रतिषिद्ध करते हैं;

(ख) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक या थर्मोकोल से तिमित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कर्पों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रतिषिद्ध करते हैं;

(ग) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैंरी बैगों के

उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध करते हैं;

(घ) अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य, अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रदत्त करते हैं:-

(एक) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और परगना मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश;

(दो) उत्तर प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के समस्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक (क्रमशः नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों की अनुज्ञा से);

(तीन) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समस्त पर्यावरण अभियन्ता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियन्ता और वैज्ञानिक सहायक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश;

(चार) निदेशक, पर्यावरण, उप निदेशक, पर्यावरण और सहायक निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश;

(पाँच) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश;

(छ) समस्त उप/सहायक माल एवं सेवाकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश;

(सात) समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश;

(आठ) समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उत्तर प्रदेश;

(नौ) समस्त पर्यटन अधिकारी और सहायक पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश;

(दस) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;

(ग्यारह) समस्त खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;

(बारह) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियन्ता और उससे ऊपर के अधिकारियों की श्रेणी के समस्त अधिकारी;

(द) अपराधों का शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट करते हैं:-

क्रम सं०(क)	प्रतिषिद्ध श्रेणियों के निस्तारण योग्य पॉलीथीन बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	घनराशि रूपों में
1	100 ग्राम तक	1,000
2	101 ग्राम-500 ग्राम	2,000
3	501 ग्राम-1 किलोग्राम	5,000
4	1 किलोग्राम-5 किलोग्राम	10,000
5	5 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढावों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अंतर्गत और सड़कों, मार्गों, चालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना;	25,000

क्रम सं०(क)	प्रतिबिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथिन बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रुपयों में
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थाओं/ कार्यालयों/ होटलों/ दुकानों/ रेस्तराओं/ मिष्ठान दुकानों/ ढाबों/ औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	1,000

(च) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य प्रदत्त करते हैं;

(छ) यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभियोजित सामग्री का निस्तारण, पुनः उपयोगकर्ताओं या सह प्रसस्करण इकाइयों के माध्यम से पर्यावरणीय रूप में सौहार्द्रपूर्ण रीति से किया जायेगा।

2-एदत्पूर्व यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंघ,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1056/IX-7-18-29(Lucknow)-18, dated July 15, 2018:

No-1056/IX-7-18-29 (Lucknow)-18

Dated Lucknow, July 15, 2018

In exercise of the powers under sections 6A, 7, 12, and 13 A of the Uttar Pradesh Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation) Act, 2000 (U.P. Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to,-

(a) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of plastic carry bags of thickness less than 50 microns and disposable plastic carry bags of thickness 50 microns or above not having the name and registration number of manufacturer with effect from the date of the publication of this notification in the *Gazette*.

(b) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of cups, glasses, plates, spoons, tumblers, etc. made up of plastic or thermocol disposable after one time use with effect from August, 15, 2018.

(c) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of all kinds of disposable plastic carry bags with effect from October, 2, 2018.

(d) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the Act on the following officers in the areas of their jurisdiction:-

(i) All the District Magistrates, Additional District Magistrates and Sub-Divisional Magistrates in Uttar Pradesh.

(ii) All Municipal Commissioners, Additional Municipal Commissioners, Executive Officers, Zonal Officers, Sanitary Inspectors (with permission of Municipal Commissioner and Executive Officers respectively) of the Urban Local Bodies in Uttar Pradesh.

(iii) Member Secretary, State Pollution Control Board, All the Environmental Engineer, Scientific Officers, Assistant Environmental Engineer, Assistant Scientific Officers, Junior Engineer, and Scientific Assistant of State Pollution Control Board in Uttar Pradesh.

(iv) Director, Environment, Deputy Director Environment, and Assistant Director Environment in Uttar Pradesh.

(v) All the Chief Medical Officers and Medical Officers in Uttar Pradesh.

(vi) All the Deputy / Assistant Goods and Services Tax Officers in Uttar Pradesh.

(vii) All the Divisional Forest Officers, Sub-Divisional Officers and Range Officers in Uttar Pradesh.

(viii) All the Tehsildars and Naib Tehsildars in Uttar Pradesh.

(ix) All the Tourism Officers and Assistant Tourism Officers in Uttar Pradesh.

(x) All the District Supply Officers and Food Inspectors in Uttar Pradesh.

(xi) All the Food and Safety Inspectors of Uttar Pradesh.

(xii) All the officers of rank Assistant Manager, Junior Engineer and above in Industrial Development Authorities in Uttar Pradesh.

(e) specify as under, composition fee to be realized by the officers compounding the offences:-

Sl. No. (A)	Quantity of prohibited variety of disposable polythene carry-bags, plastic and thermocol items	Amount in Rupees.
1	Up to 100 gms	1,000
2	101gms -500 gms	2,000
3	501 gms - 1 kg	5,000
4	1 kg - 5 kg	10,000
5	More than 5 kg	25,000
(B)	Littering of plastic waste by any institution / commercial institution / commercial establishment / educational institutions / offices / hotels / shops / restaurants / sweetshops / dhabas / industrial establishments / banquet halls etc. within premises and on roads, streets, drains, rivers, lakes, ponds, forest areas, public parks, all public places etc.	25,000
(c)	Littering of plastic waste by individuals in the premises of any private or commercial establishments like educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweet shops, dhabas, industrial establishments, banquet halls etc. and on roads, streets, rivers, lakes, public parks, forests area and all public places etc.	1,000

(f) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the aforesaid Act, on the Industrial Development Authority, constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

(g) specify that the material seized under the provisions of the said Act shall be disposed of in an environment friendly manner through recyclers or co-processing units.

2. Save as provided here in before this Notification shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 156 सजयप्र(सि०) 2018-(380)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सी० नगर विकास 2018-(351)-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-7

संख्या-1056/9-7-18-29(लखनऊ)/18

लखनऊ:दिनांक 15 जुलाई, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6क,7,12 और 13क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल,—

- (क) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में 50माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैंरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैंरी बैगों, जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हों, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय , वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रतिषिद्ध करते हैं;
- (ख) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय , वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रतिषिद्ध करते हैं;
- (ग) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैंरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय , वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध करते हैं;
- (घ) अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रदत्त करते हैं:—
- (एक) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और परगना मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश;

Mans'

- (दो) उत्तर प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के समस्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक (क्रमशः नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों की अनुज्ञा से);
- (तीन) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समस्त पर्यावरण अभियन्ता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियन्ता और वैज्ञानिक सहायक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश;
- (चार) निदेशक, पर्यावरण, उप निदेशक, पर्यावरण और सहायक निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश;
- (पाँच) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (छः) समस्त उप/सहायक माल एवं सेवाकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (सात) समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (आठ) समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उत्तर प्रदेश;
- (नौ) समस्त पर्यटन अधिकारी और सहायक पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (दस) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;
- (ग्यारह) समस्त खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;
- (बारह) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियन्ता और उससे ऊपर के अधिकारियों की श्रेणी के समस्त अधिकारी;
- (डो) अपराधों का शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट करते हैं:-

क्रम सं०(क)	प्रतिबिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रूपयों में
1	100 ग्राम तक	1,000
2	101 ग्राम-500 ग्राम	2,000
3	501 ग्राम-1 किलोग्राम	5,000
4	1 किलोग्राम - 5 किलोग्राम	10,000
5	5 किलोग्राम से अधिक	25,000

Handwritten signature

ख	किसी संस्था / वाणिज्यिक संस्था / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / शैक्षिक संस्थाओं / कार्यालयों / होटलों / दुकानों / रेस्तराओं / मिष्ठान दुकानों / ढाबों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अंतर्गत और सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना;	25,000
ग	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थाओं / कार्यालयों / होटलों / दुकानों / रेस्तराओं / मिष्ठान दुकानों / ढाबों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	1,000

(च) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य प्रदत्त करते हैं;

(छ) यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अग्रिग्रहीत सामग्री का निस्तारण, पुनः उपयोगकर्ताओं या सह प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से पर्यावरणीय रूप में सौहाद्रपूर्ण रीति से किया जायेगा।

2. एदत्पूर्व यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

Mans
(मनोज कुमार सिंह) 15-7-18

प्रमुख सचिव

UTTAR PRADESH SHASHAN
NAGAR VIKAS ANUBHAG-7

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1056/9-7-18-29(Lucknow)/18, dated 15 July, 2018

NOTIFICATION

No-1056/9-7-18-29 (Lucknow)/18,

Dated Lucknow: 15 July, 2018

In exercise of the powers under sections 6A, 7, 12, and 13 A of the Uttar Pradesh Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation) Act, 2000 (U.P. Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to,-

- (a) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of plastic carry bags of thickness less than 50 microns and disposable plastic carry bags of thickness 50 microns or above not having the name and registration number of manufacturer with effect from the date of the publication of this notification in the Gazette.
- (b) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of cups, glasses, plates, spoons, tumblers, etc made up of plastic or thermocol disposable after one time use with effect from August, 15, 2018.
- (c) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of all kinds of disposable plastic carry bags with effect from October, 2, 2018.
- (d) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the Act on the following officers in the areas of their jurisdiction:-

Manoj

- (i) All the District Magistrates, Additional District Magistrates and Sub-Divisional Magistrates in Uttar Pradesh.
 - (ii) All Municipal Commissioners, Additional Municipal Commissioners, Executive Officers, Zonal Officers, Sanitary Inspectors (with permission of Municipal Commissioner and Executive Officers respectively) of the Urban Local Bodies in Uttar Pradesh.
 - (iii) Member Secretary, State Pollution Control Board, All the Environmental Engineer, Scientific Officers, Assistant Environmental Engineer, Assistant Scientific Officers, Junior Engineer, and Scientific Assistant of State Pollution Control Board in Uttar Pradesh.
 - (iv) Director, Environment, Deputy Director Environment, and Assistant Director Environment in Uttar Pradesh.
 - (v) All the Chief Medical Officers and Medical Officers in Uttar Pradesh.
 - (vi) All the Deputy / Assistant Goods and Services Tax Officers in Uttar Pradesh.
 - (vii) All the Divisional Forest Officers, Sub-Divisional Officers and Range Officers in Uttar Pradesh.
 - (viii) All the Tehsildars and Naib Tehsildars in Uttar Pradesh.
 - (ix) All the Tourism Officers and Assistant Tourism Officers in Uttar Pradesh.
 - (x) All the District Supply Officers and Food Inspectors in Uttar Pradesh.
 - (xi) All the Food and Safety Inspectors of Uttar Pradesh.
 - (xii) All the officers of rank Assistant Manager, Junior Engineer and above in Industrial Development Authorities in Uttar Pradesh.
- (e) specify as under, composition fee to be realized by the officers compounding the offences:-

Sr. No. (A)	Quantity of prohibited variety of disposable polythene carry-bags, plastic and thermocol items	Amount in Rupees.
1	Up to 100 gms	1,000
2	101 gms - 500 gms	2,000
3	501 gms - 1 kg	5,000
4	1 kg - 5 kg	10,000
5	More than 5 kg	25,000
(B)	Littering of plastic waste by any institution / commercial institution / commercial establishment / educational institutions / offices / hotels / shops / restaurants / sweetshops / dhabas / industrial establishments / banquet halls etc. within premises and on roads, streets, drains, rivers, lakes, ponds, forest areas, public parks, all public places etc.	25,000
(c)	Littering of plastic waste by individuals in the premises of any private or commercial establishments like educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweet shops, dhabas, industrial establishments, banquet halls etc. and on	1,000

Manoj

	roads, streets, rivers, lakes, public parks, forests area and all public places etc.	
--	--	--

- (f) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the aforesaid Act, on the Industrial Development Authority, constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.
- (g) specify that the material seized under the provisions of the said Act shall be disposed of in an environment friendly manner through recyclers or co-processing units.

2- Save as provided here inbefore this Notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

By Order .

Manoj 15-7-18
(Manoj Kumar Singh)
Principal Secretary



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 19, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1903/79-वि-1-18-1(क)-14-2018

लखनऊ, 10 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा। संशिल नाम और प्रारम्भ

(2) यह 15 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
29 सन् 2000 की
धारा 1 का संशोधन

नयी धारा 6क का
बढ़ाया जाना

प्रवेश और निरीक्षण
की शक्ति

2-उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग का निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में, उपधारा (1) में, शीर्षक और दीर्घनाम सहित शब्द "उपयोग और निस्तारण का विनियमन" के स्थान पर शब्द "विनियमन" रख दिया जायेगा।

3-मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"6क-(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति के पास समस्त युक्तियुक्त समर्थों पर ऐसी सहायता के साथ जैसा कि वह आवश्यक समझें, किसी स्थान में निम्नलिखित के लिए प्रवेश करने का अधिकार होगा :-

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये किसी कृत्य का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए; या

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए क्या और यदि ऐसा है तो किस रीति से ऐसे किसी कृत्य का निष्पादन किया जाना है अथवा क्या इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के किसी उपबन्ध या इस अधिनियम के अधीन तामील की गयी, दी गयी या प्रदान की गयी किसी नोटिस, आदेश या निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है या किया गया है; या

(ग) किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारभूत वस्तु का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए, अथवा ऐसे किसी भवन की तलाशी करने के लिए, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारभूत वस्तु का अभिग्रहण करने के लिए, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण हों कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध करा सकता है।

(2) किसी जीव अनाशित प्लास्टिक सामग्री या जीव अनाशित कूड़ा-कचरा का प्रबंध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को, उस उपधारा के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए समस्त सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा और यदि वह विफल रहता है तो इस अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में विलम्बित करता है या व्यवधान डालता है तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने का दायी होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण हेतु उसी प्रकार से लागू होंगे जैसा कि वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किसी वारंट प्राधिकारी के अधीन की गयी किसी तलाशी या अभिग्रहण हेतु लागू होते हैं।

(5) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत कोई जीव अनाशित कूड़ा- कचरा, प्लास्टिक या जीव अनाशित सामग्री का निस्तारण, उसी रीति के किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

4-मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

धारा 7 का संशोधन

"7-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ऐसे प्लास्टिक या अन्य जीव अनाशित सामग्री या तत्समान सामग्री, जैसा कि वह उचित समझे, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित कर सकती है।"

5-मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

धारा 8 का संशोधन

"8-(1) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में उपयोग करता है या उपयोग करने हेतु दुष्प्रेरित करता है, प्रथम दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ, जो एक माह तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रुपये तक हो सकता है और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो छः मास तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो बीस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात करेगा अथवा विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ, जो छः माह तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो एक वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई धारा 3 या धारा 3-क का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसे जुर्माने के साथ जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो एक माह तक हो सकती है अथवा ऐसे जुर्माने के साथ जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।"

6-मूल अधिनियम की धारा 12 में:-

धारा 12 का संशोधन

(क) शब्द "स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारियों द्वारा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारियों द्वारा" रख दिए जायेंगे;

(ख) शब्द "जैसा वह उचित समझे" के स्थान पर शब्द "जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाय" रख दिए जायेंगे।

7-मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढा दी जायेगी, अर्थात् :-

नई धारा 13क का बढाव जाना

"13क. इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार किसी क्षेत्र में अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां ब कर्तव्य, राज्य सरकार द्वारा गठित किसी निकाय या प्राधिकारी को प्रदत्त कर सकती है और ऐसे निकाय या प्राधिकारी को ऐसे क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के रूप में समझा जायेगा।"

अनुसूची का संशोधन

8-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) शब्द "प्लास्टिक" के स्थान पर शब्द "प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री" रख दिए जायेंगे;

(ख) क्रम संख्या-5 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्सम्बन्धी प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"6. थर्मोकोल"।

निरसन और अपवाद

9-(1) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्था उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 10 सन्
2018

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000), प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा के उपयोग और निस्तारण के विनियमन का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत एक बार उपयोग वाले पालीथीन/प्लास्टिक कैंरी बैग और थर्मोकोल/प्लास्टिक वस्तुओं तथा-निस्तारण योग्य थर्मोकोल/प्लास्टिक कपों, प्लासों और प्लेटों का व्यापक रूप में उपयोग दुकानदारों, विक्रेताओं, रेहरीवालों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। चूंकि उक्त वस्तुएँ जीव अनाशित हैं, इसलिए वे नालों और मलमहन को रुद्ध कर देती हैं। उक्त वस्तुओं के अघाघुंध बिखराव के कारण मानवों और भटके हुये पशुओं तथा गायों तथा अन्य दुधारू पशुओं के लिये यह संकट भी उत्पन्न करता है।

पूर्वोक्त समस्या के व्यवहृत करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में मुख्यतः निम्नलिखित उपबन्ध करने के लिए संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है,-

(क) उक्त अधिनियम के शीर्षक और दीर्घ नाम सहित धारा 1 में उपसंज्ञात होने वाले शब्दों "उपयोग और निस्तारण का विनियमन" के स्थान पर शब्द "विनियमन" का रखा जाना;

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को किसी स्थान में प्रवेश और निरीक्षण करने के लिए सशक्त किया जाना;

(ग) राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा ऐसे प्लास्टिक या अन्य जीव अनाशित सामग्री के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया जाना;

(घ) दायित्व उपबंधों को अपेक्षाकृत अधिक कड़ा बनाया जाना;

(ङ) अधिनियम के अधीन अपराधों का शमन करने के लिए भी राज्य सरकार के अधिकारियों को सशक्त किया जाना;

(च) अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां व कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा गठित किसी निकाय या प्राधिकारी को प्रदत्त करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जाना;

(छ) उक्त अधिनियम की परिधि के अधीन "थर्मोकोल" को लाया जाना।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख राबिब।

No. 1903 (21/LXXIX-V-1-18-1(ka)-14-2018

Dated Lucknow, September 10, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Plastic Aur Anya Jeev Aneshit Kuda-Kachara (Upayog Aur Nistaran Ka Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2018.

THE UTTAR PRADESH PLASTIC AND OTHER NON-BIODEGRADABLE
GARBAGE (REGULATION OF USE AND DISPOSAL) (AMENDMENT)
ACT, 2018

(U.P. Act No. 35 of 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Plastic and Other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2000.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Plastic and Other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) (Amendment) Act, 2018. Short title and commencement
- (2) It shall be deemed to have come into force on July 15, 2018.
2. In section 1 of the Uttar Pradesh Plastic and Other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2000, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) including heading and long title, for the words "Regulation of use and disposal" the word "Regulation" shall be substituted. Amendment of Section 1 of U.P. Act No. 29 of 2000
3. After section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :- Insertion of new section 6A.

"6A - (1) Subject to the provisions of this section, any person empowered by notification by the State Government, in this behalf, shall have the right to enter, at all reasonable times with such assistance as he considers necessary, any place, -

 - (a) for the purpose of performing any of the functions entrusted to him by the State Government; or
 - (b) for the purpose of determining whether and if so in what manner, any such function is to be performed or whether any provision of this Act or the rules made thereunder or any notice, order or direction served, made or given under this Act is being or has been complied with; or
 - (c) for the purpose of examining any record, register, document or any other material object or for conducting a search of any building in which he has reason to believe that an offence under this Act or the rules made thereunder has been or is being or is about to be committed and for seizing such record, register, document or other material object if he has reasons to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or the rules made thereunder.

(2) Every person handling any non-biodegradable plastic material or non-biodegradable garbage shall be bound to render all assistance to the person empowered under sub-section (1) for carrying out the functions under that sub-section and if he fails, he shall be liable to be punished under this Act. Power of entry and inspection

8. In the Schedule to the principal Act,-

(a) for the word "PLASTIC", the words "PLASTIC AND OTHER NON-BIODEGRADABLE MATERIAL" shall be substituted;

(b) after entry at serial number 5, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"6. Thermocol"

Repeal and saving.

9. (1) The Uttar Pradesh Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) (Amendment) Ordinance, 2018 is hereby repealed.

Amendment of Schedule

U.P. Ordinance No. 10 of 2018

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Plastic and Other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2000 (U.P. Act No. 29 of 2000) has been enacted to provide for regulation of use and disposal of plastic and other non-biodegradable garbage.

The polythene / plastic carry bags and thermocol/plastic articles having one time use such as disposable thermocol/plastic cups, glasses and plates are being used widely by the shop keepers, vendors, rehriwalas and others within the State of Uttar Pradesh. Since the said articles are non-biodegradable, they choke drains and sewerage. It also causes health hazards for human being and stray animals like cows and other milch animals due to indiscriminate littering of said articles.

In order to deal with the aforesaid problem it has been decided to amend the said Act mainly to provide for,-

(a) substituting the word "Regulation" for the words "Regulation of use and disposal" appearing in section 1 including heading and long title of the said Act;

(b) empowering the officers authorised by the State Government to enter and inspect in any place;

(c) empowering the State Government to impose by notification, restriction or prohibition on the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of such plastic or other non-biodegradable material;

(d) making penal provisions more stringent;

(e) empowering the officers of State Government also for compounding of offences under the Act;

(f) empowering the State Government to confer, by notification, such powers and duties of a local authority on a body or an authority constituted by the State Government;

(g) bringing the "Thermocol" under the ambit of the said Act.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pranukh Sachiv.

पीएसओ/पीओ-एच/पीओ 248 राजपत्र-2018-(673)-599 प्रतियु (कम्प्यूटर/टीओ/ऑफसेट);
पीएसओ/पीओ-एच/पीओ 85 साठ दिवादी-2018-(674)-300 प्रतियु (कम्प्यूटर/टीओ/ऑफसेट);

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 18 सितम्बर, 2019

विषय: प्रतिबंधित प्लास्टिक कैंरीबैग एवं प्लास्टिक या थर्मोकॉल के प्रतिबंधित उत्पाद के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया उ०प्र० प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-35 सन् 2018 द्वारा यथा संशोधित) के क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या-1056/नौ-7-18-29(लखनऊ)/2018 दिनांक 15.07.2018 तथा शासनादेश संख्या-1446(2)/नौ-7-19-29(लखनऊ)/2018, दिनांक 14.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आप अवगत हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 15.07.2018 के पैरा-1(छ.) में जब्त किये गये प्रतिबंधित सामग्री के निस्तारण के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि "उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिग्रहीत सामग्री का निस्तारण, पुनः उपयोगकर्ताओं या सह प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से पर्यावरणीय रूप में उचित रीति से किया जायेगा।" प्रदेश में अभी तक लगभग 700 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकॉल उत्पादों को जब्त किया जा चुका है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभिग्रहीत किये गये प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकॉल के उत्पादों का निस्तारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है तथा इनके पुनः बाजार में आने की शिकायतें भी मिल रही हैं।

3. उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 14.08.2019 द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उत्पाद के निस्तारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम यह अवगत कराना है कि पॉलीथीन से निर्मित की जाने वाली सड़कों हेतु आवश्यक है कि पॉलीथीन की सामग्री को छोटे-छोटे टुकड़ों में (Shredded) तैयार किया जाय तथा Aggregate(गिट्टी) को 150°C से 160°C तापमान पर गर्म कर उसमें Shredded Plastic में टुकड़ों को मिलाया जाय, जिससे Aggregater के ऊपर प्लास्टिक का कोट बन जाए। पुनः उसे 160°C तापमान पर कोल-तार में मिलाते हुये सड़क निर्माण किया जा सकता है। जहाँ हॉट मिक्स से

सड़क बननी है, वहाँ कोल तार में 160°C तापमान पर Shreded Plastic को मिलाते हुये सड़क निर्माण किया जा सकता है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रत्येक नगर निगम में एक अथवा दो ऐसे सड़कों का अविलम्ब चयन करते हुये उनके निर्माण में प्रतिबंधित पॉलीथीन के अभिग्रहित सामग्री का उपयोग 02 अक्टूबर 2019 के उपरान्त किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : 4 प्रथम

भवदीय,
Manoj 18.9.19
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन को इस आशय से प्रेषित की संबंधित नगर निगम से समन्वय कर सुनिश्चित करें की नगर निगम के आस-पास के नगरीय निकायों में जो प्लास्टिक आदि जबा किया गया है, नगर निगम की सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध करायें।
 2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
 3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
 4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
 5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।
 6. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 7. गार्ड फाइल।

आज्ञा/से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।




Figure: Plastic to Fuel

CASE STUDY: GOA- PLASTIC TO LIQUID RDF

M K Aromatics has planned to set-up a plant in Goa which would use environmental friendly system for processing plastic waste into hydrocarbons/ crude oil. The plant would use all types of plastics for production of oil in their process. The expected output ratio is going to vary with the type of plastics being used. For High quality plastics such as Milk packets etc. the yield is expected to be 80% however, yield for other low quality plastics output is expected around 60%.

waste into the secondary chamber where these gases are combusted in the presence of excess air. The inflammable gases are ignited with high voltage spark. The secondary chamber temperature is maintained at 10500 °C. The hydrocarbon, CO and hydrogen are combusted into safe carbon dioxide and water.

The process conditions are maintained such that it eliminates the possibility of formation of toxic dioxins and furans molecules (in case of chlorinated waste). The conversion of organic waste into non-toxic gases (CO₂, H₂O) is more than 99%. The extreme conditions of plasma kill stable bacteria such as bacillus stereo-thermophilus and bacillus subtilis immediately.

3.3.3.3 Plastic to Road Construction

The implementation of plastics in roads opens a new option for recycling post-consumer plastics. Plastic roads are made entirely of plastic or of composites of plastic with other materials.

The types of plastic that can be used for construction of roads are Polystyrene (PS) (Hard packaging, cartons, plates, vending cups etc.); Polypropylene (PP) (ketchup bottles, yogurt cups etc.); Polyethylene (PE) (both high and low density) (plastic bags, water bottle, shampoo bottle etc.). Please note that Poly



Vinyl Chloride (PVC) sheets or Flux sheets should not be used.

a) Methodology

The waste plastic has to be collected, segregated, cleaned and then shredded as shown in Figure below. The shredded waste plastic shall pass through 4.75 mm sieve and be retained on 1 mm.

This also indicates indirectly that the size of the shredded plastic should normally be 2-3 mm for better spread and coating the aggregate.

• Types of Bitumen

The three classifications of bitumen used in the construction of roads are mentioned below:

Bitumen 80/100: The characteristics of this grade confirm to that of S 90 grade of IS-73-1992. This is the softest of all grades available in India. This is suitable for low volume roads and is still widely used in the country.

Bitumen 60/70: This grade is harder than 80/100 and can withstand higher traffic loads. The characteristics

of this grade confirm to that of S 65 grade of IS - 73-1992. It is presently used mainly in construction of National Highways & State Highways.

Bitumen 30/40: This is the hardest of all the grades and can withstand very heavy traffic loads. The characteristics of this grade confirm to that of S 35 grade of IS-73-1992. Bitumen 30/40 is used in specialized applications like airport runways and also in very heavy traffic volume roads in coastal cities of the country.

The Bitumen to Plastic ratio shall be 10:1.

b) Plastics as a 'binder'

Waste plastic is shredded into required size and mixed with hot stone (150 to 170 °C) with uniform mixing. When heated to around 150 to 170 °C, plastic melts and spreads over the stone aggregate in its molten state, giving a thin coating at the surface and acting as a binder. The points to note here are:

- Plastics cannot be melted separately to use for coating. On contact with the surface of the hot stone



Step 1- Segregation



Step 2- Cleaning



Step 3- Shredding

Figure: Steps to shred plastic waste for recycling purpose



the plastic gel softens and coats over the aggregate. It is important to note that the size of the shredded plastic should be less than the surface area of the aggregate to get uniform coating, otherwise the binding will not be effective.

- The waste plastic when heated to temperature more than 250 °C may decompose producing gaseous products which results in air pollution, hence the temperature during heating shall be maintained between 150 to 170 °C. It is to be ensured that plastic is boiling and not burning.

• **Interaction between Plastic Aggregate and Bitumen**

When the aggregate temperature is around 150 to 170 °C the coated plastic is in a molten state and over this, hot bitumen at 160 °C is added. The added bitumen spreads over the aggregate. At this temperature both the coated plastic and bitumen are in the liquid state, capable of easy diffusion at the interphase. This process is further helped by the increase in the contact area (increased surface area).

Waste polymers namely PE, PP and PS are hydrocarbons with long chains. The bitumen is a complex mixture of asphaltenes and maltenes which are also long chain hydro carbon. When bitumen is mixed with plastic coated aggregate a portion of bitumen diffuses through the plastic layer and binds with aggregate. The plastic layer has already bonded strongly with aggregate. During this process three dimensional internal cross linked network structure results between polymer molecules and bitumen constitutes.

Therefore the bond becomes stronger and the removal of bonded bitumen becomes difficult. Below figure illustrates the plastic aggregate bitumen interaction for the plastic waste coated aggregate bitumen mix.

• **Types of Process**

The two processes for manufacturing bituminous mixes using waste plastic are dry and wet process. In the dry process, the processed waste plastic is added after shredding into the hot aggregates and is recommended for isolated works; while in the wet process, processed waste plastic in the form of powder is added in the hot bitumen.




Figure: Bitumen and Plastic Aggregate



I. Mini Hot Mix Plant

The stone aggregate mix (as per specification) is transferred to the mix cylinder where it is heated to 165 °C (as per the IRC specification) and then it is transferred to the mixing puddler.



Figure: Mini Hot Mix Plant

The temperature can be monitored using IR thermometer, while transferring the hot aggregate into the puddler, calculated quantity of shredded plastics is sprayed over the hot aggregate within 30 seconds.



Figure: Mixing of Plastic with Hot Aggregate

The sprayed plastic films melts and gets coated over the aggregate thus forming an oily coating. Similarly,

the bitumen is to be heated to a maximum of 160 °C (HRS Specification) in a separate chamber and kept ready (The temperature should be monitored to have good binding and to prevent weak bonding).

At the mixing puddler, the hot bitumen is added over the plastic coated aggregate and the resulted mix is used for road construction as shown in figure. The road laying temperature is between 110°C to 120°C. The roller used is a one with 8-ton capacity.

ii. Central Mixing Plant (CMP)

The Central Mixing Plant technique includes three material types:

Materials I- The hoppers are filled with necessary aggregates as per the mix formula

Materials II- Plastic films (thickness not more than 60microns) to be cut to a size less than 4 X 4 mm. It should not exceed this size.

Materials III- Bitumen of type 60/70 or 80/100 to be used

In Central Mixing, the stone is heated and at the same time the plastics films get melted over the heated stone and gets coated. Slowly the plastics coated aggregate moves forward where this polymer coated aggregate mix is mixed with bitumen. Overall the process consists the following steps:



Figure: Mixing of Bitumen with plastic coated aggregate



1. The aggregate materials are transferred to the cylinder through the conveyer belt.
2. The shredded plastic is sprayed over the aggregate while it is moving in the conveyer belt:
 - The spraying is done by manual labors standing up on both side of the conveyer belt of the central mixing plant. While one person adds the shredded plastics on the conveyer belt, in the meantime another person keeps another bucket full of plastics ready so that the addition of plastics is continuous and done quantitatively.
 - The amount of plastic to be added is calculated as follows:
 - In the CMP, at the control room the addition of bitumen is monitored.
 - The amount of bitumen sprayed per minute inside the cylinder is to be checked. For example, if the bitumen quantity per minute is 10Kg, the plastic need to be added is 1Kg. (i.e. a bucket can be used which can hold 1 Kg at a time).
 - Hence, the shredded plastics taken in the bucket are sprayed with a speed of 1Kg/min.
 - As the plastic is added over the aggregate, the mix (aggregate and plastics) moves into the cylinder.


3. The polymer coated aggregate bitumen mix is then transferred to the dipper.

Salient features/ Advantages of CMP Process

1. Easy process without any new machinery or industry involvement
2. Use of lesser percentage of bitumen and thus savings on bitumen
3. No evolution of any toxic gases like dioxin
4. Mixing of the plastics over the aggregate is uniform and better distribution takes place in Central Mixing Plant
5. The coating is better when the mixing of bitumen is being carried out:
 - a. Inside the Cylinder
 - b. During loading in the dipper.
 - c. During transferring the mix in the paver
 - d. During the spreading of the mix by the paver



• Flowchart of Plastic Bitumen Road process



प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2019

विषय: प्रतिबंधित प्लास्टिक कैंरीबैग एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल के उत्पाद के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया उ०प्र० प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-35 सन् 2018 द्वारा यथा संशोधित) के क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या-1056/नौ-7-18-29(लखनऊ)/2018 दिनांक 15.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैंरीबैग एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य उत्पादों यथा कर्पो, प्लासों, प्लेटों इत्यादि के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात व निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक, ये उत्पाद प्रदेश में देखे जा रहे हैं। इन उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाने का मुख्य कारण यह है कि इनका संग्रहण एवं निस्तारण का वित्तीय लागत अधिक होने से इनका प्रबंधन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त उत्पाद नाले/नालियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे न सिर्फ नगरों की जल निकासी व्यवस्था दुष्प्रभावित होती है बल्कि नाले/नालियों के ओवर फ्लो से परिसम्पत्तियों एवं अवस्थापना सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचता है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के साथ इन उत्पादों के उपभोग करने के कारण अन्नापशुओं मुख्यतः दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।


3. आप अवगत हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 15.07.2018 के पैरा-1(घ) में जक्त किये गये प्रतिबंधित सामग्री के निस्तारण के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि "उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिग्रहीत सामग्री का निस्तारण, पुनः उपयोगकर्ताओं या सह प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से पर्यावरणीय रूप में सौहार्द्रपूर्ण रीति से किया जायेगा।" प्रदेश में अभी तक लगभग 500 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल उत्पादों को जक्त किया जा चुका है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभिग्रहीत किये गये प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के उत्पादों का निस्तारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है तथा इनके पुनः बाजार में आने की शिकायतें भी मिल रही हैं।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों में जब्त किये गये प्रतिबंधित प्लास्टिक के कैंरीबैगों एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल के उत्पादों का निस्तारण निम्नलिखित ढंग से किया जायेगा :-

- (1) जब्त करने के उपरान्त प्रतिबंधित प्लास्टिक के कैंरीबैग एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल के उत्पादों में छेद करके उनको नष्ट करना/अनुपयोगी बनाना सुनिश्चित करें ताकि उनका पुनः उपयोग न किया जा सके।
- (2) जब्त प्रतिबंधित प्लास्टिक के कैंरीबैग एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल के उत्पादों का निस्तारण अधिकृत पुनः उपयोगकर्ताओं (रिसाइकलर) एवं उद्योगों के माध्यम से किया जाय।
- (3) सड़क निर्माण कार्यों के उपयोग।
- (4) Waste to Fuel अथवा Waste to Energy प्लांट में उपयोग।
- (5) सीमेन्ट उद्योग को RDF के रूप में दिया जाना।

नगरीय निकायों में जब्त प्रतिबंधित प्लास्टिक के कैंरीबैग एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल के उत्पादों को उपर्युक्तानुसार सुरक्षित निस्तारण कराते हुए इसकी सूचना को upplasticban@gmail.com पर दिनांक 15 सितम्बर, 2019 तक संलग्न प्रारूप (प्रारूप-6) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह) 14.8.19
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, लखनऊ।
3. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

प्रारूप-6 : जब्त प्रतिबंधित प्लास्टिक कॅरीबैग एवं प्लास्टिक/थर्मिकोल उत्पादों का निस्तारण संबंधी विवरण -

क्रम	जनपद	निकाय	अभिग्रहीत सामग्री की मात्रा	अभिग्रहीत सामग्री के सापेक्ष निस्तारित सामग्री की मात्रा	निस्तारण का माध्यम
------	------	-------	-----------------------------	--	--------------------

Compliance on O.A. No. 116/2014 with O.A. No. 437/2015 Mira Shukla v/s Municipal Corporation, Gorakhpur & others, with relation to order passed dt. 19.07.2019 for pollution in River Gomti.

1. U.P. Jal Nigam has prepared an estimate for the establishment of CETP in GIDA area amounting to Rs. 76.79 Cr., which was submitted to SMCG UP, Lucknow vide letter no. – 1450/ abhini/CETP/ 2019-20 dated: 13.08.2019 of CEO, GIDA, Gorakhpur.

(i) 23.05.2019 with regard to Ramgarh Lake

6 main drains falling into the Ramgarh Tal were intercepted and diverted to two sewage treatment plant of 15 MLD and 30 MLD capacity, which were commissioned in June 2015 and February 2015 and working since then. 25 nos. of floating cascade fountains and one floating multimedia fountain and 450 KW solar energy plant were commissioned in June, 2019.

Besides above, about 11.43 lakh cubic metre silt/ sludge were removed from Ramgarhtal by dredging, which results into the increase in depth of Ramgarh Tal.

About 11000 trees have been planted around Ramgarh Tal for ecological balance.

After implementation of project the BOD of water reduced to 11 mg/l, which was 108 mg/l earlier.

2. DPR submitted for approval –

- a) A DPR for the desilting of about 83 Lakh cum silt amounting to Rs. 348.22 Cr has been submitted to NRCD, New Delhi vide Principal Secretary Letter no. – 2056(1)/ Nau-5-2019-28 Budget/2017 dated 13.08.2019 for the commitment to bear 40% capita cost and 100% O&M cost. Sanction is awaited from Government of India.

- b) A DPR for the interception & diversion of 11 drains out of 18 drains (Total discharge 1.357 MLD) situated at the North corner of Ramgarh Tal amounting to Rs. 34.82 Cr. Has been submitted to Up Govt. under State sector.

The work on remaining 7 drains is in progress under Amrut program, which is proposed to be completed by October, 2020.

As per Hon'ble NGT order in OA 673 dated 20.09.2018 (Page No. 27, Point No. 47). The stretch of River Gomti is from "Sitapur to Varanasi taken under priority III. As per page no. 30 of above order (point no. 6). Hon'ble NGT has instructed as following :-

"All states & Union Territories are required to send a copy of Action Plan to CPCB especially w.r.t. Priority I & Priority II stretches for approval."

As per Hon'ble NGT order dated 08.04.2019 on page no. 26 point no. 41, Hon'ble NGT has instructed as follows :-

“We accept the proposal of CPCB to revise the scale of performance guarantee with regard to timeline. We also accept the suggestions of CPCB to extend the timeline for execution of action plans to the extent that upper limit for execution of the action plans will be two years from 01.04.2019 and the monitoring of the action plans may be done not only at the level of the Chief Secretaries of the States / Uts but also by the CPCB.”

In view of above instruction District wise compliance for pollution abatement work of River Gomti from origin to point of compliance being submitted.

1. **Pilibhit :-** Pilibhit falls outside the polluted stretch. Gomti River Originate from Madhotanda (Gomat Taal) town of this district. A total of 6 drains falls in water body out of which 3 drain are less than 1 mld.
2. **Shahjahanpur :-** Shahjahanpur also falls outside the polluted stretch. Total of 23 drains of town areas discharge its waste in water body 17 drains are having discharge of more than 1 mld. Sewer laying works are under execution in the town which will tag sewerage of falling in 10 drains. for remaining 13 drains Bio-remediation is being proposed.
3. **Lakhimpur Khiri :-** This district falls outside the polluted stretch. A total of 10 drains of town area carrying sewage discharge in water bodies. DPR for Gola Gokarnath town area in under preparation. Following district falls in polluted stretch a mentioned in order.
4. **Hardoi :-** Sewerage Generated from the town area is carried by drains which falls in River Sai. BOD is 13 mg/lt. which is with in norms. therefore no action is required.
5. **Sitapur :-** A total of 53 drains of town area falls in water body. Out of 53 drain 52 drain have discharge of less than 01 mld. Bio remedation for 1 drain is being proposed.
6. **Lucknow :-** In Lucknow city total 33 no.'s drains flowing towards River Gomti and the discharge was measured in Jan, 2015 and is 674 mld. The measured discharge is higher when compared with theoretical rate of water supply due to higher production of water and private borings.

previously there were 26 no's and all were intercepted and diverted under GAP-I & II programme out of which presently 16 no's drains are fully tapped and 10 no.'s drains are overflowing (overflow discharge 155 mld). Total treatment capacity available in Lucknow town is 438 mld (345 mld Bharwara, 56 mld Daulatganj and 37 mld Vrindavan).

For I & D of 7 no.'s new drains with discharge of 72 mld and overflowing discharge of 155 mld of 10 no's drains 4 no's DPR's have been submitted to NMCG for approval and allotment of funds.

Total treatment capacity proposed in DPR's are 206 mld which is sufficient for next 15 years with upgradation of pumping capacity. The STP's proposed are at 5 different location i.e. 1 mld Barikala, 39 mld

Daulatganj, 80 mld Bijnor, 22 mld Ghaila & 64 mld Bharwara. The DPR's after removal of observations were sent to NMCG on 28/02/2019.

Currently 1 DPR amounting to Rs 298.12 cr is sanctioned it includes 1 mld Barikala, 39 mld Daulatganj, I&D of Barikala drain, Upgradation of 3 no.'s overflowing drains.

Further 120 mld STP at GH canal is sanctioned under state sector by GoUP which is under construction & expected to be completed by September 2020. After commissioning of this STP there will be no overflow from G.H. Canal I&D.

SUMMARY OF TREATMENT CAPACITY EXISTING, UNDER CONSTRUCTION AND PROPOSED

EXISTING STP		
1.	Bharwara	345 MLD
2	Daulatganj	56 MLD
3.	Vrindavan	37 MLD
	Total	438 MLD
UNDER CONSTRUCTION		
1	G H Canal	120 MLD
PROPOSED UNDER SANCTIONED PROJECT		
1	Daulat ganj	39 MLD
2	Barikala	1 MLD
PROPOSED UNDER SUBMITTED ESTIMATES		
1	Bijnore	80 MLD
2	Ghaila	22 MLD
3	Bharwara	64 MLD
	G. TOTAL	764 MLD

Above treatment capacity will be sufficient to cater the sewage generated up to the Year- 2035

Also referring the Hon'ble N.G.T order Dated 19-07-2019 , Para 5 (ii), this is being submitted that the inspection was made by Shri Chet Narayan Singh, Advocate Commissioner appointed by the Solid waste Management Monitoring committee of Hon'ble NGT. The inspection was made of S.P.S G.H canal on 24-12-2018, S.P.S Kukrail on 30-12-2018, S.P.S Ghasyari Mandi & River bank Colony on 03-01-2019, S.P.S Mohan Making On 05-01-2019 and S.P.S Jiamau on 09-01-2019, S.P.S Nadwa College and Inspection Note was issued by Nagar Ayukt Lucknow vide their Letter NO 11-05-2019. River bank colony and Nadwa College pumping Stations are Flood puming Stations. Regarding rest Sewage pumping Station it is to submit that sewage pumping station does not recieve uniform flow all the time.

Therefore, as per the Quantity of Inflow the pumping plants are installed in the Sewage pumping station and some pumps are installed as stand-by pumps. In inspection note it is mentioned that "All the pumping plants were not operational at the pumping station", in this regard it is to submit that at the time of inspection pumping

plants were being operated as per the flow being received at the pumping station i.e peak, non-peak and average discharge. The nos., for the operation of pumping plants, is scheduled, which vary as per the level of sewage available in pumping station. There may be a situation of overflow if the pumping is being done in less quantity than the inflow sewage quantity. At the time of inspection there was no overflow on any pumping station as per the inspection note. Thus inferring that the appropriate pumping plants were operational and others were in off condition. This is therefore, requested that the environmental compensation proposed is not justified and hence requested to waive-off the proposed penalty.

7. **Barabanki :-** 2 No's drain carry the sewage generated from town area & falls in water body. Bio remediation is being proposed.

8. **Faizabad :-** In District Faizabad there is catchment area of two river i.e Gomti River and Saryu River.

Gomti river

In this district Betwa drain originates from Jorium Gram panchayat taking flow of Kumarganj Agriculture University and after travelling 10 km from there it ultimately falls into river Gomti at Kakarkola gram panchayat District Sultanpur. In its 10 km of travel, major contribution is from village areas. The flow of the drain at meeting point of river is around 1 MLD. Sample from start point and last point of drain is taken and send for testing. The flow of the drain at meeting point of river is less than 1 MLD. Prima facie the quality of water of the drain was found to be ok and its result is to be provided by 25.11.19

Saryu River

Nagar Nigam Ayodhya is situated on the bank of river Saryu. Nagar Nigam consists two town area i.e. Ayodhya town and Faizabad town. In Ayodhya town total 5 drains fall into river Saryu. For tapping these 5 drains project of interception and diversion amounting Rs 37.67 crore is sanctioned and project is under progress which is expected to complete by Dec 2019. In Faizabad town total 16 Drains originates from city that ponded near River and meet river at 5 points. The total Discharge of all these drains is 26 MLD. For tapping these drains, DPR is under preparation and land of S.T.P. is available and is to purchase. The DPR will be submitted by 15.12.19.

9. **Sultanpur :-** Total 6 no's drains avilavial in sultanpur twon 3 drains are seasonal & drain out before meeting any water body. Remaining 3 no's drains were tapped on priority & was treated at 5 mld STP. Presently considering above 3 drains a DPR is sanctioned by NMCG, New Delhi wide letter no. AA&ES no. 15011 dated. 24.12.2018. The completion date of project is 29.11.2021.

10. **Pratapgarh :-** A STP of 8.95 mld capacity has been constructed but not functional at present. An estimate for the I&D works of all the three drains is being prepared and shall be submitted for approval upto 31.12.2019.

11. Jaunpur :- A total of 29 drains carries waste water of town area. Out of 29 drains 12 drain dry out before meeting any water body. 14 drain DPR sanctioned under Namami Gange is which is expected to be completed by 20.10.2021.

Remaining 3 drains discharge is less than 1 mld.

उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-7
संख्या-NGT-631(1)/81-7-19-44(रिट)/2016 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: २४ नवम्बर, 2019

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 विद ओ0ए0 संख्या-437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रस्तुत ऐक्शन टेकन रिपोर्ट के अनुसार गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, जिसमें गोमती नदी भी सम्मिलित है, के कैचमेन्ट में आने वाली 459 ड्रेनों का शुद्धिकरण बायो-रेमिडियेशन द्वारा किये जाने हेतु डी.पी.आर तैयार किया गया है, जिसे स्टेट मिशन फार क्लीन गंगा (एस0एम0सी0जी0) के माध्यम से अनुमोदन हेतु नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा (एन0एम0सी0जी0) को प्रेषित किया गया है। आप द्वारा अवगत कराया गया है कि गोमती नदी के कैचमेन्ट में स्थित प्रतापगढ़, सुल्तानपुर व जौनपुर हेतु डी0पी0आर0 तैयार की गयी है, जो विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति हेतु लम्बित है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि गोमती नदी के प्रदूषण के निवारण हेतु समयबद्ध कार्यवाही न किए जाने के दृष्टिगत पर्यावरण विभाग द्वारा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही स्वीकृत किए जाने हेतु नगर विकास विभाग को प्रकरण संदर्भित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि गोमती नदी के प्रदूषण के निवारण हेतु मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन की सूचना भी मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

अतः उक्त के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु तत्काल निम्न कार्यवाही कराने का कष्ट करें :-

- (1) गोमती नदी एवं रामगढ़ ताल, गोरखपुर में गिरने वाली समस्त अनटैंड ड्रेन्स में बायोरेमिडियेशन का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जाए।
- (2) गोमती नदी के कैचमेन्ट में आने वाले अन्य शहरों, जिनमें सीवेज के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 प्रस्तावित किया गया है अथवा डी0पी0आर0 बनायी जा रही है, के संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम तत्काल प्रेषित करने का

कष्ट करें, ताकि उसकी नियमित समीक्षा करते हुए गोमती नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित एवं प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

- (3) पर्यावरण विभाग द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण निवारण हेतु प्रभावी कार्यवाही न किए जाने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संदर्भित प्रकरणों पर तत्काल विधिसम्मत निर्णय कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।



(राजेन्द्र कुमार तिवारी)


मुख्य सचिव।

संख्या-NGT-631(2)/81-7-19-44(रिट)/2016 टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त के संबंध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से,



(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव।

-364-

**Comparative Status of water quality of River Gomti in term of Biochemical Oxygen Demand
year 2018 & 2019 (April-June)**

S.no.	Sampling Points	2018 (April to June)			2019 (April to June)			Water quality improvement in term of BOD in 2019
		D.O. (mg/l)	B.O.D. (mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)	D.O. (mg/l)	B.O.D. (mg/l)	Total Coliform (MPN/100ml)	
1	Dadhnamau Ghat, Sitapur	7.4	2.3	1466	7.9	2.6	2400	13.0
2	Manjhighat, Lucknow	5.8	2.8	2900	7.4	2.7	2500	-3.6
3	UPStream Water Intake, Gaughat, Lucknow	2.8	5.8	6433	6.4	3.2	6066	-44.8
4	Kudiyaghat, Lucknow	1.6	7.9	22333	1.5	1.7	318333	-78.5
5	D/s Mohan Meakins, Lucknow	1.6	9.7	24000	1.2	13.3	357333	37.1
6	Nishatganj Bridge, Lucknow	2.8	10.9	50333	2.7	9.4	85000	-13.8
7	U/s Bairaj, Lucknow	2.4	11.5	123333	5.1	6.4	224333	-44.3
8	D/s Pipraghat, Lucknow	0.8	9.2	180000	1.6	10.2	143333	10.9
9	D/s After meeting of STP, Nala Bharwara, Lucknow	3.2	17.7	143333	1.9	19.2	160000	8.5
10	D/s Gomti, Jaunpur	7.5	4.7	41000	7.5	3.9	21000	-17.0
11	Gomti before meeting to Ganga, Rajwari, Varanasi	7.8	4.2	22000	1.7	3.3	16000	-21.4

Improvement in the water quality at 7 Location out of 11 Location has been observed in the year 2019 as compared to 2018.